Eastern's

सरकारी सेवा में

सामान्य भविष्य निधि निर्देशिका

भविष्य निधि नियमावली से सम्बन्धित राज्यादेशों का सार–संग्रह

संकलनकर्त्ता
अनिल कुमार सिन्हा

EBA
ईस्टर्न बुक एजेन्सी
विभागीय तथा कानूनी पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता
305, बुद्धा प्लाजा (तीसरी मंजिल) बुद्ध मार्ग, पटना–1

सरकारी सेवा में

सामान्य भविष्य निधि निर्देशिका

भविष्य निधि नियमावली से सम्बन्धित राज्यादेशों का सार–संग्रह

संकलनकर्त्ता

अनिल कुमार सिन्हा

ईस्टर्न बुक एजेन्सी

विभागीय तथा कानूनी पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता

305, बुद्धा प्लाजा (तीसरी मंजिल), बुद्ध मार्ग, पटना–800 001

पुस्तक परिचय

प्रकाशक :
ईस्टर्न बुक एजेन्सी
305, बुद्धा प्लाजा (तीसरी मंजिल)
अशोक सिनेमा के बगल में, बुद्ध मार्ग
पटना–800 001

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित

संस्करण : सप्तम् 2009

मूल्य : ***60/-*** रुपये मात्र

फोटो कम्पोजिंग :
विधि कम्प्यूटर्स
पटना–800 001

मुद्रक :
आलोक प्रेस
पटना–800 004

पुस्तक के लेखन, मुद्रण एवं प्रकाशन में यथासंभव सर्वाधिक सावधानी बरती गई है, फिर भी संयोगवश हुई त्रुटि या अशुद्धि के फलस्वरूप कोई दायित्व या उपगत स्वीकार्य नहीं होगा ।

विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	Treatment of cost of living allowance as pay for certain purpose. [Vide Memo No. 11222/F, dated 1-11-1968] ...	1
2.	Treatment of Cost of Living Allowance as pay for certain purposes. [Vide Memo No. 8367 F, dated the 27th July, 1968] ...	1
3.	Quoting account numbers in the Schedules of General Provident Fund deductions. [letter no 9320-F, dated the 15th July, 1957] ...	1
4.	Quoting account numbers in the Schedules of General Provident Fund deductions. [letter no. 4626-F, dated the 25th October, 1957] ...	3
5.	Allotment of new G.P. Fund Account nos. to subscribers of G.P. Group .... Group. [Vide Memo No. 5967, dated 27-5-1967] ...	4
6.	Preparation of General Provident Fund Schedules. [G.O. No. 19015 F, dated 3-10-1959] ...	4
7.	Indication of Provident Fund Account number in the service book. [Vide G.O. No. 5968F, dated 30-5-1966] ...	5
8.	बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं की जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 1981-82 से ब्याज की दर। [ज्ञाप संख्या 4601 वि०, दिनांक 4-4-1981] ...	7
9.	उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 11949 वि०, दिनांक 29-8-1978] ...	7
10.	Grant of temporary advances from the General Provident Fund. [G.O. No. 16832 F, dated 12-11-1962] ...	8
11.	Grant of temporary advances from the General Provident Fund. [G.O. No. 14760 F.I., dated 22-11-1962] ...	8

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
12.	Non-refundable withdrawal of Provident Fund money. [Memo No. 3318 F, dated the 3rd March, 1958]	...	9
13.	Non refundable without of Provident Fund money for the purchase of house-sites and for the construction of house thereon. [F.D. Resolution no. 14769 F, dated 22-7-1960]	...	15
14.	Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund. [F.D. Memo No. 14859 F, dated 23-7-1960]	...	17
15.	Non refundable withdrawal of Provident Fund money. [Memo No. 7393 F, dated 21-3-1961]	...	19
16.	Non-refundable withdrawal from Provident Funds. [No. 12162, the 21st September, 1962]	...	19
17.	Change in the age and service limits prescribed for non refundable withdrawal from Provident Fund for various purposes. [Vide G.O. No. 7730 F, dated 18-7-1964]	...	24
18.	Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund. [G.O. No. 7731 F, dated 18-7-1964]	...	25
19.	Conversion of Advance into final withdrawal. [Vide Memo No. 1362-F, dated 13-4-1968]	...	25
20.	भविष्य निधि से गृह निर्माणार्थ अप्रत्यर्पणीय निकासी-वार्षिक घोषणा-पत्र का दाखिला। [Vide F.D. Memo No. 8376 F., dated 9-9-1970]	...	26
21.	Sanction of Non-Refundable Advance from General Provident Fund. [Vide Memo No. 12443 F, dated 4-10-1972]	...	27
22.	भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को अग्रसारित करना। [ज्ञाप संख्या 4355 वि०, दिनांक 24-4-1976]	...	27
23.	सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करना। [ज्ञाप संख्या 10304, दिनांक 3-11-1978]	...	28
24.	सेवानिवृत्ति के पूर्व के 12 माह के अन्दर अस्थायी अग्रिम एवं 3 माह के अन्दर अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति नहीं प्रदान करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 11435 वि०, दिनांक 1-9-1979]	...	28

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
25.	Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement. [Vide Memo No. F2-4011/59-862F, the 15th January, 1959]	...	29
26.	Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement. [Vide Memo No. 8765 F, dated the 2nd April, 1959.]	...	30
27.	Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement. [Vide Memo No. 8659 F, dated the 17th July 1963]	...	31
28.	[ज्ञाप सं० 914 वि०, दिनांक 15-2-1973]	...	32
29.	भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के प्रत्येक मामले का प्रमाण-पत्र निर्गत करना। [F.D. Memo No. 10303 F, dated 3-11-1978]	...	32
30.	भविष्य निधि में सँचित राशि के अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 3490 वि०, दिनांक 25-5-1979.]	...	33
31.	Expenditions disposal of cases relating to final payment of G.P. Fund accumulation-Accelerating the final payment of G.P. Fund money in respect of death cases. [G.O. No. 6334 F., dated 4-5-1960]	...	35
32.	Elimination of delays in the payment of Provident Fund balances to subscribers or their families. [Vide Memo No. 19938, dated 22-10-1959]	...	36
33.	Settlement of mistakes in the Provident Fund Schedules—Measures thereafter. [Memo No. 28301, dated the 10th November, 1960]	...	36
34.	भविष्य निधि की सदस्यता के प्रपत्र में अभिदाता की जन्म-तिथि का उल्लेख। [ज्ञाप संख्या 12241 वि०, दिनांक 22-8-1969]	...	37
35.	भविष्य निधि से विवाह के लिए अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या वि० 2411/76, दिनांक 1-5-1976]	...	38
36.	भविष्य निधि लेखा संधारण का सरलीकरण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।	...	39
37.	सामान्य भविष्य-निधि के अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 10 (भ०नि०) (3) वि०, दिनांक 7-8-1988]	...	44

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
38.	बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार अंशदायी भविष्य निधि में किये गये अंशदान पर ब्याज की दर। [ज्ञाप संख्या 12174 वि०, दिनांक 28-11-1974] ...	53
39.	भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत राज्य सरकार के पदाधिकारियों के भविष्य निधि में महँगाई भत्ते की जमा राशि का लेखा संधारण करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 953 वि० (2), दिनांक 7-3-1991] ...	55
40.	वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17-1-1979 की कंडिका 9 को विलोपित करने के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 3798 वि०, दिनांक 12-7-1982.] ...	55
41.	सरकारी सेवकों को देय जीवन यापन भत्ते की दर में वृद्धि। [संकल्प संख्या 7704 वि०, दिनांक 26-5-1979] ...	55
42.	सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व अंशदाता के भविष्य निधि में संचित राशि की जाँच। [ज्ञाप संख्या 6817 वि०, दिनांक 8-5-1979] ...	55
43.	सरकारी सेवकों को देय जीवन-यापन भत्ता की दर में वृद्धि। [संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17-1-1979] ...	59
44.	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि पर अन्तिम भुगतान के समय छः महीने से अधिक अवधि तक सूद देना। [ज्ञाप सं० 4026 वि०, दिनांक 8-4-1978] ...	62
45.	राज्य के सरकारी सेवकों की सेवा स्वशासी निकायों में विलीन होने पर उनके भविष्य निधि लेखा में संचित राशि एवं उस पर देय सूद की राशि का हस्तान्तरण। [ज्ञाप सं० 15439 वि०, दिनांक 27-11-1976] ...	62
46.	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारण के संबंध में। [पत्र सं० 4260, दिनांक 21-4-1997] ...	63
47.	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कोषागार से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर करने के संबंध में। [पत्र संख्या 4771, दिनांक 3-05-1997] ...	63
48.	बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के भविष्य-निधि अंशदान बैंक ड्राफ्ट, चेक तथा कोषागार चालान से जमा राशियों का लेखा संधारण के संबंध में। [पत्र सं० 6775, दिनांक 3-7-1997] ...	65

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
49.	राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के संबंध में। [पत्र सं० 7240, दिनांक 14-7-1997]	...	65
50.	भविष्य निधि लेखा संधारण एवं अंतिम निकासी कार्य में आवश्यक सुधार के संबंध में। [पत्र सं० 7406, दिनांक 25-7-1998]	...	66
51.	सरकार द्वारा किए गए आश्वासन के आलोक में तीन माह के अन्दर भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने के संबंध में। [पत्र सं० 8130, दिनांक 6-8-1998]	...	67
52.	सरकार के आश्वासन के आलोक में तीन माह की अवधि के अन्दर भविष्य निधि लेखा अद्यतनीकरण करने के संबंध में। [पत्र सं० 14833, दिनांक 28-11-1998]	...	67
53.	भविष्य निधि लेखा संधारण एवं अद्यतनीकरण के संबंध में। [पत्र सं० 14591, दिनांक 9-10-1999]	...	68
54.	चौकीदारों/दफादारों को सामान्य भविष्य निधि लेखा आवंटित तथा संधारित करने के संबंध में। [पत्र सं० 15455, दिनांक 28-10-1999]	...	70
55.	Payment of interest of Provident Fund balance for a period exceeding six months. [Memo No. 3542, dated 8-4-1968]	...	71
56.	[अधिसूचना संख्या 3373 भ०नि० (3), दिनांक 6-5-1988]	...	71
57.	बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि पर ब्याज निर्धारण के संबंध में। [पत्र सं० 6991, दिनांक 7-7-1997]	...	72
58.	[अधिसूचना सं० 4968/वि० (2), दिनांक 19-7-2000]	...	72
59.	Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund. [G.O. No. 7731 F, dated 18-7-1964]	...	73
60.	सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्रों को पारित करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 3749/वि० (2), दिनांक 28 जून, 1996]	...	73
61.	वेतन विपत्र के साथ अपूर्ण भविष्य निधि अनुसूचियों के रहने तथा एक विपत्र में एक ही कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम की राशि रहने के संबंध में। [पत्र सं० 12610, दिनांक 18-9-1999]	...	74
62.	सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के भविष्य निधि की अंतिम निकासी के मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 15727, दिनांक 2-11-1999]	...	74

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
63.	भविष्य निधि अंशदान के कोषागार शिड्यूल को भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों को प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के संबंध में। [पत्र सं० 15726, दिनांक 2-11-1999] ...	75
64.	कोषागारों में ही भविष्य निधि अनुसूचियों के आँकड़ों की प्रविष्टि कम्प्यूटर से करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 12611, दिनांक 18-9-1999] ...	76
65.	सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में किए गए भुगतान के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करना। [ज्ञाप संख्या 10304, दिनांक 3-11-1978] ...	76
66.	महालेखाकार द्वारा जिला भविष्य निधि कार्यालयों के प्रस्तावित अंकेक्षण के संबंध में। [पत्र सं० 6167, दिनांक 16-6-1997] ...	76
67.	पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला स्थित भविष्य निधि कार्यालयों में सँविलयन। [पत्र सं० 10350, दिनांक 26-12-1997] ...	77
68.	पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला भविष्य निधि कार्यालय में सँविलियन। [पत्र सं० 1215, दिनांक 21-2-1998] ...	77
69.	माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अवमानना याचिकाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 3162, दिनांक 27-8-1998] ...	77
70.	सी०डब्लू०जे०सी०/98 राय कृष्ण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य। [पत्र सं० 16903, दिनांक 24-12-1998] ...	78
71.	राज्य-स्तरीय संवर्ग के अन्तर्गत जिला भविष्य निधि कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण/कालबद्ध प्रोन्नति/प्रवर कोटि प्रोन्नति की संपुष्टि के संबंध में। [पत्र सं० 14621, दिनांक 11-10-1999] ...	79
72.	कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि पदाधिकारियों के अंशदाताओं के भविष्य निधि की कटौती के डेबिट तथा क्रेडिट के शिड्यूल भेजने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2284, दिनांक 2 अप्रैल, 1990] ...	80
73.	महालेखाकार द्वारा प्रेषित अन्तशेषों के क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर अकारण डेबिट एवं क्रेडिट के सत्यापन की शर्त्त को शिथिल माने जाने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2901-भ०नि०, दिनांक 4 मई, 1990] ...	81
74.	अखिल भारतीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी अंशदाताओं के भविष्य निधि से सम्बन्धित अनुसूचियों को सम्बन्धित जिला भविष्य	

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
	निधि कार्यालयों में ही भेजने के सम्बन्ध में। [संख्या 3550-भ०नि० (3), दिनांक 30 मई, 1990]	...	81
75.	कोषागार अनुसूचियों का निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालयों में प्रेषण के संबंध में। [पत्र संख्या 3541, दिनांक 29-3-1997]	...	82
76.	अंशदाताओं द्वारा भविष्य निधि में जमा/निकासी की गई राशि के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालयों को प्रस्तुत करने वाली सत्यापित विवरणों को विहित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करने के संबंध में। [पत्र सं० 3540, दिनांक 29-3-1997]	...	82
77.	अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची भेजने के संबंध में। [पत्र सं० 3726, दिनांक 2-4-1997]	...	83
78.	महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा प्रेषित 1981-82 के अन्तशेष की सूची एवं अन्तशेष उपलब्ध करवाने के संबंध में। [पत्र सं० 9174, दिनांक 4-9-1997]	...	84
79.	भविष्य निधि अनुसूचियों को निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय में प्रेषण के संबंध में। [पत्र संख्या 2129, दिनांक 11-3-1998]	...	84
80.	अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का भविष्य निधि अनुसूची भेजने के संबंध में। [पत्र सं० आई०ए०एस०-259/98-2885, दिनांक 2-4-1998]	...	84
81.	सभी जिला कोषागारों से भविष्य निधि अनुसूची (शिड्यूल) उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में। [पत्र सं० 5195, दिनांक 17-6-1998]	...	85
82.	भविष्य निधि अनुसूचियों को निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय में प्रेषण के संबंध में। [पत्र सं० 17039, दिनांक 29-12-1998]	...	85
83.	भविष्य निधि अनुसूचियों को जिला भविष्य निधि कार्यालयों/ भविष्य निधि कोषांग को उपलब्ध कराने के संबंध में। [पत्र सं० 3088, दिनांक 13-2-1999]	...	85
84.	भविष्य निधि अनुसूचियों को भविष्य निधि निदेशालय/कोषांग/ जिला भविष्य निधि कार्यालयों में प्रेषण के संबंध में। [पत्र सं० 5094, दिनांक 18-5-1999]	...	86
85.	मुख्य लेखा शीर्ष 2054-राजकोष और लेखा प्रशासन-800-अन्य व्यय लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय उप-शीर्ष भविष्य निधि लेखा संधारण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में निधि का आवंटन। [पत्र सं० 4192, दिनांक 15-4-1997]	...	87

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
86.	प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के फलस्वरूप उनके वेतन एवं स्थापनादि व्यय का कोषागार से भुगतान की व्यवस्था एवं उनके भविष्य निधि लेखा का संधारण। [पत्रांक जी/एम 7-035/76 शि० 65, दिनांक 8-1-1977] ...	87
87.	प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण। [पत्र संख्या 9403, दिनांक 26 सितम्बर, 1978] ...	91
88.	राजकीय माध्यमिक, मध्य एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण। [पत्रांक 740, दिनांक 19-7-1984] ...	92
89.	राजकीयकृत माध्यमिक और राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण। [पत्रांक शि०-947, दिनांक 12-10-1984] ...	96
90.	राष्ट्रपति का आदेश। [राष्ट्रपति के आदेश की प्रतिलिपि संख्या एफ०-1 (3)-पी (ए०सी०)-86, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 7-3-1986] ...	97
91.	भविष्य निधि निदेशालय, सचिवालय कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को सम्बोधित अनुदेश। [पत्र सं० 2142 भ०नि० (3), दिनांक 17-7-1987] ...	97
92.	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि से अंतिम निकासी के सम्बन्ध में। [पत्रांक 3510, दिनांक 28 दिसम्बर, 1992] ...	98
93.	राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि की अंतिम निकासी के सम्बन्ध में। [पत्रांक 221, दिनांक 18-2-1986] ...	99
94.	राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 213, दिनांक 20-2-1985] ...	99
95.	राजकीय प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 761, दिनांक 12-8-1985] ...	100
96.	भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 3510 वि० (2), दिनांक 5 मई, 1986] ...	100

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
97.	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि पर अन्तिम भुगतान के समय छः महीने से अधिक अवधि तक सूद देना। [ज्ञाप सं० 4026 वि०, दिनांक 8-4-1978]	...	102
98.	भविष्य निधि लेखों का अद्यतनीकरण। [पत्र संख्या 21436, दिनांक 16-12-2000]	...	102
99.	भविष्य निधि लेखा खोलने के संबंध में। [पत्र संख्या 14481, दिनांक 1 दिसम्बर, 2000]	...	104
100.	राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारण। [पत्र संख्या 8315, दिनांक 28-12-1985]	...	105
101.	बिहार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना। [ज्ञाप संख्या 863, दिनांक 21-1-1980]	...	105
102.	बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली में संशोधन पास-बुक प्रणाली लागू। [ज्ञाप संख्या 2813, दिनांक 13-3-1982]	...	106
103.	भविष्य निधि नियमावली में संशोधन। [अधिसूचना ज्ञापांक 841, दिनांक 14-3-1984]	...	107
104.	सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि का अन्तिम भुगतान। [ज्ञाप संख्या 4774, दिनांक 10-7-1982]	...	107
105.	भविष्य निधि में संचित राशि की अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी गयी त्रुटियों के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 3490, दिनांक 25-4-1979]	...	107
106.	अंशदाता द्वारा सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि की अन्तिम निकासी पर ब्याज की अदायगी। [पत्रांक 3570, दिनांक 30-3-1981]	...	109
107.	सा० भ० निधि लेखा में जमा राशि की अन्तिम निकासी के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 10224, दिनांक 15-11-1982]	...	109
108.	सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा महँगाई भत्ते की राशि के भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 5703, दिनांक 2-7-1984]	...	116
109.	बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं को जमा राशि पर दिनांक 1-4-1984 से ब्याज की दर। [संकल्प संख्या 7596, दिनांक 23-11-1984]	...	116
110.	बिहार सामान्य भविष्य-निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा रकम पर दिनांक 1 जुलाई, 1985 से ब्याज की दर। [ज्ञाप सं० 4193, दिनांक 13-7-1985]	...	117
111.	बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन। [अधिसूचना ज्ञाप संख्या 4148, दिनांक 13-7-1985]	...	117

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
112.	बिहार सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की दर। [संकल्प संख्या 7529, दिनांक 29-11-1985] ...	118
113.	राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि की राशि का गैर-सरकारी पासबुक से राजकोष में स्थानान्तरण। [पत्र संख्या 5388, दिनांक 26-8-1985] ...	118
114.	भविष्य निधि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व से बन्द। [ज्ञाप संख्या 6769, दिनांक 6-6-1973] ...	119
115.	बिहार सामान्य एवं अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि पर 1-4-1985 से सूद की दर। [संकल्प सं० 7530, दिनांक 29-11-1985] ...	120
116.	अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 1-4-1981 के नये पुनरीक्षित वेतन में अंतिम वेतन-निर्धारण कार्य को जिला मुख्यालयों में विकेन्द्रित करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 56, दिनांक 4-1-1986] ...	120
117.	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण दिनांक 1-4-1986 तथा उसके बाद की तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूची। [पत्र संख्या 432 भ०नि० (2), दिनांक 23-10-1986] ...	121
118.	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य – भविष्य निधि पासबुक के अद्यतनीकरण करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 432 भ०नि० (3), दिनांक 23-10-1986] ...	121
119.	राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण। [पत्र संख्या 8362, दिनांक 31-12-1985] ...	122
120.	राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि में जमा करने के लिए उनके विपत्र से की गयी कटौतियों तथा उनके द्वारा लिये गये अग्रिम सम्बन्धी वित्तीय वर्ष 1982-83 से सत्यापित विवरणी निर्गत करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 93, दिनांक 1-3-1986] ...	122
121.	राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य दिनांक 1-4-1986 से महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जाने के क्रम में राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों एवं शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का संधारण कार्य उनके पदस्थापन के जिलों में स्थापित जिला भविष्य निधि कोषांगों को सौंपने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 100, दिनांक 2-9-1986] ...	123
122.	सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यप्रणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञापांक 10, दिनांक 7-8-1986] ...	125
123.	जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित करने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 503, दिनांक 21-1-1988] ...	125

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
124.	भविष्य निधि जमा पर अद्यतन सूद देय। [अधिसूचना संख्या 3373, दिनांक 6-5-1988] ...	126
125.	भविष्य निधि पासबुक संधारण के सम्बन्ध में भविष्य निधि नियमावली के नियम 39 (क) का स्पष्टीकरण स्थापना वेतन विपत्र पर राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी होने पर पास-बुक का संधारण। [ज्ञाप संख्या 851, दिनांक 1-3-1990] ...	127
126.	भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यप्रणीय अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों की प्रति सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को प्रेषित करने के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 98, दिनांक 6-1-1990] ...	128
127.	वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902, दिनांक 17-1-1979 के आलोक में सरकारी सेवकों की भविष्य निधि में जमा महँगाई भत्ता की राशि की निकासी के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 96, दिनांक 9-3-1990] ...	129
128.	भविष्य निधि की अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में। [संकल्प सं० 310 दिनांक 18 जनवरी, 1993] ...	130
129.	कोषागार पदाधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की गयी राशि तथा अग्रिम ली गयी राशि के प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 3976, दिनांक 27 मई, 1986] ...	132
130.	शिक्षकों के भविष्य निधि लेखे को जिला भविष्य निधि कोषांग में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 3991, दिनांक 28 मई, 1986] ...	132
131.	राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर दिनांक 1 अप्रील, 1986 से राज्य सरकार द्वारा ही सम्पन्न करने के फलस्वरूप भविष्य निधि की राशि के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 60, दिनांक 25 अगस्त, 1986] ...	133
132.	बिहार राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संधारण के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 506, दिनांक 13 जनवरी, 1989] ...	134
133.	[कार्यालय आदेश संख्या 14 भ०नि० (3), दिनांक 25 जनवरी, 1989] ...	135
134.	राजपत्रित पदाधिकारियों को भविष्य निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि एक अलग पंजी में करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 5442, दिनांक 1 जुलाई, 1989] ...	135
135.	[पत्र संख्या 6451, दिनांक 21 अगस्त, 1989] ...	136
136.	स्थानान्तरण के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के लेखा का स्थानान्तरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 7285, दिनांक 27 सितम्बर, 1989] ...	137

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
137.	राजपत्रित पदाधिकारी, जो अपने वेतनादि की निकासी स्वयं करते हैं, परन्तु जिनकी जमा एवं निकासी की विवरणी कोषागार पदाधिकारी द्वारा संधारित नहीं की जाती, के मामलों में उनकी विवरणी का उनके नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1766, दिनांक 15 मार्च, 1990] ...	137
138.	महालेखाकार से प्राप्त औपबंधिक/अन्तिम अन्तशेष राशि का स्थानान्तरण पर कार्रवाई। [पत्र सं० 2162, दिनांक 28 मार्च, 1990] ...	138
139.	कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि पदाधिकारियों को अंशदाताओं के भविष्य निधि की कटौती के डेबिट तथा क्रेडिट के शिड्यूल भेजने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2284, दिनांक 2 अप्रील, 1990] ...	138
140.	[कार्यालयादेश संख्या 25 भ०नि०नि०, दिनांक 25 अप्रैल, 1990] ...	139
141.	महालेखाकार द्वारा प्रेषित अन्तशेषों के क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर अकारण डेबिट एवं क्रेडिट के सत्यापन की शर्त्त को शिथिल माने जाने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2901, दिनांक 4 मई, 1990] ...	141
142.	बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों के भ०नि० लेखा संधारण के संबंध में। [पत्र संख्या 2741, दिनांक 7 मई, 1990] ...	141
143.	अखिल भारतीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी अंशदाताओं के भविष्य निधि से संबंधित अनुसूचियों को सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों में ही भेजने के सम्बन्ध में। [संख्या 3550, दिनांक 30 मई, 1990] ...	142
144.	भविष्य निधि में संचित राशि का अंशदाताओं के भुगतान में विलम्ब पर दायित्व निश्चित करने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 8925, दिनांक 10-10-1990] ...	142
145.	Encashment of out station cheques and Bank Drafts relating to Provident Fund Accounts. [G.P.F. No. 1529, the 14th March, 1991.] ...	143
146.	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को प्रशासनिक विलम्ब के कारण अद्यतन सूद देने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2166, दिनांक 27 मार्च, 1991] ...	145
147.	बिहार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा रकम पर समय-समय पर ब्याज की दर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का स्पष्टीकरण। [Memo No. 6779, dated 9-8-1988] ...	146
148.	पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला स्थित भविष्य निधि कार्यालयों में संविलयन। [पत्र संख्या 6159, दिनांक 15वीं दिसम्बर, 1997] ...	147
149.	वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4174, दिनांक 15-6-1993 की कंडिका 3 एवं 4 को सेवानिवृत्ति की तिथि के एक वर्ष पूर्व के	

क्र०सं०	विषय		पृष्ठ सं०
	सरकारी सेवकों के लिये क्षान्त करने के सम्बन्ध में । [ज्ञाप संख्या 5542, दिनांक 18-8-1993]	...	148
150.	भविष्य निधि लेखा संख्या स्थानान्तरण पर रोक । [पत्र संख्या 26, दिनांक 28-1-1995	...	148
151.	बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि में किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप, जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में । [पत्र सं० 1606, दिनांक 27-10-1995]	...	149
152.	सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि तथा अन्तिम निकासी से सम्बन्धित विपत्रों को पारित करने के सम्बन्ध में । [पत्र संख्या 3749, दिनांक 28-6-1996]	...	150
153.	बिहार भविष्य निधि में जमा की जाने वाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारित कर के संबंध में । [पत्र संख्या 1914, दिनांक 3-9-1996]	...	150
154.	बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाने वाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मचारियों द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज-निर्धारण के संबंध में । [पत्र सं० 15396, दिनांक 23-11-1996]	...	151
155.	राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के सम्बन्ध में । [पत्र सं० 838, दिनांक 20-1-1997]	...	152
156.	भविष्य निधि में न्यूनतम कटौती की दर 6% । [ज्ञाप संख्या 3392, दिनांक 1-12-1999]	...	152
157.	पुनरीक्षित वेतनमान में सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्य कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । [पत्र संख्या 1251, दिनांक 25-2-2000]	...	153
158.	1-2-2000 से भविष्य निधि सूद दर 11 प्रतिशत करने सम्बन्धी अधिसूचना । [ज्ञाप संख्या 4968, दिनांक 19-6-2000]	...	154
159.	सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में । [पत्र संख्या 5664, दिनांक 9-8-2000]	...	154
160.	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1 अप्रील, 2001 के प्रभाव से 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में । [ज्ञापांक 3307, दिनांक 1 जून, 2001]	...	155
161.	सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि के अंतिम भुगतान में विलम्ब की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में । [पत्रांक 1557, दिनांक 12-2-2002]	...	156
162.	सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवश्यक कागजात के प्रेषण के सम्बन्ध में । [पत्रांक 1580, दिनांक 13-2-2002]	...	158

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
163.	वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अवधि में भविष्य-निधि एवं ग्रुप बीमा योजना मद में संचित राशि के भुगतेय राशि के आकलन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2883, दिनांक 4-4-2002] ...	160
164.	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2002 के प्रभाव से 9% (नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 5313, दिनांक 5-7-2002] ...	161
165.	कोषागारों/उप-कोषागारों/जिला भविष्य-निधि निदेशालय में प्रतिनियुक्त उच्चतर वेतनमान के निगम कर्मियों की सेवा वापस करने के संबंध में। [पत्रांक 5776, दिनांक 19-7-2002] ...	161
166.	लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य-निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति लोकायुक्त बिहार को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में। [संकल्प ज्ञापांक 9138, दिनांक 31-11-2002] ...	162
167.	भविष्य-निधि से अंतिम निकासी हेतु आवेदन-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब के संबंध में। [पत्रांक 2374, दिनांक 4-4-2003] ...	162
168.	दिनांक 22-2-2004 को भविष्य निधि अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1074, दिनांक 12-2-2004] ...	163
169.	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2003 के प्रभाव से 8 (आठ) प्रतिशत की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 5223, दिनांक 20-7-2004] ...	164
170.	सामान्य भविष्य-निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2004 के प्रभाव से वर्ष 2004-05 के लिए ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत के निर्धारण के संबंध में। [संकल्प ज्ञापांक 7094, दिनांक 28-9-2004] ...	164
171.	सी०डब्लू०जे०सी० नं० 8880/2005 (रज्जू सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 4-9-2006 को पारित आदेश—निवृत्ति लाभों/सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निकासी हेतु ससमय कार्रवाई के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2684, दिनांक 31-8-2005] ...	165
172.	बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2006 [ज्ञापांक 4948, दिनांक 27-7-2006] ...	166
173.	भविष्य निधि से स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में। [संकल्प संख्या 242 दिनांक 12-2-2008] ...	169
174.	वित्त विभाग के संकल्प सं० 242 पें०को०, दिनांक 12-2-2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण। [पत्र संख्या 786 दिनांक 11-6-2008] ...	170

●

भविष्य निधि परिपत्र संग्रह

1. ***Subject—Treatment of cost of living allowance as pay for certain purpose.**

It is to refer to the Government Orders contained in Memo No. 8367 F, dated 27-7-1968 in which it has *inter alia* been laid down that cost of living allowance will be treated as "pay" for purposes of sanctioning all advances admissible to Government Servants under the Bihar Financial Rules and the Bihar Provident Fund Rules. Some doubt has been felt in certain quarters as to whether "cost of living allowance" as referred to in the said order should be inclusive of "Government contribution to Provident Fund" or it should include the cost of living allowance paid in cash only Government has been pleased to decide that "Government contribution to Provident Fund" should also be treated as a party of "pay" for the purpose of sanctioning advances mentioned above. This will also take effect from 31-5-1968. **[*Vide Memo No. III/AI-205/68/11222/F, dated 1-11-1968.]**

2. ***Subject—Treatment of Cost of Living Allowance as pay for certain purposes.**

It is to refer to the Government Orders contained in Memo No. AI/214/67-5768 F, dated the 15th September, 1967 of the Finance Department on the above subject and to say that on reconsideration of the matter the State Government have been pleased to decide that the cost of living allowance will be treated as "pay" for the purpose of sanctioning all advances admissible to Government servants under the Bihar Financial Rules and Bihar Provident Fund Rules.

2. The order contained in Memo No. AI-214/67-5768-F, dated 15-9-1967 referred to above may be treated to have been modified to the extent noted above with effect from 31-5-1968. **[*Vide Memo No. A3 208/68/8367 F, dated the 27th July, 1968.]**

3. **Copy of letter no F-2-4013/57-9320-F, dated the 15th July, 1957 from the Deputy Secretary to the Government of Bihar, Finance Department, Patna addressed to all Controlling Officers.**

Subject—Quoting account numbers in the Schedules of General Provident Fund deductions.

The Accountant-General, Bihar has brought to the notice of Government that a large number of Government servants are

subscriber to the General Provident Fund by deductions from their pay bills without quoting their respective account number allotted by Accountant-General's office. The Compulsory General Provident Fund Scheme was introduced with effect from the 1st April, 1956 and many of the subscribers had to commence subscribing to the General Provident Fund before allotment of account numbers. The Accountant General has since alloted account numbers in many cases and the account numbers have been communicated to all Gazetted Government Servant direct and to the heads of offices in the case of Non-gazetted Government Servants. The amounts of all subscriptions that were deducted from their pay bills from March, 1957 onwards without quoting the account numbers alloted to them have remained unposted to the credit of respective subscribers. To enable him to adjust the amounts of subscription so realised to the credit to each individual subscriber, the Accountant-General had requested all Drawing and Disbursing officers to furnish a list of all such subscribers belonging to their establishment who had been paying subscriptions before allotment of account numbers and to whom the account numbers were subsequently alloted. This list has not yet been furnished by many of the Drawing and Disbursing Officers, with the result that subscriptions so far realised by deduction from their pay.bills have remained unposted to the credit of respective subscribers. I am to request that all Drawing and Disbursing Officers should be instructed to furnish the Accountant-General's Office at a very early date with a list of subscribers who commenced subscribing to the General Provident Fund before allotment of account numbers have subsequently been alloted. The correct account numbers assigned by the Accountant-General's Office should be quoted against the name of each Government Servants included in the list. This will enable the Accountant General to adjust the amounts to the credit of each individual subscriber's account. The Controlling Officers are requested to send a reported to Government in the Finance Department by the end of August, 1957, that the above list has been sent to the Accountant-General by the Drawing and Disbursing Officers concerned.

There are cases of Government servants who are regularly contributing to the fund by education from their pay bills as required under the scheme but have not yet taken steps to obtain Provident Fund account number being alloted to them by the Accountant-General. As already pointed out the subscription realised without allotment of account numbers continue to remain unposted to the credit of the respective subscribers in the books of the Accountant-

General, it is, therefore, necessary that the amounts are correctly adjusted without loss of time. The Accountant-General allots accounts number on receipt of application in form no LIII-201. These applications are sent to the Accountant-General through the Head of the Office. It is to instruct the Drawing and Disbursing Officers to furnish the required information in the prescribed from to the Accountant-General in respect of those Government Servants to whom account numbers have not yet been allotted.

It is to point out that all classes of Government Servants including temporary Government Servants who have rendered more than one year's continuous service are required to subscribe to the Fund, the account of monthly subscription being not less than 6½ percent of their emoluments. It is the duty of the Drawing and Disbursing Officers to see that subscriptions are regularly realised by deduction from the monthly pay bill of the Government Servants and in no case realisation of subscription at the prescribed minimum rate is postponed or allowed to fall in arrears. For keeping a correct account of the subscription it is necessary to quote the account number against the name of the subscriber in the Schedule (L-III-191) and the Head of Office should see that the account numbers are obtained in advance if possible, or immediately after the subscription being to be realised by compulsory deduction from pay bills so that it may be possible to adjust the amounts of subscriptions to the proper account without delay.

4. Copy of letter no. F 2-4013/57/4626-F, dated the 25th October, 1957, from the Deputy Secretary to the Government, Finance Department, Bihar, Patna addressed to all Controlling Officers.

Subject—Quoting account numbers in the Schedules of General Provident Fund deductions.

In continuation of Finance Department letter no. F-2-4013/57/9320-F., dated 15th July, 1957 on the subject, it is to say that all Drawing and Disbursing Officers should be instructed to sent application for admission to the General Provident Fund (in duplicate), in the prescribed form, duly filled in, respect of Government Servants who have become eligible for subscribing to the General Provident Fund under the compulsory Provident Fund Scheme but it has not been possible for whatsoever reasons to get the account number alloted by the Accountant-General, before the actual commencement of deductions to the Accountant-General, Bihar alongwith the pay bill in which first deduction is made.

[Copy of letter from A.G., Bihar]

5. ***Subject—Allotment of new G.P. Fund Account nos. to subscribers of G.P. Group .... Group.**

1. With a view to have a distinctive series of account numbers for subscribers of each department, the subscribers who have at present been allotted accounts nos. in 'GA' Groups .... have been allotted new numbers of different new groups relevant to their account departments. This will come into effect from April, 1967.

2. A separate communication for the quotation of old and new account numbers henceforth in their schedules for G.P. Fund deductions of all subscribers (gazetted and non-gazetted) will follow.

3. In order to enable this office to communicate that newly allotted G.P. Fund account numbers of the subscribers (gazetted and non-gazetted) in offices, particulars in duplicate in column 1 to 3 of the proforma given below are to be furnished. These particulars may please be filled in with reference to the schedules of G.P. Fund deductions as were attached to the establishment of G.O. pay bill for March 1967. New account numbers allotted by the office will be filled in column 4 by this office and intimated to the concerned offices.

4. It may please be ensured that the names of all the subscribers to your office are included in the proforma.

PROFORMA

Office of the ....

Name of the subscriber	Designation	G.P. Fund accounts number (Old)	G.P. Fund accounts number (alloted from 1st April, 1967)
1	2	3	4

Signature ....

Designation of Drawing Officer.

[*Vide Memo No. 5 AF-102/67-5967, dated 27-5-1967.]

6. ***Regarding—Preparation of General Provident Fund Schedules.**

It is generally noticed that the State Government Employees due to compulsory contribution to the General Provident Fund, commence subscribing to the Fund when they become eligible to do so, without getting an account number allotted by this office and submit their applications for allotment of accounts no. at a later date. Even when the accounts no. is allotted, it takes some time before the account number is begun to be quoted in the Fund Schedules.

The inevitable result is that in the absence of the information regarding the date of commencement of contribution being furnished in the application for admission to the General Provident Fund many credits pertaining to the subscribers are left unadjusted and protracted correspondence has to be under taken to settle the unadjusted credits. To avoid this, it is requested that information regarding the particulars of commencement of the Fund subscriptions *viz.*, the T.V. No. date and the amount contributed towards the fund for the month in which the account numbers could not be quoted in the schedules, may please be furnished on the body of the application in the "Remarks" column.

All the drawing and disbursing officers may also please be instructed to furnish this information in the "Remarks" column while forwarding the applications for admission to the General Provident Fund for allotment of account numbers. **[*G.O. No. F-10045/5-19015 F, dated 3-10-1959.]**

7. *Regarding—Indication of Provident Fund Account number in the service book.

It has been brought to the notice of the State Government that in most of the cases of transfer of Government Servant from one office to another the Provident Fund account number is not shown in the Last Pay Certificate even though the prescribed form of Last Pay Certificate distinctly provided for the same. The result is that the new Head of Office of the transferred Government Servants is unable to note the Provident Fund account numbers in the Provident Fund Schedule with the natural consequence that a number of Provident Fund credits remain unadjusted for long.

2. It is therefore, suggested that as soon as a Government servant is admitted to the Provident Fund, the Provident Fund account number allotted to him should be noted on the right hand top of page on his service book by means of a rubber stamp or in red ink and his service book should be made available by the old office to the new office soon after the Government servant's transfer but not later than one month of the date of transfer.

3. All subordinate offices who are required to maintain service books should be instructed to follow these instructions strictly. **[*Vide G.O. No. F. 2-402/66-5968F, dated 30-5-1966.]**

[Comments—Below is the Form of application for admission to the Provident Fund.]

Correction Slip to the Book of Accounts Forms—First Edition (Second re-print) C.S. 110.

Page 318 Form G.P.F. 3 Substitute the following for the existing form.

G.P.F. 3. application for Admission to the provident Fund (To be submitted in duplicate)

Name of applicant.	Official designation.	Office to which attached. If on deputation state the present department and Government also.	Service to which the applicant belongs.	Whether applicant's service is pensionable or not.	Whether the applicant is permanent temporary or re-employed. If temporary give the date of commencement of service.	Rate of emolument per mensem.	Rate of subscription per mensem.	If subscriber to any other fund the name of such fund.	Whether the applicant has family or not.	Account No. to be allotted by the Accounts Officer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A form of nomination in the prescribed form, duly filled in is enclosed.

Station

Date ....

Signature of applicant

Signature of the Head of office

Designation

OFFICE OF THE

No.—Dated the .... 19 ......

Returned with account number allotted. This number should be quoted in all corresponding connected therewith.

Signature

Designation

8. ***विषय—बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं की जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 1981-82 से ब्याज की दर ।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2174, दिनांक 28-11-1974 के अनुसार बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उन्हीं दरों से ब्याज दिया जाता है जो दर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की भविष्य निधियों में जमा राशियों के लिए विहित किया जाता है । राज्य के सरकारी कर्मचारियों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा पर सूद की घोषणा को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 12174, दिनांक 28-11-1974 को संशोधित करते हुए बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 14 एवं बिहार अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा राशि पर चाहे वह राशि जितनी भी हो, वित्तीय वर्ष 1981-82 से 10 (दस प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है जो अगले आदेश तक लागू रहेगा ।

इसके अतिरिक्त अभिदाताओं को अगर उन्होंने पहली अप्रैल 1977 से लेकर पाँच वर्षों तक अपने भविष्य निधि खाते से कोई रकम नहीं निकाली है, तो उनकी सम्पूर्ण रकमों पर एक प्रतिशत की दर से बोनस भी देय होगा । **[*ज्ञाप संख्या एम० 1-04/81/4601 वि०, दिनांक 4-4-1981.]**

9. ***विषय—उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश को सौंपने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था । पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 15 (3) में पटना उच्च न्यायालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित संशोधन किया जाता है—

(1) विशेष परिस्थिति में भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी—

(क) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए मुख्य न्यायाधीश ।

(ख) पटना उच्च न्यायालय के अन्य कर्मचारियों के लिए—निबन्धक, पटना उच्च न्यायालय ।

(2) सामान्य अस्थायी अग्रिम के लिए सक्षम पदाधिकारी—

(क) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए—निबन्धक, पटना उच्च न्यायालय ।

(ख) पटना उच्च न्यायालय के अन्य कर्मचारियों के लिए—उप-निबन्धक, पटना उच्च न्यायालय ।

(3) पटना उच्च न्यायालय के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को नियमानुसार अप्रत्यर्पणीय निकासी (non-refundable withdrawals) की स्वीकृति मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा दी जायगी ।

2. इस आदेश में मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त है ।

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में शुद्धि पत्र बाद में निर्गत किया जायगा ।

4. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

[*ज्ञाप संख्या एम० 1-19-781-11949 वि०, दिनांक 29-8-1978.]

10. ***Subject—Grant of temporary advances from the General Provident Fund.**

It is to refer to rule 15 of the Bihar General Provident Fund Rules, which Provides for the grant of advance to a subscriber from the amount standing to his credit in the fund. Temporary advances are only to be given in exceptional cases in conformity with the rules and the fund is not to be treated as a banking account. When one or more advances have already been granted to subscriber, subsequent advance is not to be granted to him until atleast 12 months have elapsed since the complete re-payment of the last advance taken Several instances have come to the notice of Government where advances have been sanctioning authorities probably take a sympathetic view and feel tempted to accede to such requests because they feel that advances are being allowed out of the amounts which have accrued from the Government Servant's own deposit. This is not desired because the granting of advances which are not strictly justified, or within the prescribed limits tend to defeat the very object of the Fund.

2. It is therefore, requested to impress on all sanctioning authorities subordinate, that advances should not be sanctioned unless there is a strong justification and that no advances should be sanctioned by invoking the special provisions of rule 15 (1) (c) of the Bihar General Provident Fund Rules. **[*G.O. No. F-2-4048/62-16832 F, dated 12-11-1962.]**

11. ***Subject—Grant of temporary advances from the General Provident Fund.**

It is to refer to Finance Department Letter No. F2-4048/62-16832 F, dated the 12th November, 1962, on the above subject and to say, that cases have come to the notice of Government where the strict compliance of the direction that no advances should be sanctioned by invoking the special provision of Rule 15 (i) (c) of the Bihar General provident Fund Rules, may cause undue hardship when the advances from Provident Fund is required for the following purpose—

(1) To pay expenses in connection with the serious or prolonged illness of the applicant or any person actually dependent on him.

(2) To pay the obligatory expenses on a scale appropriate to the applicant's status in connection with marriages, funerals or ceremonies which by his religion it is incumbent on him to perform.

2. Government have accordingly decided in partial modifications of the orders contained in the Finance Department letter dated the 12th November, 1962, mentioned above that advances for Special reasons may be allowed under rule 15 (1) (c) of the General Provident Fund Rules, when the advance is required for either of the purposes, mentioned above. This should however, not be allowed as a matter of course but only after strict scrutiny of each case. **[*G.O. No. F-2-4048/62-14760 F.I., dated 22-11-1962.]**

12. ***Subject—Non-refundable withdrawal of Provident Fund money.**

The State Government have had under consideration the question of allowing non-refundable withdrawal of money from the Bihar General Provident Fund and the Bihar contributory provident Fund, to enable the subscribers of the Fund to meet certain essential expenditure at a stage of their career when their commitments are heavy. It has accordingly been decided to allow non-refundable withdrawal from the Provident Fund Account of the subscribers for purpose of—

(i) Marriage; (ii) Higher Education; and (iii) House building,

Subject to the General and Specific terms and conditions mentioned in paragraphs below—

2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS—(i) Non-refundable with-drawal shall be allowed in case of only such subscribers as have either rendered not less than twenty five year's service (including broken periods, if any) or have less than years to attain the age of superannuation.

(ii) The authority competent to sanction refundable advance froms the Fund in cases which require special reasons for such sanction is empowered to sanction withdrawal in terms of these orders when all the terms and conditions for the withdrawals are fulfilled. Cases necessitating relaxation of any of the terms and conditions shall be refferred to the Financial Department.

(iii) The actual withdrawal from the Fund will be made only on receipt of authority from the Accountant-General, Bihar, who will arrange this so soon as the formal sanction of the competent authority has been issued.

3. SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS—(I) For marriage—

(1) The non-refundable withdrawal will be permitted only for the marraige of the subscriber's daughters and sons and if the subscriber has no daughter, for any other female relation dependent on him.

(2) (a) The amount of withdrawal in respect of each marraige will be normally limited to—

(i) In case of non-contributory Provident Fund, six month pay in case of daughter or any other female relation as the case of may be and three months pay in case of son or, one, half of the amount standing to the credit of the subscriber's fund whichever is less;

(ii) In the case of Contributory Provident Fund, the amount actually subscribed by him along with interest thereon standing to his credit.

(b) If two or more marriages are to be celebrated simultaneously, the amount admissible in respect of each marriage will be determined as if the advances are sanctioned seperately, one after the other.

(c) In special cases, the sanctioning authority may relax the limit on six month's pay in the case of daughter, and three month's pay in the case of son; but in no case should more than ten month's pay and six month's pay respectively or half of the balance, whichever is less be sanctioned.

(3) In respect of each marriage, or marriage, subscriber may either withdraw the money in terms of these orders or may draw a refundable advance under the relevant Provident Fund Rules.

(4) The withdrawal may be allowed to the subscriber not earlier the three months preceding the month in which the marraige actually takes place.

(5) The subscriber shall furnish a certificate to the sanctioning authority within the period of one month from the date of marraige, or if he is on leave within one month on return from leave, that the money withdrawn has actually been utilised for the purpose for which it was intended. If the subscriber fails to furnish the requisite certificate or, if the amount withdrawal is utilised for a purpose other than that for which sanction was given the entire amount together with interest thereon at the rate provided for the relevant rules of the respective Provident Fund Rules, from the month of withdrawal shall be, re-deposited forthwith by the subscriber into the fund in one lump sum and in default of such re-payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority provided that a subscriber whose deposits in the Fund carry no interest shall not be liable to pay interest on any sum re-payable by him.

(6) Any amont actually withdrawn from the Fund which is found to be in excess of that actually utilised by the subscriber for the

purpose shall be red-deposited forthwith into the Fund together with interest due thereon at the rate provided for in the relevant rule of the respective Provident Fund Rules.

(II) For Higher Education—(1) The non-refundable withdrawal may be allowed in the following types of cases—

(a) for education beyond High School stage in India, of the subscriber children dependent on him; and

(b) for education beyond High School stage in India, of the subscriber's children dependent on him for medical, engineering and other technical or specialised course provided that the course of study is not less than three years.

(2) The amount of the withdrawal should not exceed—

(a) in the case of Non-contributory Provident Fund, three month's pay or half of the balance at the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less.

(b) in the case of Non-contributory Provident Fund, the amount of the subscriber's own subscription and interest thereon or his three month's pay whichever is less.

(3) The withdrawal will be permitted once in every six months *i.e.*, twice in any financial year. The second withdrawal will be allowed only after a lapse of a period of six months from the date of a previous withdrawal.

(4) the withdrawal will not be allowed in addition to any refundable advance for this purpose.

(5) The subscriber concerned, shall satisfy the sanctioning authority within a period of six months from the date of drawing the money that it has been utilised for the purpose for which it was intended; otherwise the whole amount of withdrawal together with interest will be liable to recovery in one lump sum, and in default of such re-payment it shall be ordered by sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalment as may be determined by the sanctioning authority.

(6) where a portion of the money withdrawn is not likely to be spent with the period of six months and the subscriber desires to withdraw further sum of money from the Fund, during the following half year, he may be notifying in writing to the sanctioning authority before the expiry of said period of six months adjust the excess amount in the proposed withdrawal, provided that such excess amount is not more than ten percent of the amount unutilised and

sanction to withdraw the further amount is taken within one month of the six months period. If no further withdrawals is contemplated, the excess amount with interest due thereon, should be deposited forthwith in the Fund, provided that a subscriber whose deposits in the Fund carry no interest shall not be liable to pay any interest on any sum repayable by him.

(7) After the withdrawal has been made by the subscriber concerned, the sanctioning authority will satisfy themselves within six months of the withdrawal that the amount has been utilised for the purpose for which the withdrawal was sanctioned and the excess amount, if any, has been re-deposited by the subscriber.

(III) For House Building—(1)The non-refundable withdrawal may be permitted to the subscriber for the building of acquiring suitable house for his residence including the cost of the site, or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken, otherwise than from the Consolidated Fund of the State for the purpose.

(2) The maximum of withdrawal shall not exceed—

(i) In the case of Non-Contributory Provident Fund one half of the amount of his credit in the Fund, or the actual cost of the house including the cost of the site, or the amount required for re-payment of the loan taken for this purpose, whichever is less.

(ii) In the case of Contributory Provident Fund, the amount actually subscribed by him alongwith interest thereon standing to his credit, or the actual cost of the house including the cost of the site or repayment of the loan in that behalf, whichever is less.

(3) Withdrawal shall be permitted in equal instalments of not less than two and not more than four in number, but the withdrawal of any instalment after the first shall be permitted by the sanctioning authority only, if it is satisfied that there has been sufficient progress in the construction of the house.

(4) If any sum withdrawn by subscriber under this rule is found to be in excess of that actually spent for the purpose for which such sum was withdrawn, or is not applied for such purpose, the excess or the whole of such sum or so much, thereof, as has not been so applied, shall, forthwith be repaid, together with interest thereon under relevant rule of the respective Provident Fund Rules, by the Subscriber to the Fund, and in default of such re-payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in lump-sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority.

(5) Conditions for withdrawal—

The withdrawal will be permitted after the sanctioning authority is satisfied—

(a) that the subscriber does not already own a house at the place of his duty or at the place where he intends to reside after retirement and that only one house will be built, acquired or redeemed by the subscriber at such place;

(b) that the sum which it is proposed to withdraw is actually required for that purpose;

(c) that such sum, together with the private savings if any, of the subscriber would be sufficient for that purpose;

(d) that in the case of withdrawal for the construction of a house—

(i) the subscriber possesses or intends to acquire forthwith the right to build it on the site meant for this purpose;

(ii) the subscriber has an approved plan;

(iii) the construction shall commence within six months from the date of withdrawal of money and shall be completed within a period of one year from the date of commencement of construction;

(e) that in cases of withdrawal for the purchase of ready built house—

(i) that subscriber has produced necessary deeds and papers before the sanctioning authority to prove that he will secure undisputed title to the land, the house thereon, provided that this condition shall not preclude withdrawal for the purpose of building a house on any plot of land taken on lease from the Government or from any local authorities as defined in the General Clauses Act, 1897, including an Improvement Trust;

(ii) the house shall be purchased or redeemed within three months from the date of withdrawal;

(f) that in the case of withdrawal for the purpose of re-payment of loan the subscriber has produced necessary deeds and papers before the sanctioning authority proving his undisputed title to the land and the house there on and the loan shall be re-paid within three months from the date of withdrawal;

(g) that the subscriber has signed an under taking in Form (copy enclosed) which shall be kept in the safe custody of I.G. Registration on being transmitted by the sanctioning authority until his (the subscriber's retirement and on a final settlement of his Provident Fund Account.

This form shall be suitably amended by the sanctioning authority to suit the circumstances of each case after taking legal advice in the matter.

(6) Annual declaration and production of documents—

(a) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall submit an annual declaration on or before the 31st December; in such form as may from time to time be prescribed by the Government and satisfy the sanctioning authority, if called upon to do so by the production of tax receipt, title deeds or documents, that the house remains in his sole ownership and that he has not parted with the possession thereof, by way of sale, mortgage, gift, exchange or lease for a term exceeding three years, without the previous permission of the sanctioning authority.

(b) If at any time before retirement a subscriber part with the possession of the house contrary to the provisions of sub-rule (6) (a) above, the sum withdrawn by him shall forthwith be re-payable together with interest thereon at the rate determined under relevant rules of the respective Provident Fund Rules, by the subscriber to the Fund in one instalment and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum, or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority provided that a subscriber whose deposits in the Fund carry no interest shall not be liable to pay any interest on any sum re-payable by him.

(7) Non-refundable withdrawal may be allowed for the purpose of altering or enlarging a house already owned or acquired by a subscriber without assistance from the Fund or other Government sources; provided that the amount of the withdrawal does not exceed the limit prescriber for house building purpose given above of Rs. 10,000/- whichever is less.

The other terms and conditions mentioned in these orders will apply *mutatis mutandis* to the withdrawals to allowed under these order *i.e.*, order relating to non-refundable withdrawal for altering or enlarging a house.

4. CONVERSION OF REFUNDABLE ADVANCES INTO NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL—A Subscriber who is eligible to avail of concessions under this order and who has drawn before the date of issue of this order a refundable advance under the existing rules or relevant Provident Fund Rules for (i) Marriage (ii) Higher

education (iii) house building purpose may convert by written request addressed to the sanctioning authority the outstanding balance of the advance into a non refundable withdrawal.

5. Necessary formal amendments to the Bihar General Provident Fund Rules and the Bihar Contributory Provident Fund Rules, will be issued in due course. **[*Memo No. F2-20196/57-3318 F, dated the 3rd March, 1958.]**

13. ***Subject—Non refundable without of Provident Fund money for the purchase of house-sites and for the construction of house thereon.**

With this Department resolution no. F2-20196/57-3318, dated the 3rd March, 1958, orders were issued permitting non-refundable withdrawal from the Provident Fund account for the purpose of building or acquiring a suitable house, including the cost of the site, or for re-paying any outstanding amount of, on account of, loan expressly taken otherwise than from the consolidated Fund of the State, for the purpose. There is no specific provision for non-refundable withdrawals for the purchase of house site alone as separate with drawals by themselves, under these orders.

2. On further consideration of the matter Government have been pleased to decide the non-refundable withdrawals from the Provident Fund for purchase of house-sites themselves and later, for construction of house thereon, shall also be allowed within the limits, and subject to the condition specified below :—

(a) Withdrawals from the Provident Funds may be permitted either for the purpose of purchasing a house-site or for re-payment of any outstanding amount on account of a loan expressly taken for the purchase of a house-site before the receipt of the application for the withdrawal provided that the loan was taken not more than twelve months before the date of receipt of the said application.

(b) The amount of withdrawal shall not exceed—

(i) in the case of Non-contributory Provident Fund, one forth of the amount standing to the credit of the Government Servant or, the actual cost of the site or the amount required for repayment of the loan taken for the purpose, whichever is less;

(ii) in the case of Contributory Provident Fund one-half of the amount actually subscribed by him alongwith interest thereon, standing to his credit, or the actual cost of site or repayment of the loan in that behalf whichever is less.

(c) If the amount withdrawn exceeds the actually cost of the site, the excess shall be refunded to the Government forthwith in

one lump sum together with interest thereon at the rate provided for the rules, from the month of such withdrawal by the Government Servant, for being credited to his account in the relevant Provident Fund. The actual expenditure incurred in connection with the sale or transfer deeds may be reckoned as part of the cost of the sites.

(d) The amount of the withdrawal may be allowed in one instalment in cases of outright purchase of a house-site-or for re-payment of a loan taken earlier for the purpose, and in not more than 3 instalment if payment for the site is to be made on an instalment basis. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal, the number of instalment in which it is actually to be drawn being specified therein.

(e) Withdrawal will be permitted for the purchase or redemption of one house-site only, and in those cases where the Government Servant does not already own a house at the place of his duty or his intended place of his residence after retirements required in para 3 (III) (5) (a) Finance Department's resolution no. 3318-F, dated the 3rd March, 1958.

(f) The house-site shall be pruchased within a period of one month of the withdrawal or withdrawal of the first instalment, as the case may be in fulfilment of this condition the sanctioning authorities may require the production of receipts issued by the seller the house building society, etc. in taken of the amount of the withdrawal/ instalment having been utilised for making payment towards purchase of the site.

3. While sanctioning withdrawal under these orders the sanctioning authorities satisfy themselves—

(a) that the size and the cost of the house-site are not disproportionate to (i) the status of the officers concerned and (ii) the resources available in his Provident Fund Account.

(b) that the amount is actually required for purpose of purchasing the house-site or for re-payment of a loan expressly taken for the purpose, at the case may be; and

(c) that the Government servant will acquire full title to the house-site proposed to be purchased.

4. The following terms and conditions shall regulate withdrawals for the purpose of eventual construction of houses on sites purchased with the help of a withdrawal sanctioned under paragraph 2 above :—

(a) The amount of the withdrawal for the purpose shall not exceed one third of the balance standing to the Government Servant's credit in the case of a Non-contributory Provident fund, and the amount

actually subscribed by him together with interest thereon, standing to his credit in the case of a Contributory Provident Fund, as the case may be, or the actual cost of construction for the house, whichever, is less.

(b) The Government Servant concerned should commerce the construction of the house within a period of six month of the withdrawal of money and complete it within a period of one year from the date of commencement of the construction.

(c) The withdrawal will be permitted to a number of instalment, not less than two and more than 4 in number, the instalments after, the first being authorised by the sanctioning authority after verification regarding the purpose of construction of the house.

5. The conditions mentioned in clause (b) and (c) of para 2 of this memorandum shall *mutatis mutandis* also apply to withdrawals for the purpose of construction of a house sanctioned under para 4 *ibid.* The agreement to be signed in these cases will be as in the form annexed to this memorandum.

6. It has also been decided that withdrawal for the purpose of building a house including the purchase of the house-site, is sanctioned under this Department Resolution no. F2-20196/57-3318-F, dated 3rd March, 1958, the sanctioning authorities may at their discretion, relax the limit of six months, prescribed in clause 3 (III) (5) (d) (iii) of the said Resolution to one year.

7. In so far as the staff serving in the Legislative Assembly/ Legislative Council/High Court are concerned these orders have been issued after consultation with the Speaker, Bihar Assembly/ Chairman, Legislative Council Hon'ble Chief Justice, High Court.

8. Necessary formal amendments to the various Provident Fund Rules will be issued in due course. **[*F.D. Resolution no. 14769 F, dated 22-7-1960.]**

14. *Subject—Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund.

In inviting a reference to this Department's Resolution No. 3318-F, dated the 3rd March, 1958 on the subject above, it is to state that the State Government have been pleased to allow further concession to the subscribers of the Provident Fund in respect of non-refundable withdrawal from the said Fund for purposes of higher education, marraige, and house building as specified below :—

(i) In terms of para 4 of F.D. Resolution No. 3318 F, dated 3rd March, 1958, person who had already drawn refundable advances

for marriage, higher education, house building purpose could convert the outstanding balance of the advances into non-refundable withdrawals provided they satisfied the condition laid down these orders.

The State Government had now been pleased to decide that advance drawn even after the issue of the aforesaid orders or that may be drawn in future can now be converted into non-refundable withdrawals on satisfying the condition necessary for the grant of such withdrawals.

(ii) In term of para 3 (III) 7 of F.D. Resolution No. 3318-F, dated 3rd March, 1958, non refundable withdrawal from the Provident Fund are permitted for the purpose of altering or enlarging a house duly owned or acquired by a subscriber with assistance from the Fund or other Government source.

The State Government have been pleased to decide that a second non-refundable withdrawal may also be allowed from the Provident Fund Account of the subscriber for the purpose of carrying our additions and alterations etc. to a house acquired with the help of a withdrawal already made or which may be made in future from the Provident Fund subject to the condition that the total of both the withdrawals does not exceed half of the amount as it stood at the credit of the subscriber in the provident fund account at the time of his first withdrawal and also that the second the limit of Rs. 10,000 prescribed for the purpose in the Resolution under reference.

(iii) In terms of para 3 (I) (i) of Finance Department Resolution No. 3318, dated 3rd March, 1958 non-refundable withdrawals are permissible only for the marriage of the subscriber's daughters and sons and if the subscriber has not a daughter, for and other female relations dependent on him.

After careful consideration State Government have been pleased to decide that it is not necessary that daughter or the son should be actually dependent on the subscriber for this purpose.

(iv) It is further to invite a reference to para (3) (i) of F.D. Resolution No. 3318, dated 3rd March, 1958 and to say that a question has been raised whether a non-refundable withdrawal for meeting the expenditure on a marriage may be permitted in a case where the marriage has already taken place.

Marriage is a foreseenable event and ordinarily it should not be difficult for the Government Servant concerned to make up his mind before hand whether he would be able to meet the entire expenditure thereon from his private resources or whether he would have to resort to a non-refundable withdrawal from his Provident Fund

Account for this purpose, and if the latter, to apply for the non-refundable withdrawal sufficiently in advance of the date of marriage. Where, however, an officer applies for the withdrawal well before the date of the marriage but the application is sanctioned after the aforesaid date or, if sanctioned before that date the case is received in audit office for the issue of authority for payment after that date there will be no objection to the payment of the amount being made after the date of the marriage. The certificate in terms of para 3 (1) 5 of F.D. Resolution referred to above should be furnished in such cases to the sanctioning authority, within a month of the actual drawal of the amount from the Fund. Cases in which the withdrawal is applied for after the marriage is over should not ordinarily be entertained. **[*F.D. Memo No. F2-403/59-14859 F, dated 23-7-1960.]**

15. *Subject—Non refundable withdrawal of Provident Fund money.

With reference to the Finance Department Resolution No. F2-20196/57/3318 F, dated the 3rd March, 1958 it is to say that the sanctioning authorities are not furnishing a certificate to the effect that in sanctioning the advance they have ensured that all the terms and conditions of the above Resolution have been fulfilled. The Accountant General, Bihar, has reported that in the absence of a certificate regarding fulfilment of all the terms and conditions it taken a lot of time to dispose of the cases after ascertaining the correctness of the sanctions.

In future the sanctioning authority should certify specifically in the body of the sanctions to the drawal of non-refundable withdrawals that all the terms and conditions have been fulfilled, so that the re may not be any delay in disposing of these cases by the Audit Office. **[*Memo No. F2-4018/61/7393 F, dated 21-3-1961.]**

16. *Regarding—Non-refundable withdrawal from Provident Funds.

Ref. : (i) Government of Bihar, Finance Department Resolution No. F2-20196/57-3318F, dated the 3rd March, 1958.

(ii) Government of Bihar, Finance Department Memorandum No. F2-403/59-14859 F, dated 23-7-1960.

The existing position with regard to the grant of non-refundable withdrawal of money from the Bihar Provident Fund and Contributory Provident Fund has been reviewed. It has been decided to allow non-refundable withdrawal from the Provident Fund Account of the subscriber for the purpose and subject to the terms and conditions mentioned in the paragraphs below—

2. (I) After the completion of twenty-five years of service (including broken preriods of service, if any), of a subscriber of within five years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, withdrawal from the amount standing to his credit in the Fund may be sanctioned for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including, where necessary, the travelling expenses of any child of the subscriber actually dependent on him in the following cases namely—

(i) for education outside India, for academic, technical, professional or vocational course beyond the high school stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India, beyond the high school stage, provided that course of study is for not less than three years.

(b) meeting the expenditure in connection with the marriage of a son, or a daughter of the subscriber and if he has no daughter of, any other female relation dependent on him.

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any person actually dependent on him; and

(II) After the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any); of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, withdrawal from the amount standing to his credit in the fund, may be sanctioned for one or more of the following purposes namely :—

(a) building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site, or re-paying and outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but earlier than twelve months of that date, or reconstructing or making additions or alteration, to a house already owned or acquired by a subscriber;

(b) purchasing a house-site or re-paying any outstanding amount on account of loan, expressly taken for this purpose before the date of receipt of application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date;

(c) for constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (b) above.

A subscriber who has availed himself of an advance for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard

from and Government source, shall be eligible for grant of final withdrawal for the purrposes specified above and also for the purpose or re-payment of any loan taken for houses building purposes.

3. CONDITIONS FOR WITHDRAWALS—(1) Any sum withdrawn by subscriber at any time for one or more of the purposes specified in para (2) from the amount standing to his credit in the Fund, shall not ordinarily exceed in the case of Non-contributory Provident Fund one half of such amount or six month's pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4th of the balance at his credit in fund, having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount to his credit in the Fund.

In the case of the Contributory Provident Fund, the maximum amount of withdrawal shall not exceed the amount already subscribed by the subscriber alongwith interest thereon standing to his credit;

Provided that in the case of subscriber who has availed himself, an advance for house building purpose or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn together with the amount of advance taken or the assistance taken from any other Government source shall not exceed Rs. 75,000 or 5 year's pay, whichever is less.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund, shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by the authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so the whole of the sum withdrawn, or so much thereof as has not been applied of the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum together with interest thereon at the prescribed rate by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by Government.

A subscriber whose deposits in the Fund carry on interest, shall not be required to pay any interest on any sum re-payable by him.

(3) The authority competent for special reasons for such sanction is empowered to sanction withdrawal in terms of these orders when all the terms and conditions for the withdrawal are fulfilled, Cases

necessitating relaxation of any of the terms and conditions shall be referred to the Finance Department.

(4) The actual withdrawal from the Fund will be made only on receipt of authority from the Accountant-General, Bihar, who will arrange this as soon as the formal sanction of the competent authority has been issued.

4. CONVERSION OF REFUNDABLE ADVANCES INTO NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL—A subscriber who is eligible to avail of concessions under these orders and who has drawn before the date issue of these orders a refundable advance under the existing rules of the relevant Provident Fund Rules, for any of the purposes mentioned above may convert by written request addressed to the sanctioning authority, the outstanding balance of the advance into a non-refundable withdrawal.

5. ANNUAL DECLARATION AND PRODUCTION OF DOCUMENTS—(a) Subscriber who has been permitted to withdraw money from the amount standing to his credit in the fund under para 2 (II) shall submit annual declaration, on or before the 31st December, in such From as may from time to time be prescribed by the Government and satisfy the sanctioning authority, if called upon to do so, the production of tax receipts, title deeds or documents, that the house remains in his sole ownership and that he has not parted with possession thereof, by way of sale mortgage, exchange or lease, for a term exceeding three years without the previous permission of the sanctioning authority.

(b) If at any time before retirement a subscriber parts with the possession of the house contrary to the provisions of sub-para (a) above, the sum withdrawn by him shall forthwith be repayable together with interest thereon at the rate determind under relevant rule of the respective Provident Fund Rules by the subscriber to the Fund in one instalment and in default of such payment it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum, or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority, provided that a subscriber who deposits in the Fund carry no interest shall not be liable to pay any interest on any sum repayable to him.

6. In so far as the staff serving in the Legislative Assembly/ Legislative Council/High Court, are concerned, these orders have been issued after consultation with the Speaker, Bihar Legislative Assembly/Chairman, Legislative Council/the Chief Justice, Patna High Court. **[*No. F2-4042/62-12162, the 21st September, 1962.]**

FORM

UNDERTAKING FORM

To,

The Governor of Bihar

In consideration of the Governor (thereinafter referred to as "The Government" having agree at my request to permit, for the purpose of building or acquiring a suitable house including the cost of the site thereof, withdrawal of the sum of Rs. ...... (Rupees ......) only from the amount to my credit in the Bihar $\frac{\textit{General · Provident · Fund · under}}{\textit{Contributory · Provident · Fund}}$ the provisions of the Government of Bihar, Finance Department Resolution No. F2-20196/57-3318 F, dated the 3rd March, 1958 hereby, undertake to observe and perform the terms and conditions contained therein so far as they are applicable to me and, in particular to comply with the following terms and conditions, namely :—

2. That if the amount permitted to be withdrawn is excess of the actual expenditure incurred by me for building or acquiring a suitable house including the cost of the site thereof the excess amount together with interest thereon at the prescribed rate shall be refunded to the Government for credit to my Provident Fund forthwith without demand in one lump sum whether the same shall have been demanded or not;

3. that the house proposed to be built or acquired, by me with the amount so withdrawn shall be situated at my place of duty or duly or at ...... where I intend to reside after retirement;

4. that in the event of my building a house, the construction of the house shall be commenced within six months of the withdrawals of the aforesaid amount and shall be completed within a period of one year from the date of commencement of construction or within such further extended period as the sanctioning authority, may, in its absolute descretion allow, In the event of a ready-built house being purchased any loan previously obtained by me for such purpose from private parties shall be repaid within three months of the drawal of such amount of such extended period as may be permitted by the sanctioning authority;

5. that in the event of my building a house the right to build on the site on which the house is proposed to be built will be acquired by me forthwith;

6. that approved plans and permits where necessary from the local authorities for the purpose of building materials to the extent required shall be furnished by me;

7. that in the case of drawal for the purchase of a ready-built house I would secure an undisputed title to the house and the land on which the house is built before the purchase price is paid.

8. that so long as in service I shall submit every year a declaration in the from prescribed by the Government on, or, before the 31st December, that the house so built or acquired continues to be in my sole ownership and possession;

9. that while in the service the house so built or acquired, shall not be transferred by way of sale, mortgage, exchange or gift or on lease for a term exceeding three years or otherwise howsoever without the previous permission of the sanctioning authority in writing.

I hereby declare that my private savings together with the amount permitted to be withdrawn will be sufficient to build or acquire the house of the type proposed and that I do not own any house other than the one which in intended to be built, or acquired at the place of my duty or at ...... my intended place of residence after retirement, I further declare that if the house is not purchased or built in accordance with the provisions of the said Resolution or if I commit any breach of any of the aforesaid terms and conditions, I shall repay to the Bihar General Provident Fund/Bihar Contributory Provident Fund for credit to my account the whole of the amount permitted to be withdrawn from the Fund in pursuance of the said Resolution together with interest thereon, at the rate provided for in para (III) of the Resolution referred to above.

Dated (this) .... day of 19

Place .... Signature ....

17. ***Regarding—Change in the age and service limits prescribed for non refundable withdrawal from Provident Fund for various purposes.**

A reference in invited to para 2 (I) and (II) of the Finance Department Resolution No. F2-4042/62-12162 dated 21-9-1962 and to say that the service and age limits prescribed there in for non-refundable provident and withdrawals have been reviewed.

The State Government have now been pleased to decide that the non-refundable withdrawals from the provident funds for the various purposes as mentioned in the aforesaid Resolution shall be allowed to the subscribers after completion of only twenty years of service or within ten years of retirement on superannuation, whichever is earlier. **[*Vide G.O. No. F2-4012/64-7730 F, dated 18-7-1964.]**

18. ***Regarding—Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund.**

It is to refer to para 4 of the Finance Department Resolution No. F2-4042/62-12162, dated 21-9-1962 and to say that in partial modification thereof, the State Government have been pleased to decide that advances drawn even after the issue of the aforesaid orders or that may be drawn in future, may be converted into non refundable withdrawal on satisfying the conditions necessary for the grant of such withdrawals. **[*G.O. No. F2-4012/64-7731 F, dated 18-7-1964.]**

19. ***Subject—Conversion of Advance into final withdrawal.**

It is to refer to para 4 of Finance Department Resolution No. 12162 F, dated 21st September, 1962 and memo no. 7731, dated 18-7-1964 that provides that a subscriber who has already drawn or may drawn in future an advance under the rules may convert at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority the balance outstanding against him into a final withdrawal on his satisfying the prescribed conditions for eligibility for final withdrawal. A doubt has been raised as to which amount standing to his credit, whether the amount of subscription and interest thereon standing to his credit, at the time of grant of an advance or whether the balance in the fund at the time the conversion is applied for as the case may be, should be taken into account for the purpose of applying the limits of one half of such amount or six month's pay whichever in less or 75% thereof in terms of para 3 (1) of the above referred resolution. In other words the question is, whether the limit should be applied with reference to such amount standing to his credit at the time of its conversion into a final withdrawal. The matter has been examined and the position is indicated in the following paragraph.

2. Conversion of outstanding balance of an advance plus interest into a final withdrawal on a particular date is the net amount to grant a final withdrawal on the date but for his taking the advance. Therefore, it is obvious that the outstanding balance of advance plus interest must be added to the amount of subscription plus interest thereon, standing to his credit in his credit in his account on the date of conversion for determining the amount with reference to which the outstanding balance plus interest should be converted into a final withdrawal, where more than one outstanding advance is to be converted the same procedure should be followed separately in respect of each advance. Accordingly the following clarification is given for the guidance of all concerned.

(i) For conversion of a advance into final withdrawal in terms of para 4 of this Department Resolution No. 12162-F, dated the 21st September, 1962, and this Department Memo No. 7731 F, dated the 18th July, 1964, the balance for the purpose of para 3 (1) of the above noted resolution should be taken as the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in account at the time of conversion *plus* the outstanding amount of the advance of (including interest thereon).

(ii) In terms of the provision of Para 4 of the above referred resolution each withdrawal is to be treated as a separate one and hence the same principle would apply in the case of more than one conversion *i.e.* in each case the limit in terms of para (3) (1) of the above referred Memo would be applied taking into consideration the balance. **[*Vide Memo No. F2-4019/67-1362-F, dated 13-4-1968.]**

20. ***विषय—भविष्य निधि से गृह निर्माणार्थ अप्रत्यर्पणीय निकासी-वार्षिक घोषणा-पत्र का दाखिला ।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या एफ 4042/62-12162, दिनांक 21-9-1962 की कंडिका (5) के अनुसार जिन अंशदायियों की गृह निर्माण या क्रय, जमीन खरीदने तथा गृह निर्माणार्थ या भूमि क्रय के लिए ली गयी ऋण के बकाये राशि वसूली के लिए उक्त संकल्प की कंडिका2 (2) के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि के अप्रत्यर्पणीय निकासी स्वीकृत की गई हो, उन्हें उक्त राशि से निर्मित या कृत गृह या गृहस्थान से बिना सरकार की पूर्व अनुमति के बिक्री, बन्धक, दान, विनिमय या तीन वर्ष से अधिक के लिए पट्टे (Lease) के द्वारा अपने अधिकार नहीं हटाना चाहिए । उन्हें प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक उक्त गृह या गृहस्थान पर अपने आधिपत्य का घोषणापत्र और यदि आवश्यकता हुई तो प्रमाण में मूल दस्तावेज और अन्य आधिपत्य प्रमाणित कागजात निकासी स्वीकृति पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ।

(2) विचारणीय है कि यदि किसी सरकारी सेवक ने गृहनिर्माण के लिए सरकार से ऋण लिया हो, तो उक्त वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना उसके लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि सरकारी गृह निर्माण ऋण के एवज में मकान/जमीन सरकार के पास गिरवी रहेगी । प्रश्न है कि क्या ऐसी परिस्थिति में वार्षिक घोषणा पत्र की माँग की जाय ।

(3) विषय के प्रसंग में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिस्थिति में जब तक मकान या जमीन सरकार के पास गिरवी रहे, सरकारी सेवक हर वर्ष के 31 दिसम्बर तक निम्न घोषणा-पत्र में हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने जिस घर/जमीन के निर्माण या क्रय के लिए भविष्य निधि से अन्तिम निकासी की थी यह अभी तक मेरे अधिकार में है पर सरकार के पास गिरवी है ।"

तिथि .... सरकारी सेवक का नाम ....

स्थान .... हस्ताक्षर ....

पता ....

[*Vide F.D. Memo No. F 2-4010/68-8376 F., dated 9-9-1970.]

21. ***Regarding—Sanction of Non-Refundable Advance from General Provident Fund.**

Under the existing procedure, non-refundable advance from General Provident Fund sanctioned under Resolution No. 12162 F, dated 21-2-1962; 7730 F, and No. 7731 F, dated 18-7-1964, can be drawn only on receipt of authorisation from the Accountant-General, Bihar. This procedure has been reviewed by the State Government. The Government has now been pleased to decide that the authority of the Accountant General, Bihar for drawing funds required for non-refundable advance should not be necessary. Whenever the applicant for a withdrawal of non-refundable advance is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement of Provident Fund Account, together with evidence of Subsequent contributions, the competent authority may sanction the above advance with the concurrence of Finance Department. Where however the applicant is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawals applied for, a reference might be made to the Accountant-General, Bihar for ascertaining the amount at his credit with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of the non-refundable advance. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the General, Bihar, Fund Account No. and should be endorsed to the Accountant-General, Provident. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accountant General, Bihar that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Accountant-General report that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise in admissible, the subscriber shall be required to refund the amount withdrawn in full.

[*Vide Memo No. F-2/1012/72/12443 F, dated 4-10-1972.]

22. ***विषय—भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को अग्रसारित करना ।**

राज्य सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कई एक मामलों में जाली स्वीकृत्यादेशों के आधार पर कोषागार से भविष्य निधि अग्रिम की निकासी की गयी है । ऐसे मामलों की पुनरावृत्तियाँ रोकने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य निधि से स्वीकृत होने वाले प्रत्येक अस्थायी या अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के स्वीकृत्यादेश की प्रति मुहरबन्द लिफाफे में उस कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनिवार्य रूप से अग्रसारित की जाय, जहाँ से अग्रिम की निकासी की जायगी तथा संबंधित कोषागार में स्वीकृत्यादेश की प्रति की पावती को सुनिश्चित

करने हेतु उसे निर्बाधित डाक अथवा विभागीय चपरासी बही के माध्यम से प्रेषित की जाय। सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी कृपया अग्रिम की निकासी सम्बन्धी विपत्र को तब तक पारित नहीं करें, जब तक कि उन्हें कोषागार पदाधिकारी को भेजी गयी स्वीकृत्यादेश की प्रति प्राप्त न हो जाय तथा कोषागार की प्रति, अग्रिम की निकासी सम्बन्धी विपत्र के साथ संलग्न स्वीकृत्यादेश की प्रति के साथ मिलान करने पर दोनों प्रतियों में स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं अन्य बिन्दुओं की एकरूपता से पूर्णत: सन्तुष्ट न हो लें।

2. प्राय: ऐसा भी देखा गया है कि भविष्य निधि से अग्रिम का स्वीकृत्यादेश तथा उसका अग्रसारण ज्ञाप विभिन्न पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाता है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार तथा कोषागार पदाधिकारी के लिए विपत्र के साथ संलग्न स्वीकृत्यादेश की प्रति एवं अपनी प्रति पर अग्रिम स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को हस्ताक्षर इत्यादि का मिलान करना सम्भव नहीं होगा। अत: अनुरोध है कि भविष्य निधि अग्रिम से सम्बन्धित स्वीकृत्यादेश एवं अग्रसारण ज्ञाप एक ही पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय जिससे स्वीकृत्यादेशों का मिलान करने तथा जाली स्वीकृत्यादेशों को पकड़ने में सुविधा हो। **[*वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या एम 1-014/76/4355 वि०, दिनांक 24-4-1976.]**

23. ***विषय—सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करना।**

अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के पश्चात् अग्रिम का भुगतान किया गया या नहीं, इसकी जाँच महालेखाकार के कार्यालय में होना आवश्यक है। महालेखाकार का कहना है कि बहुत से मामले में भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, परन्तु कुछ मामले में प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से महालेखाकार के कार्यालय में भेजने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। अत: किस मामले में भुगतान हुआ या किस मामले में भुगतान नहीं हुआ, इसकी जाँच के लिए यह आवश्यक है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालयों को इस आशय का निदेश निर्गत कर अनुरोध करें कि वे भविष्य निधि से निकासी के रुपयों के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजें। **[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या एम1-31/78/10304, दिनांक 3-11-1978.]**

24. ***विषय—सेवानिवृत्ति के पूर्व के 12 माह के अन्दर अस्थायी अग्रिम एवं 3 माह के अन्दर अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति नहीं प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के आदेश संख्या 3490 के उत्तरार्द्ध की कंडिका 4 की ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहना है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व के बारह माह की अवधि में अस्थायी अग्रिम एवं 3 माह के अन्दर अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाय। विभाग आवेदन पत्र प्राप्त करने के समय ही इस बात की भलीभाँति जाँच कर लें कि उपर्युक्त सीमा के अंदर उन्हें अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाती है या नहीं। विभागों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों को वित्त विभाग में आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित करने में तत्परता एवं शीघ्रता से कार्रवाई की जाय। यह इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों को जहाँ अनुमान्य हो, अग्रिम की निकासी की सुविधा समय पर प्राप्त हो सके तथा निकासी का भाउचर महालेखाकार, बिहार के पास प्राप्त हो जाय तथा अन्तिम निकासी से आवेदन-पत्र में उसका उल्लेख हो सके। अत: अनुरोध है वैसे अप्रत्यर्पणीय निकासी

के प्रस्तावों पर प्रशासी विभाग में विचार नहीं किया जाय तथा वित्त विभाग में नहीं भेजा जाय जिसमें सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व स्वीकृत्यादेश निर्गत करना संभव नहीं हो। [*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या एम1-038/67/11435वि०, दिनांक1-9-1979.]

25. ***Subject—Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement.**

It is to say that under the Provident Fund Rules, the amount standing to the credit of a subscriber in a Provident Fund normally become payable on his "quitting" service *i.e.,* on retirement, on proceeding on leave preparatory to retirement, on earlier death etc. and interest thereon is allowed upto the month preceding that in which the payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount become payable, whichever of these periods is less.

2. The State Government have now decided that if a subscriber so desires, the amount at his credit in the provident fund concerned may be retained in such fund for a period of three years from the date of his retirement subject to his sending an intimation in writing to the Account Officer concerned in this behalf either before the date of retirement or within two months thereof. On the basis of this intimation the balance at the credit of the subscriber will continue to be retained in the relevant fund beyond the date of retirement and earn interest thereon at the rate prescribed by the Government of Bihar each year. The "protected" rate of interest to which some subscribers are at present eligible, will not be allowed in such cases beyond the date of retirement.

During the period of 3 years referred to withdrawals will be permitted once a year, subject to the condition that the amount of each such withdrawal (except the final withdrawal) shall not exceed 1/3rd of the amounts standing to the credit of the subscriber in the Fund on the date of retirement. It will not be necessary to specify any reasons for the withdrawal in such cases. In the event of the death of the subscriber before the expiry of the 3 years period the amount at his credit in the fund shall becomes payable to person or persons entitled to receive it in accordance with the relevant rules, of the fund. The interest on final withdrawal in such cases will be payable upto the end of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which the final withdrawal become payable whichever period is earlier. The provident fund money retained in the funds after the date of retirement will continue to enjoy freedom from attachment by creditors under section 3 of the provident Fund Act, 1925 and exemption from income-tax.

3. This scheme will be in force for a period of 3 years in the first instance. Government, however reserve the right to discontinue the scheme after giving 6 month's notice to the subscribers, within the period if the circumstances justify this course.

4. These orders will apply to officers retiring on or after the date of issue thereof, and also to officers, who, although they may have already retired, have not been paid the amount to their credit in the fund. In the latter case, the officers should send the necessary intimation to the Account Officer within a period of three months from the date of issue of these orders.

5. The option once exercised shall be final. If the necessary intimation is not sent to the Account Officer within the stipulated period, the officer concerned shall be deemed to have exercised the option of withdrawing the accumulations under the usual rules.

6. These orders are applicable to the officers to whom the Bihar General Provident Fund Rules and the Bihar Contributory Provident Fund Rules apply.

7. This has been introduced in response to the request that retiring Government Servant should be given facilities to conserve their amounts in their provident fund. It is hoped that all such officers would avail themselves of this concession to the maximum extent possible and incidentally thereby make a contribution to the Five Years Plans.

8. The necessary amendments to the various provident fund rules will issue in due course. **[*Vide Memo No. F2-4011/59-862F, the 15th January, 1959.]**

26. ***Subject—Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement.**

It is to refer to this department memorandum no. F2-4011/59-862-F, dated the 15th January, 1959 on the subject noted above, and to issue the following clarification with the same.

2. The scheme of retention of Provident Fund may be in the fund after retirement contained in this Department memorandum, dated the 15th January, 1959 does not apply to cases of officers Quitting service by reasons of dismissal, removal or voluntary resignation.

3. No insurance policies should be allowed to be financed from the Provident Fund after the normal date of retirement. Any policies which before retirement were being financed from the provident fund should be re-assigned or handed over to the subscriber in

accordance with the normal provisions contained in the Provident Fund Rules.

4. The protected rate of interest shall be allowed upto the date of retirement only and thereafter the normal rate of interest shall be allowed. The date upto which the interest shall be allowed will be as laid down in this Department memorandum referred to *i.e.* upto the end of the month preceding that in which payment is made upto the end of the sixth month in which the final withdrawal becomes payable (by death or the expiry of the three years period), whichever is earlier.

5. The first withdrawal under the second sub-para, of para 2 of this Department memorandum of the 15th January, 1959 may be permitted at any time between the 1st and 12th month after retirement, the second between the 13th and the 14th months and the third on completion of the 36th month. Where however, a retired officer has not made any withdrawal during the first two years, or has made withdrawal aggregating to less than 2/3rd of the amount of his credit on the date of his retirement, he may be permitted to make one withdrawal between the 25th and 36th month provided that the withdrawal so made together with and withdrawal so made during the first two years does not exceed 2/3rd of the amount of credit on the date of retirement.

6. The period of three years for retention of the money in the fund should be reckoned from the date of actual retirement of the officer and not from the date of commencement of leave preparatory to retirement or the date of exercise of option to retain the money in the fund. **[*Vide Memo No. F2-4011/59-8765 F, dated the 2nd April, 1959.]**

27. ***Subject—Continued retention of Provident Fund money in the funds after retirement.**

In terms of Finance Department Memorandum No. F2-4012/59-862 F, dated 15th January, 1959 and F2-4011/59-8765-F, dated the 2nd April, 1959 and subsequent Memorandum No. F-4020/63-4369F, dated 20th March, 1963 on the subject mentioned above, a subscriber to provident fund is permitted to retain his Provident Fund money in the relevant Fund for a period of three years from the date of his retirement, subject to conditions specified therein.

2. In order to mobilise savings, the State Government have been pleased to decide that in future the subscriber may be permitted to retain their Provident Fund in the Fund for a total period of five years from the date of retirement, subject to the same condition except in respect of withdrawal which will be regulated in terms of paragraph 3 and 4 below. Subscribers who have already been permitted to

retain in the Provident Fund accumulations in the fund for a period of three years may also be allowed to retain that money in the Fund for a further period of two years if they so desire. They should exercise their option in this behalf within six months from the date of issue of these orders.

3. During the period of 5 years withdrawal will be permitted once a year as before, subject to the condition that the amount of each such withdrawal (except the final withdrawal) shall no exceed 1/5th of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund on the date of retirement. The other provisions of paragraph 5 of Finance Department Memorandum No. F2-401/59-8765 F, dated the 2nd April, 1959 shall apply *mutatis mutandis.*

4. The subscriber who have already been permitted to retain their Provident fund money in the fund for a period of three years and opt. to retain the balance in the Fund for a further period of two year shall also be permitted to withdraw the money in accordance with the procedure prescribed in the foregoing paragraph as if these orders applied to them *ab initio.* Such subscribers who have already resorted to withdrawal during the first two or first three years, as the case may be, in accordance with the old order can withdraw during the subsequent years the difference between the amounts they could draw under these orders and the amount they have already withdrawn. **[*Vide Memo No. F2-4020/62-8659 F, dated the 17th July 1963.]**

28. *सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को बिहार सामान्य भविष्य निधि लेखा में अनिवार्य अंशदान के सम्बन्ध में कुछ सुविधा देने के लिये सरकारी संकल्प संख्या2751वि० दिनांक29फरवरी,1956का आँशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाय कि कोई कर्मचारी यदि चाहें तो सेवानिवृत्ति के पूरे तीन माह पूर्व से अपना अनिवार्य अंशदान (कम्पलसरी सबसक्रीप्शन) देना बन्द कर सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि किसी माह की प्रथम तिथि न होकर कोई अन्य तिथि हो, तो वे अपना अनिवार्य अंशदान उस माह के पूर्व तीन माह से बन्द कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिखित विकल्प विहित प्रपत्र में देना होगा। राजपत्रित कर्मचारी अपना विकल्प उन महीनों के अपने वेतन विपत्र के साथ कोषागार को देंगे। अराजपत्रित कर्मचारी अपना विकल्प सम्बन्धित निकासी पदाधिकारी को देंगे, निकासी पदाधिकारी उनके वेतन विपत्र में यह अंकित कर देंगे कि कर्मचारी द्वारा दिये गये और विकल्प के अनुसार इनके वेतन से भविष्य निधि अंशदान नहीं काटा गया है। यह आदेश 1 जनवरी, 1973 से लागू समझा जाएगा। **[*ज्ञाप सं० पेन भ०नि०101/73/914वि०, दिनांक15-2-1973.]**

29. ***विषय—भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में किये गये भुगतान के प्रत्येक मामले का प्रमाण-पत्र निर्गत करना।**

महालेखाकार के कार्यालय में भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में इस स्थिति की जाँच आवश्यक है कि भुगतान की राशि की प्राप्ति अभिदाताओं या प्राधिकृत व्यक्ति को हुई

है या नहीं, इसके लिए उनके कार्यालय में अभिदाता के लेखा खाता (लेजर एकाउन्ट) में इस आशय की प्रविष्टियाँ आवश्यक हैं ।

अत: अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में किये गये भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के प्रत्येक मामले में भुगतान के बाद प्रमाण-पत्र महालेखाकार के कार्यालय में संलग्न विपत्र में भेजा जाना अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में विभाग और अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को इस आशय का आदेश निर्गत किया जाय जिससे महालेखाकार द्वारा बतलायी गयी भुगतान के बाद की प्रक्रिया का पालन आवश्यक रूप में हो सके । **[*F.D. Memo No. M 1-32/78-10303 F, dated 3-11-1978.]**

प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नलिखित है :

OFFICE OF THE ACCOUNTANT-GENERAL, BIHAR, PATNA

No. Ed. Dated ....

To,

Shri ....

Subject—Certificate of disbursement in respect of F.P. authorised for payment to Sri .... bearing G.P.F. Account No.

Sir,

A sum of Rs. .... being final withdrawal from G.P.F. Account No. .... was authorised vide this office Authority No. .... dated .... on .... Treasury.

The No. and date of T.V. in which the amount has been drawn may be stated Certificate of disbursement in respect of payment of the G.P.F. money to the subscriber as per authority No. and date referred to above may also please be furnished in the proforma enclosed.

Yours faithfully

ACCOUNTS OFFICER

Certification of disbursement in respect of final payment authorised vide A.G., Bihar, Patna Authority No. .... dated ....

Certification that a sum of Rs. .... (Rupees ....) (in words) authorised vide A.G., Bihar, Patna Authority No. .... dated .... was drawn vide (Name of district) T.V. No. .... bearing G.P.F. Account No. .... under proper quittance.

Date ....

Signature of Drawing and Disbursing Officer

Seal of the Office

30 ***विषय—भविष्य निधि में संचित राशि के अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में ।**

भविष्य निधि की अन्तिम निकासी संबंधी आवेदन-पत्रों में पायी जाने वाली कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है । इन त्रुटियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(i) अंतिम निकासी संबंधी आवेदन पत्रों में मुख्य सूचनाएँ जैसे सिम्बॉल तथा लेख संख्या का अंकन, मृत्यु, पदत्याग तथा सेवानिवृत्ति की तिथि, पूर्व में लिये गए अग्रिम आदि की सूचनाएँ उल्लेख कर महालेखाकार कार्यालय में नहीं भेजे जाते हैं ।

(ii) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के जीवित सदस्यों की सूची नहीं संलग्न की जाती है ।

(iii) वैसे मृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में जिन्होंने मनोनयन पत्र नहीं दिया है और प्राप्तकर्त्ता नाबालिग है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा दो जमानत वालों के हस्ताक्षर के साथ इनडिमनिटी बौंड नहीं दिया जाता है ।

(iv) सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बारह माह के अन्दर सेवानिवृत्त या मृत अभिदाता के द्वारा जमा एवं निकासी सम्बन्धी विवरणी संलग्न की जाती है ।

(v) मृत या सेवानिवृत्त अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है ।

(vi) राजपत्रित सेवानिवृत्त या मृत पदाधिकारी का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र वित्त विभाग द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है ।

(vii) सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के 3 माह के अन्दर भी अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(viii) सेवानिवृत्ति की तिथि के बहुत पहले अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र महालेखाकार कार्यालय में भेजे जाते हैं और ऐसे मामले में भी सेवानिवृत्त होने के पहले अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि सेवानिवृत्त होने वाले या मृत अभिदाताओं के अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्र महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करते समय निम्नलिखित सूचनाएँ एवं कागजात अवश्य ही भेजे जायें ।

(i) अंशदाता को आवंटित लेखा संख्या, सिम्बॉल, मृत्यु, सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तिथि एवं अन्तिम कटौती संबंधी सूचना एवं प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अवश्य अंकित किया जाय ।

(ii) जहाँ अभिदाता द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया गया है और परिवार का उत्तराधिकारी नाबालिग है वहाँ राशि भुगतान के पूर्व हिन्दू विधवा को छोड़कर सहज अभिभावक होने के प्रमाण के अभाव में इनडिमनिटी बौंड में जमानतदारों के हस्ताक्षर के साथ दिए जायें ।

(iii) जहाँ मृत अभिदाताओं के द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया गया है और उनका अपना कोई परिवार भी नहीं है, वहाँ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(iv) सेवानिवृत्ति के पूर्व बारह माह की अवधि में भविष्य निधि में जमा की गई राशि तथा उससे निकासी की गयी राशि की मानसिक विवरणी अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा तथा राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय ।

(v) सेवानिवृत्ति के पूर्व बारह माह की अवधि में भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम तथा 3 माह की अवधि में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाय ।

(vi) मृत या सेवानिवृत्त अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित किये जायें।

(vii) राजपत्रित सरकारी सेवकों का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र जहाँ सेवानिवृत्ति की तिथि से1 माह के अन्दर अग्रिम की निकासी की गई है उन मामलों में आवेदन पत्र वित्त विभाग को अनौपचारिक सहमति प्राप्त कर ही महालेखाकार कार्यालय में भेजे जायें।

(viii) अन्तिम निकासी का आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति/मृत्यु, पदत्याग के पश्चात् ही महालेखाकार कार्यालय में भेजा जाय।

(ix) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के सदस्यों को अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाय।

(x) अंशदाता के अन्तिम पदस्थापन के स्थान से भिन्न कोषागार से रकम की निकासी के मामले में प्राप्तकर्त्ता की अंगुली छाप, व्यक्तिगत पहचान, हस्ताक्षर के नमूने अन्तिम आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् अन्तिम निकासी के आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे तत्परता के साथ शीघ्रातिशीघ्र महालेखाकार, बिहार के पास भेजा जाय।

कृपया अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय उपर्युक्त निर्देशों का पालन निश्चित रूप से किया जाय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाय। [***ज्ञाप संख्या एम०-038/68-3490 वि०, दिनांक 25-5-1979.**]

31. *Subject—Expenditions disposal of cases relating to final payment of G.P. Fund accumulation-Accelerating the final payment of G.P. Fund money in respect of death cases.

It has been brought to the notice of Government that final payment of General Provident Fund money, in respect of a deceased subscriber is often delayed due to non-observance of the General Instruction no. 4 as printed on the form of application for final withdrawal of Provident Fund accumulations Schedule LIII—Fund No. 33A, by the Heads of Offices. It would appear that the aforesaid instruction requires that in the cases of death of a subscriber to a Provident fund, the Head of Office, shall fill up the necessary items of the form of application and forward that to the Head of the Department. The second part of the instructions lays down that the Head of the office, will simultaneously send direct and immediate intimation of the death of the subscriber together with his Provident Fund to Accountant-General, Bihar, so that the A.G. can send the necessary advice in the matter to the Head of the Department. If this information is received timely by the Accountant-General, the details of the nominee (s) in cases where nominations are available in his office can be furnished, otherwise, necessary advice for obtaining the particulars of the surviving members of the family can be sent promptly to the Head of the Deptt. Which will enable him to get

the application properly filled in and sent to the office of A.G. Bihar, without much loss of time.

It is therefore, request that the necessity and importances of the strict observatance of the above instructions may please be impressed upon the Head of Office so that the unnecessary delays can be avoided. In this connection attention is also invited to Finance Department Memo No. F2-4017/59-1456 F., dated the 23rd January, 1959 in which it was requested that all the columns in the Form of application may be correctly completed and scrutinised by the Head of Office before forwarding that to the Accountant-General, for further action. Inspite of the above circular, applications still continue to be received by the Accountant-General incomplete in many respects. It is further requested that steps may kindly be taken to avoid recurrence of such omissions in future and to ensure the correct completion of all the columns in the Form of application. **[*G.O. No. F2-4076/59-6334 F., dated 4-5-1960.]**

32. *Subject—Elimination of delays in the payment of Provident Fund balances to subscribers or their families.

It has been brought to the notice of Government that in certain cases the delays in making final payment of the Provident Fund balance to the subscriber on his quitting service or to his family in the event of his death occasioned by the fact that he had served in more than one office during the twelve months prior to his quitting service death and the information regarding any advance taken or non-refundable withdrawal made by him had to be collected by the Accountant Officer from the various offices concerned.

To obviate such delays, it has been decided that in future the Head of Office/Department under whom the subscriber last served, shall collect the necessary information from the various offices in which the subscriber served during the last twelve months before quitting/service death, and thus furnish a certificate to the Account Officer concerned on behalf of all such office regarding any advances taken/non-refundable withdrawals made by the subscriber. **[*Vide Memo No. F2-4046/59/19938, dated 22-10-1959.]**

33. *Subject—Settlement of mistakes in the Provident Fund Schedules—Measures thereafter.

It is to refer to the Finance Department memo No. F2-4013/53-14626 dated, the 16th November, 1957 and F2-4014/588-9400, dated the 12th June, 1958 regarding quoting account number in the Schedules of Provident Fund deductions and to say that it has been brought to the notice of the State Government, that large numbers

of items still remain unposted in the ledger account of General Provident Fund subscribers in the Office of the Accountant-General, Bihar either due to incorrect account number recorded in the General Provident Fund Schedules or due to total absence of account number.

In order to improve matters and to ensure that Provident Fund deductions are credited to correct accounts, regularly month by month, the State Government, have decided that the following instructions may be observe strictly.

Each drawing officers should send to the office of the Accountant-General, Bihar, by 15th January every year a list in triplicate. Showing the names of subscriber with their Account numbers as alloted by the Accountant-General, Bihar. While he was admitted to General Provident Fund.

The Second part of the list should contain the names of those subscribers who have not yet been allotted any account number and should be supported with applications in duplicate in the prescribed from, for admission to the General Provident Fund (No Schedule LIII Form No. 201). The list will be checked by the office of the Accountant-General, Bihar and errors, if any, will be corrected. The eligibility of the new subscribers, will also be examined and if found, otherwise in order, an account number will be alloted and communicated to the subscriber through the Heads of office by the Accountant-General, Bihar.

On receipt of a copy of the corrected list from the office of the Accountant-General, Bihar the Heads of offices should get the list printed or cyclostyled, as may be convenient. One copy of the printed or cyclostyled list should be attached as a Schedule of the General Provident Fund with each bill for March, payable in April and the following months. The printed Schedule of names of subscribers with their Account numbers will facilitate the work in the office of the Accountant-General, Bihar and will greatly produce the chance of erros in the General Provident Fund Schedule.

It will also ensure accuracy and legibility of names and account numbers and thereby correct compilation of General Provident Fund accounts by the office of the Accountant-General, Bihar. **[*Memo No. F2-4053/60/28301, dated the 10th November, 1960.]**

34. *विषय—भविष्य निधि की सदस्यता के प्रपत्र में अभिदाता की जन्म-तिथि का उल्लेख।

अभिदाताओं की भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान करने में आवश्यक विलम्ब से बचने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभिदाता की जन्म तिथि का उल्लेख किया जाय जिसमें कि अभिदाता

की लेजर खाते में जन्म तिथि दर्ज की जा सके और उक्त खाते से ही उसकी अधिवार्षिकी की सम्भावित तिथि जानी जा सके और महालेखापाल द्वारा अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही उनकी लेखा पूरी करने की कार्रवाई की जा सके और अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनकी निधि का अन्तिम भुगतान बिना विलम्ब के हो सके। [***ज्ञाप संख्या एफ 2-4161/69/ 12241 वि०, दिनांक 22-8-1969.**]

35. ***विषय—भविष्य निधि से विवाह के लिए अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

"दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975" जारी किये जाने के संदर्भ में यही प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि भविष्य निधि से अंशदाताओं को उसके आश्रितों के शादी के निमित्त स्वीकृति किये जाने की अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय या नहीं। दहेज के लेन-देन पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी किसी शादी के अवसर पर अन्य मदों पर व्यय होता है जो व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अत: पूर्ण विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विवाह के लिए अग्रिम की राशि की सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा, परन्तु भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व आवेदक से आवेदन पत्र पर या अलग से इस बात का एकरारनामा प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य निधि से निकाले गये रुपये को दहेज के रूप में खर्च नहीं किया जायगा। जो व्यक्ति इस आशय का एकरारनामा नहीं देंगे उन्हें आश्रितों की शादी के निमित्त भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायगा। [***ज्ञाप संख्या वि० 2411/76, दिनांक 1-5-1976.**]

[1][**नियम 38. अलग-अलग मामले में नियमों के उपबन्धों का शिथिलीकरण —**

(1) जब राज्य सरकार संतुष्ट हो जाए कि इनमें से किसी भी नियम के लागू करने से निधि के किसी भी अंश दावा को अनुचित कष्ट होता है या होने की सम्भावना है तब ऐसा करने के कारण अभिलिखित कर तथा नियमावली में अन्तर्पिष्ट किसी बात के होने पर भी वह ऐसे अंशदाता के मामले का निबटाव ऐसी रीति से करेगी जो उसे न्यायोचित एवं साम्योचित प्रतीत हो।

(2) इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत करने के पूर्व प्रत्येक मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।]

[2][**नियम 39.** (क) जिन सरकारी सेवकों के वेतन और भत्ते की निकासी स्थापना विपत्र फारम पर की जाती है, उनके व्यक्तिगत सामान्य भविष्य निधि लेखा के साथ-साथ पास-बुक रहेगा, जिसमें सम्बद्ध निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी प्रतिमास प्रविष्टियाँ करेंगे।

(ख) सामान्य भविष्य निधि में किया गया व्यक्तिगत अंशदान, अग्रिम, निकासी, वापसी तथा महँगाई भत्ते की कटौतियाँ पास बुक में दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से अर्थात् मार्च, 1982 के मासिक वेतन विपत्र से की जाने वाली कटौतियों से दर्ज की जाएगी।

(ग) पास बुक स्थायी दस्तावेज होगा, जो दो रूपों में मुद्रित रहेगा—एक 20 वर्ष अवधि के लिए और दूसरा 40 वर्ष अवधि के लिए।

(घ) निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा नाम, लेखा संख्या विशिष्टियाँ दर्ज की जाने के बाद पास बुक सम्बद्ध अंशदाता के पास रहेगा, जो आवश्यक प्रविष्टि के लिए प्रत्येक महीने के अन्त में निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सावधानी पूर्वक जाँच और छानबीन के बाद निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी उसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ कर उसे अंशदाता को लौटा देगा। सामान्य भविष्य निधि से निकासी की दशा में, निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पास बुक माँग कर उसमें निकासी विपत्र पर हस्ताक्षर करते समय निकासी के सम्बन्ध में संगत प्रविष्टि कर देगा।

(ङ) पास बुक किसी अंशदाता के लेखा में जमा और निकासी के लिए पूर्ण प्रमाण नहीं होगा, किन्तु जहाँ किसी जमा/निकासी का पता नहीं चलेगा, वहाँ यह पास बुक उसका पता लगाने और यथावश्यक समंजन करने के लिए एक अतिरिक्त प्रमाण के रूप में काम करेगा।

(च) अशुद्ध प्रविष्टि को लाल स्याही से काटकर उसके नीचे शुद्ध प्रविष्टि अंकित की जायेगी। ऐसी सभी शुद्धियाँ निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित की जायगी।

(छ) जब कभी किसी सरकारी सेवक का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हो जाय, तब निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पास-बुक के अभियुक्ति स्तम्भ में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देगा—

प्रमाणित किया जाता है कि .... से .... तक की प्रविष्टियाँ कार्यालय-अभिलेख से की गयी हैं, और वे सही हैं।

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

(ज) पास-बुक पर पूरा नाम लिखा जाए, संक्षेपाक्षर का प्रयोग नहीं किया जाय।]

36. **भविष्य निधि लेखा संधारण का सरलीकरण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या ए3-1023/84-4017, दिनांक 23-5-1984 के द्वारा सरकारी सेवकों की भविष्य-निधि लेखा प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष प्रशासनिक सुधार आयुक्त थे एवं निम्नलिखित सदस्य थे—

(i) अपर वित्तीय आयुक्त (ii) अपर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग और (iii) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग)।

2. उप सचिव-प्रभारी भविष्य-निधि, वित्त विभाग की समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करनी थी।

3. समिति ने अबतक महालेखाकार (लेखा), राँची (श्री रंगनाथन), महालेखाकार लेखा II, पटना (श्रीगुरु मूर्त्ति) वरीय उप-महालेखाकार श्री डी०पी० राव एवं विभिन्न संघों से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया।

4. सभी सम्बद्ध हितों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् समिति के निष्कर्ष एवं अनुशंसायें निम्न प्रकार हैं :—

(1) दिनांक 1-4-1986 से महालेखाकार, बिहार के सरकारी कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाए। राज्य के सभी जिला कोषागारों के समीप एक भविष्य-निधि कार्यालय रखा जाये जो भविष्य-निधि पदाधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करें। इस कार्यालय का नाम जिला भविष्य-निधि कार्यालय रहे। कार्यों पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए मुख्यालय में एक निदेशक के अधीन निदेशालय हो, जिसका नाम भविष्य-निधि निदेशालय रखा जा सकता है।

(2) जिला भविष्य-निधि के कार्यालय के लिपिक एवं प्रधान लिपिक समाहरणालय के समकक्ष वेतनमान में होंगे। उनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, भविष्य-निधि होंगे। परन्तु जिला स्तर के कार्यालय पर समाहर्त्ता का सीधा नियन्त्रण रहेगा। आरक्षी एवं वित्त विभाग के कार्यों के लिए लिपिकों और अनुमान्यतानुसार एक से अधिक प्रधान लिपिक उपलब्ध रहने पर एक प्रधान लिपिक को एयरमार्क किया जाएगा। समाहर्त्ता वर्ष में दो बार जिला स्तर के कार्यालय का

निरीक्षण करेंगे तथा अपना प्रतिवेदन निदेशक, भविष्य-निधि एवं वित्त आयुक्त को देंगे। आवश्यकतानुसार समाहर्त्ता बीच में भी निरीक्षण कर सकते हैं। प्रमण्डलीय आयुक्त जिला भविष्य निधि कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करेंगे। जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी 1000-1320 रु० के वेतनमान में होंगे।

(3) भविष्य-निधि निदेशालय के निदेशक के पद संयुक्त सचिव के स्तर का होगा। आरम्भ में महालेखाकार, बिहार के लेखा पदाधिकारी की सेवाएँ परामर्श के रूप में निदेशालय के संगठन के लिए प्राप्त की जा सकती है। निदेशक के अधीन एक उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक, दो शाखाएँ और जिला स्तर के भविष्य-निधि कार्यालय के समान एक कार्यालय भी रहेगा।

(4) जिला भविष्य-निधि के कार्यालय के लिए 1200 लेखा पर एक लिपिक का मापदण्ड रखा जा सकता है।

(5) निदेशालय से भविष्य-निधि लेखा संख्या आवंटित किया जायगा। इसके लिए प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग चिह्न होंगे, जो तीन अक्षरों के होंगे। जैसे-पी०टी०एन० पटना के लिए एवं जी०टी०ई०ए० गया के लिए : जिलों के चिह्न के बाद विभाग का चिह्न होगा, वह तीन अक्षरों का होगा : जैसे एडीएन-शिक्षा विभाग के लिए एवं ए०जी०आर० कृषि विभाग के लिए। इसके बाद क्रम संख्या रहेगी। परन्तु, राज्य स्तरीय संवर्ग के अंशदाताओं के लिए पूरे राज्य के लिए केवल विभाग का चिह्न रहेगा। प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग लेखा आवंटित न करके उन्हें विभाग के चिह्न के बाद क्रम संख्या आवंटित कर दिया जायगा।

(6) 31-5-1981 तक के जमा राशि, सूद सहित गणना कर प्रत्येक अंशदाता के लेखा में जमा राशि की सूचना महालेखाकार, भविष्य-निधि निदेशालय को देंगे, जिसमें सरकारी सेवकों का पूरा नाम, वर्तमान पता, लेखा संख्या एवं जमा राशि का उल्लेख रहेगा। इसी के आधार पर भविष्य-निधि निदेशालय जिलावार सूची, दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति सम्बन्धित जिला को भेज देगा तथा दूसरी प्रति अपने कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेगा। दिनांक 31-3-1981 के पहले मीशींग क्रेडिट अथवा अन्य कारणों से अंशदाताओं के भविष्य-निधि लेखा की त्रुटियों का सुधार करने का दायित्व महालेखाकार का होगा। वित्तीय वर्ष 1981-82, 82-83, 83-84, 84-85 एवं 85-86 के लेखा भविष्य निधि कार्यालय द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के सत्यापित विवरणी एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी के आधार पर संकलित किया जायगा तथा जमा राशि पर सूद की गणना भी की जायगी।

(7) महालेखाकार के कार्यालय से वर्ष 1980-81 तक का लेखा अनेक अंशदाताओं को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। समिति का यह सुझाव है कि अंशदाताओं को महालेखाकार से प्राप्त अन्तिम लेखा तथा उसके बाद के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित निकासी एवं जमा की विवरणी के आधार पर ब्रांड शीट एवं लेजर में प्रविष्टि की जाय एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार द्वारा सत्यापित निकासी एवं जमा की विवरणी के आधार पर ब्रांड शीट एवं लेजर में प्रविष्टि की जाय। जब तक महालेखाकार से 1984-85 का लेखा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा उक्त प्रविष्टियों के आधार पर औपबन्धिक लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष को निर्गत किया जाय। महालेखाकार से 31-3-1981 तक का लेखा प्राप्त हो जाने पर भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा लेखा को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(8) मार्च, 1986 और उसके बाद के वेतन के साथ संलग्न भविष्य-निधि अनुसूची महालेखाकार को न भेजकर कोषागार पदाधिकारी, भविष्य-निधि कोषागार को भेजेंगे। अनुसूची प्राप्त होने पर जिला भविष्य-निधि कोषांग सर्वप्रथम लेखा संख्या, अंशदाता का नाम एवं पदनाम

की सूची निदेशालय को भेजेंगे, जिसके आधार पर निदेशालय नया लेखा संख्या आवंटित कर जिला भविष्य-निधि कार्यालय को भेज देंगे । नये भविष्य-निधि लेखा संख्या की सूचना जिला भविष्य-निधि कोषांग द्वारा सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालय प्रधान को भेज दिया जायेगा । महालेखाकार से31-3-1988तक का लेखा, जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूची में पुराने लेखा संख्या एवं नया लेखा संख्या दोनों का ही उल्लेख करेंगे । पदाधिकारी अनुसूची में पुराने लेखा संख्या एवं नया लेखा संख्या दोनों का ही उल्लेख करेंगे । इसके लिए निदेशालय एवं जिला कार्यालय में एक पंजी रखी जायगी जिससे पुरानी लेखा संख्या, अंशदाता का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं नया लेखा संख्या अंकित किया जायेगा ।31-3-1981तक का लेखा महालेखाकार से प्राप्त हो जाने पर अनुसूची में केवल नयी लेखा संख्या दी जायेगी ।

(9) कोषागार से प्राप्त अनुसूची के आधार पर भविष्य-निधि कोषांग ब्रांड-शीट एवं लेजर कार्ड में प्रविष्टि करेगा । ब्रांड-शीट एवं लेजर कार्ड के प्रपत्र महालेखाकार के कार्यालय द्वारा व्यवहृत प्रपत्र के समरूप होंगे ।

(10) भविष्य-निधि अग्रिम विपत्र के साथ भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक अनुसूची संलग्न करेंगे, जिसे कोषागार पदाधिकारी, विपत्र से अलग कर उस पर टी०भी० नम्बर भरकर एवं उसे सत्यापित कर भविष्य-निधि कोषांग को भेज देंगे । भविष्य-निधि कोषांग द्वारा सम्बन्धित अंशदाताओं के लेजर कार्ड एवं ब्रांड शीट में इसी अनुसूची के अनुसार निकासी के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी । अनुसूची का समुचित प्रपत्र निदेशालय द्वारा बना लिया जाय ।

(11) प्रत्येक माह में कोषागार पदाधिकारी भुगतान अनुसूची तैयार कर लेने के बाद निधि अनुसूची वेतन विपत्र से हटा लेंगे तथा उस पर टी०भी० नम्बर अंकित कर एवं उसे सत्यापित कर भविष्य-निधि कोषांग को भेज दें । यदि किसी कारणवश किसी कार्यालय की अनुसूची जिला भविष्य-निधि कोषांग में प्राप्त नहीं हो सके तो भविष्य-निधि पदाधिकारी, कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर अनुसूची तुरंत प्राप्त कर लेंगे ।

(12) सामान्य भविष्य-निधि में नया लेखा संख्या आवंटित करने, अंशदान जमा करने, मनोनयन, निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं अन्तिम निकासी के लिए बिहार सामान्य भविष्य-निधि नियमावली एवं कोषागार संहिता के नियम लागू होंगे एवं उनमें विहित प्रपत्र व्यवहार में लाये जायेंगे । परन्तु जिला संवर्गों से सम्बन्धित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में निधि से अन्तिम निकासी के लिए भविष्य-निधि पदाधिकारी, जिला भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा और शेष के लिए निदेशालय द्वारा ।

(13) किसी अंशदाता को अन्तिम निकासी प्राधिकृत करते समय बन्द लेखापंजी एवं अन्तिम निकासी पंजी में प्रविष्टि कर दी जायेगी । बन्द लेखा पंजी एवं अन्तिम निकासी पंजी के प्रपत्र महालेखाकार के कार्यालय के प्रपत्र के समान रह सकते हैं ।

(14) यदि किसी कारणवश कोई मद लेजर कार्ड में दर्ज नहीं किया गया तो उसे न दर्ज किये गये मदों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा । रजिस्टर का प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय के प्रपत्र के आधार पर निदेशालय द्वारा बन सकता है ।

(15) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पास बुक की प्रचलित पद्धति लागू रहेगी, जो अंशदाता के जमा एवं निकासी का अतिरिक्त अभिलेख होगा ।

(16) यदि किसी कारणवश किसी का स्थानान्तरण उसी विभाग में जिस विभाग में वह पदस्थापित है जिले के अन्तर्गत ही हो जाय, तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम वेतन

विपत्र की एक प्रति जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को भी देंगे, जिससे जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को अंशदाता के स्थानान्तरण की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो जाय । यदि अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो जाय, परन्तु विभाग का परिवर्तन न हो,तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की एक-एक प्रति दोनों जिलों के जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी, अंशदाता के लेखा संख्या एवं पिछले वित्तीय वर्ष तक जमा राशि की सूचना एवं चालू वित्तीय वर्ष में मासिक जमा एवं निकासी की मासिक विवरणी नये जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी को देंगे ।

(17) यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण उसी जिले में हो जहाँ वे पहले से पदस्थापित थे, परन्तु विभाग का परिवर्तन हो और यदि परिवर्तन अस्थायी हो, तो पुराने भविष्य-निधि लेखा संख्या में ही उनके भविष्य-निधि का लेखा संख्या चलता रहेगा । परन्तु, यदि विभाग का परिवर्तन स्थायी हो, तो पुराने भविष्य-निधि लेखा को बन्द कर दिया जायगा एवं नये विभाग में लेखा संख्या आवंटित कर पुराने लेखा का अवशेष नये लेखा में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और नये लेखा में भविष्य-निधि का लेखा सत्यापित होगा ।

(18) यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो जाय और साथ-साथ विभाग का भी परिवर्तन हो, तो जिस जिले में वे पहले पदस्थापित थे, वहाँ का लेखा बन्द कर दिया जायगा एवं लेखा के जमा राशि की सूचना नये जिले को दी जायगी । नये जिला में नये विभाग के अनुसार लेखा संख्या आवंटित कर उसमें पहले से जमा राशि हस्तान्तरित कर दी जायगी और नये लेखा में भविष्य-निधि का लेखा संधारित होगा ।

(19) राज्य स्तर के संवर्ग के अंशदाता के लेखा संख्या में स्थानान्तरण के कारण परिवर्तन नहीं होगा ।

(20) किसी अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में हो जाने पर लेखा के स्थानान्तरण के साथ मनोनयन पत्र भी नये जिला में भेज दिया जायगा ।

(21) यदि किसी अंशदाता की प्रतिनियुक्ति बाह्य सेवा में अथवा केन्द्र सरकार में हो जाय तो वैसे अंशदाता को लेखा निदेशालय में हस्तान्तरित कर दिया जायगा । बाह्य सेवा अथवा केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति अंशदाता के भविष्य निधि का लेखा संधारण निदेशालय स्तर पर होगा जिसके लिए निदेशालय के साथ भी एक भविष्य-निधि कार्यालय संलग्न रहेगा ।

(22) लेखा में आकलन एवं विकलन का दूसरा ऑडिट सर्किल में प्रेषण बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा ।

(23) महालेखाकार के कार्यालय में ऐसे इन्श्योरेंस पॉलिसी सुरक्षित है, जो भविष्य-निधि द्वारा पोषित है । भविष्य-निधि निदेशालय महालेखाकार से ऐसे इन्श्योरेंश पॉलिसी प्राप्त कर लेंगे और सम्बन्धित जिला भविष्य-निधि कोषांग को भेज देंगे ।

(24) दिनांक1-4-1986से आरक्षियों का भविष्य-निधि जो अभी वित्त विभाग में संधारित हो रहा है, उसे भी जिला स्तर पर भविष्य-निधि कार्यालय में संधारित किया जाय ।

(25) सरकारी-कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा संख्या का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संधारित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कदाचित् यह काम अब तक वास्तविक रूप से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है । जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने वर्तमान कार्यभार के आलोक में भविष्य-निधि लेखा संधारण के कार्य को शायद ही देख पायेंगे । पुन: जब सरकारी सेवकों के भविष्य-निधि लेखा संधारण की व्यवस्था जिला स्तर पर ही की जा रही है, तब शिक्षक वर्ग के

भविष्य-निधि का लेखा अलग से रखने की व्यवस्था आवश्यक नहीं रह जायेगी । अत: दिनांक 1-4-1986से ही सरकारी-कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य भी जिला भविष्य-निधि कार्यालय में किया जाय ।

(26) भविष्य-निधि में वार्षिक आकलन एवं विकलन का सत्यापन भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा जिला कोषागार में कर लिया जाय । इसके लिए कोषागार द्वारा तैयार किये गये मासिक लेखा के प्रपत्रक में संशोधन की आवश्यकता है । विकलन के आँकड़े जिला कोषागार में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि "805 भविष्य-निधि" के लिए एक भुगतान अनुसूची कोषागार द्वारा तैयार की जाती है । आकलन के आंकड़े कोषागार में ही तैयार हो, इसके लिए भुगतान अनुसूची एवं लिस्ट ऑफ पेमेंट में एक कॉलम टोटल रिकवरी ऑफ प्रोविडेंट फन्ड जोड़ दिया जाय । जिला भविष्य-निधि कार्यालय द्वारा आकलन एवं विकलन का सत्यापन जिला कोषागार के आंकड़े से कर लिया जाय ।

(27) भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य नया कार्य होगा । इसके लिए राज्य सरकार के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों का सर्वथा अभाव है । इसलिए जिला भविष्य-निधि कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । महालेखाकार अपने कार्यालय से प्रशिक्षित पदाधिकारी को उचित शर्त्त पर राज्य सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं ।

(28) कोषागार का मासिक लेखा समय पर तैयार कराने की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है । कोषागार का लेखा विलम्ब से तैयार कर चेक होने से भविष्य निधि कार्यालय को भविष्य-निधि अनुसूची मिलने में विलम्ब होगा, जिससे भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य में भी विलम्ब होगा ।

(29) भविष्य-निधि लेखा संधारण सम्बन्धी नियमों को भविष्य-निधि हस्तक के रूप में संकलित कर देने से सरकारी सेवकों को नियमों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी ।

(30) विभिन्न अंशदाताओं के लेखा से प्रत्येक वर्ष की जमा की गयी राशि की निकासी भविष्य-निधि पदाधिकारी द्वारा "249–Interest" मद से की जायेगी । अंशदाताओं के लेखा में जमा राशि घटाकर शून्य विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा । कोषागार पदाधिकारी "249–Interest" शीर्ष में विकलित कर "805–भविष्य-निधि" शीर्ष में आकलित कर देंगे ।

(31) अगर कोई ऐसा जिला संवर्ग हो, जिसकी अन्तर्जिला स्थानान्तरण बहुधा होते हैं और अधिक संख्या में अन्य पद्धति अपनाई जाए जिससे जिलावार लेखा संख्या के आवंटन के कारण लेखा संधारण में कठिनाई एवं विसंगतियाँ उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए लगातार भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन किया जाना चाहिए ।

(32) भविष्य-निधि सरलीकरण योजना की सफलता तब होगी, जब सरकारी कर्मचारी को लेखा-जोखा नियमित रूप से समय पर मिल रहा है । अग्रिम लेते समय लेखा के अभाव में कोई कठिनाइयाँ उन्हें महसूस न करनी पड़े और भविष्य-निधि से आखिरी निकासी में कोई दिक्कत न हो, इसलिए हमलोग जो भी योजना बनावें, उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि समय पर सूद के साथ कर्मचारियों को अपनी भविष्य-निधि का लेखा मिले और अग्रिम तथा अन्तिम निकासी में उन्हें दिक्कत नहीं हो । सरकारी कर्मचारियों की भारी संख्या को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि लेखा-जोखा रखने मेंdata processingएवं कम्प्यूटर की मदद लेना श्रेयस्कर होगा । एक कम्पयूटर कम्पनी हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स से नमूना योजना लिया था । उससे मालूम हुआ कि हर जिला कार्यालय मेंdata entry मशीन रखी जाय औरdata को disc में टंकित कर

उनdiscsको सेन्ट्रल कम्प्यूटरयूनिट में भेज कर लेखा-जोखा को पूरा तैयर किया जा सकता है। राज्य में शायद कम्प्यूटर लगाने की योजना भी विचाराधीन है। इसलिए यहdiscs process methodकी भविष्य-निधि लेखा संधारण को अपनाने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन से राय लेकर मशीन खरीदने की योजना बनानी चाहिए।

(33)उपर्युक्त प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए महालेखाकार, पटना एवं महालेखाकार, राँची द्वाराComptroller & Auditor Generalकी सहमति की भी आवश्यकता होगी एवं विधिवत् आदेश प्रेषित करना होगा। इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जाय।

37. ***विषय—सामान्य भविष्य-निधि के अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य-निधि से किसी प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति की सूचना संबंधित जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजी जाए, ताकि उन्हें भविष्य-निधि लेखा-संधारण-कार्य में सुविधा हो। राज्य सरकार के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण के कार्य भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, उन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य-निधि से किसी प्रकार की अग्रिम स्वीकृति की सूचना सीधे-भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग में भेजी जाए।

बाह्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं वाणिज्य विभाग के कलकत्ता स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण का कार्य भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों (यानि आई०ए०एस०, आई०पी०एस० तथा आई०एफ०एस०, भारतीय वन सेवा), बिहार लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त्तियों के लेखा-संधारण के कार्य भविष्य-निधि निदेशालय द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। सरकार के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा-संधारण के कार्य उनके पदस्थापन के जिले के भविष्य-निधि पदाधिकारियों के कार्यालय में सम्पादित किए जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य-निधि अग्रिम की स्वीकृति की सूचना तद्नुसार भविष्य-निधि निदेशालय, वित्त विभाग एवं संबंधित जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजी जाने वाली सूचना की एक प्रति भविष्य-निधि निदेशालय को भी सूचनार्थ भेजी जाए।

[*वित्त विभाग ज्ञाप संख्या 10(भ०नि०)(3)वि०, दिनांक 7-8-1988.]

FIRST SCHEDULE

[Rules 8 (2) & 8 (4)]

FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRIBER HAS A FAMILY

I, hereby, nominate the *person*/*persons* mentioned below who *is a member*/*are members* of my family defined in rule (2) (i) (c) of the Bihar General Provident Fund Rules, to receive the amount that may stand to my credit in the General Provident Fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid (and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names.

Name and Address of the nominee or nominees.	Relationship with the Subscriber	Age of the nominee	Amount of share of accumulation.	Name and address of the person or persons to whom payment is to be made on behalf of the nominee when he is minor.	Sex and percentage of person mentioned in column 5.
1	2	3	4	5	6

Signature of Subscriber

Date ....

Station ....

Two witness signature

Note—Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

SECOND SCHEDULE

FORM OF NOMINATION WHEN SUBSCRIBER HAS NO FAMILY.

I, having no family as defined in rule 2 (1) (c) of the Bihar General Provident Fund Rules, hereby nominate the $\frac{\textit{person}}{\textit{persons}}$ mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Bihar General Provident Fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has been paid (and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names.

Name and Address of the nominee or nominees.	Relationship with the Subscriber	Age of the nominee	Amount of share of accumulation.	Name and address of the person or persons to whom payment is to be made on behalf of the nominee when he is minor.	Sex and percentage of person mentioned in column 5.
1	2	3	4	5	6

Signature of Subscriber

Date ....

Station ....

Note—Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

THIRD SCHEDULE

[Rule 21 (1) (a).]

FORMS OF ASSIGNMENT

(1)

I.A.B. of .... hereby assign upto the Governor of Bihar the within policy of assurance as security for payment of sums which under rule 26 of the Bihar General Provident Fund Rules, I may, hereafter become liable to pay to that Fund.

I hereby, certify that no prior assignment of the within policy exists.

Date .... Signature of the subscriber

Station .... One witness to signature

(2)

We, A.B. (the subscriber) of .... and C.D. (the joint assured) of .... in consideration of the Government of Bihar agreeing to our request to accept payments towards the within policy of assurance in substitution for the subscriptions payable by the me the said A.B., to the General Provident Fund (or, as the case may be to accept the withdrawal of the sum of Rs. .... from the sum of the credit of the said A.B., in the General Provident Fund for payment of the premium of the within policy of assurance), hereby jointly and severally assign upto the said Governor of Bihar the written policy of assurance as security for payment of all sums which under rule 26 of the Bihar General Provident Fund Rules, the said A.B. may hereafter become liable to pay to that Fund.

We hereby certify that no prior assignment of the within policy exists.

Signature of the subscriber and the joint assured

Date ....

Station .... One witness to signature

(3)

I, C.D. wife of A.B., and the assignee of the within policy having at the request of A.B. the assured agreed to release my interest in

the policy in favour of A.B., in order that A.B., may assign the policy to the Governor of Bihar, who has agreed to accept payments towards the within policy of assurance in substitutions for the subscriptions payable by A.B., to the General Provident Fund, hereby at the request and by the direction of A.B., assign and I, the said A.B., assign and confirm upto the Governor of Bihar the within policy of assurance as security for payment of all sums which under rules 21 to 27 of the rules of the said Funds, the said A.B., may hereafter become liable to the Fund.

Signature of the subscriber and the joint assured

Date ....

Station .... One witness to signature

Note—The assignment may be executed on the policy itself either in the subscribers handwriting, or in type, or alternatively a typed or printed slip containing the assignment may be pasted on the blank space provided for the purpose on the policy. A typed or printed endorsement must be duly signed and if pasted on the policy it must be initialled across all four margins.

FOURTH SCHEDULE

[Rule 23]

FORMS OF RE-ASSIGNMENT BY THE GOVERNOR OF BIHAR

(1)

All sums which have becomes payable by the above named $\frac{A.B.}{A.B. \ \& \ C.D.}$ under rule 26 of the Bihar General Provident Fund Rules, having been paid and all liability for payment by him of any such sums in the future having ceased the Governor of Bihar hereby re-assign the within policy of assurance to the said $\frac{A.B.}{A.B. \ \& \ C.D.}$

Dated .... 19 ...

Executed by .... Account Officer of the Fund for and on behalf of the Governor of Bihar in the presence of the ....

(One witness to signature) Signature of Account Officer

The above named A.B. having died on the .... day of .... 19 ... the Government of Bihar doth hereby re-assign the within policy of assurance to CD*

Date .... 19 ...

Executed by .... Account Officer of the Fund for and on behalf of the Governor of Bihar in the presence of ....

(One witness to signature)

FIFTH SCHEDULE

[Rule 24]

FORM OF RE-ASSIGNMENT BY THE GOVERNOR OF BIHAR

The Governor of Bihar doth hereby re-assign within policy to the said *A.B. and C.D.* / *A.B.C.D.*

Dated .... 19 ...

Executed by .... Account Officer of the Fund for and on behalf of .... the Governor of Bihar in the presence of ....

(One witness to signature) Signature of the Account Officer

ANNEXURE 'A'

APPLICATION FORM OF TEMPORARY WITHDRAWAL OF MONEY FROM THE GENERAL PROVIDENT FUND

Name and designation of the applicant.

1. Account no ....

2. Pay ....

3. Amount standing at the credit of the applicant upon the date of application.

(This can be arrived at the following manner—

Amount at credit as per last account furnished by the Accountant General add-recoveries of subscriptions and on account of previous advances, if any from 1st April, to date, Deduct advance drawn, if any, subsequent to the 31st March.

4. Whether any advance was taken previously, if so, when ?

Ordinarily, 12 months should elapse from the date of liquidation of last advance before a second advance sanctioned)

5. Purpose for which that advance was sanctioned.

6. Amount of the advance now applied for.

(This should not ordinarily exceed three months pay)

7. Full particulars of the purpose for which the advance applied for is required.

8. Number of instalments in which it is proposed to repay the advance [excluding the instalment (s) of interest.]

Signature of applicant. Verified (heads 1 to 3) Verified (head 4 to 6.)

Accountant Head Clerk

Order passed by the Head of the Office

अन्तिम निकासी के लिए आवेदन-पत्र

अनुसूची 53-फारम सं० 233 अ (ए)

[को० सं० फारम 73]

[को० सं० नियम 529 द्रष्टव्य]

भविष्य-निधि में जमा रकम की अन्तिम निकासी के लिए आवेदन-फारम

सामान्य अनुदेश

1. अत्यावश्यकता—इस आवेदन को सभी व्यक्ति सभी प्रक्रमों में अत्यावश्यक समझें।

2. राजपत्रित सरकारी सेवक—(क) जब आवेदक स्वयं अंशदाता हो और राजपत्रित सरकारी सेवक हो तब, रकम की वापसी के लिए वह आवेदन फारम की सभी मदों को भरें और उसे विभागाध्यक्ष के पास भेज दें।

(ख) विभागाध्यक्ष यह देख लेगा कि आवेदन-फारम में अपेक्षित सभी सूचनाएँ दी गई हैं, वह अग्रसारण के ज्ञाप पर पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 महीने के भीतर मंजूर किए गए सभी अग्रिमों के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र अंकित कर देगा, और नीचे 2 (ग) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, आवेदन-पत्र को सीधे महालेखापाल, बिहार के पास अग्रसारित कर देगा;

(ग) नीचे (i) से (iv) तक की चार कोटियों में से किसी के अधीन आने वाले मामलों में, आवेदन सरकार के सम्बद्ध प्रशासी विभाग को अग्रसारित किया जायगा, यथा—

(i) जब अंशदाता ने जो कि राजपत्रित सरकारी सेवक हो, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि (बिहार) नियमावली के नियम 15 (3) (क) के अधीन किसी अग्रिम के लिए आवेदन किया हो;

(ii) जब अंशदाता भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियमावली द्वारा शासित हो;

(iii) जब अंशदाता सामान्य भविष्य-निधि (प्रवर-सिविल-सेवा) नियमावली द्वारा शासित हो, और

(iv) जब अंशदाता ने भविष्य-निधि के स्टर्लिंग ब्रांच में सम्मिलित होना पसन्द किया हो।

(घ) सरकार का प्रशासी विभाग, केवल कोटि (iii) के अधीन आने वाले आवेदनों के मामले में यह सत्यापित करेगा कि क्या अंशदाता को उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 महीने के भीतर कोई अग्रिम मंजूर किया गया है और तब अग्रसारण ज्ञाप में प्रमाण पत्र अंकित करके आवेदन-पत्र को सीधे महालेखापाल, बिहार के पास अग्रसारित कर देगा। अन्य मामलों में यथा उपर्युक्त (i), (ii) तथा (iv) कोटियों के अधीन पड़ने वाले आवेदनों के मामले में, प्रशासी विभाग पहले वित्त विभाग से यह अभिनिश्चित करेगा कि वित्त विभाग ने उस सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 महीने के भीतर यदि कोई अग्रिम मंजूर किया था, तो उसकी रकम कितनी थी, और तब अग्रसारण-ज्ञाप में प्रमाण-पत्र अंकित करेगा, और उस ज्ञाप के हाशिये में "अनौपचारिक रूप से परामर्शित" अंकित करने के बाद, वित्त विभाग के माध्यम से महालेखापाल के पास आवेदन पत्र अग्रसारित करेगा।

3. अराजपत्रित सरकारी सेवक—(क) जब आवेदक स्वयं अंशदाता हो और वह अराजपत्रित सरकारी सेवक हो, तब जिस कार्यालय में उसने सबसे अन्त में काम किया हो, उस कार्यालय का प्रधान यह फारम भरेगा और इस बात का सत्यापन करने के बाद कि क्या अंशदाता को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 महीने के भीतर कोई अग्रिम मंजूर किया गया हो, अग्रसारण ज्ञाप में प्रमाणपत्र अंकित करेगा और नीचे 3 (ख) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, आवेदन-पत्र को सीधे महालेखापाल, बिहार के पास अग्रसारित करेगा।

(ख) जब किसी अंशदाता ने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 12 महीने के भीतर सामान्य भविष्य निधि (बिहार) नियमावली के नियम 15 (3) (क) के अधीन अग्रिम के लिए आवेदन किया हो, तब आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष के पास अग्रसारित कर दिया जायगा। विभागाध्यक्ष, आवेदन-पत्र को सत्यापित करने के बाद तथा अग्रसारण ज्ञाप में प्रमाण-पत्र अंकित करने के बाद आवेदन-पत्र को महालेखापाल, बिहार के पास अग्रसारित कर देगा।

(ग) अंशदाता ने जहाँ सबसे अन्त में काम किया हो, यदि वह उससे भिन्न स्थान में भुगतान चाहता हो, तो आवेदन-पत्र के साथ तीन पर्चियाँ रहनी चाहिए; जिनमें अंशदाता के नमूने का हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें तथा वैयक्तिक पहचान चिह्न हो जो कि कार्यालय-प्रधान अथवा किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हों;

4. अंशदाता की मृत्यु के बाद भुगतान—यदि अंशदाता (चाहे राजपत्रित सरकारी सेवक हो, या अराजपत्रित) की मृत्यु के कारण अन्तिम भुगतान करने की आवश्यकता पड़े तो कार्यालय-प्रधान आवेदन-फारम की 1 से 8 तक की मदों को भरकर विभागाध्यक्ष के पास अग्रसारित कर देगा। इसके साथ ही सीधे महालेखापाल को अंशदाता की मृत्यु की सूचना उसकी भविष्य निधि की लेखा-संख्या के साथ अविलम्ब भेजेगा। महालेखापाल विभागाध्यक्ष को सलाह देगा कि आगे कौन-सी कार्रवाई की जाय।

टिप्पणी—यदि अंशदाता स्वयं कार्यालय-प्रधान और/या विभागाध्यक्ष हो तो उचित प्राधिकारियों के पास आवेदन-पत्र अग्रसारित करने के प्रयोजनार्थ उस कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी ही कार्यालय प्रधान और/या विभागाध्यक्ष माना जायगा—

भविष्य-निधि में जमा रकम की अन्तिम निकासी के लिए आवेदन-फारम

1. अंशदाता का नाम और पदनाम (बड़े-बड़े साफ अक्षरों में)
2. लेखा संख्या (यदि सम्भव हो तो सही संख्या का सत्यापन, अंशदाता को लेखा कार्यालय से प्रति वर्ष भेजी जानेवाली विवरणी से कर लिया जाय।)

3. (i) सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदच्युति, पदत्याग या सेवोन्मुक्ति की वास्तविक तारीख, पूर्वाह्न या अपराह्न (अनपेक्षित मद काट दें।)

(ii) पदच्युति की दशा में—

(क) क्या अंशदाता ने पदच्युति के आदेश के विरुद्ध अपील की है या करना चाहता है ?

(ख) यदि अपील अस्वीकृत हुई हो, तो अस्वीकृति की तारीख।

(ग) यदि अभी तक अपील नहीं की गई हो, तो अपील करने की अवधि किस तारीख को समाप्त होगी ?

(iii) पदत्याग की दशा में इस बात का उल्लेख किया जाय कि पदत्याग, मंजूर हो गया है या नहीं ?

(iv) सेवोन्मुक्ति की दशा में, उसके कारणों का उल्लेख किया जाय।

4. जिस कोषागार में भुगतान चाहते हों, उसका नाम—

5. सेवानिवृत्ति के पूर्व 12 महीने के भीतर जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करने के लिए क्या कोई निकासी की गई थी ? यदि हाँ, तो निकासी की गई रकम और वाउचर संख्या बताएँ।

6. क्या पिछले 12 महीने के भीतर अंशदाता को निधि से कोई अग्रिम मंजूर किया गया था और उसने (या उसकी ओर से कार्यालय प्रधान) उसकी निकासी की थी ? यदि हाँ, तो अग्रिम का पूरा विवरण दें।

7. निधि में अन्तिम कटौती की रकम यथा उस कोषागार-वाउचर की संख्या और तारीख,

जिसके अधीन कटौती की गई थी।

8. क्या अंशदाता ने अपनी भविष्य निधि लेखा स्टर्लिंग आधार पर रखना पसंद किया है, और इसके लिए उसे मंजूरी दी गई है ?

9. यदि अन्तिम प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक हो; तो क्या अंशदाता सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे देश में रहना चाहता है, जहाँ रुपया वैध मुद्रा है ?

10. क्या अंशदाता सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है ? यदि हाँ, तो यह छुट्टी किस तारीख से प्रारम्भ हुई है ?

अंशदाता ....

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर ......

पदनाम ....

(इसका उपयोग केवल अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में किया जायगा)

ज्ञाप सं० .... दिनांक ....

महालेखापाल, बिहार [3 (क)] .... को अग्रसारित

[3 (ख) और 4]

(विभागाध्यक्ष)

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर दिनांक .... को (यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर मंजूर किया गया हो।)

कोई अग्रिम नहीं।
———————— मंजूर किया गया था।
रु० .... का अग्रिम

कार्यालय-प्रधान का हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों सरकारी सेवकों के लिए)

ज्ञाप संख्या .... दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षरित और महालेखापाल, बिहार [2 (ख) और 3 (ख)] / सचिव .... विभाग [2 (घ)] को अग्रसारित।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर

दिनांक .... को (यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर मंजूर किया गया हो)

कोई अग्रिम नहीं।
मंजूर किया गया था।
रु० .... का अग्रिम

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

(इसका उपयोग केवल राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में किया जाएगा)

ज्ञाप सं० .... दिनांक ....

महालेखापाल, बिहार को (वित्त विभाग के माध्यम से) अग्रसारित [2 (घ)]

2. प्रमाणित किया कि सरकार से .... को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर

दिनांक .... को (यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व 12 महीने के भीतर मंजूर किया गया हो।)

कोई अग्रिम नहीं।
मंजूर किया गया था।
रु० .... का अग्रिम

3. राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि अंशदाता सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे देश में रहना चाहता है; जहाँ रुपया चालू मुद्रा (legal tender) नहीं हो।

(जहाँ आवश्यक हो वहाँ कॉलम 3 काट दें।)

टिप्पणी—उपर्युक्त कोष्ठकों में दिए गए लघु निर्देश यथा [2 (ख)] इस फारम के प्रथम पृष्ठ पर दिये समुचित अनुदेशों का निर्देश करते हैं।

सचिव

.... विभाग

---

38. ***विषय—बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार अंशदायी भविष्य निधि में किये गये अंशदान पर ब्याज की दर।**

इस विभाग के संकल्प संख्या 10702, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसके द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 1975-76 से बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उन्हीं दरों से ब्याज प्राप्त होगा, जो दर भारत सरकार उन अवधियों के लिए केन्द्रीय सरकार की भविष्य निधियों में जमा राशियों के सूद के सम्बन्ध में विहित करेगी। [*ज्ञाप संख्या एफ 2-402/74/12174 वि०, दिनांक 28-11-1974.]

M.S.O. (T)–76

[See Para 424]

BROADSHEET OF THE PROVIDENT FUND FOR THE YEAR

No. of Account	Ledger folio	Balance at commencement of year.	Receipts in the month of														Government contribution	Interest of the year.
			19th April	19th May	19th June	19th July	19th August	19th September	19th October	19th November	19th December	19th January	19th February	19th March	19th March (Final)	19th March (Suplementary)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

Total of receipts and opening balance	Receipts in the month of														Closing balance	Total of withdrawals and closing balance	Ramarks
	19th April	19th May	19th June	19th July	19th August	19th September	19th October	19th November	19th December	19th January	19th February	19th March	19th March (Final)	19th March (Suplementary)			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

Total as per Broadsheet ....

Initials of Superintendent ....

Initials of the Gazetted Officer ....

Total as per book ....

Book Difference ....

39. ***विषय—भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत राज्य सरकार के पदाधिकारियों के भविष्य निधि में महँगाई भत्ते की जमा राशि का लेखा संधारण करने के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 961/वि०, दिनांक 9 मार्च, 1990 की कंडिका 3 के जरिए राज्य के सरकारी सेवकों के भविष्य निधि में जमा महँगाई भत्ते को उनके सामान्य भविष्य निधि में हस्तान्तरित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। वित्त विभाग के उक्त संकल्प में निहित प्रावधान भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत राज्य सरकार के पदाधिकारियों के मामलों में लागू होंगे या नहीं, यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

2. ऐसे पदाधिकारी, जो बिहार सरकार की सेवा में थे और सेवा में रहते हुए भविष्य निधि में जमा कुल महँगाई भत्ते की राशि की निकासी नहीं कर पाये हैं तथा कालान्तर में जिनकी प्रोन्नति किसी भी अखिल भारतीय सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गयी है, के मामले में राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि अखिल भारतीय सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात् वे अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि नियमावली, 1955 के तहत उस राशि की निकासी के हकदार होंगे तथा उसी नियमावली के अधीन राशि निकासी या जमा की जायगी।

3. वित्त विभाग संकल्प संख्या 961, दिनांक 9 मार्च, 1990 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। **[*वि०वि० पत्र सं०3/ए-2-1/91/953वि०(2), दिनांक7-3-1991.]**

40. ***विषय—वित्त विभाग के संकल्प संख्या902वि०, दिनांक17-1-1979 की कंडिका9 को विलोपित करने के सम्बन्ध में।**

वित्त विभाग संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17-1-1979 की कंडिका 9 में अपवादिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा इस नियम को शिथिल किए जाने का प्रावधान है। इस विषय पर पूर्ण रूप से विचारोपरान्त सरकार ने कथित प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया है। **[*संकल्प संख्या4/ए1-2-2/82-3798वि०, दिनांक12-7-1982.]**

41. ***विषय—सरकारी सेवकों को देय जीवन यापन भत्ते की दर में वृद्धि।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17 जनवरी, 1979 के जरिए रु० 2,400 प्रतिमाह तक वेतन पानेवाले सरकारी सेवकों को सीमान्त सामंजन के साथ केन्द्रीय दर से जीवन यापन भत्ता देय था। केन्द्रीय दर से जीवन यापन भत्ते के सिलसिले में भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि के विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए महँगाई भत्ता की कुल राशि को न्यूनतम रु० 108 प्रतिमाह के दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है।

2. यह आदेश दिनांक 1 मार्च, 1979 से प्रभावी होगा। **[*संकल्प संख्या7704वि०, दिनांक26-5-1979.]**

42. ***विषय—सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व अंशदाता के भविष्य निधि में संचित राशि की जाँच।**

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 14338, दिनांक 15-10-1977 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902, दिनांक 17-1-1979 के-

द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को1-3-1979से केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता दिया जा रहा है। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन यापन भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप96रु० प्रतिमाह से जो राशि अधिक होगी उसमें से242रु० तक वेतन पाने वाले चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य सरकारी सेवकों की, आधी रकम भविष्य निधि में जमा की जायगी जिसकी अगले पाँच वर्षों तक निकासी नहीं होगी और पाँच वर्षों के बाद यदि राशि की निकासी होगी तो प्रति वर्ष पाँचवें हिस्से से अधिक राशि अग्रिम कें रूप में स्वीकृत नहीं की जायगी। इस परिस्थिति में अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व सँचित राशि में इसे अलग दिखाने के उद्देश्य से जाँच पत्र एवं सँचित राशि के विहित प्रोफर्मा में कुछ संशोधन किया गया है।

अत: प्रोफर्मा को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम या अप्रत्यर्पणीय निकासी की स्वीकृति के प्रस्ताव में सहमति हेतु सँचिका वित्त विभाग में भेजते समय पूर्व में निर्देशित सूचनाओं के साथ ही साथ संलग्न संशोधित जाँच पत्र सँचित राशि की विवरणी पूर्णरूपेण भरकर सँचिका में अवश्य ही रखी जाय। साथ ही इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा जाय कि अधीनस्थ कार्यालय से या अपने कार्यालय से सूचना प्राप्त कर उसके आधार पर जाँच पत्र प्रशासी विभाग द्वारा भरा जाय तथा उस पर वित्त विभाग में सँचिका पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अवश्य किया जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी कृपया यह अनुदेश दिया जाय कि भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करते समय महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से निर्गत अद्यतन वार्षिक लेखा विवरण, जाँच पत्र एवं सँचित राशि की विवरणी में उल्लिखित सभी सूचना प्राप्त कर उसके आधार पर उसकी समुचित जाँच अवश्य ही कर ली जाय तथा जीवन यापन भत्ते की वह राशि जो भविष्य निधि में जमा होती है, में किसी भी परिस्थिति में से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाय। **[*ज्ञाप संख्या एम1-013/79-6817वि०, दिनांक8-5-1979.]**

भविष्य निधि से अग्रिम के प्रस्ताव से सम्बन्धित जाँच-पत्र

श्री .... के भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नांकित जाँच पुर्जा (चेक स्लीप)।

1. आवेदक का नाम..
2. पदनाम..
3. पदस्थापन का कार्यालय/सम्वर्ग..
4. भविष्य निधि लेखा संख्या...
5. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि......................................
6. कुल सेवा अवधि...
7. जन्म तिथि..
8. सेवानिवृत्ति की तिथि...
9. अद्यतन सँचित राशि जिसका हिसाब निम्न प्रकार है—

अपना अंशदान एवं............	भविष्य निधि में............	कुल............
अग्रिम की कटौती............	जमा जीवन-यापन............	जोड़............
मिलाकर............	भत्ता की राशि............	

(क) महालेखाकार, बिहार के अद्यतन लेखा प्रतिवेदन में .... आवेदक के नाम से अन्तिम शेष जमा रकम

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित लेखा के बाद मासिक विवरणी के आधार पर (जो प्रतिमाह टी०भी० नम्बर के साथ तैयार की गई है) जमा रकम...............

(ग) कुल जमा राशि..

(घ) इस अवधि में लिए गए अग्रिम की कुल राशि...................................

(ङ) लिए गए अग्रिम की राशि घटाने पर अद्यतन जमा राशि ....

10. इसके पूर्व आवेदक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम लिया गया है या नहीं (लिया गया है तो कुल स्वीकृत्यादेशों की संख्या एवं तिथि के साथ) यह भी उल्लेख करें कि प्रस्तावित अग्रिम वर्तमान वित्तीय वर्ष का कौन-सा अग्रिम है ।

11. गृह निर्माण या इससे सम्बन्धित कार्य के लिए पूर्व में लिये अग्रिम की सूचना ....

(1) गृह निर्माण के लिए भविष्य निधि से पूर्व में लिये गये अग्रिम की राशि......

(क) अप्रत्यर्पणीय अग्रिम..

(ख) अस्थायी अग्रिम..

(2) गृह निर्माण के लिए अन्य सरकारी स्त्रोत से लिए गए अग्रिम की राशि......

(3) गृह निर्माण के निमित्त लिए गए कुल अग्रिम की राशि.......................

12. संचित राशि का सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं ....

13. अग्रिम की निकासी किस कोषागार से की जायगी..................................

14. क्या आवेदक बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त हैं, यदि हों, तो अग्रिम की निकासी के लिए किसके नाम से प्राधिकार पत्र जारी किया जायगा तथा अग्रिम की निकासी किस कोषागार से की जायगी ....

15. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक की भविष्य निधि में अद्यतन कुल जमा राशि .... रु० है जिससे अग्रिम देय है एवं इसकी भविष्य निधि लेखा संख्या सही है । मैं इनकी भविष्य निधि में जमा राशि से संतुष्ट हूँ ।

संचिका वित्त विभाग में पृष्ठांकित करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी—जाँच पत्र प्रशासी विभाग द्वारा भरा जाना चाहिए तथा उस पर संचिका वित्त विभाग में पृष्ठांकित करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए ।

भविष्य निधि से अस्थायी अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के लिए अद्यतन संचित राशि की गणना सम्बन्धी विवरण—

1. आवेदक का नाम एवं पदनाम तथा कार्यालय का पता..............................
2. सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या...
3. भविष्य निधि में जमा राशि की मासिक विवरणी.....................................

माह का नाम एवं वर्ष	भविष्य निधि खाते में जमा की गयी जीवन-यापन भत्ता की राशि	भविष्य निधि में अंशदान	भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम योग की कटौती की राशि	टी०भी०नं० एवं दिनांक / बैंक ड्राफ्ट सं० एवं दिनांक
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 19		19		
मार्च, 19				
अप्रील, 19				
मई, 19				
जून, 19				
जुलाई, 19				
अगस्त, 19				
सितम्बर, 19				
अक्टूबर, 19				
नवम्बर, 19				
दिसम्बर, 19				
जनवरी, 19				
फरवरी, 19				
कुल				
वित्तीय वर्ष				
मार्च,				
अप्रील,				
मई,				
जून,				
जुलाई,				
अगस्त,				
सितम्बर,				
अक्टूबर,				
नवम्बर,				
दिसम्बर,				
जनवरी,				
फरवरी,				
कुल				

	अपना अंशदान एवं अग्रिम की कटौती	भविष्य निधि में जमा जीवन-यापन भत्ता की राशि	कुल जोड़

4. (क) महालेखाकार, बिहार 19-19 के वार्षिक लेखा के अनुसार जमा राशि ।
   (ख) उसके बाद की अवधि में जमा राशि ।
   (ग) कुल जोड़ ।
   (घ) महालेखाकार, बिहार से प्राप्त विवरणी के बाद की अवधि में निकासी किए गए अग्रिम की राशि ।
   (ङ) भविष्य निधि में जमा जीवन-यापन भत्ता की राशि को छोड़कर शेष अद्यतन संचित राशि जिससे अग्रिम देय हैं ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी सही है तथा आवेदित अग्रिम की राशि संचित राशि के अन्तर्गत है ।

लेखापाल का हस्ताक्षर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

43 *विषय—सरकारी सेवकों को देय जीवन-यापन भत्ता की दर में वृद्धि ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4497 वि०, दिनांक 21-4-1977 एवं संकल्प संख्या 4015 वि०, दिनांक 29-4-1977 के जरिये 2,304 रु० प्रतिमाह वेतन पानेवाले सरकारी सेवकों को 96 रु० की दर से जीवन यापन भत्ता देय था ।

2. एक अर्से से राज्य के सरकारी सेवकों की यह माँग रही है कि उन्हें केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता का भुगतान किया जाय । अभी केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता निम्नांकित दर पर देय है—

महँगाई भत्ता की दर		अतिरिक्त महँगाई भत्ता की दर		कंडिका 1 एवं 2 का योग	
1		2		3	
वेतन सीमा	दर	वेतन सीमा	दर	वेतन सीमा	दर
300 रु० तक	वेतन का 36%	300 रु० तक	वेतन का 21% न्यूनतम 42 रु० अधिकतम 60 रु०	300 रु० तक	वेतन का 57%
300 रु० से ऊपर तथा 2250 रु० तक	वेतन का 27% न्यूनतम 108 रु० अधिकतम 243 रु०	300 रु० से ऊपर तथा 2250 रु० तक	वेतन का 15% न्यूनतम 60 रु० अधिकतम 1250 रु०	300 रु० से ऊपर तथा 2250 रु० तक	वेतन का 42% न्यूनतम 168 रु० अधिकतम 243 रु०

2,250 रु० से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को पार्श्वांकित सामंजन के साथ महँगाई भत्ता देय है जिससे वेतन एवं महँगाई भत्ते का कुल योग 2,400 से अधिक नहीं होगा ।

राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकारी सेवकों को दिनांक 1-3-1979 से उपर्युक्त दर पर जीवन यापन भत्ता की स्वीकृति दी है ।

जीवन यापन भत्ते की परिगणना में जो राशि 10 पैसे से कम होगी, उसे निकटतम 10 पैसे में परिगणित करते हुए जीवन यापन भत्ता का भुगतान किया जायगा ।

3. जीवन यापन भत्ता में वृद्धि के परिणामस्वरूप 96 रु० प्रतिमाह (जो नगद रूप में देय है) से जो राशि अधिक होगी, उसे 242 रु० तक वेतन पाने वाले चतुर्थ वर्गीय सरकारी सेवकों को नगद भुगतान किया जायगा। अन्य सरकारी सेवकों को 96 रु० प्रतिमाह से अधिक जीवन यापन भत्ते की जो राशि देय होगी उसमें से आधी रकम का नगद भुगतान किया जायगा तथा आधी रकम भविष्य निधि में जमा की जायेगी एवं इसके लिए सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रावधान न लागू होंगे, परन्तु अन्तर यही रहेगा कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी से सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 15 से 28 तक के प्रावधान जीवन यापन भत्ता से जमा हुई राशि के प्रसंग में लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में जीवन यापन भत्ता का जो अंश सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा होगा उसकी निकासी पाँच वर्षों तक नहीं होगी और पाँच वर्ष के बाद यदि इस राशि की निकासी होगी, तो प्रति वर्ष में पाँचवें हिस्से से अधिक राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत नहीं की जायगी।

4. जीवन यापन भत्ता की जो राशि भविष्य निधि लेखा में संचित होगी उससे जीवन बीमा प्रयोग लेखन (पॉलिसी) का अर्थ प्रबन्धन (फाईनेन्स) नहीं किया जायगा।

5. सरकारी सेवक जो दिनांक 1-3-1979 के बाद की तिथि से सेवानिवृत्त हो जायेंगे अथवा सरकारी सेवा में नहीं रहेंगे, उसके प्रसंग में भविष्य निधि लेखा में जमा जीवन यापन भत्ते की राशि का भुगतान वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत राज्यादेश के द्वारा नगद रूप में किया जायगा।

6. सरकारी सेवक जो बाह्य नियोजक के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते (जो बाह्य नियोजन के वेतन से भिन्न हों) के साथ प्रतिनियुक्त हो उनके प्रसंग में जीवन यापन भत्ता की बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत उनके भविष्य निधि लेखा में बाह्य नियोजन द्वारा जमा की जायगी।

7. महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में तैयार किये जाने वाले प्रपंजी पत्रक (लेजर कार्ड) में सुविधा बरतने के ख्याल से भविष्य निधि लेखा में जीवन यापन भत्ता की राशि पूर्ण रुपये में परिगणित करते हुए जमा की जायगी। किन्तु, ऐसी कार्रवाई के फलस्वरूप जीवन यापन भत्ता की अनुमान्य राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे दृष्टांत की अनुसूची संलग्न है।

8. महालेखाकार, बिहार सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा होने वाले जीवन यापन भत्ते की राशि के अगले हिसाब नहीं रखेंगे। अत: सामान्य भविष्य निधि लेखा से अग्रिम स्वीकृत करने वाले अधिकारी सरकारी सेवकों के आवेदन पत्र की पूर्ण रूप से जाँच कर लेंगे तथा उसी राशि से अग्रिम स्वीकृत किया जायगा जो सरकारी सेवकों द्वारा अपना अभिदान (ओन कन्ट्रीब्यूशन जीवन यापन भत्ता की राशि को छोड़कर) के रूप में जमा की गयी हो।

9. अपवादित तौर की व्यक्तिगत कठिनाई के मामलों में राज्य सरकार इस नियम को शिथिल करने का अधिकार संचित (रिजर्व राईट) रखती है।

10. महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में प्रपंजी लेखा (लेजर एकाउन्ट्स) में प्रविष्ट करने में कठिनाई न हो इस आशय से सरकारी सेवकों के वेतन विपत्र एवं भविष्य निधि अनुसूची में प्रविष्टियों के लिए निम्नांकित पद्धति अपनायी जायगी।

(क) अराजपत्रित सरकारी सेवक—जमा की जाने वाली जीवन यापन भत्ते की राशि विपत्र के स्तम्भ 7 में नकद निकासी की प्रविष्टियों के नीचे दिखायी जायगी। साथ ही यह राशि

सरकारी सेवकों के भविष्य निधि लेखा में व्यक्तिगत अभिदान (ओन कन्ट्रीब्यूशन) के निमित्त विपत्र के स्तम्भ 7 में ही अलग से दिखलाई जायगी।

(ख) राजपत्रित सरकारी सेवक—जमा की जाने वाली जीवन यापन भत्ते की राशि वेतन विपत्र फारम के किसी स्तम्भ में सकल अभ्यर्थन (ग्रॉस क्लेम) के ऊपर दिखलाते हुए सकल अभ्यर्थन में की जायगी। पुनः इस राशि को अन्य कटौतियों में दिखलाते हुए सकल अभ्यर्थन (ग्रॉस क्लेम) के ऊपर दिखलाकर सकल अभ्यर्थन में इस राशि को घटाते हुए शुद्ध अभ्यर्थन (नेट क्लेम) की राशि तैयार की जायगी।

11. महालेखाकार, बिहार द्वारा जब तक भविष्य निधि के निमित्त लेखा संख्या आवंटित न हो जाय तब तक सरकारी सेवकों के प्रसंग में जीवन यापन भत्ते की जमा की जाने वाली राशि, जमा नहीं की जायगी। अतः निकासी पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवकों की सूची लेखा-नियंत्रक बिहार (फन्ड ग्रूप में) के पास भेजेंगे जो लेखा संख्या के आवंटन के पश्चात् इसकी निकासी पदाधिकारी के पास जीवन यापन भत्ते की जमा की जाने वाली राशि को मासिक वेतन विपत्र से भुगतान के लिए लौटा देंगे। सरकारी सेवकों को बकाए जीवन यापन भत्ते का भुगतान सम्बन्धी व्यय उसी शीर्षक से विकलनीय होगा जिससे उनका वेतन विकलित होता है।

12. वित्त विभाग के संकल्प 6679 वि०, दिनांक 6-6-1975 के अनुसार निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से भविष्य निधि में अपना अनिवार्य अंशदान देना बन्द करने के विकल्प की सुविधा प्राप्त है। यह सुविधा उन्हें दिनांक 1-3-1979 के बाद जीवन यापन भत्ते की राशि को जमा करने के सम्बन्ध में भी प्राप्त होगी।

13. उपर्युक्त जीवन यापन भत्ता ऐसे सभी कार्यभारित कर्मचारियों तथा आकस्मिक श्रमिक को कालमान वेतन पाते हों एवं आंशिक दर (पीस रेट) से मजदूरी पानेवाले कर्मचारियों को भी अनुमान्य होगा।

14. उपर्युक्त जीवन यापन भत्ता ठेके पर नियुक्त उन्हीं सेवकों को देय होगा जिनकी नियुक्ति की शर्त्त में जीवन यापन भत्ता तथा अन्य भत्ते सरकारी सेवकों की भाँति देने का खास तौर से उल्लेख किया गया हो।

15. जीवन यापन भत्ता में वृद्धि सम्बन्धी आदेश निर्गत करने में विलम्ब के कारण राजपत्रित सरकारी सेवकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महालेखाकार बिहार की ओर से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में उक्त भत्ते के नकद अंश की निकासी हेतु राजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा प्रस्तुत विपत्र को मान्यता देने के लिए कोषागार पदाधिकारी उप-कोषागार पदाधिकारी को बिहार कोषागार संहिता के खण्ड 1 के नियम 17 के अधीन निर्देशित किया गया है।

दृष्टान्त (क)

1. सरकारी सेवकों को रु० 96.00 प्रतिमाह से अधिक देय जीवन यापन भत्ते की राशि का कुल योग...	रु० 267.00
(i) नगद दी जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि...	रु० 133.00
(ii) भविष्य निधि लेखा में जमा की जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि...	रु० 134.00
कुल योग...	रु० 267.00

दृष्टान्त (ख)

2. सरकारी सेवकों को रु० 96.00 प्रतिमाह से अधिक जीवन यापन भत्ते की राशि का कुल योग... रु० 105.00

(i) नगद दी जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि... रु० 52.60

(ii) भविष्य निधि लेखा में जमा की जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि... रु० 53.00

कुल योग... रु० 105.60

दृष्टान्त (ग)

3. सरकारी सेवकों को रु० 96.00 प्रतिमाह से अधिक देय जीवन यापन भत्ते की राशि का कुल योग... रु० 75.40

(i) नगद दी जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि... रु० 37.40

(ii) भविष्य निधि लेखा में जमा की जानेवाली जीवन यापन भत्ते की राशि... रु० 38.00

कुल योग... रु० 75.00

[*संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17-1-1979.]

44. ***विषय—सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि पर अन्तिम भुगतान के समय छः महीने से अधिक अवधि तक सूद देना ।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 14 (4) के अनुसार भविष्य निधि में सँचित राशि पर अन्तिम भुगतान की तिथि तक या राशि भुगतान योग्य हो जाने के बाद छः महीने तक इसमें जो भी पहले हो, उस पर ही सूद देय है ।

2. इस मामले में पूर्ण विचार के पश्चात् सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे मामले में जिसमें विलम्ब का कारण अंशदाता के नियंत्रण से बाहर हो तथा अंशदाता को सरकारी कार्यालय या महालेखाकार के कार्यालय में विलम्ब के कारण निर्धारित अवधि में भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान नहीं हुआ हो, ऐसे मामले में सूद की अवधि को छः महीने से एक वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है ।

3. यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा । [*ज्ञाप सं० एम 1-051/77/4026 वि०, दिनांक 8-4-1978.]

45. ***विषय—राज्य के सरकारी सेवकों की सेवा स्वशासी निकायों में विलीन होने पर उनके भविष्य निधि लेखा में संचित राशि एवं उस पर देय सूद की राशि का हस्तान्तरण ।**

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अर्द्ध सरकारी पत्रांक एफ०डी० 8-ई०ओ० 1561, दिनांक 12 मई, 1976 के प्रसंग में कहना है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि सरकारी सेवकों की सेवा स्वशासी निकायों में हस्तान्तरित होने पर या त्याग-पत्र देने पर तथा स्वशासी निकायों में उनकी सेवा विलीन हो जाने पर उनके भविष्य-निधि लेखा हस्तान्तरण की स्थिति में उस पर सूद किस तिथि तक देय होगा । इस सम्बन्ध में पूर्ण विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय

लिया है कि स्वशासी निकायों में हस्तान्तरित सरकारी सेवकों को वहाँ की सेवा में सम्मिलित कर लिए जाने पर या ऐसे सरकारी सेवकों को जो सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर स्वशासी निकायों की सेवा में सम्मिलित कर लिए गए हों, उनके भविष्य निधि लेखा में संचित राशि को उन निकायों के अधीन उनके भविष्य निधि लेखा में हस्तान्तरित किया जाय तथा उनकी भविष्य निधि लेखा में संचित राशि पर समय-समय पर निर्धारित दर से सूद उस तिथि तक देय हो, जिस तिथि को उनके भविष्य निधि लेखा की राशि स्वशासी निकायों की भविष्य निधि लेखा में हस्तान्तरित की जाय। [***ज्ञाप सं० एम-015/76/15439वि०, दिनांक27-11-1976.**]

46. ***विषय—राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारण के संबंध में।**

प्रसंग : निदेशालय के पत्रांक	6452	दिनांक	21-05-1989
" " "	3252	"	17-05-1990
" " "	3218	"	02-05-1991
" " "	2495	"	29-04-1992
" " "	5932	"	28-05-1993
" " "	5976	"	20-06-1994
" " "	2151	"	30-03-1995
" " "	6799	"	22-05-1996

उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के परिपत्र सं० 8315/वि०, दिनांक 26-12-1985 की कंडिका 4(4) में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए उपर्युक्त प्रसंगित पत्रों के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि मार्च, 1997 तक की अवधि का लेखा संधारण जहाँ भविष्य निधि अनुसूची उपलब्ध नहीं हो वहाँ संपार्श्विक साक्ष्य (Collateral evidence) के आधार पर ही प्रक्रियानुसार संधारित किया जाए। [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-181/89-4260, दिनांक21-4-1997.**]

47. ***विषय—राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कोषागार से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर करने के संबंध में।**

निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि कोषांग को सौंपने का निर्णय वित्त विभाग के पत्रांक ए3-10-2/85/8315/वि०, दिनांक 28-12-1985 के द्वारा लिया गया था। महालेखाकार कार्यालय के द्वारा 31 मार्च, 1981 तक भविष्य निधि लेखा का संधारण किया जाना था और भविष्य निधि निदेशालय (जिला कोषांग सहित) द्वारा पहली अप्रैल, 1986 से यह कार्य किया जाना था। बीच की अवधि यानी वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 के लेखा के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य निधि कार्यालयों के द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के मामलों में कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित विवरणी के

आधार पर लेखा संधारण किया जाएगा। कोषागारों का लेखा अद्यतन नहीं रहने के कारण उपर्युक्त संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर लेखा तैयार करने की प्रक्रिया पहली अप्रैल, 1986 के बाद भी जारी रही और हर वर्ष सरकार के द्वारा उपर्युक्त संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर लेखा तैयार करने की स्वीकृति दी जाती रही।

कोषागारों का लेखा अब अद्यतन हो गया है और इसलिए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल, 1997 से राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण संबंधित कोषागार से प्राप्त भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर ही किया जाएगा, पूर्व के वर्षों के लिए संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर लेखा संधारण करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अनुसूचियों के आधार पर लेखा तैयार किए जाने पर वर्ष के अन्त में यदि पाया जाता है कि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी विशेष का क्रेडिट या डेबिट मिसिंग है तो वैसी स्थिति में संबंधित अवधि के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी तथा राजपत्रित पदाधिकारियों के मामलों में कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी के आधार पर भविष्य निधि लेखा की त्रुटियों का सुधार जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। निदेशालय तथा सचिवालय भविष्य निधि कोषांग के मामले में यह निर्णय क्रमशः उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक के द्वारा लिया जाएगा, परन्तु ऐसे सभी मामलों में संबंधित अंशदाता की संचिका में इस आशय का स्पष्ट निर्णय लिए जाने के बाद ही उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी। कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का हस्ताक्षर भविष्य निधि कोषांग में संधारण के संबंध में आवश्यक निर्देश निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय के द्वारा उनके पत्रांक 15338, दिनांक 22-11-1996 द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है।

उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वयन के लिए सभी कोषागारों के द्वारा महालेखाकार को लेखा भेजने के साथ ही भविष्य निधि अनुसूचियों को भविष्य निधि कार्यालयों में भेजना आवश्यक होगा। सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागार के द्वारा मासिक लेखा भेजे जाने के तीन दिनों के अन्दर भविष्य निधि की अनुसूचियों को भविष्य निधि कार्यालयों में पहुँचा दिया जाए।

, सरकार के द्वारा राज्य के सभी कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया गया है और योजनाबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। चालू वर्ष के अन्त तक सभी जिला कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। कई जिला पदाधिकारियों/उपायुक्तों के द्वारा स्वतः अभिरुचि लेकर स्थानीय तौर पर ही एन०आई०सी० या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सहयोग से कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की गई है। अतः ऐसी व्यवस्था की जाए कि मासिक लेखा भेजे जाने के बाद भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर कटौती/अग्रिम/वसूली के आँकड़ों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में करायी जाए जिससे कि भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य भी इस वर्ष के अन्त तक कम्प्यूटरीकृत हो सके। जिन जिलों में कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, वहाँ तत्काल यह कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और प्रत्येक माह भविष्य निधि निदेशालय को कम्प्यूटर फ्लॉपी आँकड़ों की प्रविष्टि कर, अनुसूची सहित, भेजने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा सकती है।

कृपया पत्र की प्राप्ति तथा तद्नुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी/उपायुक्त के माध्यम से निदेशक, कोषागार तथा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय

को प्रेषित किया जाए । [*वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ० 1-181/89-4771, दिनांक3-05-1997.]

48. ***विषय—बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के भविष्य-निधि अंशदान बैंक ड्राफ्ट, चेक तथा कोषागार चालान से जमा राशियों का लेखा संधारण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय से संबंधित राज्य सरकार के निर्णयानुसार तिथि 1-4-1986 से राज्य सरकार के पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य विकेन्द्रित रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है । उक्त निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारी जो बाह्य सेवा में है का लेखा संधारण निदेशालय द्वारा किया जाना है ।

विभिन्न जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों/अंशदाताओं द्वारा बराबर निदेशालय से बैंक ड्राफ्ट/चेक से जमा राशि की नगदीकरण तिथि की माँग की जा रही है । संभवत: लगता है कि बाह्य सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा संधारण कुछ जिला कार्यालयों द्वारा भी किया जा रहा है, जो सर्वथा अनियमित है । आपके कार्यालय से संबंधित प्राप्त कटौती विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस किया जाता है ।

अत: अनुरोध है कि भविष्य में अपने स्तर पर बाह्य सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का लेखा संधारण का कार्य नहीं करें । अगर इस प्रकार का कोई मामला आपके यहाँ लम्बित हो तो संबंधित अंशदाता का अंतशेष तथा अन्य विवरणी निदेशालय भेज दें जिससे निदेशालय स्तर पर लेखा संधारण कार्य किया जा सके । [*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०2-126/97-6775, दिनांक3-7-1997.]

49. ***विषय—राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय से संबंधित निदेशालय के पत्र सं० 838, दिनांक 20-1-1997 जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया था कि अंशदाता के पदस्थापन स्थान से संबंधित जिला भविष्य निधि कोषांग से ही लेखा अद्यतन किया जाए, क्योंकि कटौती विवरणी में कतिपय त्रुटियाँ पायी जा रही है तथा सभी कोषांगों में राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध नहीं है । इसके कार्यान्वयन में कतिपय जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों तथा अंशदाताओं द्वारा कठिनाइयाँ व्यक्त की जा रही हैं तथा सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं न्यायालय से संबंधित मामलों के निष्पादन में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है । इस पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिए गए हैं :—

(1) अगर अंशदाता अराजपत्रित सरकारी सेवक है तथा उनके भविष्य निधि में अंशदान एवं निकासी के संबंध में पासबुक संधारित है, तथा वर्तमान में जिस निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अन्तर्गत अभी कार्यरत् है, उनके द्वारा अगर पूर्व के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कटौती विवरणी को सत्यापित कर दिया जाता है तो उसे मान्यता देते हुए सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पदस्थापन से संबंधित कोषांग के द्वारा लेखा अद्यतन किया जा सकता है तथा अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा सकता है ।

(2) अगर अंशदाता स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं, तो उनकी कटौती विवरणी कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगी । उनके मामले में अगर संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम

के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है तथा कटौती विवरणी के अंशदान में कोई स्पष्ट रूप से विसंगति प्रतीत नहीं हो, वैसी स्थिति में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पदस्थापन से संबंधित कोषांग द्वारा लेखा अद्यतन किया जा सकता है ।

अत: निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र सं० 838, दिनांक 20-1-1997 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ० 1-896/96-7240, दिनांक14-7-1997.**]

50. ***विषय—भविष्य निधि लेखा संधारण एवं अंतिम निकासी कार्य में आवश्यक सुधार के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि1986से राज्य के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार से लेकर भविष्य निधि निदेशालय द्वारा संपादित किया जा रहा है । इस क्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 1981-82 तक का अंतशेष उपलब्ध कराया गया । 1981-82 से 1997-98 तक लेखा संधारण का कार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त कटौती विवरणी के आलोक में किया जा रहा है, किन्तु प्रशासी विभाग द्वारा समय पर कटौती विवरणी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लेखा संधारण कार्य में कठिनाई होती है । साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में भी कटौती विवरणी, अंतिम निकासी आवेदन इत्यादि उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण अनावश्यक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है ।

अत: अनुरोध है कि लेखा संधारण/अंतिम भुगतान के कार्य में गुणवत्ता करने के उद्देश्य से निम्नांकित सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाए :—

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विभाग के अधीन कार्यरत् सभी कर्मियों को नया भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित है । जिन कर्मचारियों/पदाधिकारियों को अब तक नया लेखा संख्या आवंटित नहीं है उनसे तत्संबंधी आवेदन प्राप्त कर संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय/निदेशालय को एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए ।

(2) कर्मचारियों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ ही भविष्य निधि लेखा से संबंधित डेबिट/क्रेडिट भी भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, जिसमें इस बात का भी उल्लेख हो कि संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के भविष्य निधि लेखा का संधारण किस वर्ष तक का तथा किस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है ।

(3) अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सूची संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय/सचिवालय भविष्य निधि कोषांग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए तथा उनके भविष्य निधि लेखा से संबंधित अद्यतन कटौती विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए ।

(4) अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के वर्तमान पत्राचार का पता संबंधित भविष्य निधि कोषांग को उपलब्ध कराया जाए ।

(5) अंतिम निकासी संबंधी आवेदन पत्र प्रेषित करते समय संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी का वर्तमान पत्राचार का पता तथा आवेदन समर्पित करने की तिथि भी अंकित किया जाए । यदि

उक्त आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद उपलब्ध कराया जाता है, तो विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख किया जाए। [*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-276/98-7406, दिनांक25-7-1998.]

51. ***विषय—सरकार द्वारा किए गए आश्वासन के आलोक में तीन माह के अन्दर भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक13-7-1998को सरकार द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया है कि भविष्य निधि के लंबित लेखाओं का अद्यतनीकरण तीन माह के अन्दर कर लिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटर के माध्यम से भविष्य निधि लेखाओं को तीव्रता से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब निदेश दें कि 17-8-1998 तक अंशदाताओं का अंशदान विवरणी आदि संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें। इस कार्य हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए।

1. वित्त विभाग के पत्रांक 8315, दिनांक 28-12-1985 के आलोक में अराजपत्रित कर्मचारियों का अंशदान लेखा विवरणी एवं वैसे राजपत्रित कर्मचारी जो स्वयं वेतन की निकासी नहीं करते हैं अपने संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से वार्षिक अंशदान विवरणी प्रमाणित कराकर संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ।

2. वित्त विभाग के पत्रांक 8315, दिनांक 28-12-1985 के आलोक में राजपत्रित पदाधिकारी जो स्वयं वेतन की निकासी करते हैं के मामले में अंशदान को कोषागार पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को उपलब्ध करावें।

3. भविष्य निधि निदेशालय के वित्त विभाग के पत्रांक8522, दिनांक13-2-1990के आलोक में निगम/बोर्ड के बाह्य सेवा में पदस्थापित अराजपत्रित/राजपत्रित कर्मचारी का भविष्य निधि अंशदान यदि बैंक ड्राफ्ट से होता है तो बैंक ड्राफ्ट नं०, दिनांक, कुल राशि तथा उसमें उनका कितना अंशदान है उसकी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी से प्रमाणित कराकर वर्षवार विवरणी के साथ उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार, जिन राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों का अंशदान ट्रेजरी चालान से होता है, उसे ट्रेजरी चालान की छायाप्रति नियंत्रण पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर वर्षवार विवरणी उपलब्ध कराया जाए।

4. निदेशालय के परिपत्र सं० 7240, दिनांक 14-7-1997 के आदेश के आलोक में जिस कर्मी का अंशदान जिस अवधि में जिस जिला कोषागार में हुआ है, उस अवधि का लेखा संधारण उसी जिला भविष्य निधि कार्यालय में होगा।

कृपया उपर्युक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं तद्नुसार आवश्यक निदेश संबंधित कार्यालयों/पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाए। [*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-352/98-8130, दिनांक6-8-1998.]

52. ***विषय—सरकार के आश्वासन के आलोक में तीन माह की अवधि के अन्दर भविष्य निधि लेखा अद्यतनीकरण करने के संबंध में।**

राज्य सरकार के कर्मियों का भविष्य निधि लेखा तीन माह के अन्दर अद्यतनीकरण कर दिये जाने के सरकार के आश्वासन के संदर्भ में कहना है कि जिला भविष्य निधि कार्यालयों से

प्रगति प्रतिवेदन एवं वांछित सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं । कुछ जिलों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को वित्त मंत्री स्तर पर समीक्षा के दौरान असंतोषजनक पाया गया है । यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है ।

कम्प्यूटराइजेशन आधारित प्रगति प्रतिवेदन जो एन०आई०सी० के इन्टरनेट के माध्यम से प्रतिवेदन भेजनी थी, वह भी अनियमित एवं अपर्याप्त है ।

इस संदर्भ में पुन: ई०-मेल के जरिए सभी जिला पदाधिकारियों से वांछित प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु अनुरोध किया गया है ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त दर्ज बिन्दुओं सहित पुन: दिनांक 5-12-1998 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए जाने वाले समीक्षा हेतु सामग्री संकलन के निमित्त, संलग्न पाँच प्रपत्रों में अपेक्षित सूचनाएँ दर्ज कर दिनांक 2-12-1998 तक निदेशालय, भविष्य निधि को फैक्स, कुरियर अथवा विशेष दूत द्वारा निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए । **[*वित्त विभाग, पत्र सं० 1-1056/98-14833, दिनांक 28-11-1998.]**

53 ***विषय—भविष्य निधि लेखा संधारण एवं अद्यतनीकरण के संबंध में ।**

राज्य सरकार के अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि का लेखा अद्यतन नहीं है । इस संबंध में विधानमंडल में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुपालन के लिए दबाव दिया जा रहा है । दूसरी ओर उच्च न्यायालय में बढ़ते केसों में कई बार मुख्य सचिव सहित वरीय पदाधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ रहा है । उच्च न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित मोनिटरिंग भी की जा रही है ।

अत: सरकार द्वारा अभियान चलाकर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा को अद्यतन कराने का निर्णय लिया गया है । सेवानिवृत्त तथा अगले अठारह माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में नियमित तौर पर समीक्षा कर कार्रवाई करने का निदेश मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत इस विभाग के पत्रांक 8042, दिनांक 30-8-1999 द्वारा आपको दिया जा चुका है। समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं :—

1. वे अक्टूबर माह के वेतन विपत्र कोषागार में भेजते समय कोषागार में ही 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक जिला भविष्य निधि कोषांग द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी को अपना हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त करा दें । जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का हस्ताक्षर जिला भविष्य निधि कार्यालय में नहीं होगा, वहाँ के कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती विवरणियों को मान्यता नहीं दी जाएगी । -

2. वे वेतन विपत्र के साथ संलग्न भविष्य निधि अनुसूची में सभी कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य अंकित करें । कोषागारों के द्वारा वैसे वेतन विपत्रों को पारित नहीं किया जाना है जिनकी अनुसूचियों में भविष्य निधि लेखा संख्या अंकित न हो ।

3. कर्मचारियों को स्वीकृत भविष्य निधि अग्रिम की निकासी अलग-अलग विपत्रों के माध्यम से करें । एक विपत्र में एकाधिक कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम की निकासी का प्रस्ताव होने पर विपत्र को कोषागार द्वारा पारित न किया जाए ।

4. सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती की सत्यापित विवरणियाँ एक साथ (न कि कर्मचारियों के अनुरोध पर एक-एक करके) भविष्य निधि कार्यालय को भेजवाएँ ।

वित्त आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 12610, दिनांक 18-9-1999 के द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पत्रांक 12611, दिनांक 18-9-1999 के द्वारा आपको निर्देश दिया गया है कि कम्प्यूटरीकृत कोषागारों में हरेक माह महालेखाकार को लेखा भेजने के तुरन्त बाद एक ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति कराकर भविष्य निधि अनुसूचियों को कम्प्यूटर में प्रविष्टि कराने की व्यवस्था की जाए। प्रविष्टि के बाद प्रिन्ट आउट निकालकर जाँचने के लिए प्रधान लिपिक के माध्यम से संबंधित लिपिकों को दिया जाएगा और अशुद्धियों को ठीक करके उसे कम्प्यूटर मेंSecured कर दिया जाएगा। जहाँ कोषागार कम्प्यूटरीकृत नहीं है, पर एन०आई०सी० का कार्यालय है, वहाँ ये प्रविष्टियाँ एन०आई०सी० कार्यालय में आपके अधीनस्थ उपलब्ध कम्प्यूटर में की जा सकती है, अर्थात् इस कार्य के लिए कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त कार्रवाई से वर्ष1998-99और उसके बाद का लेखा कोषागारों से प्राप्त भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर करने के सरकारी निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा, परन्तु अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा वर्षों से अद्यतन नहीं है। संपार्श्विक साक्ष्य (Collateral evidence) यानी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त कटौती विवरणियों के आधार पर भविष्य निधि लेखा को तैयार करने की प्रणाली पर महालेखाकार ने आपत्ति जताई है, जो बिल्कुल उचित है। संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर लेखा संधारण में हेरा-फेरी तथा जालसाजी की आशंका भी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में लंबित लेखा को अद्यतन कराने के लिए निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाए :—

(1) जिला भविष्य निधि कोषांगों में कोषागारों से प्राप्त भविष्य निधि अनुसूचियाँ लापरवाही से बोरों में पड़ी हुई हैं, वैसी तमाम अनुसूचियों को एन०आई०सी० कार्यालय या उसके बगल में उपलब्ध किसी कमरे में लाकर रख दिया जाए। कई जिलों में कोषागार में भी पुरानी अनुसूचियाँ पड़ी हुई हैं, जिन्हें भविष्य निधि कार्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया है; उन्हें भी उसी कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

(2) स्थानीय एन०आई०सी० पदाधिकारी के सहयोग से सक्षम ऑपरेटरों का चयन करा लिया जाए और उन्हें निर्धारित फीस-रेट पर डाटा प्रविष्टि का काम दे दिया जाए। ऑपरेटरों की संख्या उपलब्ध कम्प्यूटर टर्मिनल तथा स्थान को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए। जहाँ एन०आई०सी० कार्यालय नहीं है वहाँ निकटस्थ एन०आई०सी० कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी के सहयोग से प्राइवेट ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें पारिश्रमिक (पीस रेट) देकर यह कार्य कराया जाए।

(3) जिन अंशदाताओं का लेखा संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर अद्यतन किया जा चुका है उनसे संबंधित अनुसूचियों को छाँटने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी भी प्रविष्टि कम्प्यूटर में करा दी जाए। उसी प्रकार, इस बिन्दु पर भी गौर करने की जरूरत नहीं है कि कौन कर्मचारी स्थानान्तरित हो गए हैं। वैसे मामलों में आगे की कार्रवाई की दिशा बाद में तय की जाएगी जब पूरी उपलब्ध अनुसूचियों की प्रविष्टि हो जाती है।

(4) अनुसूचियों की प्रविष्टियों के बाद उन्हें शीर्षवार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अलग-अलग फोल्डरों में रखा जाए। ऐसा करने से एक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से

संबंधित सभी कर्मचारियों को उपलब्ध वर्षों का पूरा लेखा एक फोल्डर में आ जाएगा । इसके जाँच में और रख-रखाव दोनों में सुविधा होगी । इस संबंध में बाहर से आए डाटा इंट्री ऑपरेटर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन देने की जरूरत होगी ।

(5) कम्प्यूटर में प्रविष्टि के बाद एक प्रिन्ट आउट निकाला जाए जो अनुसूचियों के फोल्डर के साथ संबंधित लिपिक को दे दिया जाए जो उसका मिलान कर शुद्धियों को ठीक कर देंगे और तब उसे कम्प्यूटर में Secured कर दिया जाए और प्रिन्ट आउट को लेजर में चिपका दिया जाएगा ।

(6) उपलब्ध अनुसूचियों की प्रविष्टि के बाद अनुपलब्ध क्रेडिट-डेबिट विवरणी की माँग संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए ।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त सारी कार्रवाई इस उद्देश्य से की जानी है कि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेखा अद्यतन हो और वर्ष के अन्त में उन्हें वार्षिक लेखा भेज दिया जाए, गुम क्रेडिट/डेबिट विवरणी को वे भेज सकें । जहाँ किसी भी प्रकार कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं हो सके, वहाँ पूर्ववत् मैनुअल तौर पर अंशदाताओं के व्यक्तिगत लेजर में प्रविष्टि की जाए ।

प्रत्येक लिपिक प्रतिदिन कम से कम चार अंशदाताओं की वार्षिक लेखा विवरणी निर्गत करने हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे । भविष्य निधि पदाधिकारी का हस्ताक्षर होने की तिथि के अगले दिन निर्गत संख्या अंकित कर निर्गत करने वाले लिपिक उसे निश्चित रूप से संबंधित कर्मचारी को उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से भेज देंगे । इस लक्ष्य के अनुसार काम नहीं करने के चलते होने वाले विलम्ब की स्थिति में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और विलम्ब के कारण देय सूद की राशि की वसूली उनसे की जाए ।

उपर्युक्त कार्रवाई को दक्षतापूर्वक कराने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को कोषागार पदाधिकारी तथा एन०आई०सी० के पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त कर दूर करने के लिए आवश्यक है कि कम-से-कम छः माह तक एक पदाधिकारी भविष्य निधि कोषांग के स्वतंत्र प्रभार में रहें और उन्हें अन्य कार्य यथासम्भव कम-से-कम सौंपा जाए । लेखा अद्यतन कराने के साथ-साथ उनका यह दायित्व भी होगा कि जिले के अन्दर सेवानिवृत्त तथा निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व भविष्य निधि की जमा राशि की अंतिम निकासी हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा उनके नियंत्री पदाधिकारियों के सहयोग से पूर्ण करायेंगे । उनका यह भी दायित्व होगा कि वे जिला पदाधिकारियों तथा उनके नियंत्री पदाधिकारियों के सहयोग से पूर्ण करायेंगे । उनका यह भी दायित्व होगा कि वे जिला पदाधिकारी को सप्ताह में एक बार कार्य की प्रगति और कठिनाइयों से अवगत कराते रहें, ताकि उसका समुचित निदान हो । इसके लिए आपके स्तर पर सप्ताहान्त में एन०आई०सी० के पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी की एक नियमित संक्षिप्त बैठक निर्धारित करना बेहतर होगा ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-427/99-14591, दिनांक9-10-1999.**]

54 ***विषय—चौकीदारों/दफादारों को सामान्य भविष्य निधि लेखा आवंटित तथा संधारित करने के संबंध में ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चौकीदारों/दफादारों को गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या 359, दिनांक 17 जनवरी, 1990 द्वारा सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है एवं उनकी सेवा शर्तें भी अब सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित सेवा शर्तों जैसी होंगी।

अत: चौकीदार/दफादारों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित कर लेखा संधारित करने की कार्रवाई की जाए। लेखा संख्या आवंटन में जिला कोड/Pol–के बाद संख्या अंकित की जाए।
[*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-222/87-15455, दिनांक 28-10-1999.]

55. *Regarding—Payment of interest of Provident Fund balance for a period exceeding six months.

Under the Provident Fund Rules, the interest on the fund accumulation is payable upto the end of the month preceeding that in which payment is made, or upto the end of six months after the month in which such amount becomes payable whichever of these periods be less.

2. The State Government have now been pleased to decide that the payment of interest beyond a period of six months upto a period of one year, may be authorised by the Accountant-General, Bihar, after he has satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber and that the administrative delay involved in the matter have been fully investigated and action taken. These orders will equally apply to accumulations under the Bihar Contributory Provident Fund and other Provident Funds. [*G.O. No. F2-4027/60-29439 F, dated 10-12-1960.]

†Note—The above orders were to be in force for a period of two years, after which position was to be reviewed and it has not been decided to extend these orders of a further period of one year, with effect from 10-12-1962. [†G.O. No. F2-4041/62-18263 F, dated 5-12-1963.]

‡Note—The above orders should be extended for a further period of two years with effect from 10-12-1963. [‡G.O. No. F 2-4024/63-7745F, dated 1-8-1963.]

††Note—The above order is extended for a further period of two years. [††Memo No. 6439, dated 20-9-1966.]

****Note**—The above orders is further extended for a period of two years with effect from 10-12-1967. **[*Memo No. F2-4914/67-3542, dated 8-4-1968.]**

56. ***भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड 2** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948** में अधिसूचना संख्या एम 1-34-80-4771 वि० (2), दिनांक 10-7-1982 द्वारा किए गए संशोधन के पश्चात् तिथि 1-4-1986 से पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

2. नियम 14 के उप-नियम (4) के नीचे की टिप्पणी के नीचे निम्नलिखित दूसरी टिप्पणी जोड़ी जाए :—

[टिप्पणी उप-नियम (4) के नीचे प्रकाशित है ।]

3. प्रस्तुत संशोधन में उत्पन्न प्रतिस्थानी नियम दिनांक1-4-1986से लागू होगा तथा1-4-1986के पूर्व के उन सभी मामलों में भी लागू होगा, जिनमें भुगतान1-4-1966तक नहीं हुआ है ।[***वित्त विभाग अधिसूचना संख्या1-04/88-3373भ०नि०(3), दिनांक6-5-1988.**]

57. ***विषय—बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि पर ब्याज निर्धारण के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय से संबंधित भविष्य निधि निदेशालय के पत्रांक 15396, दिनांक 23-11-1996 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जुलाई, 1985 से नई योजना में शामिल पदाधिकारी/कर्मचारी 12.5% सूद पाने के हकदार होंगे और आगे के वर्ष में किसी माह में कटौती निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर संबंधित वर्ष में जमा तथा बैलेंस राशि पर 10.5% सूद ही देय होगा । इसके बावजूद कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें परिपत्र के अनुसार गणना नहीं की जा रही है । जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों की दिनांक 28-5-1997 की राज्य स्तरीय बैठक में चर्चा के आधार पर पुन: स्पष्ट किया जाता है कि :—

(1) नई योजना में शामिल सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त परिपत्र के अनुसार सूद का लाभ देय होगा ।

(2) नई योजना में शामिल होने का "कट ऑफ डेट" जुलाई, 1985 थी, सभी बकाया एक साथ जमा करते हुए दिसम्बर, 1985 तक उक्त योजना में शामिल होने की सुविधा सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को थी । उसके बाद बकाया जमा करने या अन्य प्रकार से यह सुविधा मान्य नहीं है ।

(3) नई योजना में शामिल होने के लिए 15% (राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए) और 12.5% (अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए) की गणना जुलाई, 1985 में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर ही होनी चाहिए । तद्नुसार कटौती होने पर उन्हें नई योजना में शामिल माना जाएगा, भले ही बाद में वेतन पुनरीक्षण या वेतनवृद्धि के चलते यह निर्धारित प्रतिशत से कम पड़ जाए ।

(4) जुलाई, 1985 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पुरानी योजना का ऑप्शन ही नहीं, अत: वैसे सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को नई योजना में शामिल मानते हुए (भले ही योगदान के वर्ष में ही उनकी कटौती कम हो) उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सूद की गणना की जाएगी ।[***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-404/95-6991, दिनांक7-7-1997.**]

58. *भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वार्षिक कार्य विभाग के संकल्प संख्या एफ5(1) पी०डी०-2000, दिनांक 1-4-2000 के द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर 11 (ग्यारह) प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण कर दिया गया है ।

2. तद्नुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2000 से सभी राज्य कर्मियों के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3392, दिनांक 1-12-1999 द्वारा निर्धारित भविष्य निधि अंशदान एवं खाते में संचित राशि पर ब्याज की दर 11 (ग्यारह) प्रतिशत कर दी जाए।

3. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3392, दिनांक 1-12-1999 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। **[*अधिसूचना सं० वि०-2-51/99/4968/वि० (2), दिनांक 19-7-2000.]**

59. *Regarding—Grant of non-refundable withdrawal from Provident Fund.

It is to refer to para 4 of the Finance Department Resolution No. F2 4042/62-12162F, dated 21-9-1962 and to say that in partial modification thereof, the State Government have been pleased to decide that advances drawn even after the issue of the aforesaid orders or that may be drawn in future, may be converted into non-refundable withdrawal on satisfying the conditions necessary for the grant of such withdrawals. **[*G.O. No. F2-4012/64-7731 F, dated 18-7-1964.]**

60. *विषय—सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्रों को पारित करने के सम्बन्ध में।

कतिपय कार्मिकों द्वारा वित्त विभाग को यह सूचित किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों को कोषागार पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर पारित नहीं किया जा रहा है कि वित्त विभाग का ऐसा निदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा कतिपय मामलों में वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करने का निदेश भी दिया गया है। इस संदर्भ में निदेशानुसार स्पष्ट करना है कि वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 2775/वि० (2), दिनांक 27-4-1996 के जरिए कैश रेगुलेशन स्कीम को तत्काल स्थगित करते हुए बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था को यथा पूर्ववत् लागू करने का निर्णय लिया गया है। संगत आदेश के जरिए सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से संबंधित विपत्र को पारित करने के प्रसंग में किसी भी प्रकार का बंधेज नहीं लगाया गया है एवं संगत आदेश के आलोक में सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र को आवश्यक जाँचोपरान्त पारित किया जा सकता है।

2. अत: अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्र को वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 2775/वि० (2), दिनांक 27-4-1996 के आलोक में आवश्यक जाँचोपरान्त पारित किया जा सकता है। इसके लिए आवंटनादेश की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग के पत्र संख्या 6/ए०एफ०सी०, दिनांक 27-1-1996 को भी मात्र इस प्रयोजनार्थ आंशिक रूप से शिथिल माना जाए। **[*पत्र. सं० एम4/8/96/3749/वि० (2), दिनांक 28 जून, 1996.]**

61. ***विषय—वेतन विपत्र के साथ अपूर्ण भविष्य निधि अनुसूचियों के रहने तथा एक विपत्र में एक ही कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम की राशि रहने के संबंध में।**

राज्य के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा को अद्यतन करने के उद्देश्य से भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौतियों एवं स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि कम्प्यूटर में कराने का काम शुरू किया गया है। कम्प्यूटर में प्रविष्टि के दौरान ऐसा पाया गया है कि भविष्य निधि अनुसूचियों में बहुत सारे कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखा संख्या अंकित नहीं रहती है। इसके चलते उनके लेखा संधारण में कठिनाई होती है।

2. ऐसा पाया गया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक ही विपत्र में एक से अधिक कर्मचारियों को स्वीकृत भविष्य निधि के अग्रिम की निकासी करते हैं। प्रोग्रामिंग के मुताबिक कम्प्यूटर में एक विपत्र में एक ही कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि की जा सकती है।

3. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे वेतन विपत्र के साथ संलग्न भविष्य निधि अनुसूचियों में पूर्ण विवरण अंकित करें। उसी प्रकार, हर कर्मचारी/पदाधिकारी को स्वीकृत भविष्य निधि अग्रिम की निकासी अलग-अलग विपत्र द्वारा की जाए, कोषागार पदाधिकारी उन वेतन विपत्रों को पारित नहीं करेंगे जिनमें संलग्न भविष्य निधि अनुसूची में एक भी कर्मचारी से संबंधित लेखा संख्या अंकित नहीं हो, साथ ही वे दो कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि अग्रिमों की निकासी के लिए समर्पित संयुक्त विपत्र को भी पारित नहीं करेंगे। [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-427/99-12610, दिनांक 18-9-1999.**]

62. ***विषय—सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के भविष्य निधि की अंतिम निकासी के मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि सेवानिवृत्त एवं मृत सरकारी सेवकों की भविष्य निधि की राशि की अंतिम निकासी के बहुत से मामले भविष्य निधि निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों में विभिन्न कारणों से लम्बित हैं। अंतिम निकासी के भुगतान में विलम्ब के चलते अंशदाताओं को कठिनाई होती है जिस कारण बहुत से मामले न्यायालय में जाते हैं। समय सीमा के अन्दर न्यायालय द्वारा इन मामलों के निष्पादन के आदेश के अनुपालन के क्रम में सरकार को निर्धारित ब्याज के अतिरिक्त ब्याज एवं दंड भी देना पड़ता है। यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है।

अंतिम निकासी के मामलों की समीक्षा के क्रम में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, इनसे पता चलता है कि भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों में इन मामलों के निष्पादन में विलम्ब के कई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं :—

1. अंशदाताओं द्वारा यथा समय अंतिम निकासी का आवेदन नहीं दिया जाना।
2. प्रशासी विभाग द्वारा अंतिम निकासी के आवेदनों को निदेशालय और जिला भविष्य निधि कार्यालयों को समय पर नहीं भेजा जाना।
3. प्राप्त आवेदनों के साथ भविष्य निधि की कटौती की पूर्ण विवरणी का नहीं होना।
4. भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम की विवरणी का नहीं होना।

5. पूर्ण रूप से कटौती विवरणी का अप्राप्त रहना, आदि ।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की अंतिम निकासी के मामले उपर्युक्त सभी सूचनाओं एवं कटौती विवरणी के साथ सरकारी सेवक द्वारा कटौती बन्द करने के बाद अविलम्ब तथा मृत्यु की स्थिति में एक माह के अन्दर निश्चित रूप से भविष्य निधि निदेशालय या संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कृपया सुनिश्चित की जाए, ताकि भुगतान पर त्वरित कार्रवाई सम्भव हो सके । इसमें विलम्ब करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी को भी चिह्नित किया जाए। विलम्ब के चलते देय अधिक ब्याज एवं अर्थदंड आदि की राशि की वसूली उनके वेतन से करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए ।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाए । [***वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-466/99-15727, दिनांक 2-11-1999.**]

63. ***विषय—भविष्य निधि अंशदान के कोषागार शिड्यूल को भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों को प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

आप भली-भाँति अवगत हैं कि 1 अप्रैल, 1986 से भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार से लेकर भविष्य निधि निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ 42 जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है । किन्तु, कोषागारों से भविष्य निधि कटौती का सम्पूर्ण शिड्यूल प्रतिमाह नियमित रूप से नहीं मिलने के कारण लेखा संधारण में कठिनाई है । इसके चलते अंशदाताओं का लेखा निर्गत करने एवं अंतिम निकासी में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

इन कठिनाइयों के मद्देनजर भविष्य निधि लेखा का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । इसके तहत् निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से भविष्य निधि कटौती की प्रविष्टि की जानी है । निदेशालय द्वारा सचिवालय के तीन कोषागारों में शिड्यूल की प्रविष्टि हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, किन्तु पूर्ण रूप से और नियमित रूप से उन्हें शिड्यूल नहीं उपलब्ध कराए जाने के कारण कम्प्यूटर में उनकी प्रविष्टि संभव नहीं हो पा रही है । यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है ।

अधोहस्ताक्षरी को ज्ञात हुआ है कि वेतन विपत्र से संलग्न भविष्य निधि से कुछ शिड्यूल कोषागार एवं बैंक में आने-जाने के क्रम में मिस्प्लेस्ड हो जाते हैं या खो जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए । जहाँ पर कोषागार में ही भविष्य निधि निदेशालय/ कार्यालय से कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें कोषागार में ही शिड्यूल प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिए जाएँ । शिड्यूल उपलब्ध कराते समय इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए कि ये शीर्षवार एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार हों । इस व्यवस्था के अनुसार कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रत्येक माह लेखा विवरणी भेजी जाती है । इसी तरह यह विवरणी भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों को भेजी जाए ।

नवम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह से इस निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । कोषागारों द्वारा इसमें बरती गयी शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा एवं दोषी पदाधिकारी यथोचित कार्रवाई के भागी होंगे । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-466/99-15726, दिनांक 2-11-1999.**]

64. ***विषय—कोषागारों में ही भविष्य निधि अनुसूचियों के आँकड़ों की प्रविष्टि कम्प्यूटर से करने के सम्बन्ध में ।**

आप इससे अवगत हैं कि वर्ष 1998-99 से भविष्य निधि लेखा का संधारण वेतन विपत्र के साथ समर्पित होने वाली भविष्य निधि अनुसूचियों के आधार पर किया जा रहा है । ऐसा पाया जा रहा है कि या तो कोषागार से ही सभी अनुसूचियाँ भविष्य निधि कार्यालय में नहीं जा रही हैं या जिला भविष्य निधि कार्यालयों में पहुँचने के बाद पथभ्रष्ट हो जा रही हैं । इसके चलते अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा अधूरा ही रह जाता है जिसे पूरा करने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित भविष्य निधि कटौती विवरणी का सहारा लेना पड़ता है । इससे कर्मचारियों का लेखा अद्यतन करने में काफी कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा त्रुटियों की भी गुंजाइश रह जाती है ।

2. अत: निर्णय लिया गया है कि हरेक माह में कोषागार द्वारा मासिक लेखा भेजे जाने के बाद एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा एन०आई०सी० के स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से की जाएगी और पिछले महीने की अनुसूचियों के आधार पर आँकड़ों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में कर ली जाएगी । इन आँकड़ों को फ्लॉपी के माध्यम से भविष्य निधि के कम्प्यूटर में स्थानान्तरित किया जाएगा । प्रविष्टि पूर्ण होने के बाद शीर्षवार बंडलों को उसी ऑपरेटर के द्वारा जिला भविष्य निधि कार्यालय में प्रधान लिपिक को उपलब्ध करा दिया जाएगा । उपर्युक्त कार्य एन०आई०सी० के स्थानीय पदाधिकारी के सक्रिय सहयोग से पूर्ण कराया जाए ।

3. अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर संबंधित सभी पदाधिकारियों को बैठक कर इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करें । **[*वित्त विभाग, पत्र सं० 12611, दिनांक 18-9-1999.]**

65. ***विषय—सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में किए गए भुगतान के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करना ।**

अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के पश्चात् अग्रिम का भुगतान किया गया या नहीं इसकी जाँच महालेखाकार के कार्यालय में होना आवश्यक है । महालेखाकार का कहना है कि बहुत से मामलों में भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, परन्तु कुछ मामले में प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से महालेखाकार के कार्यालय में भेजने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं । अत: किस मामले में भुगतान हुआ या किस मामले में भुगतान नहीं हुआ इसकी जाँच के लिए यह आवश्यक है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जाए ।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालयों को इस आशय का निदेश निर्गत कर अनुरोध करें कि वे भविष्य निधि से निकासी के रुपयों के भुगतान के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजें । **[*वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या एम०-1-31/78/10304, दिनांक 3-11-1978.]**

66. ***विषय—महालेखाकार द्वारा जिला भविष्य निधि कार्यालयों के प्रस्तावित अंकेक्षण के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार, बिहार, पटना के विशेष अंकेक्षण दल द्वारा राज्य के सभी भविष्य निधि कार्यालयों के अंकेक्षण करने का प्रस्ताव है। अंकेक्षण के उपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त होने में काफी समय लगता है, फलस्वरूप इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने में काफी विलम्ब हो जाता है। फलस्वरूप उचित होगा कि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल द्वारा जो भी ज्ञाप आपको प्रेषित किया जाए, तत्काल उसकी एक फोटो प्रति तथा आपके द्वारा अंकेक्षण के दौरान किए गए अनुपालन की प्रति के साथ अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए, तथा अंकेक्षण की समाप्ति के एक पक्ष के अन्दर प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। **[*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-412/92-6167, दिनांक 16-6-1997.]**

67. ***विषय—पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला स्थित भविष्य निधि कार्यालयों में संविलियन।**

उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के पत्रांक 6157, दिनांक 15-12-1997 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षी भविष्य निधि शाखा वित्त विभाग से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 31-12-1997 तक अपने-अपने जिले से संबंधित अभिलेख निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। साथ ही संबंधित पत्र की कंडिका 1 में वर्णित आदेश के आलोक में अपने-अपने जिलों में संधारित राज्य सेवा के पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा से संबंधित अभिलेख भविष्य निधि निदेशालय को उपलब्ध करा दें। **[*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-692/97-10350, दिनांक 26-12-1997.]**

68. ***विषय—पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला भविष्य निधि कार्यालय में संविलियन।**

उपर्युक्त विषयक् वित्त विभाग के पत्रांक 6157, दिनांक 15-12-1997 एवं निदेशालय के पत्रांक 10350, दिनांक 26-12-1997 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि आरक्षी भविष्य निधि से संबंधित अंतशेष महालेखाकार कार्यालय द्वारा कुछ मामलों में वर्ष 1971-72 तक तथा कुछ मामलों में वर्ष 1974-75 तक ही प्राप्त है जिसे कम्प्यूटरीकृत कर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1997-98 का लेखा संधारण अनुसूची के आधार पर किया जाना है। अतः राज्य स्तर के पदाधिकारियों का लेखा अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि कोषांग द्वारा ही संधारित किया जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि वर्ष 1974-75 के बाद नियुक्त पुलिस कर्मियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कटौती विवरणी के आधार पर किया जाए तथा राज्य स्तर के पदाधिकारियों का अन्तशेष निदेशालय को अगले आदेश तक नहीं भेजा जाए। **[*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-692/97-1215, दिनांक 21-2-1998.]**

69. ***विषय—माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अवमानना याचिकाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र सं॰10604, दिनांक20-8-1998 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं एम॰जे॰सी॰ सं॰198/97में दिनांक18-8-1998को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है । सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाओं की संख्या में वृद्धि पर गहरी चिन्ता जताई गई है । माननीय उच्च न्यायालय का मानना है कि न्यायादेश के अनुपालन में विभागों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं की जाती है तथा लिस्ट पर आने के बाद भी वादों का निष्पादन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप अवमानना वादों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि न्यायादेश के अनुरूप कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय प्रधान मुख्य रूप से उत्तरदायी है । यदि उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा न्यायादेश के अनुरूप कार्यान्वयन में शिथिलता बरती जाती है तो इसके लिए उन्हें तुरत दंडित/निलम्बित किया जाए ।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि लम्बित अवमानना याचिकाओं का साप्ताहिक प्रतिवेदन अपने विभाग से संबंधित सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित किया जाए । इसमें खास तौर पर अगले सप्ताह लिस्ट पर आने वाले वादों का प्रतिवेदन संलग्न रहे ।

4. अत: आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें । साथ ही इसे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचारित करने की कृपा करें । [***वित्त विभाग, पत्र सं॰3/सी॰एस॰-2001/98/3162, दिनांक27-8-1998.**]

70. ***विषय—सी॰डब्लू॰जे॰सी॰/98 राय कृष्ण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य ।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि श्री सिंह बिहार प्रशासनिक सेवा जो दिनांक 31-1-1995 को सेवानिवृत्त हुए थे, के भविष्य निधि लेखा सं॰ एल॰आर॰-11012 से अंतिम भुगतान निमित्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर की गई है ।

श्री सिंह के भविष्य निधि लेखा सं॰ एल॰आर॰-11012में जमा एवं उससे निकासी की गई राशि का माहवार विवरणी एवं अन्तशेष निदेशालय में उपलब्ध नहीं है । इसके अभाव में अंतिम भुगतान में कठिनाई हो रही है ।

उप-सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना, पत्रांक 12765, दिनांक 4-12-1998 के अनुसार श्री सिंह वर्ष 1975-76 से निम्नांकित स्थानों पर पदस्थापित थे :—

(1) वर्ष1975-79	अंचल अधिकारी, हरनौत, जिला नालन्दा
(2) वर्ष1979-82	कार्यपालक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर
(3) वर्ष1982-86	कार्यपालक दंडाधिकारी, पलामू
(4) वर्ष1986-88	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची
(5) वर्ष1988-90	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मोतिहारी

(6) वर्ष 1990-92	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया
(7) वर्ष 1992-93	अवर सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड
(8) दि० 23-2-1993 से 30-6-1994	निलम्बित
(9) दि० 1-7-1994 से 20-2-1995	पदस्थापन की प्रतिक्षा में
(10) दि० 20-2-1995 से 31-1-1996	अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना

अतः आपसे अनुरोध है कि माह मार्च, 1975 से 31-1-1996 तक श्री सिंह के भविष्य निधि लेखा सं० एल०आर० 11012 में जमा/निकासी का माह/वर्षवार विवरणी टी०भी० संख्या एवं तिथि सहित सत्यापित कर निदेशालय में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

[*वित्त विभाग, पत्र सं० 16903, दिनांक 24-12-1998.]

71. ***विषय—राज्य-स्तरीय संवर्ग के अन्तर्गत जिला भविष्य निधि कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण/कालबद्ध प्रोन्नति/प्रवर कोटि प्रोन्नति की संपुष्टि के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भविष्य निधि निदेशालय अन्तर्गत सचिवालय भविष्य निधि कोषांग एवं सभी जिला भविष्य निधि कार्यालयों में मुफस्सिल वेतनमान कार्यरत् लिपिकों के वेतन-निर्धारण में (विशेषकर श्री राम सिंहासन सिंह एवं श्री रामेश्वर सिंह दोनों लिपिक के मामले में) वित्त विभाग द्वारा वेतन-निर्धारण में कई आपत्तियाँ अंकित की गई हैं। जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद दायर किए गए हैं।

2. कई मामलों में निदेशालय की सहमति के बिना बिहार जल विकास निगम द्वारा प्रोन्नति दे दी गई है। कालबद्ध/प्रवर कोटि प्रोन्नति की सम्पुष्टि हेतु प्रस्ताव सीधे प्रमंडलीय आयुक्त अथवा वित्त विभाग को भेजा गया है, जबकि वित्त विभाग के पत्रांक 41/78 दिनांक 12-8-1992 के कंडिका 4 (ग) द्वारा स्पष्ट निदेश निर्गत है कि संपुष्टि हेतु प्रस्ताव संवर्ग नियंत्रक पदाधिकारी के माध्यम से ही भेजे जाएँ।

3. वित्त विभाग की ज्ञाप सं० ए3-10-02/85-7585, दिनांक 3-12-1985 के अनुसार निदेशालय के अधीन सचिवालय एवं विभिन्न जिलों में स्थित भविष्य निधि कार्यालयों के नियंत्रक पदाधिकारी निदेशक भविष्य निधि निदेशालय बिहार है।

4. अतः निदेश दिया जाता है कि जिन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण/कालबद्ध प्रोन्नति/प्रवर कोटि प्रोन्नति की संपुष्टि उपर्युक्त प्रक्रिया के बिना कराई गई है उसकी समीक्षा हेतु संपुष्टि आदेश के साथ सेवापुस्त तुरंत निदेशालय में भेजी जाए।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं० 660, दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय/पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन-निर्धारण के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों की सेवापुस्त वेतन-निर्धारण प्रपत्र, जाँच प्रपत्र आदि कागजात के साथ अक्टूबर, 1999 तक निश्चित रूप से निदेशालय को भेजे जाएँ ताकि नियमानुसार नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से संपुष्टि हेतु भेजा जा सके ताकि वेतनमान के मामले में एकरूपता रहे।

6. जनवरी, 2000 से वेतन का भुगतान, नए वेतनमान में वेतन-निर्धारण की संपुष्टि के बाद ही किया जाए, अथवा इस संबंध में निदेशालय के विशेष अनुमति के बगैर नहीं किया जाए।

निदेश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति यथोचित कार्रवाई के भागी होंगे । [*वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-2-313/99-14621, दिनांक 11-10-1999.]

72. ***विषय—कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि पदाधिकारियों के अंशदाताओं के भविष्य निधि की कटौती के डेबिट तथा क्रेडिट के शिड्यूल भेजने के सम्बन्ध में ।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अंशदाताओं के भविष्य निधि राशि के शीघ्र भुगतान होने तथा उनके लेखा को अद्यतन करने के विषय में हाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसकी सूचना आपको इस निदेशालय के विभिन्न पत्रों के द्वारा दी जा चुकी है ।

2. इसी संदर्भ में सभी कोषागार पदाधिकारियों/सभी भविष्य निधि पदाधिकारियों को यह सतत् अनुदेश भी दिए गए हैं कि उनके पास उपलब्ध वर्ष 1985-86 से अद्यतन अंशदाताओं की भविष्य निधि की कटौती की राशि क्रेडिट/डेबिट के शिड्यूल भविष्य निधि पदाधिकारियों को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, तथा आगे से जिस माह का महालेखाकार को अन्तिम लेखा भेजा जाए उसके साथ ही साथ भविष्य निधि पदाधिकारियों को भी शिड्यूल उपलब्ध करा दिया जाए । इसके लिए यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य निधि पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी से समुचित समन्वय स्थापित कर इसको अवश्य नियमित रूप से प्राप्त करते रहेंगे । इस विषय की समीक्षा मेरे द्वारा विभिन्न प्रमण्डलीय बैठक में भविष्य निधि पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के साथ की जा रही है ।

3. लेकिन, कुछ जिलों से अभी तक सूचना प्राप्त हुई है कि भविष्य निधि के क्रेडिट एवं डेबिट के 1986-87 के सभी शिड्यूल कोषागारों से प्राप्त नहीं किए गए हैं । इसका परिणाम यह है कि अंशदाताओं को उक्त अवधि के लिए अपने लेखा को अद्यतन कराने के लिए कोषागार से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है, जिससे उनकी कठिनाई होती है ।

4. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी कोषागार पदाधिकारी निश्चित रूप से उनके पास उपलब्ध सभी क्रेडिट एवं डेबिट के शिड्यूल को दिनांक 15 अप्रैल, 1990 तक सभी भविष्य निधि पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दें । इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई अगर किसी भविष्य निधि पदाधिकारी को है, तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी को अवश्य दें ।

5. चूँकि भविष्य निधि के अंशदाताओं को राहत देने का एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए जिला पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया वे इस बिन्दु की समीक्षा समय-समय पर कोषागार पदाधिकारी/भविष्य-निधि पदाधिकारी के साथ करने का कष्ट करेंगे ।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 1988-89 से आगे तक किसी भी कोषागार पदाधिकारी द्वारा किसी भी अंशदाताओं को भेजे गए शिड्यूल के विषय में कोषागार प्रमाण-पत्र अब नहीं देने का आदेश सरकार के विचाराधीन है । भविष्य निधि पदाधिकारी अपने कार्यालय में जाँच कर यह नहीं प्रतिवेदित करेंगे कि उक्त अवधि का शिड्यूल उनको नहीं प्राप्त हुआ है । अत: भविष्य निधि पदाधिकारी को अनुदेश दिया जाता है कि कोषागार से प्राप्त शिड्यूल पर जाँच कर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि प्राप्त शिड्यूल भेजना है, बल्कि

डेबिट का भी जिसकी अपेक्षाकृत संख्या कम होती है, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि प्राप्त शिड्यूल पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

7. स्मरणीय है कि कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा न केवल क्रेडिट का शिड्यूल भेजना है, बल्कि डेबिट का भी जिसकी अपेक्षाकृत संख्या कम होती है, क्योंकि डेबिट के शिड्यूल के आधार पर ही लिए गए अग्रिम की जाँच होती है।

8. इस पत्र का अनुपालन कोषागार पदाधिकारी तथा भविष्य निधि पदाधिकारी कृपया दिनांक 20 अप्रैल, 1990 तक स्थिति के साथ अवश्य अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे तथा भविष्य निधि निदेशालय स्तर पर भी इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर निदेशालय में जिस श्रेणी के अंशदाताओं का लेखा है, उसके विषय में की जाएगी।

9. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए। [***वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-108/90-2284-भ०नि०नि०, दिनांक 2 अप्रैल, 1990.**]

73. *विषय—महालेखाकार द्वारा प्रेषित अन्तशेषों के क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर अकारण डेबिट एवं क्रेडिट के सत्यापन की शर्त्त को शिथिल माने जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित कुछ अन्तशेषों में 1975-76 से 1981-82 तक की लेखा में कोई भी क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर भी अन्तशेष के नीचे अकारण 1981-82 के पूर्व के वर्ष से क्रेडिट एवं डेबिट के सत्यापन कर लिए जाने का उल्लेख रहता है।

पूर्व में इस सम्बन्ध में महालेखाकार के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय एवं हाल ही में महालेखाकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका (1) में वर्णित मामलों में क्रेडिट और डेबिट जाँच करने सम्बन्धी शर्त्त को शिथिल समझा जाए। [***वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ० 1-504 नि० 87-2901-भ०नि०, दिनांक 4 मई, 1990.**]

74. *विषय—अखिल भारतीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी अंशदाताओं के भविष्य निधि से सम्बन्धित अनुसूचियों को सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों में ही भेजने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि कुछ कोषागार पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी भविष्य निधि अनुसूचियाँ निदेशालय में भेज रहे हैं। यह न केवल गलत है, वरन् इससे निदेशालय को अत्यन्त परेशानी हो जाती है।

अतएव, अनुरोध है कि केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की ही भविष्य निधि अनुसूचियाँ निदेशालय में भेजी जाए। अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि अनुसूचियाँ सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों को ही प्रेषित कर दी जाए।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझते हुए सभी कोषागार पदाधिकारी इसके कार्यान्वयन को कृपया सुनिश्चित करेंगे। [***वित्त विभाग, संख्या जी०पी०एफ०-1-140/89-3550-भ०नि० (3), दिनांक 30 मई, 1990.**]

75. ***विषय—कोषागार अनुसूचियों का निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालयों में प्रेषण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संवंध में कहना है कि पिछले कुछ समय से कई कोषागारों द्वारा भविष्य निधि की अनुसूचियाँ संबंधित जिला भविष्य निधि कोषांगों को नहीं भेजी जा रही है। इसका मुख्य कारण लेखा का लम्बित होना था। अब कोषागारों का लेखा अद्यतन है, परन्तु अधिकांश कोषागारों से अनुसूचियाँ भविष्य निधि के कोषांगों को प्राप्त नहीं हो रही हैं।

कोषागारों से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर लेखा तैयार नहीं किए जाने से भविष्य निधि के लेखा संधारण में अनियमितता तथा उसके आधार पर निकासी की संभावना बनी रहती है, अत: निर्णय लिया गया है कि तात्कालिक प्रभाव से कोषागारों से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर ही लेखा संधारण का कार्य किया जाए।

अनुरोध है कि अद्यतन जिस माह का लेखा महालेखाकार को भेजा जा चुका है, उससे संबंधित जी०पी०एफ० अनुसूचियों को तत्काल एक साथ भविष्य निधि कोषांग में भेज दिया जाए और उसके बाद से हर माह में लेखा भेजने के साथ ही जी०पी०एफ० अनुसूचियों को भी भविष्य निधि कोषांग में भेज दिया जाए। [***वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-102/97/3541, दिनांक29-3-1997.**]

76. ***विषय—अंशदाताओं द्वारा भविष्य निधि में जमा/निकासी की गई राशि के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि निदेशालय/ जिला भविष्य निधि कार्यालयों को प्रस्तुत करने वाली सत्यापित विवरणों को विहित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय से संबंधित भविष्य निधि निदेशालय के पत्रांक 5636 भ०नि० (3), दिनांक10-7-1989 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त प्रासंगित पत्र में दिए गए निदेश के बावजूद भी अधिकांश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी विहित प्रपत्र में नहीं भेजा जा रहा है। विहित प्रपत्र में न होने के कारण विवरणी अस्पष्ट अधूरी रहती है जिसके फलस्वरूप सही रूप में लेखा संधारण करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा करें कि भविष्य में सत्यापित विवरणी विहित प्रपत्र में ही निश्चित रूप से भेजा करें। इस हेतु पूर्व में भेजे गए प्रपत्र की प्रति पुन: संलग्न की जा रही है।

कृपया इससे अपने सभी अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अवगत करा दिया तथा इसका अनुपालन भी उनसे सुनिश्चित करवाया जाए।

श्री .... पदनाम .... द्वारा महालेखाकार द्वारा आवंटित भविष्य निधि लेखा सं०............एवं भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय............ द्वारा आवंटित लेखा संख्या .... में वित्तीय वर्ष .... में जमा/निकासी की गई राशि की विवरणी :—

मूल वेतन	विशेष वेतन	माह का नाम	भ०नि० अंशदान	भ०नि० अग्रिम की वापसी	जी०या० भत्ता अंशदान	कुल राशि	टी०भी० नम्बर एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
		मार्च					
		अप्रैल					
		मई					
		जून					
		जुलाई					
		अगस्त					
		सितम्बर					
		अक्टूबर					
		नवम्बर					
		दिसम्बर					
		जनवरी					
		फरवरी					
		टोटल					

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कटौतियों की जाँच वेतन-पंजी/वेतन-विपत्र से कर ली गई है, जो सही है। वर्ष में कुल जमा राशि............ रुपये है।

कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

मुहर मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष .... में इन्होंने रु० .... अग्रिम लिया है/नहीं लिया है। लिए गए अग्रिम का टी०भी० नं० एवं तिथि............ है।

कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

मुहर मुहर

[*पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-102/97-3540, दिनांक 29-3-1997.]

77 ***विषय—अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची भेजने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि भविष्य निधि कोषांग में कार्यरत् कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में विलम्ब न हो उसके लिए अग्रिम कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जा सके। इस हेतु यह आवश्यक है कि वैसे कर्मचारी जो अगले एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों उन सबों की एक सूची नाम, पदनाम एवं सेवानिवृत्ति की तिथि के साथ तैयार की जाए और भविष्य निधि निदेशालय को भेजने की कृपा की जाए। साथ ही उनके सेवानिवृत्ति दावों के भुगतान की दशा में समुचित कार्रवाई की जाए।

इसे अत्यावश्यक समझें । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-158/97-3726, दिनांक 2-4-1997.**]

78. ***विषय—महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा प्रेषित 1981-82 के अन्तशेष की सूची एवं अन्तशेष उपलब्ध करवाने के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा अंशदाताओं का अन्तशेष जो विभिन्न जिला भविष्य निधि कार्यालयों को भेजे गए हैं, उनमें से कुछ अन्तशेष संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय के अंशदाताओं से संबंधित नहीं हैं । स्पष्ट है कि वैसे अन्तशेष उन अंशदाताओं के हैं, जो अन्यत्र पदस्थापित हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं । इस प्रकार अन्तशेष के अभाव में संबंधित अंशदाताओं के लेखा का अद्यतन करना तथा अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकारी पत्र निर्गत करना सम्भव नहीं हो पाता है, फलस्वरूप अंशदाता न्यायालय की शरण में जाते हैं ।

अत: आपसे अनुरोध है कि वैसे अन्तशेषों की सूची एवं अन्तशेष जो आपके कार्यालय से संबंधित अंशदाताओं के नहीं हैं, कोडवार तैयार कर दिनांक 10-9-1997 की बैठक में आवश्यक रूप से साथ में लाएँ ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए । [***वित्त विभाग, पत्र सं० सा०भ०नि०-347/96-9174, दिनांक 4-9-1997.**]

79. ***विषय—भविष्य निधि अनुसूचियों को निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय में प्रेषण के संबंध में ।**

प्रसंग : पत्रांक 3541, दिनांक 29-3-1997।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपसे भविष्य निधि से संबंधित अनुसूचियों को माह के समाप्ति पर कभरिंग लिस्ट के साथ भेजने का अनुरोध किया गया था ।

सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 1997-98 से भविष्य निधि लेखा का संधारण अनुसूची के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है ।

आपके द्वारा अनुसूची उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लेखा संधारण कार्य बाधित हो रहा है ।

अत: अनुरोध है कि मार्च, 1997 से फरवरी, 1998 तक की अनुसूची कभरिंग लिस्ट के साथ मार्च, 1998 में निश्चित रूप से अपने जिला के भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए ।

कृपया इस पर उच्च प्राथमिकता दी जाए । [***वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-102/97-2129, दिनांक 11-3-1998.**]

80. ***विषय—अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का भविष्य निधि अनुसूची भेजने के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1997-98 का भविष्य निधि लेखा संधारण कोषागारों से प्राप्त भविष्य निधि अनुसूची निदेशालय को प्राप्त नहीं हो रहा है ।

जैसा कि आप जानते होंगे कि श्री बी०पी० वर्मा, भा०प्र०से०, मुख्य सचिव अप्रैल,1998 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके भविष्य निधि लेखा को अद्यतन किया जाना है। अगर भविष्य निधि अनुसूची निदेशालय को अप्राप्त रहेगी तो लेखा अद्यतन करना संभव नहीं है।

अतएव अनुरोध है कि श्री वर्मा से संबंधित भविष्य निधि अनुसूचि के साथ-साथ सभी अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का भविष्य निधि अनुसूची यथा निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें। [***वित्त विभाग, पत्र सं० आई०ए०एस०-259/98-2885, दिनांक 2-4-1998.**]

81. ***विषय—सभी जिला कोषागारों से भविष्य निधि अनुसूची (शिड्यूल) उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य कोषागारों द्वारा प्रदत्त अनुसूची पर किए जाने की व्यवस्था के तहत् अपने-अपने जिला स्थित कोषागारों से भविष्य निधि अनुसूची लाने हेतु कार्यरत् लिपिकों को अधिकृत किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकृत लिपिक कोषागारों से प्रतिदिन अनुसूची प्राप्त कर जिला भविष्य निधि कार्यालय के संबद्ध लिपिकों को उपलब्ध कराएँगे। रोटेशन के आधार पर प्रत्येक लिपिक को एक-एक माह के लिए अधिकृत किया जाए। साथ ही प्राप्त अनुसूची के आलोक में ब्रॉड शीट, तथा पंजी संधारण की भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए/की गई कार्रवाई तथा तत्संबंध मासिक प्रगति से निदेशालय को भी अवगत करावें। [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-276/98-5195, दिनांक 17-6-1998.**]

82. ***विषय—भविष्य निधि अनुसूचियों को निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय में प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग : निदेशालय के पत्रांक 3541, दिनांक 29-3-1997 एवं 2129, दिनांक 11-3-1998।

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपसे भविष्य निधि से संबंधित अनुसूचियों को माह के समाप्ति कर कभरिंग लिस्ट के साथ भेजने का अनुरोध किया गया था। सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 1997-98 से भविष्य निधि लेखा का संधारण अनुसूची के आधार पर करना है। आपके द्वारा अनुसूची उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लेखा संधारण कार्य बाधित हो रहा है।

अत: अनुरोध है कि मार्च,1997 से नवम्बर,1998 तक की अनुसूची कभरिंग लिस्ट के साथ निश्चित रूप से अपने जिला के भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि लेखा उसके आधार पर अद्यतन किया जा सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए। [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-102/97-17039, दिनांक 29-12-1998.**]

83. ***विषय—भविष्य निधि अनुसूचियों को जिला भविष्य निधि कार्यालयों/भविष्य निधि कोषांग को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग : निदेशालय के पत्रांक 17039, दिनांक 29-12-1998, दिनांक 11-3-1998 एवं 3541, दिनांक 29-3-1997 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि आपसे भविष्य निधि से संबंधित अनुसूचियों को माह के समाप्ति पर कभरिंग लिस्ट के साथ जिला भविष्य निधि कार्यालयों/ भविष्य निधि कोषांग को भेजने का अनुरोध किया गया था । स्मारों के बावजूद आपके द्वारा अनुसूची उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप संपार्श्विक साक्ष्य (Collateral Evidence) के आधार पर लेखा निर्गत किया जा रहा है, जिसमें अनियमितता एवं अवैध निकासी की संभावना बनी रहती है ।

सरकार ने बिहार विधान मंडल में आश्वासन दे रखा है कि तीन माह के अन्दर भविष्य निधि लेखा सभी कर्मचारियों का अद्यतन कर दिया जाएगा । यह तभी संभव है, जब आप प्रतिमाह समय पर भविष्य निधि संबंधी अनुसूचियाँ जिला भविष्य निधि कार्यालयों/कोषांगों को उपलब्ध करा दें ।

अत: आपसे अनुरोध है कि माह, 1998 से फरवरी, 1999 तक की अनुसूची कभरिंग लिस्ट के साथ अविलम्ब जिला भविष्य निधि कार्यालयों/कोषांग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । साथ ही साथ उसके बाद के माह का अनुसूची भी यथासमय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए । **[*वित्त विभाग, पत्र सं० 3088, दिनांक 13-2-1999.]**

84. ***विषय—भविष्य निधि अनुसूचियों को भविष्य निधि निदेशालय/कोषांग/ जिला भविष्य निधि कार्यालयों में प्रेषण के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के निर्णय के आलोक में भविष्य निधि लेखा का संधारण अनुसूची के आधार पर करना है । संपार्श्विक साक्ष्य के कटौती विवरणी के आधार पर लेखा अद्यतन करने में अनियमितता एवं अवैध निकासी की आशंका बनी रहती है । भविष्य निधि निदेशालय द्वारा निर्गत पार्श्वांकित मार्गदर्शन पत्रों एवं स्मारों के बावजूद भी अभी तक कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालयों को अनुसूची यथासमय उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिस कारण भविष्य निधि लेखा संधारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है ।

जिला पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने क्षेत्राधीन कोषागारों से भविष्य निधि अंशदाताओं के शिड्यूल को भविष्य निधि कार्यालयों को हस्तगत करना एवं साथ ही सरकारी सेवकों के निर्दिष्ट भविष्य निधि लेखा संख्या अन्तर्गत पोस्टिंग कराना सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य को ठीक से एक समय सीमा के अन्दर पूरा किया जा सके ।

अत: अनुरोध है कि सभी जिला कोषागारों द्वारा-मार्च, 1998 से फरवरी, 1999 तक की अनुसूची कभरिंग लिस्ट के साथ अविलम्ब जिला भविष्य निधि कार्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । अग्रेतर कार्यकरण के निमित्त उसके बाद के माहों की अनुसूची भी यथासमय उपलब्ध कराने की प्रणाली अनवरत् जारी रखने हेतु कृपया ठोस व्यवस्था कर ली जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-402/97-5094, दिनांक18-5-1999.**]

85. ***विषय—मुख्य लेखा शीर्ष 2054-राजकोष और लेखा प्रशासन-800-अन्य व्यय लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय उप-शीर्ष भविष्य निधि लेखा संधारण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में निधि का आवंटन।**

निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रथम चार माह के व्यय हेतु संलग्न सूची के अनुसार जिला भविष्य निधि कार्यालय/सहायक निदेशक, सचिवालय भविष्य निधि कोषांग, पन्त भवन, पटना को राशि आवंटित की जाती है ।

2. आवंटित राशि उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/निदेशों के अधीन विकलित होगी । एक माह में उपर्युक्त आवंटन के एक चौथाई की ही निकासी की जा सकती है, परन्तु किसी माह में निकासी न करने पर अगले माह उसे जोड़कर राशि की निकासी की जा सकेगी ।

3. व्यय की मासिक विवरणी विहित प्रपत्र में प्रतिमाह भेजी जाय । [***वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ०-1-219/97-4192, दिनांक15-4-1997.**]

86. ***विषय—प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के राजकीयकरण के फलस्वरूप उनके वेतन एवं स्थापनादि व्यय का कोषागार से भुगतान की व्यवस्था एवं उनके भविष्य निधि लेखा का संधारण।**

प्रसंग : (1) शिक्षा विभाग के निर्गत राज्यादेश संख्या जी/एम 7-035/76-3384, दिनांक 31-7-1976

(2) शिक्षा विभाग के निर्गत राज्यादेश संख्या जी/एम 7-035/76-3569, दिनांक 1-8-1976

(3) शिक्षा विभाग के निर्गत राज्यादेश संख्या जी/एम 7-035/76-4493, दिनांक 10-12-1976

(4) शिक्षा विभाग के निर्गत राज्यादेश संख्या जी/एम 7-035/76-4494, दिनांक 10-12-1976

(5) वित्त विभाग के निर्गत अध्यादेश संख्या बी०टी०ई० 129/76-1296, दिनांक 31-8-1976.

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त राज्यादेशों के द्वारा बिहार गैर-सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अध्यादेश, 1976 के प्रख्यापित हो जाने से बिहार के सभी राजकीयकृत प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाएँ विधिवत् सरकारी हो जाने के फलस्वरूप उनके वेतनादि का भुगतान सीधे कोषागार से करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है और अन्ततः यह आदेश दिया गया है कि उक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतनादि की निकासी 1-12-1976 से लागू होगी । राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग से निर्गत उपर्युक्त चारों राज्यादेशों के द्वारा निर्गत आदेशों पर समेकित रूप से पुनः विचार कर एवं उनमें आवश्यकतानुसार परिमार्जन कर राजकीयकृत प्रारंभिक एवं मध्य

विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि उनकी भविष्यनिधि एवं उन विद्यालयों के अन्य व्ययों के भुगतान की निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की है :—

(1) जिला भर के सभी शिक्षकों के वेतनादि की निकासी जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे इसके लिये वे संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किए जाते हैं।

(2) शिक्षकों के वेतनादि का विपत्र प्रखंड क्रम से बनेगा । जिन प्रखंडों में एक से अधिक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पदस्थ हैं, वहाँ संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन विपत्र चार प्रतियों में तैयार करेंगे और वरीय अथवा वरीयतम प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पूरे प्रखंड के विपत्र को एक साथ एकत्र कर, जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में भेजेंगे ।

(3) संकुल जिलों में सहायक क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी इस तरह का विपत्र तैयार करेंगे ।

(4) नगरपालिका क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन विपत्र भी उसी प्रकार अवर विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सहायक क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी तैयार करेंगे । जहाँ नगरपालिका, प्रखंड विशेष के अन्तर्गत पड़ता हो वहाँ नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र के शिक्षकों का विपत्र प्रखंड के अन्य शिक्षकों के साथ तैयार किया जाएगा । जहाँ नगरपालिका (पटना नगर निगम सहित) किसी प्रखंड विशेष में नहीं पड़ता हो, वहाँ नगरपालिका/पटना नगर निगम क्षेत्र का विपत्र अलग से तैयार किया जाएगा ।

(5) विपत्र चार प्रतियों में तैयार होंगे । एक प्रति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक/सहायक क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अपने पास रखेंगे और तीन प्रतियाँ जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में अंपने हस्ताक्षर के साथ भेजेंगे ।

(6) प्रखंडों एवं नगरपालिकाओं के माह विशेष का विपत्र उसी माह की 5वीं तारीख तक तैयार किया जाएगा तथा ऐसे विपत्रों की प्रतियों को जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालयों में 10वीं तारीख तक भेजा जाएगा ।

(7) इन विपत्रों की जाँच जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में की जाएगी और संबंधित कोषागार में 15वीं तारीख तक उसे प्रस्तुत किया जायेगा ।

(13) अभी कुछ प्रखंडों एवं नगरपालिकाओं में शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान बैंक नियम से होता है । ऐसे मामलों में चेक/बैंक ड्राफ्ट विस्तृत विवरण के साथ अभी सम्बन्धित भेज दिए जाते हैं और वेतन की राशि का अंकन शिक्षक विशेष के खाते में बैंक के द्वारा भेज दिया जाता है । ऐसे प्रखंडों एवं नगरपालिकाओं में वेतनादि का भुगतान पूर्ववत् बैंकों के माध्यम से किया जायगा । परन्तु इन मामलों में भी जिला शिक्षा अधीक्षक सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पदनाम से ही बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करेंगे और उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उन पदों को पाने पर सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें विस्तृत विवरण के साथ उस बैंकों को पृष्ठांकित कर देंगे, ताकि सम्बन्धित शिक्षकों के वेतन उनके नाम से खोले गए खातों में जमा हो सके । ऐसे मामलों में विस्तृत विवरण की दो प्रतियाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भेजी जायगी और उनमें से एक प्रति को प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर तिथि आदि नोट कर अपने कार्यालय में रखेंगे ।

(14) शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का यात्रा भत्ता विपत्र कोषागार प्रपत्र संख्या तैयार किया जाएगा। कोषागार से अन्य सभी प्रकार की निकासी एवं वितरण के मामले उसकी प्रक्रियायें लागू होंगी जो इस राज्य के अन्य स्थापना एवं अराजपत्रित सेवकों के मामले में हैं और जिसकी प्रक्रिया बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली में किया गया है।

(15) शिक्षकों के भविष्य निधि लेखा का संधारण

(क) वेतन विपत्र बनाने वाले प्रारंभिक पदाधिकारी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रथम वेतन विपत्र के समय ही शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से भविष्य निधि में आवंटन हेतु चार प्रतियों में आवेदन पत्र तथा मनोनयन पत्र सही रूप में भरकर प्राप्त करें तथा उन्हें प्रथम विपत्र के साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक के पास भेज देंगे। प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग जिला का संकेत (Symbol) परिशिष्ट में संलग्न किया जा रहा है। जिला शिक्षक अधीक्षक अपने जिला के संकेत चिह्न(Symbol) के आगे लेखा संबंधी क्रमबद्ध रूप से आवंटित कर सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या से सम्बन्धित आवेदन एवं मनोनयन पत्रों की सभी प्रतियों पर अंकित कर देंगे।

(ख) उपर्युक्त भविष्य निधि लेखा संख्या के आवंटन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिला के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची तीन प्रतियों में तैयार कर क्रमबद्ध रूप से लेखा संख्या आवंटित कर दें एवं उसी लेखा संख्या को सम्बद्ध शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से भविष्य निधि लेखा संख्या के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर अंकित कर देने के अतिरिक्त उसके वेतन विपत्र के साथ संलग्न सामान्य भविष्य निधि अंशदान संबंधी अनुसूची में भी अंकित कर देंगे और तत्पश्चात् उस प्रथम वेतन विपत्र को कोषागार में पारित होने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

(ग) भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन तथा मनोनयन पत्रों की चारों प्रतियों में से एक प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक वेतन विपत्र बनाने वाले प्रारंभिक पदाधिकारी के पास अविलंब भेज देंगे ताकि उसके आधार पर आगे के वेतन विपत्रों के साथ संलग्न भविष्य निधि अंशदान संबंधी अनुसूची में लेखा संख्या अंकित हो सके।

(घ) वेतन विपत्रों को भुगतान के लिए पारित करते समय कोषागार पदाधिकारी भविष्य निधि अंशदान की संलग्न अनुसूची पर निम्नांकित प्रमाण-पत्र अंकित कर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर तथा मोहर साफ एवं विधिवत् रूप से लगा देंगे :—

"भविष्य निधि अंशदान की ये सम्पूर्ण राशियाँ वेतन से काटकर मुख्य शीर्ष "805 राज्य भविष्य निधियाँ" में आकलित कर दी गयी है।

कोषागार पदाधिकारी

(ङ) कोषागार के द्वारा वेतन विपत्र के पारित होकर प्राप्त हो जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक भविष्य निधि अंशदान की उपर्युक्त अनुसूची निकालकर तत्काल अपने व्यक्तिगत संरक्षण में अपने कार्यालय में बन्द रखेंगे।

(च) राजकीय आदेश संख्या 4493, दिनांक 10-12-1976 के द्वारा राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संधारण के कार्य के सम्बन्ध में वह विस्तृत राजकीय आदेश निर्गत करेंगे । जब तक अंतिम निर्णय की सूचना नहीं होती तब तक प्रत्येक जिला शिक्षा अधीक्षक को यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जिससे वे भविष्य निधि लेखा संख्या, आवंटन आवेदन पत्र, मनोनयन पत्र अपने जिला के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आवंटित भविष्य निधि लेखा संख्या को सम्पूर्ण क्रमबद्ध सूची तथा कोषागार पदाधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अभिप्रमाणित अनुसूची की मूल प्रति को निकालकर तत्काल अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखें । लेखा-संधारण के कार्य के सम्बन्ध में उपर्युक्त अंतिम आदेश संसूचित होने पर प्रत्येक जिला शिक्षा अधीक्षक उपर्युक्त सभी कागजात को भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य के विहित प्राधिकार को समर्पित कर देंगे और उसके लिए आवश्यक रसीद प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे ।

(16) नवम्बर, 1976 तक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भविष्य निधि की सम्पूर्ण जमा राशि को, जो अभी डाक घर में जमा है, प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के अंतर्गत राज्य खाते में स्थानान्तरित कर देने की व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा 31-3-1977 तक अवश्य कर दी जायगी ।

(17) विभिन्न जिला शिक्षक कोषों में अनावर्त्तक मद की अवशेष राशियों में से आवश्यकता अनुसार 30-6-1977 तक खर्च किया जा सकता है और उस तिथि के बाद जो राशि खर्च होने से बच जाय उसे बिहार कोषागार संहिता भाग 1 के नियम 570 की टिप्पणी 1 के अनुसार अन्तत: तिथि 15-7-1977 राजकीय कोष में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाय । चालू वित्तीय वर्ष में अब अनावर्त्तक मद में जैसे भवन निर्माण एवं उपस्कर आदि से संबंधित आवंटन जिला शिक्षा अधीक्षक को नवीन प्रक्रिया के अनुसार दिया जायगा ।

(18) शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान के लिए गैर योजना तथा योजना दोनों मदों में राशि स्वीकृत की जाती है और आगे भी तद्नुसार आवंटन किया जायगा । शिक्षकों के पदों के सम्बन्ध में अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न जिला में कौन से शिक्षक गैर- योजना एवं योजना मदों में स्वीकृति मदों में स्वीकृति मदों के विरुद्ध कार्यरत् है । इससे तत्काल विपत्र में बजट वर्गीकरण में गैर-योजना एवं योजना शब्द उल्लेख करना संभव नहीं है । इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 1977 तक प्रखंड क्रम से शिक्षकों के जो वेतन विपत्र तैयार होंगे उन विपत्रों में योजना एवं गैर-योजना का उल्लेख नहीं रहेगा । विपत्रों में तत्काल "277 शिक्षा-क-प्राथमिक राजकीय-प्राथमिक विद्यालय-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय" अंकित रहेगा तथा प्रथम विपत्र के साथ परिशिष्ट 3 में दिये गये निदेश के अनुसार तालिका एवं प्रमाण-पत्र संलग्न रहेगा ।

कोषागार से निकासी की गयी राशियों से संबंधित विपत्रों के आधार पर जिला शिक्षा अधीक्षक योजना तथा गैर-योजना के अन्तर्गत स्वीकृत शिक्षक के पदों के अनुसार निकासी किये गये वेतन की राशियों का कोषागार प्रमाणक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए एक विवरण महालेखाकार को प्रत्येक अगले माह के पन्द्रहवीं तारीख तक प्रस्तुत करेंगे जिसमें निकासी की गई कुल राशि को योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय में बाँटकर अलग-अलग दिखाया जायगा, ताकि प्रत्येक विपत्र की पूर्ण राशि दो हिस्सों में बाँटकर दोनों का योग निकासी की गई राशि के बराबर हो जाये ।

योजना मद में स्वीकृत शिक्षकों के पदों एवं वेतनमान का विवरण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मार्च, 1977 तक अवश्य तैयार कर लिया जाये, ताकि अप्रील, 1977 से योजनामद के शिक्षकों के वेतन की राशि की निकासी योजना शीर्ष के अन्तर्गत अलग से की जा सके।

(19) राज्यादेश संख्या 3384, दिनांक 31-7-1976 में स्वीकृति 24,37,22,500 रु० (चौबीस करोड़ सैंतीस लाख बाइस हजार पाँच सौ रुपये) का आवंटन एवं पुनर्विनियोग कायम रहेगा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक उसका उपयोग शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर भुगतान आदि में करेंगे। [***पत्रांक जी/एम 7-035/76 शि० 65, दिनांक 8-1-1977.**]

87. ***विषय—प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण।**

प्रसंग : शिक्षा विभाग से निर्गत राज्यादेश संख्या जी-एम 7-035/76-3384, दिनांक 31-7-1976; 3369, दिनांक 1-9-1976; दिनांक 10-12-1976; 4494, दिनांक 10-12-1976; दिनांक 8-1-1977; 936, दिनांक 30-3-1977 तथा वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक ए 3-10104/75-8721, दिनांक 23-8-1976 एवं बी०टी०आई० 129/76-11296, दिनांक 31-8-1976।

निदेशानुसार प्रासंगित पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि राजकीयकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संधारण कार्य की प्रक्रिया आदि निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। विकेन्द्रीकरण की नीति एवं सभी प्रासंगिक व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु की सम्यक् समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत निदेशक, कोषागार एवं लेखा निदेशालय के सीधे नियंत्रण में जिला स्तर पर जिला लेखा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संधारण कार्य संपादित कराया जाय।

2. सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य में भी लेखा से सम्बन्धित अनुसूचियों को क्रमबद्ध रूप से जिला लेखा पदाधिकारी के पास भेजने का दायित्व चालू माह से जिला कोषागार पदाधिकारी का ही रहेगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत सभी वेतन विपत्रों से भविष्य निधि लेखा से संबंधित अनुसूचियों को पृथक कर अपने कोषागार से संबंधित सभी अनुसूचियों को एकत्र कर क्रमबद्ध रूप से संख्या आवंटित करके तथा मूलपत्र में संलग्न की संख्या स्पष्ट बताते हुए उन्हें अपने जिलों के लेखा पदाधिकारी के नाम मुहरबंद लिफाफे में भेजवा दें, जहाँ लेखा का संधारण होगा। साथ ही इस संबंध में प्रतिमाह की गई कार्रवाई की विस्तृत सूचना निदेशक, कोषागार एवं लेखा, वित्त विभाग को निर्बाधित डाक से भेजने की कृपा करें।

4. साथ ही यह भी अनुरोध है कि जिला शिक्षा अधीक्षकों से सम्पर्क स्थापित करके उनके कार्यालय से उपलब्ध पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित भविष्य निधि लेखा अनुसूचियों को प्राप्त कर

लिया जाए एवं यथा निदेशित उन अनुसूचियों को यह भी सुव्यवस्थित रूप से जिला लेखा पदाधिकारी के नाम मोहरबंद लिफाफे में भेज दें तथा उसकी भी सूचना निदेशक कोषागार एवं लेखा, वित्त विभाग को निबंधित डाक से भेजने की कृपा करें।

5. इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना महालेखाकार बिहार/सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों एवं शिक्षा विभाग को दी जा रही है। लेखा संधारण सम्बन्धी विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है जो प्रस्तुत सरकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावकारी होगा।

6. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें। [***पत्र संख्या 1/एम-1-60/154/77/9403, दिनांक 26 सितम्बर, 1978.**]

88. ***विषय—राजकीय माध्यमिक, मध्य एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण।**

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि राजकीयकृत माध्यमिक, मध्य और प्राथमिक (प्रारंभिक) विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण संबंधी पूर्व के सभी आदेश अवक्रमित किये जाते हैं।

2. प्रक्रिया प्रारूप में दिनांक 17-7-1984 को वित्त आयुक्त के समक्ष लिखित आपने सहमति प्रदान की थी।

परिशिष्ट

राजकीय माध्यमिक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण नियमावली—

मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों का राजकीयकरण दिनांक 1-12-1976 से हुआ है तथा दिसम्बर, 1976 माह से इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि का अंशदान काटा जा रहा है। नवम्बर, 1976 तक इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान जमा किया जा रहा था। माध्यमिक विद्यालयों को दिनांक 2-10-1980 से राजकीयकृत किया गया है। परन्तु उनके भविष्य निधि का अंशदान अभी भी पोस्ट ऑफिस के पासबुक में जमा हो रहा है। अक्तूबर, 1980 के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा भी अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान जमा किया जा रहा है। वित्त विभाग के पत्रांक एम/4-6/80 पार्ट 9603, दिनांक 24-8-1981 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा यह निर्णय लिया था कि आन्तरिक और स्थायी व्यवस्था के रूप में दिनांक 1-12-1976 से जब तक स्थायी व्यवस्था लागू नहीं की जाती है तब तक जिला शिक्षा अधीक्षक मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेखा संधारण करेंगे और अंशदाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष का स्लीप दिया करेंगे। माध्यमिक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है—

2. प्रत्येक जिले में राजकीयकृत माध्यमिक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिरिक्त पदाधिकारी एवं

कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करवाना शिक्षा विभाग की आन्तरिक व्यवस्था होगी तथा इसके लिए कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा।

3. भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग चिह्न की सूची अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है।

4. भविष्य निधि में प्रवेश के लिए प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को अनुसूची 53 फारम संख्या 201 में आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा। आवेदन पत्र की दो प्रतियों में देना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी संख्या आवंटित कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अंशदाता की सूची एक पंजी में संधारित करेंगे।

5. लेखा संख्या आवंटित करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उस तिथि के पूर्व लेखा संख्या आवंटन कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी को समाप्त कर देना होगा। निर्धारित तिथि से मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विपत्र के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नये लेखा संख्या अंकित कर भविष्य निधि अनुसूची तैयार करेंगे तथा वेतन विपत्र के साथ उसकी दो प्रतियाँ संलग्न करेंगे।

6. मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन से दिसम्बर, 1976 से निर्धारित तिथि के पूर्व तक भविष्य निधि में काटी गयी राशि की मासिक विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार कर जिला शिक्षा अधीक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज देंगे। दिसम्बर, 1976 के पूर्व अंशदायी भविष्य निधि में जमा की गयी राशि की निकासी जिला शिक्षा अधीक्षक कर लेंगे तथा सम्बन्धित कर्मचारी का निजी अंशदान सूद सहित "805-राज्य निधियों-क-सिविल सामान्य भविष्य निधि" राशि में जमा करेंगे एवं सरकारी अंशदान सूद सहित "077-शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा" मद में जमा कर देंगे। दोनों चालान की मूल प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा कर देंगे। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पास बुक में जमा राशि की निकासी निर्धारित तिथि को अंशदान सूद सहित "805-राज्य भविष्य निधियाँ-क-सिविल-सामान्य-भविष्य निधि" शीर्ष में जमा कर देंगे तथा प्रबन्ध समिति/सरकारी अंशदान सूद सहित "077-शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा" शीर्ष में जमा करेंगे।

7. वेतन विपत्र के साथ प्राप्त अनुसूची की एक प्रति भुगतान अनुसूची तैयार करते समय कोषागार पदाधिकारी वेतन विपत्र को हटा लेंगे तथा अनुसूची को प्रमाणित कर तथा उस पर कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि अंकित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। एक प्रतिवेदन विपत्र के साथ महालेखाकार के कार्यालय में भेज दिया जायेगा।

8. भविष्य निधि अनुसूची कोषागार से प्राप्त होते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी महालेखाकार द्वारा व्यवहार किए जा रहे लेजर में व्यक्तिवार लेखा संधारित करेंगे। लेजर कार्ड की एक प्रति अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है। लेजर कार्ड में प्रविष्टि आरम्भ करने के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक से प्राप्त वार्षिक विवरणी का लेखा सूद सहित लेजर कार्ड में दर्ज कर लेंगे एवं चालान द्वारा "805-सामान्य-भविष्य-निधियाँ" मद में जमा की गयी राशि भी दर्ज कर लेंगे। "079शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा" में जमा की गयी राशि के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भी लेजर कार्ड में दर्ज

कर लेंगे एवं "077-शिक्षा-माध्यमिक-शिक्षा" मद में जमा की गयी राशि के सम्बन्ध में लेजर कार्ड में एक प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे।

9. भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी सम्बन्धी विपत्र के साथ अनुबंध 3 में विहित प्रपत्र में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुसूची संलग्न की जाएगी। भुगतान-1 अनुसूची तैयार कर लेने के पश्चात् कोषागार अनुसूची विपत्र से निकाल कर कोषागार पदाधिकारी उस पर कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि अंकित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज देंगे।

10. जमा राशि की वार्षिक विवरणी प्रत्येक अंशदाता को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसी प्रपत्र में दिया जाएगा जिस प्रपत्र में महालेखाकार अंशदाताओं को देते हैं। प्रपत्र की एक प्रति अनुबंध4 के रूप में संलग्न है।

11. सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करना मनोनयन, निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं अन्तिम निकासी के लिए बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं कोषागार संहिता के नियम लागू होंगे उनमें विहित प्रपत्र व्यवहार में लाये जायेंगे।

परन्तु निधि से अन्तिम निकासी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत कर लिया जाएगा। प्राधिकार पत्र के प्रपत्र की प्रति अनुबंध5 के रूप में संलग्न है।

12. किसी अंशदाता को अन्तिम निकासी प्राधिकृत करते समय बन्द लेखा पंजी में प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी। बन्द लेखा पंजी के प्रपत्र का नमूना अनुबन्ध5 के रूप में संलग्न है।

13. यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण जिला के अन्तर्गत हो जाए तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम प्रमाण-पत्र की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी देंगे, जिससे जिला शिक्षा पदाधिकारी को अंशदाता के स्थानान्तरण की प्रमाणित जानकारी प्राप्त हो जाए।

14. यदि किसी अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में हो जाए तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र की प्रति दोनों जिला के शिक्षा पदाधिकारी को देंगे।

15. जिस जिला से अंशदाता का स्थानान्तरण दूसरे जिला में हो, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अंशदाता के लेखा संख्या एवं पिछले वित्तीय वर्ष तक जमा राशि की सूचना एवं चालू वर्ष में मासिक जमा एवं निकासी की सूचना नये जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। इसके लिए अनुबन्ध7 के रूप में विहित प्रपत्र व्यवहार में लाया जाएगा। स्थानान्तरण की सूचना अपने अभिलेख में भी दर्ज कर लेंगे।

16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी अंशदाताओं के लेखा में आकलित सूद के योग की सूचना सहायक निदेशक, शिक्षक भविष्य निधि, वित्त विभाग, बिहार को देंगे। सभी जिला से सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक, सूद की जिलावार विवरणी महालेखाकार को प्रेषित करेंगे।

17. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेखा आवंटित करने से पूर्व सेवानिवृत्त अथवा मृत, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि से अन्तिम निकासी शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित औपबन्धिक लेखा संख्या जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा

तैयार की गई मासिक विवरण के आधार पर होगी । इन्हें अन्तिम भुगतान उसी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्राधिकार पत्र पर होगा जिस जिला में वे सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय कार्यरत थे । जिला शिक्षा पदाधिकारी इनके लिए अलग बन्द लेखा पंजी रखेंगे । नियम 5 में उल्लिखित प्रक्रिया इन कर्मचारियों पर भी लागू होगी । जिला शिक्षा अधीक्षक से प्राप्त सूचनाएँ जिला शिक्षा पदाधिकारी एक अलग पंजी में अभिलिखित करेंगे । पंजी का प्रपत्र अनुबन्ध8 के रूप में संलग्न है । अन्तिम निकासी में सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम भी लागू होंगे ।

18. सहायक निदेशक, शिक्षक-भविष्य निधि, वित्त विभाग समय-समय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संधारित लेखा एवं इससे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों की जाँच किया करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन आयुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग एवं सचिव वित्त विभगा को देंगे । इसके लिए कार्यक्रम अलग से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

अनुबन्ध

Name of Division	Name of District	Symbol
Patna	Patna	(P) PTN 1-0
	Nalanda	(P) NLA 2-0
	Bhojpur	(P) BJR 3-0
	Sasaram	(P) SRM 4-0
Gaya	Gaya	(G) GYA 5-0
	Nawada	(G) NWA 6-0
	Aurangabad	(G) AGD 7-0
South Chhotanagpur (Ranchi)	Ranchi	(R) RNI 8-0
	Lohardaga	(R) LDA 9-0
	Gumla	(R) GMA 10-0
	Daltonganj	(R) DTJ 11-0
	Chaibasa	(R) CBA 12-0
	Jamshedpur	(R) JDR 13-0
North Chhotanagpur (Hazaribagh)	Hazaribagh	(H) HJG 14-0
	Dhanbad	(H) DBD 15-0
	Giridih	(H) GDH 16-0
Bhagalpur	Bhagalpur	(B) BPR 17-0
	Godda	(B) GDA 18-0
	Sahebganj	(B) SBG 19-0
	Dumka	(B) DMA 20-0
	Monghyr	(B) MGR 21-0
	Khagaria	(B) KGA 22-0
	Deoghar	(B) DGR 23-0

Kosi Division	Saharsa	(K) SHA 24-0
	Madhepura	(K) MEA 25-0
	Katihar	(K) KTR 26-0
	Purnea	(K) PNA 27-0
Darbhanga Division	Darbhanga	(D) DBA 28-0
	Madhubani	(D) MBI 29-0
	Samastipur	(D) STR 30-0
	Begusarai	(D) BRI 31-0
Muzaffarpur	Muzaffarpur	(M) MFR 32-0
	Vaishali	(M) VIS 33-0
	Sitamarhi	(M) SMI 34-0
	Betiah	(M) BIH 35-0
	Motihari	(M) MTI 36-0
Saran	Saran	(S) SRN 37-0
	Gopalganj	(S) GPJ 38-0
	Siwan	(S) SWN 39-0

[*पत्रांक23/वि॰1-018/80-740, दिनांक 19-7-1984.]

89. ***विषय—राजकीयकृत माध्यमिक और राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभागीय पत्रांक 23/वि॰ 1-018/80 शि॰-740, दिनांक 19 जुलाई, 1984 द्वारा राजकीय माध्यमिक और राजकीय माध्यमिक और राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संधारण हेतु नई प्रक्रिया लागू की गई है।

2. इस प्रक्रिया के अधीन लेखा का संधारण जिला शिक्षा पदाधिकारियों को करना है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराना आवश्यक है। सरकार के निर्णयानुसार नये पद सृजित नहीं किए जायेंगे। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्तमान बल में से ही विभाग को व्यवस्था करनी है।

3. नियमावली में किए गये इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों द्वारा कराया जाएगा। किन्तु प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य शिक्षा जिला अधीक्षकों के कार्यालय में पदस्थ लिपिकों से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा जिनकी सेवाएँ उन्हें उपलब्ध प्रतिनियोजन के आधार पर की जायेंगी। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय से प्रति 2,000 शिक्षक पर एक लिपिक की दर से लिपिकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्रतिनियोजित कर दिए जाएँ। यह भी निर्णय लिया गया है कि उनके कार्य के पर्यवेक्षक हेतु शिक्षा-उपाधीक्षक भी प्रतिनियोजित कर दिए जायें।

4. ये उपाधीक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में गठित भविष्य निधि कोषांग प्रभारी होंगे।

5. प्रतिनियोजित लिपिक तथा शिक्षा उपाधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियन्त्रण कार्य करेंगे। उनके वेतनादि का भुगतान प्रतिनियोजितावस्था में अनुपस्थिति विवरण के आधार पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे।

6. विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, लेखा संधारण हेतु प्रतिनियोजित किये जाने वाले लिपिकों की संख्या तथा प्रतिनियोजित किए जाने वाले शिक्षा उपाधीक्षकों की संख्या संलग्न विवरणी में अंकित है।

7. अत: अनुरोध है कि आप दिनांक 30-09-1984 तक लिपिकों एवं शिक्षा उपाधीक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रतिनियोजित कर दें तथा उनकी एक सूची श्री बन्धु प्रसाद, उप शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना के नाम से 15-10-1984 तक अवश्य भेज दें। **[*पत्रांक 23/भ 1-075/84 शि०-947, दिनांक 12-10-1984.]**

90. ***विषय—राष्ट्रपति का आदेश।**

नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (1971 का 56) की धारा 10 की उपधारा (1) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, एतद् द्वारा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को बिहार राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है।

2. यह आदेश 1986-87 के लेखाओं से प्रभावी होगा। **[*राष्ट्रपति के आदेश की प्रतिलिपि संख्या एफ०-1 (3)-पी (ए०सी०)-86, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 7-3-1986.]**

91. ***विषय—भविष्य निधि निदेशालय, सचिवालय कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को सम्बोधित अनुदेश।**

भविष्य निधि निदेशालय का यह स्पष्ट आदेश है कि महालेखाकार से प्राप्त भविष्य निधि लेखा को प्राप्ति के क्रमानुसार उनमें हिसाब का अन्तिम भुगतान करने की कार्रवाई की जाए। जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों का लेखा में किसी तरह की त्रुटि नहीं है, उनकी लेखा से अंतिम भुगतान हेतु सूद आदि की गणना कर महालेखाकार से प्राप्ति तिथि के क्रमानुसार निदेशक को उचित माध्यम से उपस्थापित किया जाए। क्रमानुसार उपस्थापित करने में व्यतिक्रम तभी हो सकता है जब निदेशक का या उपनिदेशक का किसी मामले में अंशदाता की आकस्मिक आवश्यकता देखकर लेखा उपस्थापित करने हेतु स्पष्ट आदेश दिया गया हो।

2. महालेखाकार से प्राप्त लेखों में यदि कोई त्रुटि हो, उन्हें दूर करने हेतु प्राप्ति की तिथि से दो तीन दिनों के अन्दर अवश्य कार्रवाई कर ली जाए और ऐसे मामलों में जिनमें त्रुटि सबसे पहले दूर कर दी गई हो उन मामलों को त्रुटि दूर करने के क्रमानुसार उनमें अन्तिम भुगतान की कार्रवाई की जाए।

3. जिन मामलों में लेखा सब तरह से दुरुस्त हो, वैसे मामलों में अधिक से अधिक महालेखाकार अथवा अंशदाता से प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निदेशक/उपनिदेशक को

उचित माध्यम से अवश्य प्रस्तुत किया जाय तथा उनका आदेश प्राप्त कर प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाए।

4. सम्बन्धित सँचिका की टिप्पणी में निम्नांकित बातों का स्पष्ट उल्लेख हो, ताकि निदेशक को इस बिन्दु पर आश्वस्त होने में कठिनाई नहीं हो कि अन्तिम भुगतान हेतु सँचिकाएँ (First come first served) के अनुसार निष्पादित हो रही हैं :—

(क) महालेखाकार से प्राप्ति की तिथि का उल्लेख।

(ख) अंशदाता द्वारा 1982-83 से आगे तथा महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी सूचना देने की तिथि का उल्लेख।

(ग) टिप्पणी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए कि इस अंशदाता के पूर्व प्राप्त मामले जिनमें त्रुटि रह गई है, वे ही केवल अन्तिम भुगतान हेतु लम्बित है।

5. लम्बित मामलों में त्रुटि निराकरण हेतु महालेखाकार/प्रशासी विभाग/कोषागार पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अंशदाता को यदि पत्र लिखा गया है और उनमें 10 दिनों तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुए हैं, वैसी हालत में सम्बन्धित पदाधिकारी अथवा अंशदाता को स्मार-पत्र निश्चित रूप से एक पक्ष के बीतने के दो-तीन दिनों के अन्दर भेज दिया जाए। स्मार-पत्र भेजने के लिए विभागवार सूची बनाकर एक स्मार-पत्र में एक विभाग के तमाम लम्बित मामलों की ओर सम्बन्धित पदाधिकारी का ध्यान अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से आकृष्ट करने में सुविधा होगी।

6. महालेखाकार के कार्यालय से जो लेखापाल अथवा प्रशाखा पदाधिकारी निदेशालय अथवा कोषागार में कार्यरत हैं वे भी अन्तिम भुगतान सम्बन्धी संचिका निदेशक को उपस्थापित करने के पूर्व इस बिन्दु पर अवश्य आश्वस्त हो लेंगे कि क्रमानुसार अन्तिम भुगतान हेतु सँचिकायें उपस्थापित की जा रही हैं।

7. यदि लिपिक द्वारा की गई सूद की गणना में आँकड़ों सम्बन्धी भूल पाई जाय तो भूल ठीक करने के बाद सम्बन्धित लिपिक को दिखला दिया जाय और उनका हस्ताक्षर करा लिया जाय, ताकि भविष्य में वैसी भूल नहीं करें। सँचिकाओं में हिसाब करने वाले लिपिकों/लेखापालों तथा प्रशाखा पदाधिकारियों का हस्ताक्षर साफ रहे जिससे कि सम्बन्धित कर्मचारियों/पदाधिकारियों को निर्दिष्ट किया जा सके।

(सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे भी महालेखाकार से भी प्राप्त लेखा में अन्तिम भुगतान हेतु उपर्युक्त आदेशानुसार कार्रवाई करें।) [*पत्र सं० 2142 भ०नि० (3), दिनांक 17-7-1987.]

92. ***विषय—शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि से अंतिम निकासी के सम्बन्ध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 740, दिनांक 19-7-1984; 229, दिनांक 25-9-1988; 2009, दिनांक 4-7-1989; भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के पत्रांक 100, दिनांक 2-9-1986; 477, दिनांक 29-10-1986; 4076, दिनांक 25-8-1989; 1247, दिनांक 17-2-1990; 3373, दिनांक 6-5-1988, विभागीय पत्रांक 1376, दिनांक 30-4-1990 एवं 2928, दिनांक 27-8-1991।

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि का संधारण सरकारी सेवकों की तरह 1-4-1986 से जिला भविष्य निधि कोषांग द्वारा किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार आपसे अनेकों बार अनुरोध किया गया है कि शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि से संचित राशि के अन्तशेष अद्यतन कर 1-4-1986 के संधारण हेतु जिला भविष्य निधि कोषांग को अविलम्ब समर्पित कर दें। 1-4-1986 के पूर्व सेवानिवृत्ति/मृत/पदत्याग/पदच्युत/सेवामुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना है।

2. स्मरणीय है कि भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 1247, दिनांक 17-2-1990 में भी उक्त बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख किया गया है कि मात्र मृत/पदत्याग और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर भविष्य निधि से अग्रिम लेने की परिस्थिति में उनके भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर हेतु विभाग को समर्पित करना है। अन्य मामलों में नियोजन पदाधिकारी को जिला भविष्य निधि कोषांग में भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र समर्पित करना है। उक्त पत्र की प्रति आपको भी प्रेषित की गई थी। सेवानिवृत्ति के जिला से भिन्न कोषागार में भुगतान की स्थिति में भी सीधे विभागाध्यक्ष को भेजना है।

अत: अनुरोध है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम का दृढ़ता से पालन करें। [***पत्रांक 23/भ०-032/89 भा० 3510, दिनांक 28 दिसम्बर, 1992.**]

93. ***विषय—राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि की अंतिम निकासी के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्रांक 847, दिनांक 3-9-1985 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में अभी तक भविष्य निधि की अंतिम निकासी का प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि मामले के निष्पादन में आपके स्तर पर विलम्ब किया जा रहा है जो उचित नहीं है। सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन/भविष्य निधि आदि मामलों में अनावश्यक विलम्ब वांछनीय नहीं है। अत: आपको पुन: आदेश दिया जाता है कि भविष्य निधि की अंतिम निकासी का प्रस्ताव अविलम्ब विभाग में भेजें। [***पत्रांक 23/भ० 3-01/3 वि० 221, दिनांक 18-2-1986.**]

94. ***विषय—राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक 418, दिनांक 21-11-1984 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभागीय परिपत्र संख्या 740, दिनांक 19-7-1984 की कंडिका 11 में राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अनुसार स्वीकृत करने का निदेश है। इसके अन्तर्गत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम भी आता है।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र 1244, दिनांक 5-10-1972 में वित्त विभाग की सहमति से ही अप्रत्यर्पणीय अग्रिम स्वीकृत करने का निदेश है जो प्रशासी विभाग द्वारा ही किया जायेगा ।

3. अत: उक्त परिपत्र के आलोक में राजकीयकृत प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से की जायेगी । [***पत्रांक 23/भ 2022/85 शि० 213, दिनांक 20-2-1985.**]

95 ***विषय—राजकीय प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्रांक 740, दिनांक 19-7-1984 के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम पदाधिकारी है ।

2. इसके सम्बन्ध में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से प्रथम अस्थायी अग्रिम नियमानुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा तथा राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायगा । उक्त दोनों कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से द्वितीय एवं तृतीय अस्थायी अग्रिम सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया जायगा । [***पत्रांक 761, दिनांक 12-8-1985.**]

96 ***विषय—भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने के सम्बन्ध में ।**

आपको ज्ञात ही है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से महालेखाकार से वापस ले लिया है । महालेखाकार के यहाँ अभी वित्तीय वर्ष 1981-82 तक का ही लेखा लिया गया है और वे सम्भवत: आपको 1981-82 का वार्षिक लेखा उपलब्ध करा चुके होंगे या शीघ्र ही करायेंगे । उसके बाद वित्तीय वर्ष 1982-83 से लेकर 1985-86 तक के लेखा का लिखा जाना भी राज्य सरकार को ही करना है । सम्भव है महालेखाकार से पुराने सिड्यूल प्राप्त कर लेखा अद्यतन करते समय बहुत से सिड्यूल नहीं मिल पायें, इसलिए लेखा अद्यतन करने में कठिनाई हो सकती है । इसलिए आपसे निवेदन करना है कि आप अपने सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचित कर दें कि वे कोषागार पदाधिकारी से भविष्य निधि में अपनी कटौती, अनिवार्य कटौती, अस्थायी अग्रिम भविष्य निधि की राशि की वापसी तथा भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम ली गई राशि, इन सब का ब्यौरा सम्पुष्ट कराकर विहित प्रपत्र में कोषागार पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ दो प्रतियों में वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 एवं

1985-86 चारों वर्षों का प्राप्त कर लें जिसकी एक प्रति वे अपने पास रख लें और एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास नाम से भेज दें, ताकि इन वर्षों के लेखा अद्यतन करते समय यदि कोई सिड्यूल नहीं प्राप्त हो तो भी उनके लेखा का अद्यतन किया जा सके और उनके खाते में हिसाब सही-सही मिल जाय। महालेखाकार ने प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में 1975-76 से 1981-82 तक के समेकित लेखा देने का वचन दिया है। यदि किसी के 1981-82 के पूर्व के लेखा में भी कहीं कोई प्रविष्टि छुटी हो या किसी को शंका हो कि उनकी सभी प्रविष्टियाँ ठीक से नहीं की गई है तो कृपया उन वर्षों का भी वे कोषागार पदाधिकारी से (जहाँ वे पदस्थापित रहे होंगे) इसी प्रपत्र में लेखा के प्रतिमाह आँकड़ों की सम्पुष्टि उनके हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ करा लें। कोषागार से उस अवधि में कितनी राँशि अस्थायी अग्रिम/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम ली गई उनके सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष के लिए आवश्यक है। इस पत्र की प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी इस निवेदन के साथ अग्रसारित की जा रही है कि राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर भविष्य निधि में प्रतिमाह उनके द्वारा जमा करायी गयी राशि एवं निकासी की राशि का विवरण टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ कोषागार के अभिलेखों को देखकर प्रमाणित कर कोषागार पदाधिकारी दो प्रति में दे देंगे।

प्रेषक .... सेवा में, कोषागार पदाधिकारी।

मैंने अपना वेतन आपके कोषागार से दिनांक .... से दिनांक .... तक शीर्ष .... से प्राप्त किया है। प्रत्येक माह नीचे दी गई राशि की कटौती अपने भविष्य निधि लेखा संख्या .... में अपने अंशदान, अनिवार्य कटौती एवं लिए हुए अग्रिम की वापसी में करायी है तथा नीचे लिखी हुई राशि अस्थायी अग्रिम के रूप में/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के रूप में ली है जिसका टी०भी० नं० एवं तिथि भी उसमें अंकित है। कृपया कोषागार के लेखा को देखकर इसे दो प्रति में सत्यापित कर मुझे उपलब्ध करा दें, ताकि लेखा का संधारण कराने में मुझे सुविधा हो।

विपत्र प्रपत्र

क्र०सं०	जमाकर्त्ता का नाम लेखा संख्या			कोषागार का नाम	
	माह का नाम	मूल वेतन	भविष्य निधि में अंशदान	भविष्य निधि में जीवन यापन भत्ता से अनिवार्य कटौती	अग्रिम की वापसी
1	2	3	4	5	6

शीर्ष जिससे भुगतान लिया गया है			टी०भी० नं० एवं तिथि	अभ्युक्ति
कटौती का कुल योग	कोई अस्थाई/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम ली है तो उनकी राशि	अन्य कटौतियाँ		
7	8	9	10	11

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर की विवरणी सही है तथा उपरोक्त अवधि में भविष्य निधि खाते से निकासी की गई सभी अस्थायी अग्रिम/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम को ऊपर दिखला दिया गया है।

कोषागार के अभिलेखों से मिलान कर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर की विवरणी सही है।

लेखापाल, कोषागार — आवेदक का हस्ताक्षर

कोषागार पदाधिकारी

[*वि०वि० पत्रांक 3510 वि० (2), दिनांक 5 मई, 1986.]

97 ***विषय—सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि पर अन्तिम भुगतान के समय छः महीने से अधिक अवधि तक सूद देना।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 14 (4) के अनुसार भविष्य निधि में संचित राशि पर अन्तिम भुगतान की तिथि तक या राशि भुगतान योग्य हो जाने के बाद छः महीने तक इसमें जो भी पहले हो, उस पर ही सूद देय है।

2. इस मामले में पूर्ण विचार के पश्चात् सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे मामले में जिसमें विलम्ब का कारण अंशदाता के नियंत्रण से बाहर हो तथा अंशदाता को सरकारी कार्यालय या महालेखाकार के कार्यालय में विलम्ब के कारण निर्धारित अवधि में भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान नहीं हुआ हो, ऐसे मामले में सूद की अवधि को छः महीने से एक वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।

3. यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। [*ज्ञाप सं० एम० 1-051/77/4026 वि०, दिनांक 8-4-1978.]

98 ***विषय—भविष्य निधि लेखों का अद्यतनीकरण।**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भविष्य निधि निदेशालय तथा जिला भविष्य निधि कोषांगों का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक अंशदाता का भविष्य निधि लेखा नियमित रूप से

प्रत्येक वर्ष अद्यतन होता रहे एवं उन्हें वार्षिक लेखा विवरणियाँ नियमित रूप से दी जायें। जैसा कि विदित ही है कि लेखा अद्यतनीकरण हेतु कोषागारों से प्राप्त अनुसूचियों के अलावा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ जिन्हें सम्पार्श्विक साक्ष्य कहा जाता है का प्रयोग होता है। स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कटौती एवं निकासी विवरणियाँ कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा एवं अन्य राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कटौती एवं निकासी विवरणियाँ सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाती है। नियमित रूप से अंशदाताओं के लेखा अद्यतनीकरण हेतु आवश्यक है कि ये सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ सम्बन्धित भविष्य निधि कोषांगों को नियमित रूप से उपलब्ध हो।

इस सन्दर्भ में आपका ध्यान इस बिन्दु की ओर आकृष्ट करना भी समीचीन प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति/पद रिक्ति/मृत्यु के बाद अंशदाताओं को भविष्य निधि में जमा उनकी राशि का अन्तिम भुगतान लम्बित हो जाता है और एक ही साथ पिछले कई वर्षों की कटौती एवं निकासी विवरणियों का प्राप्त करना एक दुरूह प्रक्रिया हो जाती है।

इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि अपनी स्थापना के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा अद्यतनीकरण हेतु निम्नांकित कार्रवाइयाँ करने की कृपा करें—

(I) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक सूची निम्नांकित प्रपत्र में बनाकर उसकी एक प्रति सम्बन्धित भविष्य निधि कोषांग को सौंप दें—

क्रमिक संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	लेखा संख्या		जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	किस वर्ष तक लेखा अद्यतन हो चुका है
		नई	पुरानी			
1	2	3	4	5	6	7

यह सूची प्राप्त हो जाने के बाद भविष्य निधि कोषांगों द्वारा यह जाँच की जा सकेगी कि सभी अंशदाताओं के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 तक की अवधि का उनका अन्तशेष महालेखाकार से प्राप्त हुआ है, अथवा नहीं एवं अन्तशेष प्राप्त करने के लिये अविलम्ब कार्रवाई की जायेगी।

(II) सूची तैयार हो जाने के बाद निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक विशेष अभियान के रूप में उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिस अवधि का लेखा अद्यतन होना लम्बित है, उस अवधि से सम्बद्ध कटौती एवं निकासी विवरणियाँ तैयार करने की कार्रवाई करें।

(III) जो अधिकारी तथा कर्मचारी अपने सेवाकाल के आरम्भ से ही एक ही निकासी एवं व्ययन अधिकारी के अधीन रहे हों, उनकी लम्बित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ सत्यापित कर सम्बन्धित भविष्य निधि कोषांगों को निबन्धित डाक या विशेष दूत पंजी के माध्यम से अविलम्ब भेज दें।

(IV) यदि कोई अधिकारी तथा कर्मचारी पूर्व में दूसरे निकासी एवं व्ययन अधिकारियों के अधीन कार्यरत रहे हों और उनकी उस अवधि की सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ अप्राप्त हों, तो उन्हें प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को लिखा जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी विवरणियों को वर्तमान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।

अतः अंशदाताओं के पदस्थापन के पूर्व स्थानों से सम्बन्धित सतयापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ वर्तमान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के बाद ही भेजी जानी चाहिये।

(V) कटौती एवं निकासी विवरणियों के सत्यापन के पूर्व इस बात की जाँच अवश्य कर ली जानी चाहिये कि कटौती तथा निकासी की प्रत्येक प्रविष्टि के विरुद्ध टी०वी० संख्या तथा तिथि का उल्लेख कर दिया गया है एवं अग्रिम की राशि का सही-सही ब्यौरा दिया गया है।

(VI) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्रवाइयाँ करने के उपरान्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा अद्यतन हेतु भी इसी तरह की कार्रवाई अपेक्षित है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि लेखा अद्यतनीकरण के कार्य को पर्याप्त गम्भीरता से नहीं लिये जाने के कारण अंशदाताओं को सेवानिवृत्ति/पद रिक्ति/मृत्यु के उपरान्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या बढ़ती है तथा लेखा संधारण की पूरी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत एवं वर्ष 2002-2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा अद्यतनीकरण हेतु आवश्यक सभी कटौती एवं निकासी विवरणियाँ 31-1-2001 तक सम्बन्धित भविष्य निधि कोषांगों को भेजने की कृपा करें। **[*पत्र संख्या जी०पी०एफ०01-1060/2000-21436, दिनांक 16-12-2000.]**

99. ***विषय—भविष्य निधि लेखा खोलने के संबंध में।**

जैसा कि आप अवगत हैं चौकीदार/दफादार चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिये गये हैं। इसका भविष्य निधि लेखा खोलने के संबंध में वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय) के पत्रांक 15455, दिनांक 28-10-1999 के द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है।

कृपया इसका अनुपलब्ध सुनिश्चित करायें। **[*पत्र संख्या 9/ले०-3066/2000 गृ०आ० 14481, दिनांक 1 दिसम्बर, 2000.]**

100. [सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित श्रीमती राधा सिंह, अपर वित्त आयुक्त, बिहार के पत्र संख्या–ए 3-10-02/85/8315 वि०, दिनांक 28-12-1985 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारण ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार तिथि 1-4-1986 से राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । यह कार्य विकेन्द्रीकृत रूप से होगा । सभी जिला कोषागारों के साथ भविष्य निधि कार्य के लिए एक शाखा होगी ।

2. भविष्य निधि कार्य के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों के पदों का सृजन किया गया है तथा उक्त पदों को भरने के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है ।

3. प्रत्येक जिला में भविष्य निधि कार्य के लिए एक शाखा होगी जिसमें एक प्रधान सहायक और 9 लिपिक होंगे । जिला स्थित इस शाखा द्वारा जिलान्तर्गत कार्यरत् अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवा के पदाधिकारियों को छोड़ अन्य सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की भविष्य निधि के लेखा-संधारण का कार्य किया जायेगा ।

4. भविष्य निधि लेखा-संधारण सम्बन्धी स्कीम की एक प्रति संलग्न है । संक्षेप में निम्नांकित कार्यों को जिला स्थित भविष्य निधि कोषांग द्वारा सम्पादित किया जायेगा,–

(i) जिलान्तर्गत कार्यरत् अखिल भारतीय और राज्य सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्च, 1986 से वेतन-विपत्र के साथ संलग्न, अनुसूची जिला भविष्य निधि कोषांग को कोषागार द्वारा टी०भी० नं० अंकित कर भेजा जायेगा । अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-विपत्र के साथ संलग्न अनुसूची टी०भी० नं० अंकित कर भविष्य निधि निदेशालय को भेजा जायेगा ।

(ii) भविष्य निधि अनुसूची प्राप्त होने पर प्रत्येक अंशदाता के मासिक लेजर कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि की जायेगी । जबतक भविष्य निधि निदेशालय द्वारा नयी लेखा संख्या आवंटित नहीं हो जाती है, तबतक पुरानी लेखा संख्या पर ही लेखा का संधारण किया जायेगा ।

(iii) जिला स्तर पर जिन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भविष्य निधि लेखा का संधारण होना है, उनकी विभाग/कार्यालय, नाम, पदनाम एवं पुरानी लेखा-संख्या की सूची निदेशालय को नयी लेखा संख्या आवंटन हेतु जिला भविष्य निधि कोषांग द्वारा भेजा जायेगा ।

(iv) तिथि 1-4-1996 से भविष्य निधि अनुसूची में आधार पर तथा 1-4-1981 से मार्च, 1986 तक की अवधि का लेखा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में कोषागार द्वारा अभिप्रमाणित विवरणी के आधार पर लेखा का संधारण किया जायेगा ।

5. तत्काल अग्रिम कार्रवाई के रूप में आपसे अनुरोध है कि उक्त कंडिका-3 में उल्लिखित बल के अनुसार कोषागार के समीप पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बैठने की कृपया व्यवस्था की जाये ।

101. [ज्ञाप संख्या MI-027/79/863 एफ०, दिनांक 21-1-1980 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य के सरकारी सेवकों को भविष्य निधि में जमा करने में प्रोत्साहन करने निमित्त बोनस देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी सेवक अपने भविष्य निधि खाते से लगातार पाँच वर्षों तक कोई निकासी नहीं करेंगे। उन्हें सम्पूर्ण शेष रकमों पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से बोनस दिया जायेगा। यह सुविधा 1 अप्रील, 1975 से लागू समझी जायेगी।

102. **[ज्ञाप संख्या ए-3-10-28/81/2813 वि०, दिनांक 13-3-1982 की प्रतिलिपि।]**

संख्या-2813/वि० – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

नियम-38 के बाद निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाये –

नियम-39 (क) जिन सरकारी सेवकों के वेतन और भत्ते की निकासी स्थापना विपत्र फारम पर की जाती है, उनके व्यक्तिगत सामान्य भविष्य निधि लेखा के साथ-साथ एक पास-बुक रहेगा, जिनमें सम्बद्ध निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी प्रतिमास प्रविष्टियाँ करेंगे।

(ख) सामान्य भविष्य निधि में किया गया व्यक्तिगत अंशदान अग्रिम, निकासी, वापसी तथा महँगाई भत्ते/अतिरिक्त महँगाई भत्ते की कटौतियाँ पास-बुक में 1-4-1982 से अर्थात्, मार्च 1982 के मासिक वेतन विपत्र से की जाने वाली कटौतियों से दर्ज की जायेगी।

(ग) पास-बुक एक स्थायी दस्तावेज होगा, जो दो रूप में मुद्रित रहेगा – एक 20 वर्ष की अवधि के लिए और दूसरा 40 वर्ष की अवधि के लिए।

(घ) निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा नाम, लेखा संख्या और अन्य प्रविष्टियाँ दर्ज की जाने के बाद पास-बुक सम्बद्ध अंशदाता के पास रहेगा, जो आवश्यक प्रविष्टि के लिए प्रत्येक महीने के अन्त में निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सावधानीपूर्वक जाँच और छानबीन के बाद निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी उसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ कर उसे अंशदाता को लौटा देगा। सामान्य भविष्य निधि में निकासी की दशा में, निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पास बुक माँग कर उसमें निकासी विपत्र पर हस्ताक्षर करते समय, निकासी के सम्बन्ध में संगत प्रविष्टि कर देगा।

(ङ) पासबुक किसी अंशदाता के लेखा में जमा और निकासी के लिए पूर्ण प्रमाण नहीं होगा, किन्तु जहाँ किसी जमा निकासी का पता नहीं चलेगा, वहाँ वह पासबुक उसका पता लगाने और यथावश्यक समंजन करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण के रूप में काम करेगा।

(च) अशुद्ध प्रविष्टि को लाल स्याही से काटकर उसके नीचे शुद्ध प्रविष्टि अंकित की जायेगी। ऐसी सभी शुद्धियाँ निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी में दिनांकित प्राक्षर से अभिप्रमाणित की जाये।

(छ) जब कभी किसी सरकारी सेवक का स्थानानतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हो जाये, तब निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी पासबुक के अभ्युक्ति-स्तम्भ में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देगा –

"प्रमाणित किया जाता है कि .... से .... तक की प्रविष्टियाँ कार्यालय से की गयी हैं और वे सही हैं ।"

निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

(ज) पासबुक पर पूरा नाम लिखा जाये और संक्षेपश्रर का प्रयोग नहीं किया जाये । ●

103. [अधिसूचना ज्ञापांक–841 वि० (अ०), दिनांक 14-3-1984 की प्रतिलिपि ।]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं –

संशोधन : नियम 15 (3) (ए) (ii) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाये –

टिप्पणी : शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक अधीनस्थ कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मचारियों जिनमें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के द्वितीय एवं तृतीय अग्रिम की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक प्राधिकृत है । ●

104. [ज्ञाप संख्या–एम 1-16/81-82/4774 वि० (2), दिनांक 10-7-1982 की प्रतिलिपि ।]

निदेशानुसार .... वित्तीय आयुक्त को सम्बोधित महालेखाकार, बिहार पटना के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक एफ०डी० (एम०) एफ०पी० रिपोर्ट–86-48, दिनांक 28-4-1982 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि अन्तिम निकासी का आवेदन-पत्र सभी सूचनाओं के साथ सही ढंग से भरने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र सं०–एम 1-03-8/78/3490 वि०, दिनांक 25-4-1979 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अनुरोध किया गया था । उस परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि भविष्य निधि के लिए आवेदनपत्र में कौन-कौन सी त्रुटियाँ पायी जाती हैं । परन्तु, महालेखाकार ने सूचित किया है कि भविष्य निधि के अन्तिम निकासी के लिए आवेदन-पत्र में अभी भी त्रुटियाँ पायी जाती हैं, जिससे महालेखाकार कार्यालय में इसके निष्पादन में कठिनाई होती है ।

अत: अनुरोध है कि भविष्य निधि में अन्तिम निकासी के आवेदन-पत्र की जाँच वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3490, दिनांक 25-4-1979 के अनुसार की जाये एवं सभी सूचनाओं के साथ आवेदन-पत्र महालेखाकार के कार्यालय में भेजे जायें । ●

105. [ज्ञाप सं०–एम 1-038/78/3490/वि०, दिनांक 25-4-1979 की प्रतिलिपि ।]

विषय : भविष्य निधि में संचित राशि की अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में पायी गयी त्रुटियों के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि भविष्य निधि अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्रों में पायी जाने वाली कुल त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है । इन त्रुटियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं –

(i) अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्रों में मुख्य सूचनाएँ जैसे –सिम्बौल तथा लेखा संख्या का अंकन, मृत्यु, पदत्याग तथा सेवानिवृत्ति की तिथि, पूर्व में लिये अग्रिम आदि सूचनाएँ उल्लेख कर महालेखाकार कार्यालय में नहीं भेजे जाते ।

(ii) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के जीवित सदस्यों की सूची नहीं संलग्न की जाती है ।

(iii) वैसे मृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में जिन्होंने मनोनयन-पत्र नहीं दिया और प्राप्तकर्त्ता नाबालिग हैं, सक्षम पदाधिकारी द्वारा दो जमानतदारों के हस्ताक्षर के साथ इन्टिम्निटी बॉण्ड नहीं दिया जाता है ।

(iv) सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बारह माह के अन्दर सेवानिवृत्ति या मृत अभिदाता के द्वारा जमा एवं निकासी सम्बन्धी विवरणी संलग्न नहीं की जाती है ।

(v) मृत या सेवानिवृत्त अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है ।

(vi) राजपत्रित सेवानिवृत्त या मृत पदाधिकारी का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र वित्त विभाग के द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाता है ।

(vii) सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्त के 3 माह के अन्दर भी अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(viii) सेवानिवृत्ति की तिथि के बहुत पहले अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र महालेखाकार कार्यालय में भेजे जाते हैं और ऐसे मामले में भी सेवानिवृत्त होने के पहले अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अत: इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि सेवानिवृत्त होने वाले या मृत अभिदाताओं से अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करते समय निम्नलिखित सूचनाएँ एवं कागजात अवश्य ही भेजी जाये –

(i) अंशदाता को आवंटित लेखा संख्या, सिम्बोल, मृत्यु, सेवानिवृत्ति या पद त्याग की तिथि एवं अन्तिम कटौती सम्बन्धी सूचनाएँ एवं प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में अवश्य अंकित किया जाये ।

(ii) जहाँ अभिदाता द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया हुआ है और परिवार का उत्तराधिकारी नाबालिग है, वहाँ राशि के भुगतान से पूर्व हिन्दू विधवा को छोड़कर सहजं अभिभावक होने के प्रमाण के अभाव में इनडिम्निटी बॉण्ड दो जमानतदारों के हस्ताक्षरों के साथ दिये जायें ।

(iii) जहाँ मृत अभिदाताओं के द्वारा कोई मनोनयन पत्र नहीं दिया गया है और उनका अपना कोई परिवार भी नहीं है, वहाँ उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(iv) सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि में भविष्य में भविष्य निधि में जमा की गई राशि तथा उससे निकासी की गई राशि का मासिक विवरण अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामलों में सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाये ।

(v) सेवानिवृत्ति के पूर्व बारह माह की अवधि में भविष्य निधि में अस्थायी अग्रिम तथा 3 माह की अवधि में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाये ।

(vi) मृत या निवृत्त अभिदाताओं का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा अग्रसारित किया जाये ।

(vii) राजपत्रित सरकारी सेवकों का अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्र जहाँ सेवा निवृत्ति की तिथि से 12 माह के अन्दर अग्रिम की निकासी की गई है, उन मामलों में आवेदन-पत्र वित्त विभाग की अनौपचारिक सहमति प्राप्त कर ही महालेखाकार कार्यालय में भेजे जायें ।

(viii) अन्तिम निकासी का आवेदन-पत्र सेवानिवृत्त /मृत्यु, पदत्याग के पश्चात् ही महालेखाकार कार्यालय में भेजा जाये ।

(ix) मृत अभिदाताओं के मामले में परिवार के सदस्यों की अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाये ।

(x) अंशदाता के अन्तिम पदस्थापन के स्थान से भिन्न कोषागार से रकम की निकासी के मामले में प्राप्तकर्त्ता का अंगुलीछाप, व्यक्तिगत पहचान, हस्ताक्षर के नमूने अन्तिम आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाये ।

अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् अंतिम निकासी के आवेदन-पत्र प्राप्त कर उसे तत्परता के साथ शीघ्रातिशीघ्र महालेखाकार, बिहार के पास भेजा जाये ।

कृपया अन्तिम निकासी सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करते समय उपर्युक्त निदेशों का पालन निश्चित रूप से किया जाये तथा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिये अनुरोध किया जाये । ●

106. **[पत्रांक 3570/वि०, दिनांक 30-3-1981 का सारांश ।]**

.... बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं के सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष पूर्व से अपना सामान्य भविष्य निधि अंशदान बन्द करने का विकल्प है किन्तु डॉ० राजा राम रस्तोगी के बारे में नियम का उल्लंघन हुआ है । डॉ० रस्तोगी सेवा त्याग कर चुके हैं । अतः उनके सेवा से हटने के छः माह बाद तक की अवधि के लिए राशि पर ब्याज की गणना कर भुगतान किया जा सकता है । ●

107. **[वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 10224 वि० (2), दिनांक 15-11-1982 की प्रतिलिपि ।]**

उपरोक्त विषयक् महालेखांकार, बिहार के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक एफ०डी० राम सजेशन 61-11-262, दिनांक 7-10-1983 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि महालेखाकार, बिहार द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र –

Certificate to be given on the body of the Bill

Certified that no P.F. advances, withdrawals where made/ received by him than those mentioned on the back of the authority of final payment and that if payment of any P.F. advances/ withdrawals come to notice subsequently, he will refund the amount of advance withdrawals together with interest accrued thereon.

अंतिम निकासी के समय विपत्र पर सम्बन्धित सरकारी सेवक से प्राप्त, कर ही अंतिम निकासी-विपत्र का भुगतान किया जाये ।

2. सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर अन्तिम निकासी के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा ।

सामान्य भविष्य निधि जमा पर सूद की विगत दरें

वर्ष	देय सूद (दर वार्षिक)	
1966-67		4.6%
1967-68		4.8%
1968-69	रु० 10,000 तक 5.10%	रु० 10,000 से अधिक पर 4.8%
1069-70	रु० 10,000 तक 5.25%	रु० 10,000 से अधिक पर 4.8%
1970-71	रु० 10,000 तक 5.50%	रु० 10,000 से अधिक पर 4.8%
1971-72	रु० 10,000 तक 5.70%	रु० 10,000 से अधिक पर 5.0%
1972-74	रु० 10,000 तक 6.00%	रु० 10,000 से अधिक पर 5.3%
	अप्रील-जुलाई, 74 रु० 15,000 तक	6.5% रु० 15,000 से अधिक पर 5.1%
1974-75	अगस्त, 14 मार्च, 75 रु० 20,000	तक 7.5% रु० 25,000 से अधिक पर 7.0%
1975-77	रु० 25,000 तक 7.5%	रु० 25,000 से अधिक पर 7.0%
1977-80	रु० 25,000 तक 8.0%	रु० 25,000 से अधिक पर 7.5%
1980-81	रु० 25,000 तक 8.0%	रु० 25,000 से अधिक पर 8.0%
1981-85	रु० 25,000 तक 10.0%	रु० 25,000 से अधिक पर 10.0%
1985-86	1-4-1985 से 30-6-1985	रु० 25,000 से अधिक पर 10.5%
	1-7-1985 से 31-3-1986	रु० 25,000 से अधिक पर 12.5%
1986-87		12.5%
1987-88		12.5%
1988-89		12.5%

सामान्य भविष्य निधि जमा पर सूद की विगत दरों की गणना तालिका

वर्ष 1975-76 और 1976-77

@ 7.5% प्रथम 25,000 रु० पर

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल	राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
200	15.00	97.50	1.25	1000	75.00	487.50	6.25
300	22.50	146.25	1.88	2000	150.00		12.50
400	30.00	195.00	2.50	3000	225.00		18.75
500	37.50	243.75	3.13	4000	300.00		25.00
600	45.00	292.50	3.75	5000	375.00		31.25
700	52.50	340.25	4.38	6000	450.00		37.50
800	60.00	391.00	5.00	7000	525.00		43.75
900	67.50	438.75	5.63	8000	600.00		50.00

9000	675.00		56.25	20000	1500.00		125.00
10000	750.00		62.50	25000	1875.00		

@ 7% 25,000 रु० से अधिक

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल	राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
200	14.00	91.00	1.17	3000	210.00		17.50
300	21.00	136.50	1.75	4000	280.00		23.33
400	32.00	182.00	2.33	5000	350.00		29.17
500	35.00	227.50	2.92	6000	420.00		35.00
600	42.00	273.00	3.50	7000	490.00		40.83
700	49.00	318.50	4.08	8000	560.00		46.61
800	56.00	364.00	4.67	9000	630.00		52.50
900	63.00	409.50	5.25	10000	700.00		58.33
1000	70.00	455.00	5.83	20000	1400.00		116.66
2000	140.00		11.67				

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80

@ 8% प्रथम 25,000 रु० पर, @ 7.5% 25,000 रु० से अधिक

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल	राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
1	0.08	0.52	0.01	1	0.08	0.49	0.01
2	0.16	1.04	0.01	2	0.15	0.98	0.01
3	0.24	1.56	0.02	3	0.23	1.46	0.02
4	0.32	2.08	0.03	4	0.30	1.95	0.03
5	0.40	2.60	1.03	5	0.38	2.44	0.03
6	0.48	3.12	0.04	6	0.45	2.93	0.04
7	0.56	3.64	0.05	7	0.53	3.41	0.04
8	0.64	4.16	0.05	8	0.60	3.90	0.05
9	0.72	4.68	0.06	9	0.68	4.39	0.06
10	0.80	5.20	0.07	10	0.75	4.88	0.06
20	1.60	10.40	0.13	20	1.50	7.75	0.13
30	2.40	15.60	0.20	30	2.25	14.63	0.19
40	3.20	20.80	0.27	40	3.00	19.50	0.25
50	4.00	26.00	0.33	50	3.75	24.38	0.31
60	4.80	31.20	0.40	60	4.50	29.25	0.38
70	5.60	36.40	0.47	70	5.25	34.13	0.44
80	6.40	41.60	0.53	80	6.00	39.00	0.50
90	7.20	46.80	0.60	90	6.75	43.88	0.56
100	8.00	52.00	0.67	100	7.50	48.75	0.63

Interest Calculation Chart For The Year 1980-81

	Net 25,000/- @ 8.5%			above 25,000/- @ 8%		
राशि	आरंभिक राशि	रेकरिंग	सिंगल	आरंभिक राशि	रेकरिंग	सिंगल
1	0.09	0.55	0.01	0.08	0.52	0.01
2	0.17	0.61	0.01	0.16	1.04	0.01
3	0.26	1.66	0.02	0.24	1.56	0.02
4	0.34	2.21	0.03	0.32	2.08	0.03
5	0.43	2.76	0.04	4.40	2.60	0.03
6	0.51	3.32	0.04	0.48	3.12	0.04
7	0.60	3.87	0.05	0.56	3.64	0.05
8	0.68	4.42	0.06	0.64	4.16	0.05
9	0.77	4.97	0.06	0.72	4.68	0.06
10	0.85	5.53	0.07	0.80	5.20	0.07
20	1.70	11.05	0.14	1.60	10.40	0.13
30	2.55	16.58	0.21	2.40	15.60	0.20
40	3.40	22.10	0.28	3.20	20.80	0.27
50	4.25	27.63	0.35	4.00	26.00	0.33
60	5.10	33.15	0.43	4.80	31.20	4.40
70	5.95	38.68	0.50	5.60	36.40	0.47
80	6.80	44.20	0.57	6.40	41.60	0.53
90	7.65	49.73	0.64	7.20	46.80	0.60
100	8.50	55.25	0.71	8.00	52.00	0.67
200	17.00	110.50	1.42	16.00	104.00	1.33
300	25.50	165.75	2.13	24.00	156.00	2.00
400	34.00	221.00	2.83	32.00	208.40	2.67
500	42.50	276.25	3.54	40.00	260.00	3.33
600	51.00	331.50	4.25	48.00	312.00	4.00
700	59.50	386.75	4.96	56.00	364.00	4.67
800	68.00	442.00	5.67	64.00	416.00	5.33
900	76.50	497.25	6.38	72.00	468.30	6.00
1000	85.00	552.50	7.08	80.00	520.00	6.67
2000	170.00		14.17	160.00		13.33
3000	255.00		21.25	240.00		20.00
4000	340.00		28.33	320.00		26.67
5000	425.00		35.42	400.00		33.33
6000	510.00		42.50	480.00		40.00
7000	595.00		49.58	560.00		46.67
8000	680.00		56.67	640.00		53.33
9000	765.00		63.75	720.00		60.00
10000	850.00		70.83	800.00		66.67
20000	1700.00		141.67	1600.00		133.33
25000	2125.00		177.09	2000.00		166.66

Interest Calculation Chart For The Year 1981-82, 84-85 @ 10%

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
1	0.10	0.65	0.01
2	1.20	1.30	0.02
3	0.30	1.95	0.02
4	0.40	2.60	0.03
5	0.50	3.25	0.04
6	4.60	3.90	0.05
7	0.70	4.55	0.06
8	0.80	5.20	0.07
9	0.90	5.85	0.07
10	1.00	6.50	0.08
20	2.00	13.00	0.17
30	3.00	19.50	0.25
40	4.00	26.00	0.33
50	5.00	32.50	0.42
60	6.00	39.00	0.50
70	7.00	45.50	0.58
80	8.00	52.00	0.67
90	9.00	58.50	0.75
100	10.00	65.00	0.83
200	20.00	130.00	1.67
300	30.00	195.00	2.50
400	40.00	260.00	3.33
500	50.00	325.00	4.17
600	60.00	390.00	5.00
700	70.00	455.00	5.83
800	80.00	520.00	6.67
900	90.00	585.00	7.50
1000	100.00	650.00	8.33
2000	200.00	1300.00	16.67
3000	300.00	1950.00	25.00
4000	400.00	2600.00	33.33
5000	500.00	3250.00	41.67
6000	600.00	3900.00	50.00
7000	700.00	4550.00	58.33
8000	800.00	5200.00	66.67
9000	900.00	5850.00	75.00
10000	1000.00	6500.00	88.33
20000	2000.00		166.67
25000	2500.00		208.34
30000	3000.00		250.01

Interest Calculation Chart For The Year 1985-86 @ 10.5%
Without any Limit

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
1	0.11	0.68	0.01
2	0.21	1.37	0.02
3	0.32	2.05	0.03
4	0.42	2.73	0.04
5	0.53	3.41	0.05
6	0.64	4.10	0.06
7	0.74	4.78	0.07
8	0.84	5.46	0.08
9	0.95	6.14	0.09
10	1.05	6.83	0.09
20	2.10	13.65	0.18
30	3.15	20.48	0.26
40	4.80	27.80	0.35
50	5.25	34.13	0.44
60	6.80	40.95	0.53
70	7.35	47.78	0.62
80	8.40	54.60	0.71
90	9.45	61.43	0.80
100	10.50	68.25	0.88
200	21.00	136.50	1.75
300	31.50	204.75	2.63
400	42.00	273.00	3.50
500	52.50	341.25	4.38
600	63.00	409.50	5.26
700	73.50	477.75	6.14
800	84.00	546.00	7.00
900	94.50	614.25	7.88
1000	105.00	682.50	8.75
2000	210.00	1365.00	17.50
3000	315.00	2047.50	26.25
4000	420.00	2730.00	35.00
5000	525.00	6412.50	43.75
6000	630.00	4095.00	82.50
7000	735.03		
8000	840.00		
9000	945.00		
10000	1050.50		
20000	2100.00		
30000	3150.00		
40000	4200.00		
50000	5250.00		
60000	6300.00		
70000	7350.00		
80000	8400.00		

Interest Calculation Chart For The Year 1986-87 @ 12.5%
Without any Limit

राशि	आरंभिक शेष	रेकरिंग	सिंगल
1	0.13	0.81	0.01
2	0.25	1.63	0.02
3	0.38	2.44	0.03
4	0.50	3.25	0.04
5	0.63	4.06	0.05
6	0.75	4.88	0.06
7	0.88	5.69	0.07
8	1.00	6.50	0.08
9	1.13	7.31	0.09
10	1.25	8.12	0.10
20	2.50	16.25	0.21
30	3.75	24.38	0.31
40	5.00	32.50	0.42
50	6.25	40.63	0.52
60	7.50	48.75	0.63
70	8.75	56.88	0.63
80	10.00	65.00	0.87
90	11.25	73.12	0.94
100	12.50	81.25	1.04
200	25.00	162.50	2.08
300	37.50	243.75	3.13
400	50.00	325.00	4.17
500	62.50	406.25	5.21
600	75.00	487.50	6.25
700	87.50	568.75	7.29
800	100.00	650.00	8.33
900	112.50	731.25	9.38
1000	125.00	812.50	10.42
2000	250.00	1625.00	20.83
3000	375.00	2437.50	31.25
4000	500.00	3350.00	41.67
5000	625.00	4062.50	52.08
6000	750.00		62.50
7000	875.00		72.92
8000	1000.00		83.33
9000	1125.00		93.75
10000	1250.00		104.17
20000	2500.00		208.33
30000	3750.00		312.50
40000	5000.00		416.67
50000	6250.00		520.83
60000	7500.00		625.00
70000	8750.00		729.17
80000	10000.00		833.33
90000	11250.00		937.50
100000	12500.00		1041.67

नोट : बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम [1][1] बी० के अनुसार राजपत्रित सरकारी सेवकों की परिलब्धियों का कम-से-कम अंशदान 15 प्रतिशत हो और अराजपत्रित सेवकों को परिलब्धियों का 12½ प्रतिशत हो तो 1-7-1985 से इनकी जमा राशि पर 12½ प्रतिशत सूद देय होगा ।

वैसे अंशदाता जिन्होंने अपना विकल्प न्यूनतम दर से अंशदान करने के सम्बन्ध में (राजपत्रित कर्मचारियों की परिलब्धियों का 12½ प्रतिशत और अराजपत्रित कार्मिकों का 10 प्रतिशत 26-7-1985 तक अपने कार्यालय प्रधान/नियंत्रण पदाधिकारी को दे दिया है तब इनके मामले में सूद की दर 10½ प्रतिशत ही रहेगी ।

108. [पत्र संख्या-5703 वि० (2), दिनांक 2-7-1984 की प्रतिलिपि ।]

विषय : सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा महँगाई भत्ते की राशि के भुगतान के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902/वि०, दिनांक 17-1-1979 की कंडिका-3 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें इस बात का प्रावधान है कि सामान्य भविष्य निधि में जमा महँगाई भत्ते की राशि की निकासी अगले पाँच वर्षों के बाद प्रत्येक पाँचवें हिस्से तक संचित राशि से निकासी अग्रिम के रूप में की जा सकेगी । उस संकल्प की कंडिका-3 में यह भी प्रावधान कि उक्त संचित राशि पर सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम-15 से 28 तक के प्रावधान नहीं लागू होंगे ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-902 वि०, दिनांक 17-1-1979 के अनुसार सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में महँगाई भत्ते के एक अंश को जमा करने का कार्य मार्च, 1979 के वेतन विपत्र से शुरू हुआ था । फरवरी, 1984 के वेतन विपत्र के साथ महँगाई भत्ता के एक अंश को सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा करने के बाद पाँच वर्षों की अवधि पूरी हो गई । अत: वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902 वि०, दिनांक 17-1-1979 की कंडिका-3 में उल्लिखित शर्त्त के अनुसार राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1979-80 की अवधि में अराजपत्रित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा महँगाई भत्ते की कुल राशि के पाँचवे हिस्से को नगद भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है । इस प्रयोजना के उक्त संकल्प की कंडिका 3 को उपर्युक्त सीमा तक शिथिल समझा जाये ।

3. राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की अवधि में उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा महँगाई भत्ते की कुल राशि का पाँचवाँ हिस्सा महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी के भविष्य निधि में हस्तान्तरित कर दिया जाये ।

109. [संकल्प संख्या-7596 वि०, दिनांक 23-11-1984 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं को जमा राशि पर दिनांक 1-4-1984 से ब्याज की दर ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12174/वि०, दिनांक 28-11-1974 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 1974 से बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उसी दर से ब्याज प्राप्त होगा, जो दर

भारत सरकार उन अवधियों के लिये केन्द्र सरकार के भविष्य निधियों जमा राशियों के सूद के सम्बन्ध में विहित करेगी । परन्तु, विभाग के संकल्प संख्या 4601/वि०, दिनांक 4-4-1981 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 से अगले आदेश तक के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निर्धारित किया गया था । इसके अलावे 1-4-1977 से लेकर पाँच वर्षों तक जो अभिदाता अपने भविष्य निधि खाता से कोई रकम निकासी नहीं करेंगे तो उनके सम्पूर्ण रकम पर एक प्रतिशत की दर से बोनस भी देय होगा ।

2. अब भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या एफ० (1) पी०डी०/84, दिनांक 15-6-1984 द्वारा दिनांक 1-4-1984 से सामान्य भविष्य निधि लेखा में संचित राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित किया गया है । इसके अलावे अप्रील, 1982 से शुरू होने वाले तीन वर्षों में यदि किसी अभिदाता द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से कोई निकासी नहीं की गई होगी, तो उन्हें सम्पूर्ण जमा राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जायेगा ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 के आलोक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि –

(1) राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 4601, दिनांक 4-4-1981 में वित्तीय वर्ष 1981-82 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है । वह अगले आदेश तक लागू रहेगा ।

(2) 1-4-1982 से शुरू होने वाले 3 वर्षों में यदि किसी अभिदाता द्वारा अपने भविष्य निधि खाते में कोई निकासी नहीं की गई हो तो उन्हें सम्पूर्ण जमा राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जायेगा । ●

110. [ज्ञाप सं०-4193 वि०, दिनांक 13-7-1985 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार सामान्य भविष्य-निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा रकम पर दिनांक 1 जुलाई, 1985 से ब्याज की दर ।

वित्त विभाग संकल्प संख्या 12174 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1984 के अनुसार बिहार सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य-निधि के अभिदाताओं की संचित राशि पर उन्हीं दरों पर ब्याज दिया जाता है जो दर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्मिकों की भविष्य निधियों में जमा राशि के लिए विहित किया जाता है । राज्य के सरकारी कार्मिकों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 12174 वि०, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को शिथिल करते हुए यह निर्णय लिया है कि –

1. 1 जुलाई, 1986 से अगले आदेश तक भविष्य निधि में कुल जमा राशि पर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

2. पर राज्य सरकार के जो सेवक अधिसूचना संख्या 4967 वि० (2), दिनांक 18 मई, 1983 में निर्धारित न्यूनतम दर से अपने भविष्य निधि में अंशदान देने का विकल्प देंगे उन्हें राज्य सरकार के संकल्प संख्या 7596 वि० (2), दिनांक 23 नवम्बर, 1983 में निर्धारित दर अर्थात् 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा । ●

111. [अधिसूचना ज्ञाप संख्या 4148 वि० (2), दिनांक 13-7-1985 की प्रतिलिपि ।]

भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. वर्तमान नियम 11 (1) (बी) के स्थान पर नियम पुनः स्थापित (Substitute) किया जाये :–

नियम 11 (1) (बी) : यह पूर्ण रुपये में अभिव्यक्त कोई भी राशि हो सकती है, जो कम से कम राजपत्रित सरकारी सेवकों की परिलब्धियों (emoluments) का 15% हो और अराजपत्रित सरकारी सेवकों की परिलब्धियों (emoluments) का 12½ % हो।

टिप्पणी : 1 अंशदान कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

2. निम्नलिखित अंशदान की उपर्युक्त दर 1-7-1985 से लागू होगी पर जो कार्मिक अधिसूचना संख्या 4967 वि० (2), दिनांक 18-5-1983 में निर्धारित न्यूनतम दर से अंशदान देना चाहें, उन्हें ऐसा करने की छूट होगी, बशर्ते उनका इस आशय का विकल्प 26-7-1985 तक उनके कार्यालय प्रधान नियन्त्रण पदाधिकारी को प्राप्त हो जाये। पर उनके मामले में सूद की दर कम होगी। विकल्प एक बार किये जाने पर उसे अन्तिम माना जायेगा।

3. 1985-86 वर्ष से देय सूद की दर वित्त विभाग की संकल्प सं० 4193 वि० (2), दिनांक 13-7-1985 में निर्धारित की गई। ●

112. **[संकल्प संख्या 7529 वि० (2), दिनांक 29-11-1985 की प्रतिलिपि।]**

वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4184 वि० (2), दिनांक 13-7-1985 द्वारा पुनः स्थापित बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1984 नियम 11 (1) (बी) की टिप्पणी 2 में यह प्रावधान है कि जो सरकारी सेवक 26-7-1985 को यह विकल्प दें कि 30-6-1985 के बाद भी अधिसूचना संख्या 4967 वि० (2), दिनांक 18-5-1983 में निर्धारित न्यूनतम दर पर अंशदान देंगे, उन्हें ऐसा करने की छूट होगी। ऐसा विकल्प देने वालों में से बहुतेरे अब नई दरों से अंशदान देने के इच्छुक हैं। सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया है कि उन्हें ऐसा करने की सुविधा दी जाये बशर्त्ते वे 1-7-1982 से ही संकल्प संख्या 4185 वि० (2), दिनांक 13-7-1985 में निर्धारित नये दरों पर अशंदान दें; अर्थात् जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर मासों के बकाया अंशदान एक मुश्त अपने दिसम्बर, 85 के वेतन से निश्चित रूप से कटा दें। ऐसे सेवकों के सितम्बर, 1985 के वेतन विपत्र में निम्न प्रमाण-पत्र निकासी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा :–

"प्रमाणित किया जाता है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं० 7529 वि० (2), दिनांक 29-11-1985 के अनुसार मेरी/श्री ...... के जुलाई, 1985 से नवम्बर, 1985 तक बकाये सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती इस विपत्र में कर ली गई है।" ●

113. **[पत्र संख्या–एम 4-16/85/5388 वि०, दिनांक 26-8-1985 की प्रतिलिपि।]**

विषय : राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि की राशि का गैर-सरकारी पासबुक से राजकोष में स्थानान्तरण।

निदेशानुसार ...... कहना है कि शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 740, दिनांक 19 जुलाई, 1984 से सम्बन्धित नियमावली के अनुसार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि की जो राशि गैर राजकीय पासबुक में जाता है, उसे निम्न पद्धति

से ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा करनी है :-

(क) नियोजक अंशदान की राशि सूद समेत लेखा शीर्ष – "077 शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – अन्य प्राप्तियाँ" में जमा करनी है ।

(ख) कार्मिकों के अंशदान की कुल राशि सूद सहित लेखा शीर्ष – "805 राज्य भविष्य निधियाँ – सिविल – सामान्य भविष्य निधि – शिक्षा अन्य (प्राप्तियाँ)" में जमा करनी है । पर अभी ऐसा नहीं किया जा सका है जिससे राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है ।

2. अत: यह निर्णय लिया गया है कि :-

(क) उक्त कार्य अक्टूबर, 1985 तक अवश्य पूरा कर लिया जाये ।

(ख) इसकी प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिकों के राजकीय सामान्य भविष्य निधि पासबुक में निम्न ढंग से कर दी जाये –

(i) नियोजन अंशदान जमा करने सम्बन्धी प्रविष्टि अभ्युक्ति स्तम्भ में की जाये ।

(ii) कार्मिक अंशदान जमा करने सम्बन्धी प्रविष्टि के लिए पासबुक में निर्धारित स्तम्भों में की जाए ।

2. कोषागार पदाधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारियों का नवम्बर, 1985 और उसके बाद अपना वेतन-विपत्र तभी पारित करेंगे जब उनके नियन्त्रण पदाधिकारी निम्न प्रमाण-पत्र दें ।

प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... (पदाधिकारी का नाम) .... (पदस्थापन-स्थान का नाम) के अधिकार-क्षेत्र में स्थिति गैर सरकारी पासबुक में जमा थी, उसे सूद सहित राजकोष में स्थानानतरित कर दी गई और कार्मिकों के राजकीय भविष्य निधि पासबुक में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गई है ।"

3. इस पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जा रही है ।

(उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सभी कोषागार पदाधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारियों का नवम्बर, 1985 और उसके बाद के वेतन-विपत्र कोषागार द्वारा तभी पारित करें जब उन (जि०शि०प०) के नियंत्रण पदाधिकारी उपर्युक्त प्रमाण-पत्र दें ।)

114. **[ज्ञाप संख्या–वि० 401/75/6769 वि०, दिनांक 6-6-1973 की प्रतिलिपि ।]**

वित्त विभाग के संकल्प सं० 914, दिनांक 15 फरवरी, 1973 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को यह विकल्प (option) देने का निर्णय किया है कि वे सेवानिवृत्ति के एक वर्ष से भविष्य निधि में अपना अनिवार्य अंशदान देना बन्द कर सकते हैं । यदि किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख किसी महीने के प्रथम दिन न होकर कोई अन्य तिथि हो तो वे अपने भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान उस माह के एक वर्ष पूर्व से देना बन्द कर सकते हैं । इस अवधि में उन्हें भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम नहीं स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु नियमानुसार अनुमान्य अप्रत्यर्पणीय

अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकेगी । पूर्वोक्त संकल्प सं० 914, दिनांक 15 फरवरी, 1973 की कंडिका 1 को उपर्युक्त सीमाओं तक संशोधित समझा जाये ।

115. **[संकल्प सं० 7530 वि० (2), दिनांक 29-11-1985 की प्रतिलिपि ।]**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या 12174 वि०, दिनांक 28-11-1974 में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाताओं की संचित राशियों पर उन्हीं दरों से ब्याज देय होगा जो दर भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा राशि पर विहित करेगी । भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं० 6 (2) पी०डी०/85, दिनांक 22-5-1986 द्वारा 1985 के लिये 10.5 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर निर्धारित की है । तद्नुसार बिहार भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि पर 1-4-1985 से 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगा ।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर सूद का उपर्युक्त दर 1-4-1985 से 30-6-1985 तक ही लागू रहेगी । 1-7-1985 से बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर निम्न दर से सूद अनुमान्य होगी :-

(i) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4184 वि०, दिनांक 13-7-1985 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 11 (1) (बी) के अनुसार भविष्य निधि अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ।

(ii) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4967 वि०, दिनांक 18-5-1985 में विहित अधिकतम दरों पर अंशदान देते हैं उनकी जमा राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ।

3. संकल्प संख्या 4193 वि०, दिनांक 1-7-1985 को तद्नुसार संशोधित माना जाये ।

116. **[सभी जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र सं० 56 वि० (2), दिनांक 4-1-1986 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 1-4-1981 के नये पुनरीक्षित वेतन में अंतिम वेतन-निर्धारण कार्य को जिला मुख्यालयों में विकेन्द्रित करने के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार उपयुक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 11297 वि०, दिनांक 12-8-1985 (प्रति संलग्न) के प्रसंग में मुझे कहना है कि उक्त पत्र में निहित आदेश के अनुसार अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों/शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन में अन्तिम रूप से वेतन निर्धारण कार्य के लिए वित्त विभाग के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जिला लेखा पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है । परन्तु, राज्य के कतिपय जिलों में अभी जिला लेखा पदाधिकारियों को पदस्थापन नहीं हो सका ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि यदि आपके जिला मुख्यालय में जिला लेखा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हो सका है तो अराजपत्रित कर्मचारियों/शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में अन्तिम रूप से वेतन-निर्धारण के कार्य के लिए अपने अधीनस्थ किसी वरीय उप-समाहर्त्ता को प्राधिकृत कर उनके हस्ताक्षर का नमूना अभिप्रमाणित करके महालेखाकार, बिहार, राँची/पटना को भेजने की कृपा करें ।

117. **[सरकार के उप-सचिव-सह-उप-निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार द्वारा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी जो सम्बोधित पत्र संख्या–432 भ०नि० (2), दिनांक 23-10-1986 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण दिनांक 1-4-1986 तथा उसके बाद की तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूची ।

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि दिनांक 1-4-1986 के प्रभाव से राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से हस्तान्तरित होने के बाद सरकार का यह दायित्व है कि तिथि 1-4-1986 तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशदाताओं को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि का भुगतान अविलम्ब कर दें। अंशदाताओं को अन्तिम भुगतान का मामला काफी महत्वपूर्ण है । अतएव भविष्य निधि निदेशालय द्वारा दिनांक 1-4-1986 से 13-12-1987 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूची वित्त विभाग के पत्रांक 8371 वि० (2), दिनांक 31-12-1985 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा विभागों/विभागाध्यक्षों/समाहर्त्ताओं से माँगी गई थी । यों प्राप्त सूचनाएँ सन्तोषप्रद नहीं हैं फिर भी जो कुछ सूचनाएँ प्राप्त हुई उसके आधार पर महालेखाकार, बिहार से अनुरोध किया गया है कि सेवानिवृत्त अंशदाताओं का अन्तिम अवशिष्ट (बैलेंस) तुरंत भेज दें ।

चूँकि अन्तिम भुगतान सम्बन्धी मामलों का निपटारा भी जिला भविष्य निधि कोषांग के द्वारा होता है, इस तरह की सूचनाओं का संग्रह भी जिला कोषांग में होना ही संगतपूर्ण है। अत: अनुरोध है कि जिला स्थित तमाम कार्यालय से सेवानिवृत्त सेवकों की सूची सम्बन्धित कार्यालय से माँगी जाये और उसके आधार पर महालेखाकार को अनुरोध किया जाये। इस सम्बन्ध में कार्रवाई कृपया अविलम्ब कर दी जाये ।

118. **[भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार द्वारा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को संबोधित पत्र संख्या–432 भ०नि० (3), दिनांक 23-10-1986 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण कार्य – भविष्य निधि पासबुक के अद्यतनीकरण करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभागीय पत्रांक 23 वि०, दिनांक 2-1-1986 सं० 1096 वि०, दिनांक 17-2-1985; सं० 3036 वि०, दिनांक 7-7-1986; सं० 3975 वि०, दिनांक 27-5-1986; सं० वि०, सं० शून्य वि०, दिनांक 4-8-1986; सं० वि०, दिनांक 7-6-1984 एवं उपांत अंकित स्मार-पत्रों के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि अभी आपके विभाग/कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भविष्य निधि पासबुक में नियमित रूप से प्रविष्टियाँ की जा रही हैं, अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि लेखा संधारणों का कार्य का अद्यतन होना हमेशा न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, बल्कि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का हित उसमें निहित है। चूँकि लेखा के अद्यतन करने में भविष्य निधि पासबुक तो वैकल्पिक रूप से एक महत्वपूर्ण आधार है, उसे अद्यतन करना अनिवार्य है ।

अत: अनुरोध है कि भविष्य निधि पासबुक की प्रविष्टियाँ अद्यतन रूप से होती रहे, इसे कृपया सुनिश्चित किया जाये । उच्च पदाधिकारियों द्वारा जब भी विभागों/अधीनस्थ

कार्यालय का निरीक्षण किया जाये, तो निश्चित रूप से यह देख लिया जाये कि पासबुक की प्रविष्टियाँ अद्यतन रूप से हो रही हैं, अथवा नहीं । भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक/उपनिदेशक भी जब जिलों में जायेंगे तो सरकार के विभिन्न कार्यालयों में मुआयना करेंगे कि कार्यालय में निदेश का सही पालन किया जा रहा है या नहीं ।

3. सरकार ने इस आदेश से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को विदित कराया जाये ।

4. कृपया इस विषय को शीर्ष प्राथमिकता दी जाये ।

119. **[सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/समाहर्त्ता को प्रेषित पत्र संख्या–8362 वि० (2), दिनांक 31-12-1985 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि दिनांक 1-4-1986 से राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय है, अतः तिथि 1-4-1986 तथा उसके बाद की तिथियों को सेवानिवृत्त होनेवाले पदाधिकारियों के भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा । कार्य के हस्तान्तरण में एवं भविष्य निधि का पूर्ण रूप से कार्यरत् होने में कुछ समय लगेगा ही । अतः ऐसा निवृत्ति के पश्चात् भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई ही, इसके लिए अग्रिम कार्रवाई के रूप में अगले दो वर्षों (1987 के अन्त तक) में जो सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएँ (दो प्रतियों में) आवश्यक है –

लेखा संख्या	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	विभाग	सेवानिवृत्ति की तिथि

2. उक्त सूचनाएँ सेवानिवृत्ति की तिथि के क्रम में होना चाहिए, अर्थात् जो पहले सेवानिवृत्त होंगे, उनका नाम पहले होगा और इसी क्रम में सूची तैयार की जायेगी ।

3. अतएव अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालय में कार्यरत् पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएँ एकत्र करें एवं उसे संकलित कर निदेशक भविष्य निधि कार्यालय, वित्त विभाग को शीघ्रातिशीघ्र भेजने की व्यवस्था की जाए ।

120. **[श्री अरुण पाठक, वित्त सचिव, बिहार से सभी कोषागार पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र सं०–भ०नि० (3) 93/वि०, दिनांक 1-3-1986 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि में जमा करने के लिए उनके विपत्र से की गयी कटौतियों तथा उनके द्वारा लिये गये अग्रिम सम्बन्धी वित्तीय वर्ष 1982-83 से सत्यापित विवरणी निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3510/वि० (2), दिनांक 5-5-1986 के संदर्भ में यह सूचित करना है कि राज्य सरकार ने महालेखाकार से भविष्य-निधि लेखा संधारण का कार्य दिनांक 1-4-1986 से ही ले लिया है, परन्तु महालेखाकार, बिहार द्वारा

राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा सम्बन्धी विवरणी 1982-83 वित्तीय वर्ष तक ही दी जा रही है । इस स्थिति में राज्य सरकार को ही अपने कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा को वित्तीय वर्ष 1982-83 से 85-86 तक अद्यतन करने का कार्य सम्पादित करना है । इसी संदर्भ में उक्त विभागीय पत्र द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है कि उन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों जो सीधे वेतन विपत्र कोषागार में भेज कर वेतन की निकासी करते हैं, को उनके वेतन से भविष्य निधि लेखा में जमा करने के लिए की गयी कटौतियाँ तथा उससे लिए गये अग्रिम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र कोषागार में संधारित अभिलेखों के आधार पर निर्गत करें । कोषागार पदाधिकारियों को प्रमाण-पत्र देने के पूर्व सम्बन्धित पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा में जमा करने के लिए उनके विपत्र से की गई कटौतियाँ तथा भविष्य निधि लेखा से लिये गये अग्रिम की राशि का भली-भाँति सत्यापन कर लेना आवश्यक है । कुल मामलों में यह देखा गया है कि कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य-निधि लेखा से लिये गये अग्रिम का ब्योरा सही रूप से सत्यापित नहीं किया गया है । ऐसे कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । क्योंकि, लेखा का सही सत्यापन प्रतिवेदन नहीं रहने से लेखा संधारण की शुद्धता में कठिनाई के साथ-साथ राज्य सरकार को वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ेगी ।

सभी सरकारी पदाधिकारियों के मामले में भविष्य-निधि से कोई निकासी की रकम की सम्बन्धित पंजी में लाल स्याही में अंकित करने की व्यवस्था की जाये, ताकि सत्यापन विवरणी भेजने के समय निकासी की गयी रकम छूट न जाये और सभी मामलों में यह निश्चित रूप से अंकित रहें ।

उसके साथ-साथ यह भी अनुरोध है कि आप अपने हस्ताक्षर के नमूने सभी जिला भविष्य-निधि पदाधिकारियों एवं निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग को निर्बाधित डाक विशेष दूत पंजी से भेजने की व्यवस्था करें, ताकि उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र की जाँच भविष्य निधि निदेशालय अथवा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा की जा सके ।

अन्त में आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोषागार से उन तमाम पदाधिकारियों के सम्बन्ध में 1982-83 से 1985-86 तक के उनकी भविष्य-निधि लेखा में जमा की गयी राशि तथा उसे निकासी की गयी राशि सम्बन्धी वार्षिक विवरणी संधारित अभिलेखों के जाँचोपरान्त निर्बाधित डाक विशेष दूत पंजी से सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी अथवा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय के भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि इन 4 वर्षों का भविष्य निधि का हिसाब आप ही के द्वारा निर्गत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर संधारित किया जायेगा । इस विवरणी में किसी तरह की त्रुटि पाये जाने पर प्रमाण-पत्र देने वाले कोषागार पदाधिकारी पूर्णरूपेण जवाबदेह ठहराये जायेंगे । चूँकि इस कार्य में काफी विलंब हो चुका है, और आगे विलम्ब न हो, इसलिये इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने की व्यवस्था की जाये ।

121 [पत्रसं०-भ०नि०(3)-100/वि०, दिनांक 2-9-1986 की प्रतिलिपि ।]

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य-निधि लेखा संधारण कार्य दिनांक 1-4-1986 से महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार

द्वारा किए जाने के क्रम में राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों एवं शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का संधारण कार्य उनके पदस्थापन के जिलों में स्थापित जिला भविष्य निधि कोषांगों को सौंपने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि दिनांक 1-4-1986 से राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भविष्य निधि संधारण कार्य को महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा विकेन्द्रित रूप से सम्पन्न किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के अनुसार उन सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का लेखा संधारण कार्य आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के अन्तर्गत स्थापित भविष्य निधि निदेशालय अथवा जिलों में स्थापित "जिला भविष्य निधि कोषांगों" द्वारा किया जा रहा है जिनका लेखाकार दिनांक 1-4-1986 से पहले महालेखाकार, बिहार के संधारित होते रहे हैं। इसकी विस्तृत सूचना वित्त/भविष्य निधि निदेशालय विभाग के पत्र संख्या .... दिनांक .... द्वारा पृथक् रूप से दी जा चुकी है।

यहाँ विशेष रूप से शिक्षा विभाग के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों में कार्यरत् वैसे शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखा के संधारण कार्य का उल्लेख करना है, जिनके लेखा वर्ष 1973 से ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विकेन्द्रित रूप से किए जा रहे हैं। उक्त निर्णयानुसार अब इनके लेखा-संधारण का कार्य भी जिला भविष्य निधि कोषांगों के द्वारा ही सम्पन्न होंगे। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संधारित हो रहे इन लेखों को भी दिनांक 31-3-1986 तक अद्यतन करने के पश्चात् शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदस्थापन के जिलों में अवस्थित भविष्य निधि कोषांगों को सौंप देने की आवश्यकता है।

अतएव, शिक्षकों एवं शिकेत्तर कर्मचारियों के लेखों को अद्यतन करते समय पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए, जिससे इनके भविष्य-निधि लेखों में प्रत्येक माह की जमा अथवा कटौतियों की राशियों की आवश्यक प्रविष्टियाँ उनके लेखा-विशेष में नियमित रूप से दर्ज हो जाएँ और तद्नुपरान्त आवश्यकतानुसार उनके 31-3-1986 के अवशेष पर विहित नियमों के आधार पर सूद की गणना कर अन्तिम अवशेष सुनिश्चित किया जाये। लेखा-हस्तांतरण निमित्त विहित प्रपत्र में आवश्यक विवरण तैयार करते समय इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट हो लेना आवश्यक है कि अंशदाता एवं विद्यालय द्वारा प्रदत्त अंशदानों की राशियों पर सूद की गणना पृथक कर गई है और विद्यालय अंशदान को चालान द्वारा कोषागार में जमा कर दिया गया है।

ऊपर वर्णित स्थिति में यह आग्रह है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कृपया यथोचित निदेश दिए जाएँ, ताकि वे उक्त उपेक्षाओं और औपचारिकताओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 31-3-1986 के अन्तिम अवशेष की सूद सहित गणना कर विहित प्रपत्र में विवरण तैयार करें और उनके पदस्थापन हस्तांतरण की सूचना निदेशालय, वित्त विभाग को भी कृपया दें। किन्तु 1-4-1976 या उनके बाद जो शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, होने वाले शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अन्तिम भुगतान के मामलों की सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को भेजते हुए उसकी सूचना भविष्य निधि निदेशालय को भी दी जाये। कृपया इस सम्बन्ध में अपने

अधीनस्थ सभी शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश अविलम्ब देने की कृपा की जाये। फिर भी इसकी प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जा रही है।

122. [ज्ञापांक–10 भ०नि० (3)/वि०, दिनांक 7-8-1986 की प्रतिलिपि।]

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार .... यह कहना है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के किसी प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजी जाये, ताकि उन्हें भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य में सुविधा हो। राज्य सरकार के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा संधारण के कार्य भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, उन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से किसी प्रकार की अग्रिम स्वीकृति की सूचना सीधे भविष्य-निधि निदेशालय वित्त विभाग में भेजी जाये।

बाह्य सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, नयी दिल्ली स्थित बिहार भवन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं वाणिज्य कर विभाग के कलकत्ता स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा संधारण का कार्य भविष्य-निधि निदेशालय वित्त विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों यानी आई०ए०एस०, आई०पी०एस० तथा आई०एफ०एस० (भारतीय वन सेवा) बिहार लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के लेखा संधारण के कार्य भी भविष्य निधि निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। सरकार के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखा संधारण के कार्य उनके पदस्थापन के जिले के भविष्य-निधि पदाधिकारियों के कार्यालय में सम्पादित किये जा रहे हैं।

अत: अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति की सूचना तद्नुसार भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग एवं सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों को सीधे भेजे जाने वाली सूचनाओं की एक प्रति भविष्य निधि निदेशालय को भी सूचनार्थ भेजी जाये।

123. [पत्रांक 503 भ०निधि (3), दिनांक 21-1-1988 की प्रतिलिपि।]

विषय : जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि निदेशालय के परिपत्र संख्या 4551, दिनांक 21-9-1987 के अनुसार 1,000-1,820 रुपये से कम वेतनमान के राजपत्रित पदाधिकारियों एवं जिला स्थित सभी कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा ही किया जाना है। जिला कार्यालयों द्वारा भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने के सम्बन्ध में जो जिला कोड तथा विभाग/कार्यालय कोड अपनाया जायेगा इस सम्बन्ध में निदेशालय के परिपत्र संख्या 18 (भ०नि०) दिनांक 1-8-1985 द्वारा प्रेषित "अनुदेश ज्ञापन राज्य सरकार के कार्मिकों के भविष्य निधि लेखा संधारण सम्बन्धी अनुदेश एवं निदेशालय के परिपत्र संख्या 201 भ० नि०, दिनांक 17-9-1986 में आवश्यक निदेश दिये गये हैं" इधर कुछ जिला

कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया है कि निदेशालय ने उपर्युक्त परिपत्रों से विभागों/कार्यालयों का जो कोड निर्धारित नहीं किये गए हैं । निदेशालय द्वारा इसकी समीक्षा कर उन विभागों/कार्यालयों, जिनका कोड निर्धारित नहीं हुआ था, को कोड निर्धारित कर दिया है और पुन: उनकी एक समेकित सूची इसके साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

2. बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों का लेखा संधारण निदेशालय द्वारा किया जाता है। अतएव यह निर्णय लिया गया है कि उनका लेखा संख्या आवंटन भी केन्द्रित रूप से निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा । लेखा संधारण सम्बन्धी उल्लिखित अनुदेश में यह बतलाया गया है कि बाह्य सेवा के कर्मियों का जिला कोड पी०टी०एस० होगा । परन्तु यह भी स्मरणीय है कि सचिवालयों भविष्य निधि कार्यालय का भी जिला कोड पी०टी०एस० ही है। अतएव दोनों में अन्तर बनाये रखने हेतु यह निर्णय लिया जाता है कि बाह्य सेवा के कार्मिकों के जिला पी०टी०एस० के बाद कोष्ठ में एफ०एस० (F.S.) भी जुटा रहेगा और इसके बाद ही विभाग का कोड और संख्या होंगे । बाह्य सेवा के कार्मिक अपने पदस्थापन के जिलों के जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से अग्रसारित कराकर अपना प्रपत्र (चार प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे । बाह्य सेवा के कार्मिकों के लिए विहित प्रपत्र का नमूना संलग्न किया जा रहा है। 1,000-1,820 अथवा इससे अधिक के वेतनमान वाले पदाधिकारी का भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन निदेशालय से ही होता है और उसका राज्य कोड बी०एच०आर० रहता है। अत: यदि ऐसे पदाधिकारी बाह्य सेवा में भी होंगे, तो उनके लेखा संख्या का आवंटन उसी प्रकार निदेशालय द्वारा होगा, जिस प्रकार बाह्य सेवा में नहीं रहने पर उन्हें होगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 4969 भ० निधि (3), दिनांक 2-9-1987 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि आरक्षियों एवं हवलदारों के भविष्य निधि लेखा का संधारण पूर्ववत् वित्त विभाग के आरक्षी भविष्य निधि शाखा द्वारा तिथि 28-2-1989 तक संधारित किया जाता रहेगा । उपर्युक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता रहेगा । उपर्युक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्योंहि आरक्षी/हवलदार की प्रोन्नति जमादार सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक के पद पर होती है उस समय से उनके भविष्य निधि लेखा संधारण सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा ही किया जायेगा। अतएव उक्त प्रोन्नति के बाद सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय उन्हें नये लेखा संख्या का आवंटन भी करेंगे ।

124. **[अधिसूचना संख्या–एम 1-04/88/33/3373 वि० (भ०नि० निदेशालय), दिनांक 6-5-1988 की प्रतिलिपि ।]**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1984 में अधिसूचना संख्या एम 1-34-80-4771 वि० (2), दिनांक 10-7-1982 द्वारा किए गए संशोधन के पश्चात् दिनांक 1-4-1986 से पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं –

2. नियम 14 के उप नियम 4 के नीचे की टिप्पणी के नीचे निम्नलिखित दूसरी टिप्पणी जोड़ी जाये –

टिप्पणी : भविष्य निधि में संचित राशि पर अंशदान अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, को अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छ: माह

से अधिक किसी भी अवधि के लिए अर्थात् भुगतान के निमित्त प्राधिकार पत्र 15 तारीख के बाद निर्गत होने पर जिस माह में निर्गत होगा, उस माह तक तथा 15 तारीख तक निर्गत होने पर तो उसके पूर्व माह तक सूद देय होगा, परन्तु 15 तारीख के बाद निर्गत होने वाले प्राधिकार पत्र पर दूसरे माह में ही भुगतान होगा, जिसे प्राधिकृत करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम होंगे :–

(i) ऐसे अंशदाता जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संधारित किया जाता है –

निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संधारित किया जाता है – सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/उपर्युक्त ।

(iii) ऐसे अंशदाता जिनका भविष्य निधि लेखा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय अथवा इसके जिला कार्यालयों द्वारा संधारित नहीं किया जाता है – वित्त विभाग ।

बशर्त्ते कि स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी पूर्णतया सन्तुष्ट हो कि अंशदाता अथवा नियमानुसार जिन्हें भुगतान किया जाना है, द्वारा आवेदन-पत्र अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद रिक्ति मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात् नहीं दिया गया है; एवं विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसकी पूर्ण रूपेण जाँच कर ली गयी है तथा जहाँ आवश्यक हो, उचित कार्रवाई भी की गई है । अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पदरिक्ति/मृत्यु के छः माह की अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों के मामले में भी यद्यपि अद्यतन सूद उपर्युक्त रूप से देय होगा, परन्तु छः माह की अवधि के बाद से विलम्ब की अवधि तक का सूद काट कर ही देय होगा ।

3. यह 1-4-1986 के पूर्व के उन सभी मामलों में भी लागू होगा, जिसमें भुगतान 1-4-1986 तक नहीं हुआ है ।

125. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या–ए 3-10-39/89/851/वि० (2), दिनांक 1-3-1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : भविष्य निधि पासबुक संधारण के सम्बन्ध में भविष्य निधि नियमावली के नियम 39 (क) का स्पष्टीकरण स्थापना वेतन विपत्र पर राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी होने पर पास-बुक का संधारण ।

अधोहस्ताक्षरी को भविष्य निधि नियमावली के नियम 39 (क) के प्रावधान का निदेश करते हुए यह कहना है कि उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार जिन सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्ते की निकासी स्थापना वेतन विपत्र पर की जाती है उनके मामले में सामान्य भविष्य निधि लेखा के साथ-साथ एक पासबुक भी निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी को संधारित करना है जिसमें प्रतिमाह के अंशदान की राशि की प्रविष्टि करना है । यह एक सामान्य प्रावधान है और वैसे सभी राजपत्रित पदाधिकारियों पर, जिनके वेतन की निकासी उक्त नियम की प्रभावी तिथि के पूर्व और बाद जिस तिथि से स्थापना वेतन विपत्र पर निकासी की प्रक्रिया लागू होती है, सामान्य रूप से प्रभावी हैं । सिर्फ अन्तर यह कि उक्त नियम की प्रभावी तिथि के पूर्व के पदाधिकारियों के मामले में तिथि 1-4-1982 से पासबुक संधारित करना है और दूसरे कोटि के पदाधिकारियों के मामले में उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से स्थापना वेतन विपत्र पर निकासी की प्रक्रिया लागू की जाती है ।

2. नियम के उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में 1,820 रु० तक के अधिकतम वेतनमान के पदाधिकारियों के मामले में तिथि 1-1-1986 से अर्थात् जनवरी, 1986 माह के वेतन से भविष्य निधि से अंशदान की कटौती की प्रविष्टि भविष्य निधि पासबुक में होना आरम्भ होना चाहिए; इसी तरह भविष्य में जिन पदाधिकारियों के मामले में जिस तिथि से स्थापना वेतन विपत्र पर वेतन की निकासी की प्रक्रिया लागू होगी उसी तिथि से पासबुक पद्धति प्रभावी हो जाएगा ।

3. अतएव अनुरोध है कि वैसे सभी राजपत्रित पदाधिकारियों, जिनके वेतनमान की आवश्यक सीमा रु० 1,820 है और वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 5422/वि०, दिनांक 29-8-1985 के अनुसार जिनके वेतनादि का भुगतान स्थापना विपत्र पर किया जा रहा है, के मामलों में भी निश्चित रूप से तिथि 1-1-1986 से ही पासबुक की प्रक्रिया अपनाई जाए अर्थात् पासबुक की पहली प्रविष्टि जनवरी, 1986 के मासिक वेतन विपत्र से की जाने वाली कटौतियों से आरम्भ की जाये । यह भी निदेश दिया जा रहा है कि भविष्य के लिए यह ध्यान में रखा जाये कि जिस तिथि से जिन पदाधिकारियों के मामलों में स्थापना वेतन प्रपत्र पर वेतन निकासी की प्रक्रिया लागू की जाती है, उसी तिथि से पासबुक पद्धति द्वारा भविष्य निधि लेखा का संधारण होगा । ●

126. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र सं०-जी०पी०एफ० 1-508/89/98-भ०नि० (3), दिनांक 6-1-1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यप्रणीय अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों की प्रति सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि जब भविष्य निधि का लेखा का संधारण महालेखाकार, बिहार द्वारा हुआ करता था, तो संधारण कार्य केन्द्रित रूप से होने के कारण स्वीकृत्यादेश मात्र महालेखाकार को सम्बोधित रहने से उद्देश्य की पूर्त्ति हो जाती थी । आप अवगत होंगे कि तिथि 1-4-1986 से भविष्य निधि निदेशालय द्वारा निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों में विकेन्द्रित रूप से भविष्य निधि का लेखा संधारण किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृत्यादेशों में निदेशक भविष्य निधि की संबोधन रहने के साथ-साथ उसकी प्रतियाँ सीधे सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को भी दी जानी चाहिए ।

2. ऐसा पाया जा रहा है कि भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने वाले कुछ सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जो स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जा रहे हैं, उनमें आदेश की प्रति जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को नहीं दी जाती, जिससे लेखा के संधारण में गड़बड़ी की सम्भावना हो सकती है ।

अतएव यह अनुरोध है कि भविष्य में भविष्य निधि की स्वीकृत्यादेशों की प्रतियाँ निश्चित रूप से सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को भी दी जाये । वैसे कार्मिकों जिनके वेतन का भुगतान सचिवालय कोषागार द्वारा होता है, के भविष्य निधि अग्रिम के स्वीकृत्यादेशों की प्रति सहायक निदेशक, सचिवालय भविष्य निधि कार्यालय, पंत भवन, बिहार, पटना को दें । कृपया अपने अधीनस्थ उन सभी पदाधिकारियों को भी इससे अवगत करा दिया जाये । जिनके द्वारा भविष्य निधि के अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है ।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाये । ●

127. [बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या–3ए–2–5–35–88–96 वि० (2), दिनांक 9–3–1990 की प्रतिलिपि ।]

विषय : वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902, दिनांक 17–1–1979 के आलोक में सरकारी सेवकों की भविष्य निधि में जमा महँगाई भत्ता की राशि की निकासी के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 902/वि०, दिनांक 17–1–79 द्वारा चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य कुछ कर्मचारियों को छोड़कर सरकारी सेवकों को स्वीकृत की जाने वाली महँगाई भत्ता की राशि को आधी नगद रूप में तथा आधी राशि भविष्य निधि में जमा करने का निर्णय लिया गया था । भविष्य निधि में जमा इस प्रकार की राशि के लिए सामान्य भविष्य निधि नियमावली के (अग्रिम की निकासी से सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 15 से 28 तक के) प्रावधानों को छोड़कर शेष प्रावधानों को लागू रखा गया था । उपर्युक्त संकल्प के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीवन यापन भत्ता का जो अंश सामान्य भविष्य निधि से जमा होगा उसकी निकासी 5 वर्षों तक नहीं होगी और 5 वर्ष के बाद यदि इस राशि की निकासी होगी, तो प्रत्येक वर्ष में 5वें हिस्से से अधिक राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

2. वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आलोक में महँगाई भत्ते की आधी राशि को भविष्य निधि में जमा करने की प्रक्रिया वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6971, दिनांक 16–10–1984 निर्गत होने के पूर्व दिनांक 30–9–1984 तक जारी रही । इस संकल्प में भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली महँगाई भत्ते के नकदीकरण का निर्णय लिया गया, परन्तु यह भी प्रावधान किया गया कि पुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की 16 किस्तों की आधी राशि की भविष्य निधि में जमा करने की प्रक्रिया प्रभावी रहेगी । इनके बाद वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4160, दिनांक 3–6–1986 द्वारा 2 किस्तों, संकल्प संख्या 8888, दिनांक 24–12–1986 द्वारा 3 किस्तों; संकल्प संख्या 7758, दिनांक 26–12–1988 द्वारा 2 किस्तों के नकदीकरण का आदेश देते हुए शेष किस्तों के सम्बन्ध में जमा की जाने वाली राशि की व्यवस्था पूर्ववत् बनाये रखी गयी ।

3. इस प्रकार भविष्य निधि में जमा महँगाई भत्ते की राशि की निकासी का विषय काफी दिनों से सरकार के विचाराधीन था । सरकार द्वारा इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया है कि महँगाई भत्ते की भविष्य निधि में जमा राशि को वित्तीय वर्ष 1990–91 में प्रारम्भ कर अगले 5 वर्षों में निम्न सामान्य भविष्य निधि में हस्तांतरित किया जाये :–

(क) दिनांक 31–3–1990 तक जमा राशि (सूद सहित) का 1/5 भाग वित्तीय वर्ष 1990–91 में सामान्य भविष्य निधि में हस्तान्तरित किया जाये ।

(ख) दिनांक 31–3–1991 तक शेष जमा राशि (सूद सहित) का 1/4 भाग वित्तीय वर्ष 1991–92 में सामान्य भविष्य निधि में हस्तान्तरित किया जाये ।

(ग) दिनांक 31–3–1992 तक शेष जमा राशि (सूद सहित) का 1/3 भाग वित्तीय वर्ष 1992–93 में सामान्य भविष्य निधि में हस्तान्तरित किया जाये ।

(घ) दिनांक 31–3–1993 तक शेष राशि (सूद सहित) का 1/2 भाग वित्तीय वर्ष 1993–94 में भविष्य निधि में हस्तान्तरित किया जाये ।

(ङ) दिनांक 31-3-1994 तक शेष जमा राशि (सूद सहित) का हस्तान्तरण वित्तीय वर्ष 1994-95 में सामान्य भविष्य निधि में किया जाये ।

(च) उपर्युक्त प्रकार से सामान्य भविष्य निधि में जो राशि हस्तान्तरित की जायेगी उनके लिये सामान्य भविष्य निधि नियमावली के सभी प्रावधान लागू होंगे । ●

128. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं०-ए-04/92/310 वि० (2), दिनांक 18 जनवरी, 1993 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : भविष्य निधि की अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में ।

भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति की शक्ति विभिन्न प्रशासी विभागों को प्रदत्त करने का प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष कुछ दिनों से विचाराधीन था । इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी में अनावश्यक कठिनाई न हो, अप्रत्यर्पणीय भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की जाये ।

अत: राज्य सरकार ने अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति सभी प्रशासी विभागों को सौंपने का निम्नांकित शर्तों के साथ निर्णय लिया है :-

(1) अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सिर्फ विभागीय आयुक्त/सचिव द्वारा ही दी जा सकती है । वे इस शक्ति को डेलिगेट नहीं कर सकेंगे ।

(2) अंशदाता की लेखा विवरणी, प्रत्येक परिस्थिति में भविष्य निधि निदेशालय पटना/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से अद्यतन हो । प्रत्येक स्वीकृति के पूर्व नई लेखा संख्या का जिक्र स्वीकृत्यादेश में अवश्य हो ।

(3) भविष्य निधि निदेशालय, सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से निर्गत अद्यतन लेखा विवरणी के उपरान्त राशि की वर्षवार विस्तृत कटौती, आजपत्रित पदाधिकारी के केस में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा यथा स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (राजपत्रित) के केस में सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

(4) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं निर्धारित आवेदन-पत्र एवं जाँच पत्र में पूर्ण सूचना, जाँच एवं अनुशंसा अपेक्षित होगी ।

(5) अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के सम्बन्ध में भविष्य निधि नियमावली की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सख्ती से किया जायेगा ।

(6) अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के पूर्व विभागीय आयुक्त/सचिव यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदक के खाते में जमा राशि सही है और अधिक निकासी की कोई सम्भावना नहीं है विभागीय आयुक्त/सचिव की इसकी पूर्ण जिम्मेवारी होगी ।

(7) किसी विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी ।

बिहार सामान्य भविष्य निधि में प्रवेश के लिए आवेदन-प्रपत्र

(केवल बाह्य सेवा की शर्तों पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों के लिए) वेतनमान 1,000 से 1,820 के बीच के नीचे)

प्रशासी विभाग का नाम .... जन्म तिथि ....

प्रशासी विभाग में आवेदक का वेतनमान .... योगदान की तिथि ....

लेखा संख्या, जो लेखा पदाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा ।	आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता ।	पदनाम ।	कार्यालय जिससे सम्बद्ध है ।	पद स्थायी है या अस्थायी है अथवा आवेदक स्थायी पद पर परिवीक्षा पर है ।	यदि स्थायी या स्थानापन्न सेवा में है तो क्या स्थायी किये जाने की सम्भावना है ।	प्रतिमास परिलब्धियों की दर ।	प्रतिमाह अंशदान की दर ।	यदि किसी अन्य निधि में अंशदान करता हो तो उस निधि का नाम ।	आवेदक को परिवार है कि नहीं ।	अंशदान को आवंटित पुराना लेखा संख्या, यदि आवंटित हो ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

स्थान .... आवेदक का हस्ताक्षर   कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

तारीख ....

का कार्यालय

संख्या   दिनांक

लेखा संख्या आवंटित करके वापस किया जाता है । यह लेखा संख्या इससे सम्बद्ध सभी पत्राचारों में उद्धृत की जानी चाहिए । इसके साथ नाम निर्देशन का फारम भेजा जाता है जिसे सम्यक् रूप से भरकर यथाशीघ्र वापस कर दिया जाए ।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

129. [बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ० 1-055/86-3976-वि०, दिनांक 27 मई, 1986 की प्रतिलिपि ।]

विषय : कोषागार पदाधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की गयी राशि तथा अग्रिम ली गयी राशि के प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में ।

आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने दिनांक 1 अप्रील, 1986 से महालेखाकार से सामान्य भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य ले लिया है । महालेखाकार द्वारा 1981-82 वित्तीय वर्ष का ही लेखा का वार्षिक विवरण दिया जा रहा है इस तरह 1982-83 से 1985-86 चार वर्षों का लेखा संधारण का लम्बित कार्य सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पटना द्वारा किया जायेगा । ऐसे तो इन वर्षों का सामान्य भविष्य निधि की अनुसूचियाँ महालेखाकार से मँगायी जा रही है, फिर भी ऐसी आशंका है कि बहुत-सी अनुसूचियाँ उपलब्ध नहीं होंगी । इसके साथ ही साथ महालेखाकार द्वारा 1981-82 तक दी जाने वाली वार्षिक विवरणी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, और उनमें बहुत-सी भविष्य निधि मद में की गयी कटौतियाँ गुम हो सकती हैं, ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि राजपत्रित पदाधिकारियों के कोषागार पदाधिकारी तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट प्रमाण-पत्र दिया जाये कि उनके द्वारा उनके भविष्य निधि लेखा में कब और कितनी राशि जमा की गयी है तथा उसमें कब और कितनी राशि अग्रिम के रूप में ली गयी है, और अग्रिम में ली गयी राशि के विरुद्ध कब और कितनी राशि का समायोजन किया गया है ।

ऐसे तो सामान्य भविष्य निधि निदेशालय से भी सभी कोषागार पदाधिकारियों को उक्त प्रमाण-पत्र राजपत्रित पदाधिकारियों को देने हेतु अनुरोध किया गया है, फिर भी इस कार्य में आपके सहयोग की अपेक्षा है । आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी कोषागार पदाधिकारियों/सहायक कोषागार पदाधिकारियों को यह निर्देश दें कि उनके कोषागार से सही प्रमाण-पत्र देने की समुचित व्यवस्था हो, ताकि किसी भी पदाधिकारी को आवश्यक प्रमाण-पत्र लेने में कठिनाई न हो और कोई गलत प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर ले ।

आप अपने जिले के तमाम निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दें कि वे अराजपत्रित कर्मचारियों को आवश्यक प्रमाण-पत्र देने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि जिला भविष्य निधि कोषांगों द्वारा कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में आवश्यक प्रविष्टि करने में दिक्कत नहीं हो । सभी प्रविष्टियाँ पासबुक में भी की जाये । अस्थाई एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के सम्बन्ध में विशेष प्रविष्ट अपेक्षित है ।

130. [बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-056/86-3991-वि० (2), दिनांक 28 मई, 1986 की प्रतिलिपि ।]

विषय : शिक्षकों के भविष्य निधि लेखे को जिला भविष्य निधि कोषांग में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से महालेखाकार से बिहार सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य ले लिया है । लेखा संधारण का कार्य राज्य सरकार द्वारा विकेन्द्रित कर दिया गया है । वित्त विभाग के अधीन सामान्य भविष्य निधि निदेशालय की स्थापना की गई है । जिसमें राज्य सरकार के सेवा संवर्ग के सभी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण सीधे निदेशालय द्वारा किया जायेगा । अन्य कर्मचारियों, पदाधिकारियों

के लेखे का संधारण उनके पदस्थापन जिले में अवस्थित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा ।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि के लेखे का संधारण दिनांक 1 अप्रील, 1986 से जिला में अवस्थित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा । इसलिए, अनुरोध है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाये कि वे सभी शिक्षकों के लेखों को 31 मार्च, 1986 तक अविलम्ब अद्यतन कर सभी लेखों को जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दें तथा उसकी सूचना सामान्य भविष्य निधि निदेशालय तथा शिक्षा विभाग को दें ।

जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भविष्य निधि के अद्यतन लेखों का स्थानान्तरण नहीं किया जाता है तब तक इसकी अन्तिम निकासी सम्बन्धी कार्रवाई पूर्व की भाँति उन्हीं के स्तर से की जाती रहेगी ।

चूँकि भविष्य निधि निदेशालय द्वारा सभी अंशदाताओं को नई लेखा संख्या आवंटित किया जाना है, इसलिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाये कि वे अपने कार्यालय के सभी अंशदाताओं का पूर्ण विवरण निम्नांकित प्रपत्र में चार प्रतियों में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को अविलम्ब समर्पित करें । जिला भविष्य निधि पदाधिकारी का इन चार प्रतियों में एक प्रति अपने कार्यालय में रख लेंगे तथा तीन प्रतियाँ भविष्य निधि निदेशालय, पटना को भेजेंगे । भविष्य निधि निदेशालय इन अंशदाताओं को नया लेखा संख्या आवंटित कर एक प्रति अपने पास रखेगा और अन्य दो प्रतियों में एक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को तथा दूसरी प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेंजेंगे ।

प्रपत्र

क्र० सं०	अंशदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता स्थाई/ वर्तमान	लेखा सं०	जन्मतिथि	सेवा में योगदान की प्रथम तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु सीधे भेजी जा रही है ।

131. **[बिहार सरकार, वित्त (भविष्य निधि निदेशालय) विभाग, पत्र संख्या जी०पी०एफ० 1-097/86/60-(भ०नि०) वि०, दिनांक 25 अगस्त, 1986 की प्रतिलिपि ।**

विषय : राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर दिनांक 1 अप्रील, 1986 से राज्य सरकार द्वारा ही सम्पन्न करने के फलस्वरूप भविष्य निधि की राशि के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भविष्य निधि लेखा संधारण कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा ही विकेन्द्रीत रूप से सम्पन्न किया जा रहा है, जिसके अनुसार सूची में अंकित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लेखाओं का

संधारण-कार्य वित्त विभाग के अधीन स्थापित भविष्य निधि निदेशालय द्वारा सम्पन्न हो रहा है, जबकि सरकार के शेष अन्य कार्मिकों के लेखे उनके पदस्थापन जिलों में स्थापित "जिला भविष्य निधि कोषांगों" द्वारा संधारित किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि लेखा संधारण-कार्य के अन्तर्गत कार्मिकों के नए लेखा संख्या का आवंटन, प्रत्येक माह में कोषागारों से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर निधि में जमा एवं निकाली गई राशियों/अंशदानों की लेजर आदि में प्रविष्टियाँ एवं उनके संचित निधियों के अन्तिम भुगतान के कार्य सम्मिलित है ।

2. सामान्य रूप से इस प्रक्रिया के अनुसार सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों आदि से यह अपेक्षा है कि वे अपनी-अपनी अधीनस्थ स्थापनाओं के कार्मिकों के कागजात आवश्यकतानुसार निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग अथवा सम्बद्ध जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के पास अवश्य ही भेजे रहे होंगे, किन्तु यहाँ विशिष्ट रूप से भविष्य निधि लेखाओं में संचित राशियों के अन्तिम भुगतान के मामलों का उल्लेख करते हुए यह कहना है कि सामान्य मामलों की ही तरह अब अन्तिम भुगतान के ऐसे सभी मामले भी महालेखाकार, बिहार के यहाँ न भेजकर यथा आवश्यकता निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग अथवा सम्बद्ध जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के पास ही भेजे जाएँ । प्रसंगवश इस हेतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से भविष्य निधि लेखा-संधारण कार्य की यथावत् औपचारिक विमुक्ति के फलस्वरूप महालेखाकार ने संधारण के अन्य सामान्य मामले की ही तरह अन्तिम निकासी को प्राधिकृत करने का काम भी अब दिनांक 1 जुलाई, 1986 से बन्द कर दिया है । फलत: इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये कि ऐसे सभी मामले जिनकी अन्तिम निकासी प्राधिकृत करनी है, किसी भी स्थिति में महालेखाकार, बिहार के यहाँ न भेजे जाएँ ।

3. अतएव, अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ कि वे अपनी स्थापनाओं के कार्मिकों के भविष्य निधि लेखाओं में संचित राशियों की अन्तिम निकासी के सभी मामले आवश्यकतानुसार निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सम्बद्ध जिले के जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों के पास सीधे भेजें ।

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

132 **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, पत्र संख्या-जी०पी०एफ०-1-056/ 86-506-भ०नि० (3), दिनांक 13 जनवरी, 1989 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : बिहार राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संधारण के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2489, दिनांक 3 दिसम्बर, 1988 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का संधारण वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय) के परिपत्र संख्या 39991 वि०, दिनांक 28 मई, 1986 तथा परिपत्र संख्या 100-वि०भ०नि० (3), दिनांक 2 सितम्बर, 1986 द्वारा निर्गत प्रक्रियात्मक निर्णयों एवं निर्देशों के अनुसार जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा होना है । इन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि में दिनांक 31 मार्च, 1986 तक जमा राशि को सूद सहित विहित प्रपत्र द्वारा उनके पदस्थापन के जिलों में हस्तांतरित

करने के लिये शिक्षा (जिला शिक्षा पदाधिकारियों) विभाग को निदेश है, किन्तु जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह हस्तान्तरण नहीं हो जाता दिनांक 31 मार्च, 1986 तक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान पूर्व की भाँति इन्हीं के स्तर से करने का निर्णय है । भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निर्णयात्मक परिपत्र संख्या 740, दिनांक 19 जुलाई, 1984 स्वत: स्पष्ट है जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित है । इनके अनुसार अंशदाताओं के अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि को उनके पासबुक से निकाल कर चालान के द्वारा संगत लेखा शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है ।

अत: उक्त वर्णित परिस्थिति में संतुष्ट हो लिया जाये कि दिनांक 1 अप्रील, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त अंशदाताओं की अंशदायी भविष्य निधि की राशि कोषागार चालान द्वारा संगत लेखा शीर्ष में जमा हो गयी है और तब जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत प्राधिकार को मान्यता दिया जाए । ●

133. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, कार्यालय आदेश संख्या 14 भ०नि० (3), दिनांक 25 जनवरी, 1989 की प्रतिलिपि ।]**

भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान एवं वार्षिक लेखा विवरणी की गणना आदि तैयार करने के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें –

(1) महालेखाकार से प्राप्त अवशेष एवं कोषागार पदाधिकारी । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्गत (कटौतियों एवं अग्रिम लेने और न लेने के सम्बन्ध में) प्रमाण-पत्र सर्वप्रथम उपनिदेशक या अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें । संचिका में महालेखाकार द्वारा दिया गया बी०टी० कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र और विभाग द्वारा अन्तिम भुगतान सम्बन्धित आवेदन संचिका में एक ही साथ लगातार रखें, ताकि अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन में सुविधा हो ।

(2) कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र में अगर इन्टरपुलेशन, ओभरराइटिंग या कटिंग आदि हो और उस पर कोषागार पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर न हो तो उसे गणना का आधार न माने और उसे हाथों-हाथ सम्बन्धित अंशदाता को न लौटावें वरन् अधोहस्ताक्षरी को हस्ताक्षरित अग्रसारण-पत्र द्वारा लौटावें ।

(3) अभी देखा जा रहा है कि कटिंग वाले प्रमाण-पत्र पर बाद में दूसरे के लिखावट में प्रविष्ट किया हुआ प्रमाण-पत्र या कभी-कभी सन्देह उत्पन्न करने वाला प्रमाण-पत्र पर गणना की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिये । यद्यपि कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा प्रमाण-पत्र गलत ही होगा, लेकिन सही कदम यही होगा कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाये ।

(4) अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के साथ ही अंशदाता के भविष्य निधि सम्बन्धी कागजात जो उनके नियंत्रक पदाधिकारी/विभागीय पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से भेजे जाते हैं, प्राप्त करें । किसी भी स्थिति में अंशदाता से हाथों-हाथ प्राप्त कर संचिका में न लगाएँ । ●

134. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग पत्र संख्या-जी०पी० एफ०-1-259/89-5442-भ०नि०, दिनांक 1 जुलाई, 1989 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राजपत्रित पदाधिकारियों को भविष्य निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि एक अलग पंजी में करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि राजपत्रित पदाधिकारियों के भविष्य निधि संधारण के मामले में जब उनके द्वारा भविष्य निधि से लिए गये अग्रिमों के सम्बन्ध में विवरणी कोषगार पदाधिकारियों से किसी मामले में उपलब्ध नहीं होती, तो इसे सम्बन्धित विभागों से माँगा जाता है । विभागों को इसके सम्बन्धित पदाधिकारियों के भविष्य निधि अग्रिम से सम्बन्धित सँचिका को देखकर ही यह विवरणी देनी होती है और इसमें उन्हें अत्यधिक कठिनाई भी होती है तथा इसमें समय भी अधिक लग जाता है ।

उपर्युक्त परिस्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विभाग द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों को भविष्य निधि से स्वीकृत किये जानेवाले अग्रिमों की पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि एक पंजी में करके अभिलेख के तौर पर विभाग में ही सुरक्षित रखा जाये, जिसमें कि राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों का सत्यापन आवश्यकता पड़ने पर उनके पैतृक विभाग से भी किया जा सके ।

अतएव, इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश कृपया दे दिया जाये ।

●

135. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र संख्या–जी० पी०एफ०-1-20/89-6451/भ०नि०वि०, दिनांक 21 अगस्त, 1989 की प्रतिलिपि ।]**

निदेशानुसार सूचित करना है कि निदेशालय द्वारा यह निर्णय प्रस्तावित है कि 30 सितम्बर, 1989 तथा सभी सरकारी कार्मिकों को नया लेखा संख्या आवंटित कर दिया जाये । इस सिलसिले में कोषागार पदाधिकारी को आदेश देने की बात भी प्रस्तावित है कि 1 अक्टूबर, 1989 से उन वेतन-विपत्रों का भुगतान रोक दिया जाये, जिसमें नया लेखा संख्या के विरुद्ध भविष्य निधि की कटौती नहीं की गई है ।

उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के पूर्व आपसे यह अपेक्षित है कि नया लेखा संख्या आवंटन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को युद्ध स्तर पर इस माह के अन्त तक निष्पादन कर दिया जाए । उल्लेखनीय है कि ऐसी शिकायत मिलती है कि लेखा संख्या हेतु प्राप्त आवेदन प्रायः लम्बित रहते हैं । आपसे अपेक्षा की जाती है कि लम्बित आवेदनों पर विशेष नजर रखते हुए उनका निष्पादन इस माह के अन्त तक कर दें ।

दिनांक 30 सितम्बर, 1989 तक सभी कार्मिकों को नया लेखा संख्या आवंटित करने के सिलसिले में यह आवश्यक है कि सभी लोगों से नया लेखा संख्या आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त किए जायें । निदेशालय के उपर्युक्त प्रस्तावित निर्णय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए स्थापना विपत्र से वेतन पाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी को तथा ऐसे सरकारी सेवक, जो कोषागार से अपना वेतनादि सीधे निकासी करते हैं, को अनुरोध किया जाये कि नया लेखा संख्या के आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जिला भविष्य निधि कार्यालय, सचिवालय भविष्य निधि कार्यालय/निदेशालय में यथाशीघ्र भेजकर 30 सितम्बर, 1989 के पूर्व नया लेखा संख्या का आवंटन प्राप्त कर लें ।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्य को विशेष अभियान चलाकर पूरा करें ।

जैसा कि पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 9676/88 अस्फाक अहमद बनाम बिहार सरकार वगैरह को लोकहित आवेदन मुकदमा में तब्दील करते

हुए यह आदेश दिया गया है कि अगले तीन माह के अन्तर्गत भविष्य निधि लेखा संधारण के कार्य को अद्यतन कर दिया जाये । इस आदेश के अनुपालन में यह आवश्यक है कि सभी कार्मिकों का लेजर खोला जाए और उसे अद्यतन भी कर लिया जाए । प्रत्येक कार्मिकों के लिए लेजर में पृष्ठ आवंटन करने हेतु आवश्यक है कि सभी को नया लेखा संख्या आवंटित कर दिया जाये ताकि तदनुसार सभी का पहले लेजर में पृष्ठ आवंटित कर दिया जाये और फिर जैसे-जैसे महालेखाकार से अन्तशेष, 1982-83 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि की अनुसूचियाँ, 1 अप्रील, 1986 से अद्यतन कोषागार से प्राप्त अनुसूचियाँ, अंशदाताओं से 1982-83 से अद्यतन सत्यापित विवरणियाँ तथा अन्य सूचनाएँ जैसे-जैसे प्राप्त होते जाएँ, वैसे-वैसे तुरत ही अंशदाताओं से सम्बन्धित लेजर के सम्बन्धित पृष्ठ में उसकी प्रवृष्टि होती जाये । लेजर में अंशदाताओं को पृष्ठ आवंटित नहीं रहने के अभाव में उपर्युक्त कागजात प्राप्त होने पर ही उसकी तुरत प्रविष्टि नहीं होती है और वे सभी कागजात यों ही इधर-उधर रखे पड़े रहते हैं और गुम हो जाते हैं । यह आवश्यक है कि लेजर में सभी कार्मिकों का पृष्ठ आवंटित हो जाए और कागज प्राप्त होते ही प्रविष्टियाँ कर दी जाएँ । इसे अति आवश्यक समझकर अनिवार्य रूप से अनुपालन करा दिया जाए । ●

136. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र संख्या-7285, दिनांक 27 सितम्बर, 1989 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : स्थानान्तरण के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के लेखा का स्थानान्तरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सूचित करना है कि स्थानान्तरित सरकारी सेवकों के मामले में जो ट्रांसफर एडभाइज प्राप्त होता है, उसमें एकरूपता नहीं है और अलग-अलग ढंग से वार्षिक विवरणी के ही प्रपत्र में ट्रांसफर एडभाइज को ही भेज दिया जाता है । वैसे इससे आवश्यक सामग्री, कार्रवाई के लिए मिल तो जाती है, परन्तु महालेखाकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है ।

अत: इस सम्बन्ध में महालेखाकार के द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र एवं उसके अग्रसारण पत्र के प्रारूप तथा एकनोलेजमेंट आदि के भी प्रारूप का नमूना इसके साथ संलग्न कर भेजा रहा है और आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले सरकारी सेवकों के लिए इसी प्रपत्र के अनुसार ट्रांसफर एडभाइज भेजने की कार्रवाई या अन्य सूचनाएँ भेजने की कार्रवाई की जाये । ●

137. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, भविष्य निधि निदेशालय, पत्र संख्या-जी० पी०एफ०-1-272/89-1766-भ०नि० (3), दिनांक 15 मार्च, 1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : राजपत्रित पदाधिकारी, जो अपने वेतनादि की निकासी स्वयं करते हैं, परन्तु जिनकी जमा एवं निकासी की विवरणी कोषागार पदाधिकारी द्वारा संधारित नहीं की जाती, के मामलों में उनकी विवरणी का उनके नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी, जो स्वयं ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं, परन्तु उनके जमा एवं निकासी की विवरणी कोषागार पदाधिकारी द्वारा संधारित नहीं की जाती, अपने भविष्य निधि लेखा के संधारण के क्रम में अपने भविष्य निधि की जमा एवं निकासी की विवरण को स्वयं सत्यापित करके निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय को प्रस्तुत कर देते हैं । अपने भविष्य निधि

लेखा संधारण के सम्बन्ध में भविष्य निधि से जमा एवं निकासी की विवरणी को उनके द्वारा स्वयं सत्यापित करना किसी भी स्थिति में नियमित नहीं कहा जा सकता ।

अतएव, यह अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ इस कोटि के सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को निश्चित रूप से यह निर्देश दे दिया जाये, जिसमें वे अपने जमा एवं निकासी की विवरणियों को स्वयं सत्यापित न कर, अपने नियंत्रण पदाधिकारी से ही सत्यापित कराकर भेजें । इस निर्देश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भी कृपया दे दी जाये । ●

138. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, भविष्य निधि निदेशालय, पत्र सं०–जी०पी० एफ०-1-109/90-2162-भ०नि०, दिनांक 28 मार्च, 1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : महालेखाकार से प्राप्त औपबंधिक/अन्तिम अन्तशेष राशि का स्थानान्तरण पर कार्रवाई ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके द्वारा भेजे गये मासिक कार्यकलाप विवरणी की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि महालेखाकार से जो भी औपबंधिक अन्तिम अन्तशेष राशि का स्थानान्तरण आपके कार्यालय में किया गया है । उसकी जाँच कर उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है । परिणामस्वरूप यह है कि अंशदाताओं को राहत देने के लिए महालेखाकार के साथ सतत् प्रयास कर यह लेखा जो प्राप्त किया गया है, उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता है ।

2. अत: अनुरोध है कि आप कृपया विशेष ध्यान देकर महालेखाकार से प्राप्त बी०टी० पर अंशदाताओं का लेखा खोल दें तथा उनको सूचना दें कि उनसे किन और कागजात को प्राप्त कर उनका लेखा अद्यतन किया जाना है ।

3. इस विवरण पर पूर्ण जानकारी के लिए आप कृपया दिनांक 15 अप्रील, 1990 तक निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन भेजें –

क्र० सं०	महालेखाकार से प्राप्त कुल औपबंधिक अन्तिम अन्तशेष राशि की कुल संख्या ।	प्राप्त बी०टी०में से कितने अंशदाओं का लेखा तैयार किया गया एवं उनको सूचना दी गई ।
1	2	3

4. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए और भविष्य में मासिक कार्यकलाप की विवरणी उपर्युक्त कॉलम में, उपर्युक्त आँकड़ों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए । ●

139. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, भविष्य निधि निदेशालय, पत्र संख्या–जी० पी०एफ०-1-108/90-2284-भ०नि०नि०, दिनांक 2 अप्रील, 1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : कोषागार पदाधिकारियों द्वारा भविष्य निधि पदाधिकारियों को अंशदाताओं के भविष्य निधि की कटौती के डेबिट तथा क्रेडिट के शिड्यूल भेजने के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अंशदाताओं की भविष्य निधि राशि के शीघ्र भुगतान होने तथा उनके लेखा को अद्यतन करने के विषय में हाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसकी सूचना आपको इस निदेशालय के विभिन्न पत्रों के द्वारा दी जा चुकी है ।

2. इसी सन्दर्भ में सभी कोषागार पदाधिकारियों/सभी भविष्य निधि पदाधिकारियों को यह सतत् अनदेश दिये गये हैं कि उनके पास उपलब्ध वर्ष 1985-86 से अद्यतन अंशदाताओं की भविष्य् निधि की कटौती की राशि क्रेडिट/डेबिट शिड्यूल भविष्य निधि पदाधिकारियों को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, तथा आगे से जिस माह का महालेखाकार को अन्तिम लेखा भेजा जाए उसके साथ ही साथ भविष्य निधि पदाधिकारियों को भी ये शिड्यूल को भी उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य निधि पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी से समुचित समन्वय स्थापित कर इसको अवश्य नियमित रूप से प्राप्त करते रहेंगे। इस विषय की समीक्षा मेरे द्वारा विभिन्न प्रमण्डलीय बैठक में भविष्य निधि पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के साथ की जा रही है।

3. लेकिन कुछ जिलों से अभी तक यह सूचना प्राप्त हुई है कि भविष्य निधि के क्रेडिट एवं डेबिट के 1986-87 से सभी शिड्यूल कोषागारों से प्राप्त नहीं किये गये हैं। इसका परिणाम यह है कि अंशदाताओं को उक्त अवधि के लिए अपने लेखा को अद्यतन कराने के लिए कोषागार से प्रमाण-पत्र करना पड़ता है, जिससे उनको कठिनाई होती है।

4. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी कोषागार पदाधिकारी निश्चित रूप से उनके पास उपलब्ध सभी क्रेडिट एवं डेबिट के शिड्यूल को दिनांक 15 अप्रील, 1990 तक सभी भविष्य निधि पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दें। इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई अगर किसी भविष्य निधि पदाधिकारी को है, तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी को अवश्य दें।

5. चूँकि भविष्य निधि के अंशदाताओं को राहत देने का एक महत्वपूर्ण काम है, इसीलिए जिला पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया वे इस बिन्दु की समीक्षा समय-समय पर कोषागार पदाधिकारी/भविष्य निधि पदाधिकारी के साथ करने का कष्ट करेंगे।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 1988-89 से आगे तक किसी भी कोषागार पदाधिकारी के द्वारा किसी भी अंशदाताओं को भेजे गये शिड्यूल के विषय में कोषागार प्रमाण-पत्र अब नहीं देने का आदेश सरकार के विचाराधीन है। भविष्य निधि पदाधिकारी अपने कार्यालय में जाँचकर यह नहीं प्रतिवेदित करेंगे कि उक्त अवधि का शिड्यूल उनको नहीं प्राप्त हुआ है। अत: भविष्य निधि पदाधिकारी को अनुदेश दिया जाता है कि कोषागार से प्राप्त शिड्यूल पर जाँच कर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि प्राप्त शिड्यूल पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

7. स्मरणीय है कि कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा न केवल क्रेडिट का शिड्यूल भेजना है, बल्कि डेबिट का भी जिसकी अपेक्षाकृत संख्या कम होती है, क्योंकि डेबिट के शिड्यूल के आधार पर ही लिये गये अग्रिम की जाँच होती है।

8. इस पत्र का अनुपालन कोषागार पदाधिकारी तथा भविष्य निधि पदाधिकारी कृपया दिनांक 20 अप्रैल, 1990 तक स्थिति के साथ अवश्य अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे तथा भविष्य निधि निदेशालय स्तर पर भी इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर निदेशालय में जिस श्रेणी के अंशदाताओं का लेखा है, उसके विषय में की जायेगी।

9. कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

140. **[कार्यालयादेश संख्या 25 भ०नि०नि०, दिनांक 25 अप्रैल, 1990 की प्रतिलिपि।]**

भविष्य निधि लेखा संधारण के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

(1) भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के मामलों में प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के बाद सम्बन्धित अन्तशेष, अन्तिम भुगतान का आवेदन-पत्र, सम्पार्श्विक साक्ष्य के प्रपत्र, जमा एवं निकासी की सत्यापित विवरणियाँ एवं भुगतान से सम्बन्धित सँचिका में रखे गये सभी कागजात को लाल स्याही से क्रॉस कर "प्राधिकृत" शब्द अंकित कर दिया जाए ।

(2) यदि किसी अंशदाता के भविष्य निधि में जमा राशि के अन्तिम भुगतान किए जाने के बाद भी कोई राशि भुगतान के लिए अवशिष्ट रह जाती है, तो अवशिष्ट राशि का भुगतान करते समय लेजर पंजी सम्पार्श्विक साक्ष्य पंजी एवं "एलफाबेटिकल इन्डेक्स रजिस्टर" को भी देख लिया जाये और तभी अवशिष्ट राशि का भुगतान किया जाये ।

(3) भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिमों के स्वीकृत्यादेशों को सम्बन्धित अंशदाता के भविष्य निधि लेखा संधारण की सँचिका में ही रखा जाये । उनकी वार्षिक लेखा विवरणी निर्गत करते समय अथवा अन्तिम भुगतान करते समय जब कोषागार अनुसूचियों में डेबिट अनुसूचियों को अथवा कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त सत्यापित डेबिट की विवरणियों की समीक्षा की जाये तो उस समय इसकी भी जाँच कर ली जाये कि सभी अग्रिम स्वीकृत्यादेशों में उल्लिखित राशि डेबिट अनुसूचियों अथवा डेबिट के सत्यापित प्रमाण-पत्रों में आ गई है अथवा नहीं । यदि कोई राशि छूट गई हो, तो आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से यह भी सत्यापित करवा लिया जाये कि अमुक भविष्य निधि के स्वीकृत अग्रिम की निकासी नहीं की गई है ।

(4) महालेखाकार, बिहार, पटना से बहुत से अन्तशेष इस प्रकार के भी प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें मात्र अंशदाताओं के नाम और उनकी लेखा संख्या ही अंकित रहती है । ऐसे मामलों में अंशदाता का पूरा पता नहीं होने के कारण कार्रवाई तब तक लम्बित रहती है, जब तक कि अंशदाता या तो स्वयं भविष्य निधि कार्यालयों से सम्पर्क नहीं करता या उनके सम्बन्ध में पूर्ण पता भविष्य निधि कार्यालय को प्राप्त नहीं होता । अतएव, ऐसे मामलों में उनके भविष्य निधि लेखा के प्रतीक (सिम्बोल) को देखकर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के लेखा आवंटनपंजी को देखकर उनका पता ज्ञात किया जाये । लेखा आवंटन पंजी में उनका नाम नहीं होने पर प्रत्याशी विभाग से पत्राचार कर उनका पूर्ण पता ज्ञात कर आगे की कार्रवाई की जाये । कुछ ऐसे भी सिम्बोल हैं, जो कई विभागों, कार्यालयों के एक ही हैं । उदाहरणस्वरूप जी०एल० सिम्बोल कई विभागों/कार्यालयों से सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों के लेखा आवंटन पंजी को देखकर अंशदाता का पदनाम एवं पूरा पता ज्ञात किया जा सकता है । यदि इस पर भी अंशदाता का पता ज्ञात नहीं हो, तो वैसे मामलों में महालेखाकार से पत्राचार कर अंशदाता के प्रत्याशी विभाग की जानकारी प्राप्त की जाये ।

(5) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी जिनका लेखा संधारण निदेशालय द्वारा किया जाता है, के भारत सरकार में प्रतिनियुक्त रहने पर भविष्य निधि से अग्रिम का भुगतान भारत सरकार में ही सम्बन्धित विभाग के वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा ही कर दिया जाता है और उनकी प्रतिपूर्ति के लिए निदेशालय को अनुरोध किया जाता है, ऐसे मामलों में जहाँ सम्बन्धित पदाधिकारी का अन्तशेष प्राप्त है और लेखा अद्यतन है, तो वैसी स्थिति में तो कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु, जो अन्तशेष उपलब्ध नहीं है और लेखा भी अद्यतन नहीं है, वैसे मामलों में भी प्रतिपूर्त्ति विपत्र का बैंक-ड्राफ्ट निर्गत कर दिया जाये एवं प्रतिपूर्त्ति विपत्र में अंकित राशि की

प्रविष्टि लेजर में कर दिया जाये तथा प्रतिपूर्त्ति विपत्र सम्बन्धित पदाधिकारी की संचिका में रख दी जाये।

(6) भविष्य निधि लेखा संधारण के क्रम में यह पाया गया है कि सभी अभिलेख/ कागजात उपलब्ध होने के बाद भी वार्षिक लेखा विवरणी निर्गत करने एवं सेवानिवृत्त/मृत अंशदाताओं के मामलों में अंतिम भुगतान का प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में अत्यन्त विलम्ब होता है। अतएव, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि सभी अभिलेख/कागजात की प्राप्ति के पाँच कार्यालयों दिवसों के अन्दर निश्चित रूप से सम्बन्धित अंशदाता के लेखा संधारण की संचिका लेखापालों/प्रधान लिपिकों अथवा अन्य चेकिंग पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर दें। चेकिंग पदाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया जाता है कि लिपिकों द्वारा प्रस्तुत लेखा संधारण की संचिकाओं को तीन कार्यालय दिवस के अन्तर्गत निश्चित रूप से उच्चतर पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर दें।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। निदेशालय में सहायक निदेशक एवं जिला कार्यालयों में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ●

141. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र संख्या-जी० पी०एफ०-1-504 नि० 87-2901-भ०नि०, दिनांक 4 मई, 1990 की प्रतिलिपि।]**

विषय : महालेखाकार द्वारा प्रेषित अन्तशेषों के क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर अकारण डेबिट एवं क्रेडिट के सत्यापन की शर्त्त को शिथिल माने जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि महालेखाकार बिहार, पटना द्वारा प्रेषित कुछ अन्तशेषों में 1975-76 से 1981-82 तक की लेखा में कोई भी क्रेडिट गुम नहीं दिखाए रहने पर भी अन्तशेष के नीचे अकारण 1981-982 के पूर्व के वर्ष से क्रेडिट एवं डेबिट के सत्यापन कर लिए जाने का उल्लेख रहता है।

पूर्व में इस सम्बन्ध में महालेखाकार के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णय एवं हाल ही में महालेखाकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका (1) में वर्णित मामलों में क्रेडिट और डेबिट जाँच करने सम्बन्धी शर्त्त को शिथिल समझा जाये। ●

142. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र संख्या-जी० पी०एफ०-1-390/89-2741-भ०नि०, दिनांक 7 मई, 1990 की प्रतिलिपि।]**

विषय : बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों के भ०नि० लेखा संधारण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 191, दिनांक 5 फरवरी, 1990 के प्रसंग में यह कहना है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में नियमानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जमा एवं निकासी की सत्यापित विवरणी को ही संपार्श्विक साक्ष्य मानकर भविष्य निधि लेखा का संधारण किया जाता है। शिक्षकों के मामले में उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं, अतएव, उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित विवरणी को मान्यता मिलनी ही चाहिए;

परन्तु इस संदर्भ में, पहली बात तो यह है कि महालेखाकार द्वारा प्रेषित अन्तशेष चूँकि 1981-82 तक की अवधि तक ही होता है, इसलिए, वैसे मामलों में सामान्यतया 1982-83 तक की अवधि में संपार्श्विक साक्ष्य के आधार पर लेखा का संधारण किया जाना है। परन्तु, शिक्षकों के मामले में तो 1985-86 तक का अन्तशेष हस्तांतरित होता है और 1 अप्रील, 1986 से कोषागार से आपको अनुसूचियाँ प्राप्त हो रही होंगी। अतएव, शिक्षकों के मामले में जबकि

1985-86 का अन्तशेष प्राप्त है, तो सामान्यत: सत्यापित विवरणी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए । 1 अप्रील, 1986 के बाद जिन मामलों में कोषागार से अनुसूचियाँ उपलब्ध नहीं हुई हों, उन्हीं मामलों में सत्यापित विवरणी की माँग की जानी चाहिए । प्रधानाध्यापक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी है, अतएव द्वारा प्रस्तुत विवरणी को मान्यता मिलनी चाहिए ।

शिक्षकों के भ०नि० लेखा हस्तांतरण के बाद यह भी सुनिश्चित कर लियां जाये किभ०नि० की राशि सरकारी खजाने में जमा होने के प्रमाणस्वरूप चालान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संलग्न किया गया है, अथवा नहीं । इसको सुनिश्चित कर ही ऐसे मामलों में भुगतान करना है । इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निदेशालय के पत्रांक 7766, दिनांक 21 नवम्बर, 1989 द्वारा निर्देश भेजा जा चुका है, जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/चालान के साथ हस्तांतरित करे तो, चालान के अग्रसारण पत्र में चालान से सम्बन्धित सभी अंशदाता का नाम, भ०नि० लेखा संख्या एवं प्रत्येक अंशदाता के भ०नि० जमा राशि का उसमें निश्चित रूप से उल्लेख करें । ●

143. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, संख्या–जी०पी० एफ०–1–140/89-3550-भ०नि० (3), दिनांक 30 मई, 1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : अखिल भारतीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी अंशदाताओं के भविष्य निधि से संबंधित अनुसूचियों को सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों में ही भेजने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि कुछ कोषागार पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी भविष्य निधि अनुसूचियाँ निदेशालय में भेज रहे हैं । यह न केवल गलत है, वरन् इससे निदेशालय को अत्यन्त परेशानी हो जाती है ।

अतएव, अनुरोध है कि केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को ही भविष्य निधि अनुसूचियाँ निदेशालय में भेजी जाये । अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि अनुसूचियाँ संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालयों को ही प्रेषित कर दी जाये ।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझते हुए सभी कोषागार पदाधिकारी इसके कार्यान्वयन को कृपया सुनिश्चित करेंगे । ●

144. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्रांक 8925, दिनांक 10-10-1990 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : भविष्य निधि में संचित राशि का अंशदाताओं के भुगतान में विलम्ब पर दायित्व निश्चित करने के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पूर्व में दिए गये निदेश के बावजूद भी अंशदाताओं की सेवानिवृत्ति इत्यादि के पश्चात् अन्तिम भविष्य निधि राशि के नियमित भुगतान में भविष्य निधि कार्यालयों के द्वारा विलम्ब किया जा रहा है ।

2. इसके कारण उच्च न्यायालयों में अंशदाताओं के द्वारा याचिका भी दायर की जा रही है । ऐसे बहुत से मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भुगतान में विलम्ब की स्थिति को देखते हुए दण्ड-सूद (पेनल इन्ट्रेस्ट) देने का आदेश दिया जा रहा है । न्यायालय के आदेश होने के बाद सूद का भुगतान निर्धारित अवधि में करना ही पड़ता है, अन्यथा मानहानि की कार्रवाई प्रारम्भ हो जाती है ।

3. अतः उपर्युक्त परिस्थिति में, यह निर्णय लिया गया है कि विशेषतः सेवानिवृत्ति/मृत कर्मचारियों की अन्तिम निकासी के आवेदन पत्र के विषय में कब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तथा कार्यालय के स्तर से उस पर कब-कब अन्तिम भुगतान के लिए क्या कार्रवाई की गयी।

4. अगर न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई याचिका आती है, तो प्रत्येक पदाधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि सरकारी अधिवक्ता से मिलकर पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के सामने रखें केवल पत्र लिखकर न बैठ जायें।

5. यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस किसी भी मामले में सहायक/पदाधिकारी या किसी भी स्तर पर यदि अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा उसके कारण न्यायालय के द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्ति या दण्ड-सूद देने का आदेश पारित किया जायेगा तो उसकी वसूली की कार्रवाई उत्तरदायी कर्मचारी/पदाधिकारी से की जायेगी। यह अनुदेश भविष्य निधि निदेशालय से भुगतान होने वाले सभी मामलों तथा क्षेत्रीय कार्यालय के सभी मामले में लागू होगा।

6. अतः भविष्य निधि निदेशालय के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सभी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार भविष्य निधि निदेशालय में पंजी संधारित की जाए जिससे विलम्ब के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके।

7. जिला पदाधिकारी को विशेष रूप से ऐसे मामलों की समीक्षा भविष्य निधि कार्यालय में करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है जिससे कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई उनके प्रतिवेदन के आधार पर की जा सके।

8. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश को सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर पर बैठक कर स्पष्ट किया जाये और पंजी के संधारण तथा ऐसे मामले की समीक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गयी, इस पर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर भेजा जाये।

145 Government of Bihar, G.P.F. Directorate, Finance Department, G.P.F. No. 1-516/87-1529-G.P.F., the 14th March, 1991.

Subject : Encashment of out station cheques and Bank Drafts relating to Provident Fund Accounts.

I am directed to say that out station Cheques and Drafts from different pay and Account offices of Government of India for their credits to Provident Fund Accounts of officers deputed from the State to the different department of Government of India are being received from the concerned Pay and Accounts offices of the Department drawn on the State Bank of India or other Banks Stationed at New Delhi. Till now the Secretariat State Bank Branch, Patna was collecting all the cheques, but recently have they raised-objection saying that the cheques are sent for collection to the concerned out station Bank which normally takes more than ten days (Exceeding the valid period from a-Government Challan).

2. That apart, they have also to make adjustment for collection charges. Even if the Bank waives the collection charge at the initial stage, there is no guarantee that out Station Banks to whom the cheques are sent for collection may also do the same.

3. If per chance any deduction is made by such out station Banks then the Patna State Bank, sending the cheques for collection, may have the problem of reconciliation as the deducted amount finally sent by the out station Bank may not tally with the original amount of the challan and ultimately the Provident Fund contributor will have to bear its expense, and not only that this will further complicate the accounting procedure in booking credits to the account of the particular contributor in the G.P.F. Directorate.

4. Further the State Bank of India have also raised the objection that they have to bear the postage expenditure in sending the cheques for collection to out station Banks and this is not permitted by their audit.

5. The complication still persists in so far as the loss of interest due to delay in collection of cheques and final credit of collected amount to the P.F. A/c of the particular contributor is concerned, and the contributors are sore over the delayed collection and encashment of cheques and its final credit in their A/c without interest because the credit is counted from the date of encashment.

6. In the wake of this difficulty, we had earlier directed all the Pay and Account offices of different Departmments their number being as many as 30, vide G.P.F. Directorate letter no. G.P.F. 01516/87/7070, dated 24th July, 1990 to send drafts payable at State Bank of India, Secretariat Branch, Patna (Code sl. 153) Instead of sending the recoveries through cheques payable at out station Bank.

Some of the pay and Account offices have started complying with this revised instruction and are sending Bank Draft (Instead of Cheque) payable at State Bank of India, Secretariat Branch, Patna which has eased the problem of collection of these out station cheques. But there are still some Pay and Account offices which are not complying with the above instruction and are returning the cheques issued from out station for acceptance by the Patna State Bank, Secretariat Branch quoting an earlier provision under para 1.11.2 of Civil Account Manual. The note under this para, states that—

Note : "Reserver Bank of India Central office, Bombay in their letter no. 2669/6.A.64(12) 79/80 of 12th May, 1980 addressed to all public sector Banks transacting Government Business we have

requested them to encash out station cheques of category (iii) Government A/c. at para."

7. We have held discussion with the Bank authority here in light of the above provision but they are still insistent that this is not going to obviate the difficulty faced by them so far as they are not in a position to incur extra expenditure on a/c of postage etc. while sending cheques for collection to out station Bank. This is being further complicated by the two issues noted at para (2) and (6) above.

8. So in view of the problems mentioned above, you are kindly requested to instruct all the Pay & Account offices of the different Departments of Government of India with reference to the earlier instruction given by G.P.F. Directorate letter no. quoted above the ensure that if there is difficulty in sending cheques payable at State Bank of India, Secretariat Branch, Patna/they must send Bank Draft relating to P.F. recoveries payable at State Bank of India, Secretariat Branch, Patna or any other Bank Branch stationed at Patna, so that the amount could be collected speedily and booked to the Government credits and ultimately to the P.F. A/c. of the concerned contributors with minimum loss of time.

An early action will be very much appreciated.

146. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्र संख्या–जी० पी०एफ०-1-149/91/2166-भ०नि०नि०, दिनांक 27 मार्च, 1991 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को प्रशासनिक विलम्ब के कारण अद्यतन सूद देने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 6, दिनांक 4 जनवरी, 1991 में उठायी गयी बिन्दुओं पर पूर्णरूप से निदेशालय वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3373, दिनांक 6 मई, 1988 एवं पत्र संख्या 8925, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 के आलोक में समीक्षा करते हुए निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि उक्त पत्रों के अधीन समाहर्त्ता स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं । उक्त अधिसूचना संख्या 3373, दिनांक 6 मई, 1988 की कंडिका 11 के अधीन यह शर्त्त अंकित की गयी है कि "समाहर्त्ता संतुष्ट है कि आवेदन-पत्र अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पदरिक्ति/मृत्यु के छ: माह की अवधि के पश्चात् नहीं दिया गया है एवं विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ, जिसकी पूर्णरूप से जाँच कर ली गयी है तथा जहाँ आवश्यक हो, उचित कार्रवाई भी की गयी है ।"

2. उपर्युक्त वाक्य से स्पष्ट होता है कि समाहर्त्ता स्वयं सक्षम पदाधिकारी है । जिले के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, सभी जिला पदाधिकारी के अधीन ही कार्य करते हैं । जब उचित प्रशासनिक कारणों से नहीं होता है, तब संबंधित समाहर्त्ता, कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम है एवं इस संबंध में समाहर्त्ता विभागाध्यक्ष का भी ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं । इतना ही नहीं, समय-समय पर अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के कर्मचारी/पदाधिकारी को आवश्यक निदेश भी दे सकते हैं ।

प्रशासनिक विलम्ब का मामला लगभग पाँच वर्ष पूर्व में भी आया करता था, जो समाहर्त्ता अपने स्तर से ही निष्पादन किया करते थे। उसी प्रकार, अभी भी प्रशासनिक विलम्ब के कारण संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध समाहर्त्ता के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

3. जहाँ तक न्यायालय द्वारा दंड-सूद देने का आदेश है, इसमें निदेशालय के पत्र संख्या 8925ए, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 (प्रति संलग्न) की कंडिका 5 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि जिस किसी भी मामले में सहायक/पदाधिकारी या किसी भी स्तर पर यदि अति शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा उसके कारण न्यायालय द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्ति या दंड-सूद देने का आदेश पारित किया जायेगा तो उसकी वसूली की कार्रवाई उत्तरदायी कर्मचारी/पदाधिकारी से की जायेगी।

4. अतः अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाये।

147 **[F.D. Memo No.—6779 भ०नि० (3), dated 9-8-1988 की प्रतिलिपि।]**

विषय : बिहार सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं को उनकी जमा रकम पर समय-समय पर ब्याज की दर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भविष्य निधि की जमा रकम पर ब्याज की दरों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गये परिपत्रों के बावजूद भी जिला कार्यालयों में अत्यन्त भ्रांति देखने में आ रही हैं, विशेष रूप से 1-7-1985 से ब्याज किस दर से देय होगा, इस संबंध में अनेक पत्र जिलों से प्राप्त हो रहे हैं। अतएव, 1975-76 से ही भविष्य निधि में जमा रकम पर देय सूद की राशि को जिला कार्यालयों की सुविधा हेतु पुनः नीचे दर्शाया जा रहा है –

क्रमांक अवधि		सूद की दर
1. 1975-76 से 1976-77 तक	(क)	25,000 रु० तक – 7.5%
	(ख)	25,000 रु० से ऊपर – 7%
2. 1977-78 से 1979-80 तक	(क)	25,000 रु० तक – 8%
	(ख)	25,000 रु० से ऊपर – 7.5%
3. 1980-81	(क)	25,000 रु० तक – 8.5%
	(ख)	25,000 रु० से ऊपर – 8%
4. 1981-82 से 1984-85		10 प्रतिशत (बिना किसी सीमा के)
5. 1985-86 से (केवल तीन माह)		10.5 प्रतिशत (बिना किसी सीमा के)
6. अप्रैल, मई तथा जून, 1986 के लिए	(क)	राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा कम-से-कम 15% तथा अराजपत्रित/कर्मचारियों द्वारा कम-से-कम 12.5% अंशदान देने पर सूद की दर 12.5%

(ख) राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा कम-से-कम 12.5% एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा कम-से-कम 10% अंशदान देने पर सूद की दर 10.5% ।

2. यदि जिला कार्यालयों में कोषागार पदाधिकारियों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अंशदाता विशेष के संबंध में प्रस्तुत किये गये कागजात/अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि अशंदाता ने तिथि 1-7-1985 से अपने भविष्य निधि में क्या अंशदान किया है, तो वैसी परिस्थिति में भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा तिथि 1-7-1985 की कटौती के संबंध में राजपत्रित पदाधिकारियों के मामले में संबंधित कोषागार पदाधिकारी से तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इस संबंध में प्रमाण-पत्र की माँग की जा सकती है ।

3. निदेशालय को बहुधा ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि भविष्य निधि के अंशदान संबंधित परिपत्र में "परिलब्धि" शब्द का अर्थ जिला कार्यालय द्वारा गलत लगाया जा रहा है, और इस संबंध में निदेशालय से स्पष्टीकरण की माँग की जा रही है । अतएव, यह स्पष्ट किया जाता है कि "परिलब्धि" शब्द को विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है । भविष्य-निधि नियमावली में "परिलब्धि" शब्द निम्न रूप से परिभाषित है –

"अन्यथा अभिव्यक्त उपबन्धित के सिवाय परिलब्धियों से अभिप्रेत है बिहार सेवा सँहिता में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन-निर्वाह अनुदान और इसमें विनिमय की ऐसी दर पर रूपान्तरित स्तरलिंग समुद्र पार वेतन जो इस निमित्त प्रांतीय सरकार विहित करें और विदेश-सेवा से सम्बन्धित प्राप्त वेतन के स्वरूप का पारिश्रमिक भी शामिल है ।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि "परिलब्धि" का अर्थ कोई भी भत्ता अथवा अन्तरिम सहाय्य निश्चित रूप से नहीं है । ●

148 **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-जी०पी०एफ०-321/97/6159, दिनांक 15वीं दिसम्बर, 1997 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : पुलिस भविष्य निधि के लिए अलग कोषांग की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर जिला स्थित भविष्य निधि कार्यालयों में संविलयन ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि वित्त विभाग के पत्र सं० ए०-10-02-185-8315, दिनांक 28-12-1985 द्वारा राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों का 1-4-1986 से भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार, बिहार से लेकर राज्य सरकार द्वारा संधारित कराया जाए । इसी क्रम में अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण भविष्य निधि निदेशालय तथा अन्य कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लेखा का संधारण का कार्य जिला स्तर पर कार्यरत् आरक्षियों के भविष्य निधि कोषांग को सौंपा गया था । उक्त पत्र की कंडिका 24 में यह वर्णित है कि राज्य में कार्यरत् आरक्षियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण का कार्य जो अभी तक वित्त विभाग में संधारित हो रहा है उसे भी दिनांक 1-4-1986 से जिला स्तर पर भविष्य निधि कार्यालयों में संधारित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के पत्र सं० जी०पी०एफ० 1-435/87/4969 भ०नि० (3), दिनांक 26-9-1997 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आरक्षी भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों द्वारा

दिनांक 28-2-1988 के बाद किया जाएगा । अत: तत्काल प्राप्त आरक्षियों के भविष्य निधि संबंधी सभी कागजात उप-सचिव, प्रभारी आरक्षी भविष्य निधि शाखा, वित्त विभाग को अविलम्ब भेज दिया जाये । परन्तु, अपरिहार्य कारणों से दिनांक 28-2-1988 के बाद आज तक आरक्षी भविष्य निधि लेखा का संधारण जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संधारित नहीं हो सका है ।

अत: कार्य गुणवत्ता के दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आरक्षियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण जिला स्थित भविष्य निधि कार्यालय द्वारा ही संधारित कराया जाए । फलत: वर्तमान व्यवस्था को विकेन्द्रीयकरण करते हुए जिला भविष्य निधि कार्यालय से ही आरक्षियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण किया जाएगा । निदेशक, भविष्य निधि से अनुरोध है कि वे दिनांक 31-12-1997 तक संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के संबंधित कागजों को हस्तांतरित करा लें तथा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा आरक्षियों के लेखा संधारण का कार्य कराये जाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें ।

149. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या-3/ए 2-1/1993 खंड/5542, दिनांक 18-8-1993 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4174, दिनांक 15-6-1993 की कंडिका 3 एवं 4 को सेवानिवृत्ति की तिथि के एक वर्ष पूर्व के सरकारी सेवकों के लिये क्षान्त करने के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-3/ए 1-2-1/93/4174, दिनांक 5-6-1993 की कंडिका 3 के जरिये यह निर्णय लिया गया था कि 3,500 रुपये प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मियों को 1 जुलाई, 1992 से देय महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी । इस संकल्प की कंडिका 4 में यह भी प्रावधान है कि 3,600 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जुलाई, 1992 से मई, 1993 तक देय महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का बकाया उनके सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जायेगा ।

2. राज्य के सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व के भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान बन्द कर देने की सुविधा प्राप्त है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4174, दिनांक 5-6-1993 की कंडिका 3 एवं 4 में निहित प्रावधान ऐसे कर्मचारियों के मामले में प्रभावी नहीं होंगे, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व सामान्य भविष्य निधि में अथवा अनिवार्य अंशदान बन्द कर दिया है ।

150. **[पत्र संख्या 26 वि०, दिनांक 28-1-1995 की प्रतिलिपि ।]**

.... वित्त विभाग के पत्रांक 8315 वि०, दिनांक 28-12-1985 द्वारा प्रेषित भविष्य निधि लेखा संधारण के सरलीकरण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 18 की तरफ आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर अंशदाता का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो जाता है, तो स्थानान्तरित जिले में पुन: नयी लेखा संख्या आवंटित की जाती है इस प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को नया लेखा संख्या आवंटित कराने में अनावश्यक कठिनाई होती है ।

अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी यदि वे एक ही सेवा संवर्ग में हैं तो उनको आवंटित लेखा संख्या उनके स्थानान्तरण के बावजूद भी उनके सेवाकाल तक वही रहेंगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जो संख्याएँ बदली जा चुकी हैं उन्हें अब फिर बदला नहीं जायेगा, अर्थात् इस परिपत्र का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

151 [बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं०–जी०पी०एफ० 1698/90/1606 वि० (अ०), दिनांक 27-10-1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय : बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानेवाली निर्धारित राशि में किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप, जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि बिहार भविष्य निधि नियमावली में अधिसूचना संख्या 4184, दिनांक 13-7-1985 द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि राजपत्रित पदाधिकारी को अपनी परिलब्धियों का कम-से-कम 15% तथा अराजपत्रित कर्मचारी को 12.5% भविष्य निधि में अंशदान के रूप में जमा कराना होगा। साथ ही, यह व्यवस्था भी की गई है कि जो सरकारी सेवक अधिसूचना संख्या 4967, दिनांक 18-5-1983, के क्रम में, पूर्व से निर्धारित, न्यूनतम दर पर ही अंशदान देना चाहते हों, उन्हें ऐसा करने की छूट रहेगी, बशर्त्ते कि वे इस आशय का विकल्प दिनांक 26-7-1995 तक दे दें। बाद में, वित्त विभाग के ज्ञापांक 7529, दिनांक 29-11-1985 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पुरानी योजनानुसार भविष्य निधि में अशंदान देने वाले कर्मी यदि अभी भी नयी योजना में आना चाहते हों तो वे ऐसा कर सकते हैं, बशर्त्ते कि वे जुलाई, 1985 से नवम्बर, 1985 तक का बकाया अंशदान दिसम्बर, 1985 के वेतन से कटा दें। उसके बाद, उन्हें नयी योजना में आने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। यह व्यवस्था तब से अभी तक यथावत् लागू है और इसमें परिवर्त्तन करने का कोई विचार राज्य सरकार नहीं रखती है।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7530 वि० (2), दिनांक 29-11-1985 की कंडिका 2 में यह प्रावधान है कि दिनांक 1-7-1985 से बिहार सामान्य भविष्य निधि में कटौती एवं जमा कराई गई राशि पर ब्याज की गणना निम्न दर से की जायेगी –

(I) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4184 वि०, दिनांक 13-7-1985 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 12 (I) (बी) के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से।

(II) जो अंशदायी अधिसूचना संख्या 4967 वि०, दिनांक 18-5-1983 में निर्धारित न्यूनतम दरों पर अंशदान देते हैं, उनकी जमा राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से।

3. सरकार के सामने ऐसे कई मामले आये हैं कि यदि कोटि 2 (I) अर्थात् नई योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी अंशदायी के निर्धारित मासिक अंशदान में किसी एक माह में भी निर्धारित अंशदान की राशि में एक रुपया की भी कमी की जाती है तो उस अंशदायी को उक्त माह से ही उसकी पूरी सेवा अवधि तक 12.50 प्रतिशत ब्याज की दर से वंचित हो जाना पड़ता है और उसे मात्र 10.50 प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त होता है, भले ही उस अंशदायी द्वारा

आने वाले महीनों में क्यों न निर्धारित राशि ही अपने भविष्य निधि में कटाई गई हो । इससे अंशदाताओं को कई कठिनाइयाँ हो रही हैं और उन्हें वित्तीय क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है । अत: उक्त स्थिति पर भली-भाँति विचार कर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी अंशदायी के मासिक अंशदान की निर्धारित न्यूनतम राशि किसी वित्तीय वर्ष के एक या एक से अधिक माहों में कम जमा हुई हो, तो उस अंशदायी को केवल उसी वित्तीय वर्ष में ब्याज की राशि 12.50 प्रतिशत की दर से देय न होकर मात्र 10.50 प्रतिशत की दर से देय होगी । अगले वित्तीय वर्ष में यदि अंशदायी निर्धारित न्यूनतम अंशदान देना प्रारंभ कर देता है और उसने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम अंशदान की राशि से जो राशि कम जमा की थी, यदि वह उस समय 12.50% ब्याज के अपने अंशदान में जमा कर देता है, तो उसे नियमानुकूल 12.50 प्रतिशत की दर से सूद दिया जायेगा । ●

152. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या एम० 4-8/96/3749, दिनांक 28-6-1996 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि तथा अन्तिम निकासी से सम्बन्धित विपत्रों को पारित करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि कतिपय कर्मियों द्वारा वित्त विभाग को यह सूचित किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों को कोषागार पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर पारित नहीं किया जा रहा है कि वित्त विभाग का ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है तथा कतिपय मामलों में वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करने का निदेश भी दिया गया है । इस संदर्भ में निदेशानुसार स्पष्ट करना है कि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 2775/वि० (2), दिनांक 27-4-1996 के जरिये कैश रेगुलेशन स्कीम को तत्काल स्थगित करते हुए बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था को यथा पूर्ववत् लागू करने का निर्णय लिया गया है । संगत आदेश के जरिये सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि से सम्बन्धित विपत्र को पारित करने के प्रसंग में किसी भी प्रकार का बंधेज नहीं लगाया गया है एवं संगत आदेश के आलोक में सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र को आवश्यक जाँचोपरान्त पारित किया जा सकता है ।

2. अत: अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार स्वीकृत अग्रिम से संबंधित विपत्र तथा अन्तिम निकासी से संबंधित विपत्र को वित्त विभाग के ज्ञाप सं०- 2775 वि० (2), दिनांक 27-4-1996 के आलोक में आवश्यक जाँचोपरान्त पारित किया जा सकता है । इसके लिए आवंटनादेश की आवश्यकता नहीं होगी । वित्त विभाग के पत्र सं०-6/ए०एफ०सी०, दिनांक 27-1-1996 को भी मात्र इस प्रयोजनार्थ आंशिक रूप से शिथिल माना जाए । ●

153. **[बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय), वित्त विभाग, पत्र संख्या-जी०पी०एफ० 1-589/96/1914, दिनांक 3-9-1996 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : बिहार भविष्य निधि में जमा की जाने वाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मी द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज निर्धारित करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि निदेशालय के पत्रांक 14030, दिनांक 20-12-1995 द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1606, दिनांक 20-10-1995 के कार्यान्वयन पर जो रोक लगाई गयी थी, उसे आंशिक रूप से समाप्त करते

हुए निदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1606, दिनांक 20-10-1995 की कंडिका के अंश 'क' यथा –

"अत: उक्त स्थिति पर भली-भाँति विचार कर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी अंशदायी के मासिक अंशदान की निर्धारित न्यूनतम राशि किसी वित्तीय वर्ष के एक या एक से अधिक माहों में कम जमा हुई हो, तो उस अंशदायी को केवल उसी वित्तीय वर्ष में ब्याज की राशि 12.50 प्रतिशत की दर से देय न होकर मात्र 10.50 प्रतिशत की दर से देय होगी" का कार्यान्वयन किया जाये।

154. **[बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय), वित्त विभाग, पत्र सं० जी०पी०एफ० 1-404/95/15396, दिनांक 23-11-1996 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : बिहार सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाने वाली निर्धारित राशि से किसी वर्ष विशेष में किसी सरकारी कर्मचारियों द्वारा कम राशि जमा कराने के फलस्वरूप जमा की गई राशि पर ब्याज-निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग : वित्त विभाग का पत्रांक जी०पी०एफ०-1-98/90-1606 वि० (अ०), दिनांक 27-10-1995 ।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या जी०पी०एफ०-1-698/90-1606/वि० (अ०), दिनांक 27-10-1995 के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नांकित अनुवर्त्ती निदेश दिये जाते हैं –

1. बिहार भविष्य निधि नियमावली में अधिसूचना संख्या 4124, दिनांक 13-7-1985 द्वारा किये गये संशोधन, जिसके तहत राजपत्रित पदाधिकारी को अपनी परिलब्धियों का न्यूनतम 15 प्रतिशत एवं अराजपत्रित कर्मचारी को 12.5 प्रतिशत भविष्य निधि में अंशदान के रूप में जमा करने का प्रावधान है, के अधीन जो सरकारी सेवक इस योजना में दिसम्बर, 1985 तक सम्मिलित नहीं हुए वे प्रसंगाधीन पत्र के प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं होंगे ।

2. भविष्य निधि में अंशदान हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि की गणना हेतु "परिलब्धियों" का आकलन बिहार सेवा संहिता के वेतन की परिभाषा के अनुसार किया जाता है, जिसके अनुसार वेतन में विशेष वेतन एवं वैयक्तिक वेतन शामिल हैं । परन्तु, पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को मान्य करते हुए राज्य सरकार (वित्त विभाग) के ज्ञाप सं०-3/पी०ए०आर०-1-3/89-6021/एफ० (2), दिनांक 18-12-1989 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका 7 में यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम देय राशि हेतु अंशदाता के केवल मूल वेतन को आधार माना जाये, विशेष वेतन या अन्य कोई वेतन उसमें शामिल नहीं किया जाये । तद्नुसार मार्च से राजपत्रित कर्मियों को अपने मूल वेतन का न्यूनतम 15 प्रतिशत एवं अराजपत्रित कर्मियों को 12.5 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना अपेक्षित है । सभी उसमें 12.5% की दर से सूद अनुमान्य होगा ।

3. वित्त विभाग के प्रसंगाधीन पत्र सं० 1606, दिनांक 27-10-1995 के अंतिम अंश में यह निर्णय लिया गया था कि यदि किसी अंशदाता द्वारा किसी माह/वर्ष में न्यूनतम राशि से कम राशि जमा कराई गई है तो उन्हें उस वर्ष 10.5% की दर से सूद देय होगा और बाद के वर्षों में यदि उन्होंने निर्धारित न्यूनतम कटौती कराई होती, उन्हें 12.5% की दर से सूद तभी देय होगा जब वे पूर्व की कमी की भरपाई चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करेंगे । अब इसे एतद्वार संशोधित

किया जाता है कि कम जमा की गई राशि की भरपाई नहीं की जाएगी और प्रत्येक माह/वर्ष में यह अलग-अलग देखा जाएगा कि अंशदाता द्वारा न्यूनतम राशि जमा की गई है अथवा नहीं। जिस जिस वर्ष में न्यूनतम राशि जमा की गई होगी, उनमें 12.5% एवं जिस-जिस वर्ष में उससे कम जमा किया गया हो उस-उस वर्ष में 10.5% की दर से सूद जोड़ा जाएगा।

4. प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा देय सुविधा का लाभ दिसम्बर, 1985 तक "नई योजना" में शामिल हो गए सभी अंशदाताओं को प्राप्त होगा भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों या पूर्व में भविष्य निधि की राशि की अंतिम निकासी भी कर लिए हों। परन्तु, उपर्युक्त निर्णय के आलोक में देय राशि पर सूद की गणना अंतिम निकासी का प्राधिकार पत्र निर्गत करने की अवधि तक ही होगी। ●

155. **[बिहार सरकार (भविष्य निधि निदेशालय), वित्त विभाग, पत्र सं० 838, दिनांक 20-1-1997 की प्रतिलिपि।]**

विषय : राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि 1-4-1986 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा संधारण का कार्य कुछ सेवाओं को छोड़कर विकेन्द्रीयकृत रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा इसके लिए सभी कोषागार से सम्बद्ध जिला भविष्यनिधि कार्यालय का गठन किया गया है एवं जिला से दूसरे जिला में स्थानान्तरण की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी / पदाधिकारी का अंतशेष लेखा अद्यतन कर दूसरे सम्बन्धित जिला को स्थानान्तरित किया जाना है। परन्तु, ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद लेखा अद्यतन कर अंतशेष निर्गत नहीं किया जाता है, बल्कि पुराने कार्यालय में ही लेखा संधारण जारी रहता है। स्थानान्तरित कर्मचारी / पदाधिकारी अन्य जिला से संबंधित कटौती विवरणी दूसरे जिला भविष्य निधि कार्यालय या सचिवालय भविष्य निधि कोषांग को भविष्य निधि लेखा अद्यतन करने हेतु प्रस्तुत करते हैं और इसके आधार पर उनका लेखा अद्यतन की कार्रवाई की जा रही है। यह सर्वथा नियम के प्रतिकूल है। चूँकि सभी जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं रहता है अतः जालसाजी की आशंका बनी रहती है।

(i) अतः अनुरोध है कि अपने कोषांग से जुड़े कोषागार से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लेखा का संधारण और पदस्थापन की अवधि तक ही किया जाए।

(ii) स्थानान्तरण के बाद अन्तःशेष नये पदस्थापन से सम्बन्धित कोषांग को भेज दिया जाए।

(iii) असम्बद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित कटौती विवरणी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समय की बहुत कमी होने की स्थिति में निदेशालय द्वारा इससे भिन्न कोई आदेश विशिष्ट मामले में दिया जा सकेगा। तत्संम्बन्धी प्रस्ताव फैक्स द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजा जाए। ●

156. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या वि० (2) 51-99/3392 वि०अ०, दिनांक 1-12-1999 की प्रतिलिपि।]**

अधिसूचना

भारतीय संविधान की धारा 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948" में निम्नलिखित

संशोधन करते हैं –

1. वर्तमान नियम 11 (1) (बी) के स्थान पर नियम निम्न रूप में पुनःस्थापित (Substitute) किया जाए ।

नियम : 11 (1) (बी) – यह पूर्ण रूप में अभिव्यक्त कोई भी राशि हो सकती है जो अधिकतम कुल परिलब्धियों की सीमा के अन्तर्गत तथा न्यूनतम पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित कुल परिलब्धियों का 6 (छः) प्रतिशत हो । यह समान रूप से सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर अनिवार्यतः लागू होगा ।

नोट : परिलब्धि से अभिप्रेत है – मौलिक नियमावली में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence allowance) एवं इस पर अनुमान्य महँगाई वेतन यदि अनुमान्य हो एवं बाह्य नियोजन में प्राप्त कोई राशि जो वेतन के रूप में परिभाषित हो ।

2. अंशदान की उपर्युक्त दर इस अधिसूचना के निर्गत होने के बाद के माह से लागू होगी तथा ब्याज की नई दर 12 (बारह) प्रतिशत वार्षिक 1 अप्रैल, 1999 से देय होगी । यह दर समान रूप से सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर लागू होगी । अंशदान पर ब्याज की गणना सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएँ) नियमावली, 1960 के नियम 11 के प्रावधान के तहत की जाएगी ।

3. वित्तीय वर्ष 1999-2000 से पहले ब्याज की समय-समय पर वित्त विभाग/भविष्य निधि निदेशालय से निर्गत परिपत्रों/पत्रों के आलोक में ही की जाएगी ।

4. आदेश निर्गत होने के बाद किसी भी माह या वर्ष में पुनरीक्षित वेतनमान कुल परिलब्धियों का 6 (छः) प्रतिशत अंशदान से कम और कुल परिलब्धियों के कटौती होने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वेतन की निकासी की जाएगी । फिर भी त्रुटिवश यदि ऐसा कोई मामला बाद में प्रकाश में आता है तो प्रसंगाधीन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पदाधिकारियों को भविष्य निधि अंशदान पूर्व की दरों से ही ब्याज देय होगा ।

6. अपरिहार्य कारणवश पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित नहीं होने तक अंशदान की कटौती वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4184 (वि०), दिनांक 13-7-1985 में विहित रीति के अनुसार होती रहेगी । वेतनमान पुनरीक्षित होने पर इस अधिसूचना के अनुसार अंशदान की राशि कम होने की दशा में अतिरिक्त कटौती कर समायोजित कर ली जाएगी । ●

157. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या 3/एम-2-7/2000-1251 वि० (2), दिनांक 25-2-2000 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : पुनरीक्षित वेतनमान में सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्य कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 8-2-1999 की कंडिका 9 में यह प्रावधान किया गया है कि पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मियों को मूल वेतन का न्यूनतम अनिवार्य अंशदान निर्धारित दर पर दिनांक 1-4-1997 से ही सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करना होगा । अपुनरीक्षित वेतनमान में 3,500 रु० के ऊपर वेतन पाने वाले कर्मियों को देय महँगाई भत्ता का एक अंश भी अनिवार्य रूप से जमा कराया जा रहा है । इस क्रम में यह तथ्य सामने लाया गया है कि देय महँगाई भत्ता के एक भाग को अनिवार्य तौर पर

भविष्य निधि में जमा करने के अलावे पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-4-1997 से सामान्य भविष्य निधि खाते में अनिवार्य अंशदान करने से कठिनाई हो रही है और वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया मिलने की बजाये अतिरिक्त राशि जमा करने की नौबत आ गई है।

राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया है कि 15 प्रतिशत की दर से न्यूनतम अनिवार्य भविष्य निधि कटौती की राशि की गणना करते समय अपुनरीक्षित वेतन में कराई गई कटौती के अतिरिक्त महँगाई भत्ता मद से भविष्य निधि खाता में जमा कराई गई राशि को भी शामिल किया जाये अर्थात् अपुनरीक्षित वेतनमान में भविष्य निधि अंशदान, महँगाई भत्ता में से अनिवार्य तौर पर भविष्य निधि जमा कराई गई राशि और वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि की गणना करते समय भविष्य निधिं में जमा कराई गई राशि तीनों मिलाकर पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

यह आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व जिन पदाधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण के बकाया से संबंधित विपत्र पारित किया जा चुका है उनके मामले में बकाया की गणना इस परिपत्र के आधार पर दुबारा नहीं की जायेगी।

दिनांक 1-1-2000 से सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान के सम्बन्ध में वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 3392, दिनांक 1-12-1999 ही प्रभावी होगी। ●

158. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या–वि० 2-51/99/4968 वि० (2), दिनांक 19-6-2000 की प्रतिलिपि।]**

विषय :- 1-2-2000 से भविष्य निधि सूद दर 11 प्रतिशत करने सम्बन्धी अधिसूचना।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प संख्या–एफ० 5 (1) पी०डी०-2000, दिनांक 1-4-2000 के द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर 11 (ग्यारह) प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण कर दिया गया है।

2. तद्नुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2000 से सभी राज्य-कर्मियों के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3392, दिनांक 1-12-1999 द्वारा निर्धारित भविष्य निधि अंशदान एवं खाते में संचित राशि पर ब्याज की दर 11 (ग्यारह) प्रतिशत कर दी जाए। ●

159. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या–5664/वि०, दिनांक 9-8-2000 की प्रतिलिपि।]**

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी एवं अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि वित्त विभाग में सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति अथवा परामर्श के लिए प्राप्त होनेवाली संचिकाओं में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अग्रिम की स्वीकृति/सहमति प्रदान करने वाले पदाधिकारियों को नियमानुकूल निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि –

(1) वित्त विभाग में स्वीकृति/परामर्श हेतु भेजे जाने वाले सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के प्रस्तावों (विशेषकर अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति सम्बन्धी में सामान्य भविष्य निधि निदेशालय या जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन वार्षिक लेखा-विवरणी मूल रूप में निश्चित रूप से भेजी जाये, क्योंकि बिना अद्यतन वार्षिक लेखा-विवरणी के मूल प्रति के सामान्य भविष्य निधि लेखा से अग्रिम की स्वीकृति की कार्रवाई किए जाने से अधिक निकासी की सम्भावना बनी रहती है। कुछ ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिसमें लिए गए अग्रिमों का उल्लेख/इन्दराज मूल वार्षिक लेखा विवरणी में नहीं रहता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अत: ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के साथ कटौतियों की सत्यापित विवरणी भी संचिका में निश्चित रूप से भेजी जानी चाहिए।

(2) सभी अप्रत्यर्पणीय/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति या सहमति सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6817 (वि०) 2, दिनांक 8-5-1979 द्वारा निर्धारित जाँच-पत्रक जिसमें सभी सूचनाओं का अंकन किया जाये एवं पूर्व में स्वीकृत सभी अग्रिमों (अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय) का भी उल्लेख किया जाये। सक्षम पदाधिकारी (उप सचिव या उनसे ऊपर की पंक्ति के पदाधिकारी) के स्तर से ही प्रमाणित कराकर भेजा जाये।

(3) सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति/सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग में बिहार सचिवालय अनुदेश के नियम 7.26(2) के अनुरूप पूर्ण आत्मभारित टिप्पणी में परामर्श का बिन्दु निश्चित करते हुए पूर्ण समीक्षोपरान्त मूल संचिका (फाइल बोर्ड में बाँधकर) ही भेजवाई जाये। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 5824, दिनांक 2-5-1981 में एतद् विषयक अनुदेश पूर्व में भी दिया जा चुका है।

(4) अग्रिम स्वीकृति सम्बन्धी तथा सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग (प्रशाखा 6) में भेजते समय उत्तरदायी पदाधिकारी तथा प्रशासी विभाग आश्वस्त हो लेंगे कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम का प्रस्ताव सही एवं नियमानुकूल है, और किसी भी परिस्थिति में अधिक निकासी की संभावना नहीं है। गणना-तालिका तथा जाँचपत्र के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्ट होकर ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सक्षम पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

कृपया पूर्व में वित्त विभाग के पत्रांक 2627, दिनांक 24-5-2000 के साथ-साथ इन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित कराया जाये, ताकि भविष्य निधि लेखा से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो। ●

160. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञापांक 3307-वि०, दिनांक 1 जून, 2001 की प्रतिलिपि।]**

विषय : सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1 अप्रील, 2001 के प्रभाव से 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ-5(1) पी०डी०/2001-2002 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रील, 2001 से सभी राज्यकर्मियों के लिए भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर

9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) निर्धारित की जाए। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4968, दिनांक 19 जुलाई, 2000 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। ●

161. **[बिहार सरकार भ०नि० निदेशालय, वित्त विभाग, पत्रांक–जी०पी० एफ०-01- 562/2001/1557, दिनांक 12-2-2002 की प्रतिलिपि।]**

विषय : सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि के अंतिम भुगतान में विलम्ब की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि अभिलेखों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की भविष्य निधि में जमा राशि के अंतिम भुगतान में होने वाले विलम्ब के निम्नांकित कारण हो सकते हैं –

(i) सरकारी सेवकों द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान भविष्य निधि लेखे के अद्यतनीकरण में रुचि नहीं लेना;

(ii) संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष के द्वारा अंतिम निकासी का आवेदन पत्र ससमय नहीं प्रेषित किया जाना;

(iii) सेवानिवृत्त/मृत अंशदाता की सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ उपलब्ध नहीं होना;

(iv) अंतिम निकासी के आवेदन पत्र की सभी कंडिकाओं को ठीक से नहीं भरा जाना;

(v) सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियों में सभी वांछित सूचनाएँ यथा टी०वी० संख्या एवं तिथि तथा अग्रिम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जाना; एवं

(vi) महालेखाकार द्वारा प्रेषित वर्ष 1981-82 का अंतशेष उपलब्ध नहीं होना।

2. ज्ञातव्य हो कि विलम्ब के लिये उत्तरदायी उपर्युक्त छ: में से पाँच बिन्दुओं पर कार्रवाई सम्बन्धित विभाग/सरकारी सेवक के ही स्तर पर की जानी होती है। कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा अंतिम निकासी का आवेदन पत्र एवं सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ ससमय एवं सही-सही भेजे जाने के उपरांत ही भविष्य निधि कार्यालयों के द्वारा अंतिम भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मो० रुक्मिणी देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा माया चक्रवर्ती बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मुकदमों में दिए गए निर्णयों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है।

3. अत: भविष्य निधि से अंतिम भुगतान में हो रहे विलम्ब की समस्या को दूर करने के लिये राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रधानों के द्वारा निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है –

(i) प्रत्येक कार्यालय प्रधान अगले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अंशदाताओं की एक सूची बनाकर यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनके भविष्य निधि लेखे का अद्यतनीकरण किस वर्ष तक हो चुका है और यदि लेखा अद्यतन नहीं हो तो उनके भविष्य निधि लेखे में जमा एवं उससे की गयी निकासी की राशियों के सम्बन्ध में सूचना भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे।

(ii) विदित ही है कि स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की कटौती व निकासी विवरणियाँ कोषागार पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित की जानी होती है। किन्तु, इस कार्य हेतु

पहल स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को ही करनी होती है, क्योंकि उनके द्वारा विवरणियाँ समर्पित किये जाने पर ही उन्हें कोषागार पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है ।

अत: प्रत्येक विभागाध्यक्ष अगले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की एक सूची बनाकर उनसे यह लिखित सूचना प्राप्त करेंगे कि उनका भविष्य निधि लेखा किस वर्ष तक अद्यतन है और यदि लेखा अद्यतन नहीं हो तो कटौती तथा निकासी विवरणियाँ सत्यापित कराकर सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे ।

यदि किसी स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जायेगा तो उन्हें आगाह किया जाना चाहिए कि चूँकि विलम्ब उनके ही स्तर पर किया जा रहा है, उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत छ: माह की अवधि के बाद अद्यतन सूद से वंचित होना पड़ेगा ।

(iii) अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ प्रेषित करने की जवाबदेही सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

यदि किसी राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी की कटौती तथा निकासी विवरणी तैयार करने के लिए आवश्यक अभिलेख एक से अधिक कार्यालयों में उपलब्ध हों, तो सम्बन्धित कार्यालय प्रधानों के उनके कार्यालय से सम्बन्धित अवधि की विवरणियाँ प्रेषित करने के लिये पत्र दिया जाना चाहिए और इन पत्रों की प्रति विभागीय सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को भी दी जानी चाहिए ।

इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रतिमाह तथा विभागीय सचिव के स्तर पर प्रत्येक तीन माह पर की जानी चाहिए ।

(iv) सर्वाधिक दु:ख का विषय है कि अंतिम भुगतान में अधिक विलम्ब के मामले चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से सम्बन्धित होते हैं, जिनका स्थानान्तरण नहीं होता तथा लेखा अद्यतनीकरण हेतु आवश्यक कटौती तथा निकासी विवरणियाँ तैयार करने में भी कठिनाई नहीं होती । यह संवेदनहीनता का प्रमाण है । प्रत्येक कार्यालय प्रधान द्वारा अपनी स्थापना के अधीन कार्यरत् चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लेखा अद्यतनीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(v) स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों का यह दायित्व है कि अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र स्वयं भरकर एवं हस्ताक्षरित कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित कर दें । किन्तु, नियंत्री पदाधिकारी को भी चाहिये कि सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के छ: माह पूर्व ही लिखित रूप से अंतिम निकासी का आवेदन पत्र समर्पित करने का निर्देश इस चेतावनी के साथ दे दें कि यदि आवेदन पत्र उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही समर्पित नहीं किया जाता तो अंतिम भुगतान में विलम्ब के लिये वे स्वयं जवाबदेह होंगे और सेवानिवृत्ति के छ: माह के बाद अद्यतन सूद से उन्हें वंचित होना पड़ेगा ।

यदि कोई स्वनिकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिना लेखा अद्यतनीकरण सम्बन्धी सूचना दिये हुए ही अंतिम निकासी का आवेदन पत्र भेजता है तो उसे स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए ।

(vi) स्पष्ट किया जाता है कि अराजपत्रित कर्मचारियों का अंतिम निकासी का आवेदन पत्र भरने एवं उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को भेजने की पूरी जवाबदेही सम्बन्धित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होती है। अत: प्रत्येक कार्यालय प्रधान का यह कर्त्तव्य है कि सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों का अंतिम निकासी का आवेदन पत्र यथोचित रूप से भरकर उसे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालयों को भेज दें।

यदि किसी अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा जानबूझकर, सूचित किये जाने के बावजूद अंतिम निकासी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा हो, तो उसे लिखित रूप में यह चेतावनी दी जानी चाहिऐ कि अंतिम भुगतान में विलम्ब के जवाबदेही सम्पूर्णत: उसकी होगी और उसे सेवानिवृत्ति के छ: माह के बाद अद्यतन सूद से वंचित होना पड़ेगा।

(vii) मृत सरकारी सेवकों की अंतिम निकासी हेतु सभी आवश्यक कागजात जुटाने एवं आवश्यक सत्यापनोपरान्त भविष्य निधि कार्यालयों को उपलब्ध कराने की जवाबदेही सम्बन्धित कार्यालय प्रधान एवं विभागाध्यक्ष की होती है। अत: प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि मृत सेवकों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

4. ज्ञातव्य हो कि चूँकि सरकारी कार्मिकों की भविष्य निधि में कटौती तथा उससे की गयी निकासी से सम्बन्धित सभी अभिलेख सरकारी कार्यालयों या कोषागारों में उपलब्ध होते हैं, उचित समय पर सजग हो जाने पर उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

5. चूँकि अंतिम भुगतान के मामले बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न कोषांगों में लम्बित हो गये हैं, उनके निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग, प्रत्येक कार्यालय में विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है, ताकि सभी वांछित कागजात/सूचनायें सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालयों को अविलम्ब उपलब्ध करायी जा सके। अत: अनुरोध है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय प्रधान दिनांक 1-2-2002 से 31-3-2002 तक विशेष अभियान का आयोजन कर अपने कार्यालय से सम्बन्धित सभी अंतिम निकासी के मामलों के निष्पादन हेतु सभी वांछित कागजात सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालयों को उपलब्ध करा दें।

6. यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष विशेष अभियान की अवधि के दौरान हुई कार्य-प्रगति की प्रत्येक हफ्ते समीक्षा करें और विभागीय सचिवों के स्तर पर भी प्रथम पन्द्रह दिनों के बाद एवं विशेष अभियान के अंत में कार्य-प्रगति की समीक्षा की जाये।

7. जिन पदाधिकारियों के द्वारा भी विशेष अभियान एवं अंतिम निकासी के मामलों के सम्बन्ध में दिये गये अन्य निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता या उदासीनता प्रदर्शित की जाती हो, उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ●

162. **[बिहार सरकार, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पत्रांक–जी०पी० एफ०-01-562/2001/1580, दिनांक 13-2-2002 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु आवश्यक कागजात के प्रेषण के सम्बन्ध में ।

देखा गया है कि राज्य के विभिन्न भविष्य निधि कोषांगों में हजारों की संख्या में लम्बित पड़े अंतिम निकासी के मामलों का कारण कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा अंतिम

भुगतान हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाना है । यद्यपि अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक कागजात जुटाना भविष्य निधि कोषांगों का दायित्व नहीं है, न उनके लिये यह संभव ही है कि अंतिम भुगतान हेतु आवश्यक आवेदन पत्र तथा सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ जुटायें, इस कार्य का बोझ भी भविष्य निधि कोषांगों पर आ गया है । कुछ मामलों में तो आवश्यक कागजात हेतु पाँच से दस वर्षों से पत्राचार किया जा रहा है और कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा रहे । इस स्थिति के कारण यह गलत धारणा भी फैली है.कि अंतिम भुगतान में विलम्ब भविष्य निधि कोषांगों के स्तर पर हो रहा है । भविष्य निधि से अंतिम भुगतान में विलम्ब की समस्या दूर करने के लिये विस्तृत निर्देश आयुक्त लेखा प्रशासन के पत्रांक–जी०पी०एफ०- 01/562/2001/1557, दिनांक 12-2-2002 के द्वारा निर्गत किये गये हैं ।

सूचित करना है कि राज्य के सभी भविष्य निधि के कोषांगों को यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं कि भविष्य निधि से अंतिम निकासी हेतु कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं करें यदि आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित कागजात/सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जायें –

(i) सम्बन्धित अंशदाता का लेखा जिस वर्ष तक अद्यतन हो चुका है, उस वर्ष के लेखा पुर्जा की छाया प्रति;

(ii) यदि अंशदाता का भविष्य निधि लेखा सेवानिवृत्ति के वर्ष तक अद्यतन नहीं हो तो जिस वर्ष तक अद्यतन हो चुका है, उस वर्ष के लेखा पुर्जा की छाया प्रति तथा उसके बाद के वर्ष से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की सत्यापित कटौती एवं निकासी विवरणियाँ;

(iii) प्रमाण-पत्र कि अंशदाता द्वारा सेवारम्भ से सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक भविष्य निधि से लिये गये सभी अग्रिमों का उल्लेख सत्यापित विवरणियों में किया जा चुका है;

(iv) यदि कटौती चालान के द्वारा की गई हो तो चालानों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ एवं कटौती यदि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से की गई हो, तो विवरणियों में बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा चेक संख्या का उल्लेख;

अंतिम निकासी हेतु आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अग्रसारण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि अंतिम भुगतान हेतु उपर्युक्त कागजात/सूचनायें संलग्न की जा रही हैं । यदि वांछित कागजात/सूचनायें अप्राप्त हों तो अंतिम निकासी का आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही भेजा जाना चाहिए ।

दिनांक 1 मार्च, 2002 से अंतिम निकासी हेतु ऐसा कोई भी आवेदन पत्र भविष्य निधि कोषांगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जो उपर्युक्त कागजात/सूचनाओं के साथ नहीं भेजा जाये ।

भविष्य निधि निदेशालय

सूचना

(अ) अंतिम निकासी का आवेदन-पत्र समर्पित करने के पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि –

1. अंतिम निकासी के आवेदन-पत्र की सभी कंडिकाओं को भरा गया है ।
2. आवेदन-पत्र में अंशदाता की पुरानी एवं नई लेखा संख्या अंकित की गई है ।

3. आवेदन-पत्र में अंशदाता द्वारा किये गये अंतिम अंशदान की राशि तथा उसकी टी०भी० संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है ।

4. आवेदन-पत्र में सेवानिवृत्ति के 12 माह पूर्व की अवधि में अग्रिम लिये/नहीं लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है ।

5. यदि अंशदाता राजपत्रित अधिकारी हों या दिवंगत हो गये हों, तो आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया गया है ।

(ब) सत्यापित कटौती तथा निकासी विवरणियाँ समर्पित करने के पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि –

1. कटौती तथा निकासी की प्रत्येक प्रविष्टि के विरुद्ध टी०भी० संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है ।

2. विवरणी में मूल वेतन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।

3. यदि कटौती की राशि चालान के द्वारा जमा की गई हो, तो चालान की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई हैं तथा यदि कटौती की राशि ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई हो तो बैंक ड्राफ्ट/चेक संख्या एवं जमा की गई राशि का उल्लेख विवरणियों में कर दिया गया है ।

4. किसी भी प्रविष्टि में यदि काट-कूट की गई हो, तो उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ।

5. विवरणी में सम्बन्धित वर्ष के दौरान अग्रिम लिये/नहीं लिये जाने का प्रमाण-पत्र स्पष्ट शब्दों में अंकित किया गया है और यदि कोई अग्रिम लिया गया हो तो उसकी टी०भी० संख्या तथा तिथि का उल्लेख किया गया है ।

यदि आपके स्तर पर ये सावधानियाँ बरती जाती हैं तो अंतिम निकासी तथा लेखा अद्यतनीकरण के मामलों के निष्पादन में होने वाले विलम्ब की समस्यायें दूर की जा सकती है ।

163. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या वि० 2-12/2002/2883/ वि०, दिनांक 4-4-2002 की प्रतिलिपि । प्रेषक, श्री नवीन कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव । सेवा में, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी ।]**

विषय : वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अवधि में भविष्य-निधि एवं ग्रुप बीमा योजना मद में संचित राशि के भुगतेय राशि के आकलन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार भविष्य-निधि एवं ग्रुप बीमा योजना के भुगतान को बजट के अधीन रखना चाहती है । अत: निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि निम्नांकित सूचनायें वित्त विभाग (प्रशाखा-6) को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये—

1. वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सेवा निवृत्ति के कितने मामले होंगे तथा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप सामान्य भविष्य-निधि एवं ग्रुप बीमा योजना के तहत अनुमान्यत: कितनी राशि का भुगतान करना होगा ।

2. सामान्य भविष्य-निधि से विगत एक-दो वर्षों में अग्रिम (स्थायी या अप्रत्यपर्णीय अग्रिम) की निकासी का क्या Trend रहा है ।

3. उपर्युक्त कंडिका2 के आधार पर वित्तीय वर्ष2002-2003में भविष्य-निधि से अग्रिम के रूप में कितनी राशि की निकासी की संभावना है । इस सम्बन्ध में आकलन कर अनुमानित औसत आंकड़ा दिया जाये ।

164. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या–वि० 2-57/99/5313 (2)/वि०, दिनांक 5-7-2002 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2002 के प्रभाव से 9% (नौ प्रतिशत) की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ०– 5 (1) 4 To6 To/2002, दिनांक 30-3-2002 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।

2. तद्नुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2002 से सभी राज्यकर्मियों के लिए भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) निर्धारित की जाये । इस सम्बन्ध में निर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3307, दिनांक 1-6-2001 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

165. **[बिहार सरकार वित्त विभाग, पत्रांक को०ले०ई०-64/95/(पार्ट-11)/ 5776/वि०(2), दिनांक 19-7-2002 की प्रतिलिपि । प्रेषक, रामेश्वर सिंह अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) सेवा में, संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन भविष्य-निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला भविष्य-निधि पदाधिकारी ।]**

विषय : कोषागारों/उप-कोषागारों/जिला भविष्य-निधि निदेशालय में प्रतिनियुक्त उच्चतर वेतनमान के निगम कर्मियों की सेवा वापस करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोषागारों/भविष्य-निधि कोषांगों में लिपिकों के रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य के लोक उपक्रमों/बोर्डों से लेखा का अनुभव रखनेवाले कर्मियों को प्रतिनियुक्त पर लिया गया था । लोक उपक्रमों से प्रतिनियुक्त पर सेवा लेते समय वेतन की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी परन्तु यह शर्त्त रखी गई थी कि पैतृक निगमों के कर्मियों को जब-जब जिस दर से जीवन-यापन भत्ता स्वीकृत होगा, उस दर से प्रतिनियुक्त कर्मियों को भी वेतन भत्ता देय होगा । उल्लेखनीय है कि प्रतिनियुक्ति के समय लोक उपक्रमों में कर्मियों को वेतन भत्तों का भुगतान, संसाधनों की क़मी के कारण, अनियमित था और जीवन-यापन भत्ता की पुरानी दरों पर भुगतान होता था ।

2. ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोक उपक्रमों द्वारा मात्र प्रतिनियुक्त कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण 5000-8000 या उच्चतर वेतनमान में किया गया है, जबकि पैतृक निगम के कर्मी अपुनरीक्षित वेतनमान में ही हैं । निगमों/बोर्डों से प्रतिनियुक्त कर्मियों की समाहरणालय संवर्ग/भविष्य-निधि कोषांगों में निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान रु० 3050-4590) के पदों के विरुद्ध नियुक्ति विचाराधीन है । उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि निगमों/बोर्डों से प्रतिनियुक्त वैसे कर्मी, जिनके पैतृक निगमों/बोर्डों द्वारा वेतन पुनरीक्षण किए जाने के फलस्वरूप, पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम रु० 4590/-

से अधिक हो, उन कर्मियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से उनके पैतृक निगमों/बोर्डों को वापस कर दी जाय ।

यह कार्रवाई उन मामलों में भी की जाए जहाँ निगम/बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन का विवरण, कोषागार को प्राप्त हो गया है, किन्तु पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का भुगतान नहीं किया गया हो या वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली गई हो ।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन अविलंब करते हुए वित्त विभाग, कोषागार प्रशाखा/भविष्य-निधि निदेशालय, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय । ●

166. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक 9138 वि० (2) दिनांक 31-11-2002 की प्रतिलिपि ।]**

विषय : लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य-निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति लोकायुक्त बिहार को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में ।

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य-निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति की शक्ति लोकायुक्त, बिहार को अप्रत्यायोजित करने का प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त कार्यालय, बिहार के अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रचलित नियमों के अधीन, भविष्य-निधि लेखा से अप्रर्तपणीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति लोकायुक्त, बिहार को प्रदत की जाय ।

3. वित्त विभाग ज्ञाप संख्या 24-92-310 वि० (2) दिनांक 18-1-1993 जिसके द्वारा भविष्य-निधि लेखा से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति विभाग को प्रत्यायोजित की गई है, को इस हद तक संशोधित किया जाता है । ●

167. **[बिहार सरकार भविष्य-निधि निदेशालय वित्त विभाग, पत्रांक 2374, दिनांक 4-4-2003, प्रेषक, मुख्य सचिव बिहार, पटना । सेवा में, सरकार के सभी विभागों के आयुक्तों एवं सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी ।]**

विषय : भविष्य-निधि से अंतिम निकासी हेतु आवेदन-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब के संबंध में ।

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को उनकी भविष्य-निधि में जमा राशि के भुगतान के विलम्ब की समस्या का एक मुख्य कारण संबंधित कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा भविष्य-निधि लेखा से अंतिम निकासी हेतु आवेदक का आवेदन-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब किया जाना है । विलम्ब से अंतिम निकासी आवेदन-पत्र प्रेषित करते समय कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के द्वारा भविष्य-निधि कार्यालयों को यह सूचना नहीं दी जाती कि विलम्ब संबंधित अंशदाता के स्तर पर हुआ है अथवा कार्यालय के स्तर पर । अंतिम निकासी के अधिकांश मामलों में आवेदन-पत्र पर संबंधित अंशदाता के हस्ताक्षर की तिथि भी अंकित नहीं होती । इसलिये

भविष्य-निधि कार्यालयों के स्तर पर यह निर्णय कर पाना संभव नहीं हो पाता कि विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ है अथवा इसके लिए संबंधित अंशदाता ही जवाबदेह है ।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षित है कि सेवानिवृत्ति के फलत: किये जाने वाले भुगतानों के लिए आवश्यक कागजात संबंधित सेवकों की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही प्राप्त कर लिये जायें । मृत सरकारी सेवकों के संबंध में यह अपेक्षित है कि उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात अंशदाता के नॉमिनी (नामित) से अविलम्ब प्राप्त कर लिये जायें । यदि किसी सरकारी सेवक या उनके नॉमिनी (नामित) के द्वारा आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाता हो तो उन्हें लिखित रूप से ही आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय ।

यदि कार्यालय प्रधानों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर राज्य सरकार की नीति एवं इस संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती हो तो न केवल भविष्य-निधि लेखा से अंतिम निकासी के मामलों में बिलम्ब की समस्या का समाधान होगा, परन्तु भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले गलत दावों का भी समुचित निष्पादन किया जा सकेगा ।

अत: अनुरोध है कि भविष्य-निधि से अंतिम निकासी में जिन मामलों में भी अंतिम निकासी का आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के छ: माह के उपरान्त प्रेषित किया जाता है, उन सभी मामलों में एक अग्रसारण पत्र के माध्यम से संबंधित भविष्य-निधि कार्यालयों को एक प्रमाण-पत्र भी प्रेषित किया जाना चाहिये कि विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ है अथवा संबंधित सरकारी सेवकों के असहयोगात्मक रवैये के कारण हुआ है । अंतिम निकासी के आवेदन-पत्र पर अंशदाता के हस्ताक्षर की तिथि भी अवश्य अंकित रहनी चाहिये और उन्हें आवेदन-पत्र समर्पित करने के प्रमाणस्वरूप लिखित रूप से आवेदन-पत्र प्राप्ति की सूचना भी दी जानी चाहिये । सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के छ: माह बाद प्रेषित अंतिम निकासी के आवेदन पत्रों के साथ यदि विलम्ब के कारणों के संबंध में प्रमाण-पत्र नहीं भेजा जाता है और अंशदाता द्वारा आवेदन-पत्र प्रेषित करने में हुए विलम्ब की अवधि के सूद का दावा किया जाता है तो इसके लिये संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को दोषी मानते हुए सूद के रूप में देय राशि की वसूली उन्हीं से किये जाने की कार्रवाई की जायेगी । ●

168. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या को०प्र०वि०6/2001/1074 वि०(2), दिनांक 12-2-2004 । प्रेषक, बी० भामथी, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन) । सेवा में, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी ।]**

विषय—दिनांक 22-2-2004 को भविष्य निधि अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक् संदर्भ में सूचित करना है कि दिनांक 22-2-2004 को भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया जा रहा है । इस संबंध में विस्तृत निदेश भविष्य निधि निदेशालय द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है । भविष्य निधि अदालत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित भविष्य निधि कटौती विवरणियों का सत्यापन कोषागारों द्वारा तत्परतापूर्वक किया जाय । सभी कोषागार पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को सूचित कर सत्यापन के लिए लंबित कटौती विवरणियाँ प्राप्त करें तथा हाथों-हाथ उसका सत्यापन कर

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध करा दें, ताकि भविष्य निधि पदाधिकारियों द्वारा तद्नुसार भविष्य निधि लेखा को अद्यतन करते हुए भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने संबंधी सम्यक् कार्रवाई यथा समय कर दी जाय ।

सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस कार्य हेतु कोषागार पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी सचेत कर दें, अगर किसी कोषागार द्वारा ढिलाई बरती जाती है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को ससमय दी जाय, ताकि संबंधित कोषागार पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके ।

169 [बिहार सरकार, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० वि० 2-5/99-5223, दिनांक 20-7-2004 की प्रतिलिपि ।]

विषय : सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2003 के प्रभाव से 8 (आठ) प्रतिशत की दर से देय ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ०5(1) सी०डी० 2003, दिनांक 12-3-2003 द्वारा सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की भविष्य निधि में संचित राशि पर 8 (आठ) प्रतिशत की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।

2. तद्नुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1-4-2003 से सभी राज्य कर्मियों के लिये भविष्य निधि अंशदान एवं खाता में संचित राशि पर देय ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत निर्धारित की जाय । इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5313 वि०, दिनांक 5-7-2002 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा ।

170 [बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प ज्ञापांक वि०(2)-5/99/7094 वि० दिनांक28-9-2004 ।]

विषय : सामान्य भविष्य-निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर दिनांक 1-4-2004के प्रभाव से वर्ष 2004-05के लिए ब्याज की दर 8 (आठ) प्रतिशत के निर्धारण के संबंध में ।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं० एफ-5(1)पी०डी०-2004दिनांक22-7-2004द्वारा वर्ष2004-05के लिए सामान्य भविष्य-निधि अभिदाताओं की भविष्य-निधि में संचित राशि पर गत ब्याज की दर8 (आठ) प्रतिशत निर्धारित की गयी है ।

2. तदनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष2003-04की तरह दिनांक 1-4-2004से सभी राज्य कर्मियों के लिए भविष्य-निधि में संचित राशि पर ब्याज की दर8 (आठ) प्रतिशत ही निर्धारित की जाय ।

3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज, ब्याज की उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

171. [बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, पत्र संख्या 3/सी-185/2006का०-2684, दिनांक 31-8-2005 की प्रतिलिपि ।]

विषय : सी०डब्लू०जे०सी० नं० 8880/2005 (रज्जू सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 4-9-2006 को पारित आदेश—निवृत्ति लाभों/सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निकासी हेतु ससमय कार्रवाई के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 8880/2006 में दिनांक 4-9-2006 को पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 3 (समूह 'ग') एवं वर्ग 4 (समूह 'घ') के कर्मचारियों के सन्दर्भ में सेवानिवृत्ति की तिथि को निवृत्ति लाभों/सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निकासी हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्तिच नहीं कर सेवानिवृत्ति के छह माहों के बीत जाने के बाद प्राप्त करने पर क्षोभ प्रकट किया गया है । माननीय न्यायालय का यह भी प्रेक्षण है कि ऐसा विलम्ब वर्ग 1 (समूह 'क') अथवा वर्ग 2 (समूह 'ख') के पदाधिकारियों के मामलों में नहीं होता है, बल्कि वर्ग 3 (समूह 'ग') एवं वर्ग 4 (समूह 'घ') कर्मचारियों के मामलों में ही ऐसा विलम्ब किया जाता है ।

2. इस सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा कई अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं। फिर भी सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व ही सभी प्रकार के निवृत्ति लाभों/सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम निकासी हेतु आवेदन प्रपत्र समर्पित नहीं कराना वास्तव में चिन्ताजनक है । वित्त विभागीय पत्रांक 8042वि०पें०, दिनांक 30-8-1999 तथा पत्रांक 5411/वि०(2), दिनांक 19-7-2003 के अनुसार सेवानिवृत्ति के पूर्व ही इस प्रकार के आवेदन पत्र समर्पित कराने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की है ।

3. अत: अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रधानों को कृपया सख्त निदेश दिया जाए कि सभी वर्गों (समूहों) के पदाधिकारी/कर्मचारी से, उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही निवृत्ति लाभों/सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम निकासी हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित कराया जाना और उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही स्वीकृति/भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें । इस सम्बन्ध में सामयिक अनुश्रवण भी किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय और इस क्रम में दोषी पाये गये कार्यालय प्रधान के विरुद्ध विधिसम्मत समुचित कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन
बी०बी० श्रीवास्तव
आयुक्त एवं सचिव

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C. No. 8880 of 2005

Rajjoo Singh Vs. the State of Bihar & ors.

4. 04/09/2006. The State Government has issued a notice showing that interest will stop earning on the general provident fund after expiry of six months from the date the person has retired. The Court is flooded with writ petitions filed by Class IV and Class III employees of the State, who have not been paid their other retiral dues including GPF. Not one single writ petition is pending for recovery of terminal/ pensionary/retiral dues of any Class I or Class II officer. No writ petition

has been filed in the Court by any Class I or II Officer of the Government for recovery of his/her provident fund dues.

In the instant case, it has been held out the final withdrawal form was submitted by the petitioner on 26th December, 2002 and the same was verified accordingly the general provident fund of the petitioner stopped earning any interest since after six months his retirement *i.e.* since 1st July, 2002.

The question is why this is happening only to the poorest employees of the State Government *i.e.* Class III & Class IV employees ? Why a Class I or Class II Officer is accepting a final withdrawal form after expiry of six months and not on the date of retirement of a Class II or Class IV employee, why they are not ensuring that a Class III or Class IV employee, may must submit his final withdrawal form before he retires. Let the Secretary. Personnel & Administrative Reforms Department, Government of Bihar, Patna file an affidavit. Let a copy of this order be handed over to him.

This matter is adjourned two weeks hence awaiting the said affidavit and be listed within first ten cases on the adjourned date in the same list.

Let a copy of this order be supplied to the learned counsel for the State.

Sd./-

Barin Ghosh, J ●

172. **बिहार सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना ज्ञापांक वि० 2-50/2000 (जी०पी०एफ०6)-4948, दिनांक 27-7-2006**—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, केन्द्रीय सरकारी कर्मियों को यथा लागू **"डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेन्स स्कीम"** का प्रावधान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ—(1) यह नियमावली "बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2006" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 1948 के नियम 17 के उप नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप नियम (ग) जोड़ा जायेगा।

"(ग) अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर अथ्भदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति को लेखा पदाधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्त्ती तीन वर्षों के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन दिया जायेगा—

(1) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के माह के पूर्ववर्त्ती तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सीमा से कम न रहा हो—

(i) अधिकतम12,000रु० या उससे अधिक वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में25,000रुपये।

(ii) अधिकतम9,000रु० या उससे अधिक परन्तु12,000रु० से कम वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में15,000रुपये।

(iii) अधिकतम3,500रु० या उससे अधिक परन्तु9,000रु० से कम वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में10,000रुपये।

(iv) अधिकतम3,500रु० से कम वेतनमान में पद ारण करने वाले अभिदाता के मामले में 6,000रुपये।

(2) इस नियम के अधीन भुगतेय अतिरिक्त रकम60,000रु० से अधिक नहीं होगी।

(3) अभिदाता ने, अपनी मृत्यु के समय कम-से-कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(4) औसत अतिशेष की गणना उस माह के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती 36 माह में से प्रत्येक माह के अन्त में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ तथा ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जाँच के लिए भी—

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम2 के निबंधनों के अनुसार जमा वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा।

(ख) यदि पूर्वोक्त36 माह का अन्तिम माह मार्च नहीं हो, तो उक्त अन्तिम माह के अन्त के अतिशेष में से उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई हो, उक्त अन्तिम माह के अन्त तक की अवधि से सम्बन्धित ब्याज भी सम्मिलित होगा।

नोट1. इस स्कीम के अधीन भुगतान पूर्ण रुपयों में होगा। यदि किसी देय रकम में रुपया का कोई भाग सम्मिलित हो, तो उसे निकटतम रुपया में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए (पचास पैसे की गणना एक और रुपया में की जायेगी)।

नोट2. इस स्कीम के अधीन भुगतेय धन राशि बीमा धन के स्वरूप की है इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन भुगतेय धन राशि पर लागू नहीं होगा।

नोट3. यह स्कीम निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है, जिन्हें किसी सरकारी विभाग की स्वशासी संगठन में परिवर्त्तित कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप ऐसे निकाय में स्थानान्तरित कर दिया गया हो और जिन्होंने ऐसा स्थानान्तरण होने पर उन्हें दिये गये विकल्प के निबन्धनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करने का विकल्प दिया गया हो।

नोट4. (क) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसे नियम33के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसकी मृत्यु, यथास्थिति, निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पाँच वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व हो जाती है, तो पूर्ववर्त्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की जिसकी बाबत उसे अभिदाताओं की रकम और नियोजक का अंशदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित वसूल कर लिया गया हो, खण्ड(2)और खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिए गणना की जायेगी।

(ख) औपबंधिक आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा की ही गणना इस नियम के प्रयोजनों के लिए की जायेगी।

(ग) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

(5) इस स्कीम के बावत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि लेखा के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, बिहार द्वारा व्यय के रुख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से तैयार किये जायेंगे जिस रीति से अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्राककलन तैयार किये जाते हैं।

(6) किसी पंचायंग दिवस की 12 बजे अर्द्धरात्रि के पूर्व अन्तिम कार्य दिवस के कार्य घण्टे के उपरान्त भविष्य निधि के किसी अंशदाता की मृत्यु के मामले में, सेवाकाल मृत्यु का मामला बनता है, जिससे अंशदाता द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जमा अनुबंध बीमा योजना (डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) के लाभ का हकदार है, बशर्त्ते वह इस योजना की विहित शर्त्तों को पूरा करता हो।

(7) भुगतान करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो, इसलिए संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, बिहार, पटना भविष्य निधि के रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को उक्त योजना में उपबंधित अतिरिक्त लाभ के भुगतान बिना किसी आगामी मंजूरी के शेष भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान करने के समय प्राधिकृत करेंगे।

(8) औसत 36 माह पूरा होने पर, प्रत्येक प्रक्रम पर नहीं, इस योजना के अधीन अधिकतम सीमा 60,000 (साठ हजार) रुपये होगा।

(9) जमा अनुबंध बीमा योजना (डिपोजिट, लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) से संबंधित इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति तक, लगातार अंशदाता के रूप में माना जायेगा, हालांकि अंशदान उसकी सेवा में विगत 12 माह तक विछिन्न क्यों न हो, ताकि उस अवधि के दौरान अंशदाता की दुर्भाग्यवश मृत्यु की दशा में भी, अंशदाता के खाते में जमा रकम पाने के हकदार व्यक्ति को नियम 17 (ग) के अनुसार अतिरिक्त रकम का भुगतान किया जा सके।

(10) किसी कर्मचारी के फरार होने की दशा में, और वह कहाँ अवस्थित है, उसकी जानकारी के अभाव में अंशदाता के खाते में जमा रकम पाने का हकदार व्यक्ति सिर्फ 7 (सात) वर्ष बीत जाने के बाद जमा-अनुबंध-बीमा-योजना (डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेन्स स्कीम) के अधीन भुगतान पाने का हकदार होगा। तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन मृत्यु के पर्याप्त सबूत होने पर भुगतान में विलम्ब नहीं किंया जायगा।

(11) आत्महत्या द्वारा मृत्यु होने की दशा में भी जमा-अनुबंध-बीमा-योजना (डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंश स्कीम) का लाभ देय होगा और मृतक के उत्तराधिकारी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(12) इस योजना के लिए पृथक् से नामांकन की जरूरत नहीं है।

(13) जहाँ तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय मुख्या न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा पृथक् आदेश निर्गत किया जायेगा।

●

173. [बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या वि० 6-विविध-1/06/ (खंड) 242 (जी०पी०), दिनांक 12 फरवरी, 2008 की प्रतिलिपि ।]

विषय : भविष्य निधि से स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602, दिनांक 20 मार्च, 2007 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची 'ग' द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में संशोधन करते हुए भविष्य निधि से स्थायी/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति के लिए निम्नरूप में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है—

(i) गैर राजपत्रित कर्मियों के स्थायी/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(ii) राजपत्रित पदाधिकारियों के स्थायी/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति संबंधित विभागीय सचिव द्वारा दी जायेगी।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं० 71, दिनांक 7-1-2008 के द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया है—

(i) कार्यपालिका नियमावली के नियम 21 के अधीन बनी चतुर्थ अनुसूची 'ग' की कंडिका 7 एवं 8 के प्रावधान विलोपित किये जाते हैं।

(ii) टिप्पणी—भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी प्रत्यायोजित शक्ति एवं प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3. उपर्युक्त कंडिका 1 में संशोधित व्यवस्था के अनुसार भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति नियुक्ति पदाधिकारी/विभागीय सचिव स्तर से प्रदान करने में प्रमंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित गैर राजपत्रित/राजपत्रित कर्मचारियों/पदाधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा अग्रिम स्वीकृति में व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। इस पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची में इस आशय का संशोधन किया है कि भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति संबंधी प्रत्यायोजित शक्ति एवं प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। एतद् संबंधी मंत्रिमंडल सचिवालय के उक्त अधिसूचना के आलोक में भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृति हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है—

(i) राज्यकर्मियों को अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके कार्यालय प्रधान द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ii) राज्यकर्मियों को अप्रत्यर्पणीय (स्थायी) अग्रिम की स्वीकृति उनके कार्यालय प्रधान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(iii) कार्यालय प्रधान या उनके नियंत्री पदाधिकारी को अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति क्रमशः उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(iv) सभी स्वीकृति पदाधिकारी अंशदाता के लेखा में संचित राशि की सम्यक् जाँच करने के पश्चात् ही निर्धारित नियमावली एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करेंगे। इस बात की सम्यक् जाँच आवश्यक है कि पूर्व में ली गई अग्रिम की राशि को भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निर्गत लेखा विवरणी में अग्रिम कॉलम में घटाने का उल्लेख किया गया है या नहीं।

(v) अप्रत्यर्पणीय (स्थायी) अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अग्रिम स्वीकृति के लिए निर्धारित मानदंडों/शर्त्तों का पालन किया गया है।

(vi) किसी विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

4. विभागीय सचिवों द्वारा भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रदान करने संबंधी बिहार वित्तीय नियमावली तथा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में अंकित परिपत्र/आदेश इस हद तक विलोपित समझे जायेंगे।

174. **[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं० वि०-27-विविध-1/06 (खंड)-786 पें०को०, दिनांक 11-6-2008 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री मदन मोहन देव, सरकार के संयुक्त सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष।]**

विषय : वित्त विभाग के संकल्प सं० 242 पें०को०, दिनांक 12-2-2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं० वि०-6-विविध-1/06 (खंड)-242 पें०को०, दिनांक 12-02-2008 के संदर्भ में विभिन्न कार्यालयों से पृच्छा प्राप्त हुई है कि भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए किस पदाधिकारी को कार्यालय प्रधान समझा जायेगा। इस प्रसंग में स्पष्ट करना है कि सचिवालय से बाहर कार्यरत राज्यकर्मी के मामले में जिस कार्यालय से कर्मी के वेतन की निकासी होती है, उस कार्यालय के प्रधान उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ कार्यालय प्रधान समझे जायेंगे। स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रधान एक स्तर वरीय पदाधिकारी उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ नियंत्री पदाधिकारी समझे।

सचिवालय कार्यालयों के मामले में सचिवालय कर्मी जिस विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत हैं, वे विभागाध्यक्ष, इस परिपत्र के प्रसंग में "कार्यालय प्रधान" होंगे। विभगीय सचिव उनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। यदि विभाग में कोई पदाधिकारी विभगाध्यक्ष घोषित नहीं हो तथा कर्मी सीधे विभागीय सचिव के अधीन कार्यरत हैं, तो विभागीय सचिव ही "कार्यालय प्रधान" समझे जायेंगे। ऐसी स्थिति में विभागीय सचिव अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों ही स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे। सदस्य, राजस्व पर्षद्, विकास आयुक्त तथा विभागीय सचिवों को अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम की स्वीकृति मुख्य सचिव देंगे।

व्यवहार न्यायालयों के मामले में जहाँ उपर्युक्त निरूपित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश से न्यून स्तर के पदाधिकारी अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते हैं, वहाँ स्थायी अग्रिम की स्वीकृति जिला न्यायाधीश द्वारा दी जायेगी। जिन मामलें में अस्थायी अग्रिम जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं, वहाँ स्थायी अग्रिम की स्वीकृति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जायेगी। जिन न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों की स्वीकृति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जायेगी।

SOME USEFUL DEPARTMENTAL & LAW BOOKS

1.	बिहार सेवा संहिता (हिन्दी संस्करण)	250.00
2.	बिहार पेंशन नियमावली (हिन्दी संस्करण)	250.00
3.	बिहार वित्त नियमावली (हिन्दी संस्करण)	260.00
4.	बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली (हिन्दी संस्करण)	275.00
5.	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली (हिन्दी संस्करण)	60.00
6.	Bihar General Provident Fund Rules	125.00
7.	Bihar Financial Rules (Vol. I & II) (Eng. Edn.)	275.00
8.	बिहार लोक-निर्माण लेखा संहिता	250.00
9.	बिहार लोक-निर्माण विभाग संहिता	250.00
10.	Bihar Government Estates (Khas Mahal) Manual	240.00
11.	बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियमावली	300.00
12.	विभागीय परिपत्र संग्रह (Mini Compendium) (सेवा सम्बन्धित परिपत्रों का सार-संग्रह)	400.00
13.	पेंशन परिपत्र संग्रह (पेंशन निर्धारण प्रक्रिया)	150.00
14.	भविष्य निधि परिपत्र संग्रह (भविष्य निधि परिपत्रों का सार-संग्रह)	60.00
15.	बिहार सरकारी सेवक छुट्टी नियमावली	60.00
16.	अनिवार्य ग्रूप बीमा नियमावली	40.00
17.	बिहार मकान किराया भत्ता नियमावली	40.00
18.	प्रोन्नति, वरीयता, नियुक्ति, पदस्थापन-स्थानान्तरण	160.00
19.	विभागीय कार्यवाही (Departmental Proceeding)	175.00
20.	Compilation of Pay Fixation Orders	220.00
21.	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम	20.00
22.	सरकारी सेवा में आरक्षण (नीति, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया)	220.00
23.	बिहार पंचायत राज (विधि एवं विधान)	325.00
24.	विभागीय लेखा परीक्षा प्रश्नोत्तरी (प्रथम एवं द्वितीय पत्र)	120.00
25.	विभागीय लेखा परीक्षा प्रश्नोत्तरी (तृतीय पत्र)	40.00
26.	विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण दर्पण (टिप्पण एवं प्रारूपण)	80.00
27.	विभागीय हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा गाइड	40.00
28.	महँगाई भत्ता दर तालिका (आजादी से अभी तक)	100.00
29.	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली (संक्षिप्त एवं संशोधित)	20.00
30.	सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नियमावली	80.00
31.	बिहार नगरपालिका अधिनियम एवं नियमावली	250.00
32.	बिहार राज्य सरकारी सेवा में आरक्षण	25.00
33.	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया	25.00
34.	दस्तावेज एवं विलेख लेखन विधि	60.00
35.	Indian Forest Act, 1927	125.00
36.	Bihar Public Land Encroachment Act	60.00
37.	Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Manual	60.00
38.	Societies Registration Manual (Hindi & English)	60.00
39.	Bihar Motor Vehicles Manual	425.00
40.	Criminal Court Rules	120.00
41.	Civil Court Rules	160.00
42.	Bihar Certificate Manual	220.00
43.	Bihar Government Servant's Conduct Rules	60.00
44.	Bihar Building (Lease Rent & Eviction) Control Act, 1982	90.00
45.	Bihar Juvenile Laws	180.00
46.	Jharkhand Juvenile Laws	110.00
47.	Bihar Land Ceiling Manual	200.00